राजभाषा भारती

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम् ।।

—ऋग्वेद : 10 : 125,3

वाक्देवी कहती है—मैं शासक हूँ । मैं धन को एकत्र करने वाली हूँ । यज्ञार्हों में प्रथम हूँ । देवताओं ने मुझे कई स्थानों में बांटा है । मेरे कई आवास हैं और मैं कई रूपों वाली हूँ ।

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष—5, अंक : 19-20 संयुक्तांक अक्तूबर '82—मार्च '83

संपादक
राजमणि तिवारी

उप संपादक
रंगनाथ त्रिपाठी राकेश

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली—110003

*

फोन : 698617, 617807

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

*

(निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

कुछ अपनी · · · · कुछ आपकी 2

1. सरकार की पूरी कोशिश है कि हिन्दी विकसित हो —प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 6
2. परिचर्चा : विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग : सीमाएं और उपलब्धियां 8
   (1) न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त
   (2) भू० पू० न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल
   (3) श्री ब्रजकिशोर शर्मा
   (4) डॉ० मोती बाबू
   (5) डॉ० उमापति दास केसरी
   (6) श्री सी० पी० श्रीवास्तव
3. भाषा की सरलता की समस्या —डॉ० नगेन्द्र 24
4. राजभाषा हिन्दी : शब्द स्रोत-विवक्षा —डॉ० त्रिभुवन नाथ शुक्ल 26
5. राजभाषा-त्रिभाषा —डॉ० मनमोहन गौतम 29
6. संघ सरकार की राजभाषा नीति और उसका अनुपालन —राजमणि तिवारी 32
7. कालजयी पत्रकार श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर —हरिशंकर 36
8. सरल और कठिन हिन्दी —पृथ्वीनाथ शास्त्री 3
9. प्रशासन की भाषा के आवश्यक गुण —डॉ० महेशचन्द्र गुप्त 40
10. हिन्दी सीखने में उड़िया भाषियों की कठिनाइयाँ —चन्द्रमोहन तिवारी 42
11. सर्व भारतीय साहित्य : शिखर की तलाश —रंगनाथ राकेश 45
12. हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें—कुछ प्रमुख निर्णय 49
    (1) इस्पात और खान मंत्रालय
    (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
    (3) विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
13. विविधा
    (1) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद की बैठक में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव के विचार 57
    (2) नौवहन और परिवहन सम्बन्धी विषयों पर पुरस्कार देने की योजना
    (3) दिल्ली के बाल भवन में हिन्दी 60
    (4) विधि के क्षेत्र में हिन्दी : लखनऊ में सम्मेलन का आयोजन 64
14. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 69
    (1) इन्दौर
    (2) बड़ौदा
    (3) देहरादून
    (4) जयपुर
15. राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण 73

कुछ अपनी

इस अंक के साथ हम 'राजभाषा भारती' के जीवन काल के पांच हेमन्त पूरे कर रहे हैं । राजभाषा के बढ़ते चरण और उसकी गति का लेखा-जोखा पिछले वर्षों में स्पष्टत: उभरा है । इसके अतिरिक्त विगत तीन अंकों की परिचर्चाओं द्वारा हमने कई समसामयिक ज्वलन्त प्रश्नों पर उच्च कोटि के विद्वानों तथा चिन्तकों के विचार एवं समाधान प्रस्तुत किए हैं । इन परिचर्चाओं की पाठकों ने मुक्तकण्ठ से सराहना की है और ऐसे विचार व्यक्त किए हैं कि इन्हें आगे भी जारी रखा जाए। इसी संदर्भ में वर्तमान अंक में "विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग: सीमाएं और उपलब्धियां" विषय पर परिचर्चा आमंत्रित की गई है। इस परिचर्चा में न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त, भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल, डॉ० मोती बाबू, श्री ब्रजकिशोर शर्मा, डॉ० उमापति दास केसरी एवं श्री सी० पी० श्रीवास्तव के लेख दिए गए हैं । विधि के क्षेत्र की प्राय: सभी सम्भावित समस्याओं का इनमें उल्लेख किया गया है । अभी तक विधि के डाइजेस्टों को हिन्दी में सुलभ नहीं कराया गया है यह एक खटकने वाली बात है । विश्वविद्यालयों; महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधि संबंधी पुस्तकें मौलिक रूप से नहीं आ पाई हैं, जिनकी अब बड़ी आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त जनता का न्याय के शासन में विश्वास बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि जनता को उसकी ही भाषा में न्याय प्रदान किया जाए । न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त तथा अन्य विधि विशेषज्ञों का मत है कि जिस देश की 98 प्रतिशत जनसंख्या अंग्रेजी भाषा नहीं समझती उसे आज ऐसी भाषा के माध्यम से न्याय प्रदान किया जा रहा है जिसे समझने के लिए उसे दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है । यह ऐसे ही है जैसे किसी नेत्र वाले व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांधकर उसे लकड़ी पकड़ा दी जाए । अत: जब तक सुनियोजित ढंग से विधि-शिक्षा का कार्यक्रम हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तैयार नहीं किया जाता तब तक हमारे लिए शिक्षा का उद्देश्य सफल नहीं होगा । आवश्यकता इस बात की है कि अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ मूलत: हिन्दी में तैयार किए जाएं ।

प्रस्तुत अंक में भाषा की सरलता और उसकी पाचक शक्ति के संबंध में कुछ विशिष्ट लेख दिए जा रहे हैं । डॉ० नगेन्द्र ने भाषा की सरलता को उसके विशिष्ट गुण के रूप में स्वीकार किया है क्योंकि भाषा यदि जटिल, कृत्रिम और आडम्बरपूर्ण रहेगी तो वह जन-समूह से कट जाएगी । राजभाषा के संदर्भ में हिन्दी के इसी पक्ष के मूल तत्वों का उद्घाटन "भाषा की सरलता की समस्या" में भी किया गया है । क्षेत्रीयता का भी असर सर्व-भारतीय हिन्दी के बाह्य रूप पर कहीं न कहीं पड़ रहा है । उच्चारण और व्याकरण के अपवादों और विकल्पों के बावजूद हिन्दी को सरल, सुबोध और एक मानक रूप देना होगा । इस समस्या की ओर श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री ने एक विशिष्ट संकेत दिया है ।

विभिन्न भाषाओं के शब्द हिन्दी में आकर ऐसे रच-पच गए हैं कि उन्हें उनके मूल रूप में साधारण पाठक नहीं पहचान पाता, उनके मूल स्रोत का उल्लेख डॉ० त्रिभुवन नाथ शुक्ल के प्रस्तुत लेख "राजभाषा हिन्दी : शब्द स्रोत-विवक्षा" में देखा जा सकता है । इसी संदर्भ में "राजभाषा-त्रिभाषा" के लेखक डॉ० मनमोहन गौतम द्वारा तथाकथित विरोध के समाधान की ओर संकेत किया गया है । समस्त भारतीय भाषाओं के बीच एक प्रकार की समानता दृष्टिगोचर होती है। इनके मध्य आदान-प्रदान भी कई शताब्दियों से हो रहा है। इन तथ्यों को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए।

स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर का नाम हिन्दी के संपादन क्षेत्र में भला कौन नहीं जानता । उनकी जन्म शताब्दी के प्रसंग में श्री हरिशंकर का एक लेख इस अंक में प्रस्तुत है। 'सर्व भारतीय साहित्य के शिखर की तलाश' में इस बार स्वर्गीय सुमित्रा नन्दन पन्त को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त में इस बार इन्दौर, बड़ौदा, देहरादून और जयपुर शामिल किए जा रहे हैं। 'विविधा' में भी कुछ विशिष्ट सामग्री दी जा रही है । अन्य स्तम्भ पूर्ववत् हैं ।

पिछले अंकों के संबंध में पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उनसे हमें पर्याप्त प्रेरणा और उत्साह मिला है । आशा है इस अंक के संबंध में भी पाठकगण अपनी सम्मति से हमें अवगत कराएंगे ।

—संपादक

कुछ आपकी

मैंने अंक 17-18 को पूरा पढ़ लिया है । बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक जानकारियां प्राप्त हुईं । श्री शंकरदयाल सिंह का लेख 'संत साहित्यकार फादर कामिल बुल्के' मेरे अंतरतम को छू गया । 'उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग : समस्याएं और समाधान' लेख बहुत ही उपयोगी और तत्संबंधी भावी आवश्यक कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निदेशक प्रमाणित होना चाहिए । 'देवनागरी कम्प्यूटर की अपयोगिता' लेख में "देवनागरी कम्प्यूटर" के निर्माण में प्राप्त उल्लेखनीय सफलता तथा उससे भारतीय संस्कृति के सामूहिक विकास की प्रगति की उल्लेखनीय संभावनाओं का विवरण बहुत ही ज्ञानवर्धक है । "हिन्दी और तमिल के समान तत्व" लेख कई साधारणतया अज्ञात तथ्यों को उजागर करता है । अंततः 'द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन : निर्णय और क्रियान्वयन' लेख के द्वारा हमें तृतीय विश्व सम्मेलन की संभावित कार्य-सारणी और मूल विचार-सूत्रों की उपयोगी जानकारी देती है । कुल मिलाकर यह संयुक्तांक वस्तुतः ध्यान-पूर्वक पठनीय, मननीय और संग्रहणीय बन गया है ।

—डॉ० रघुवीर सिंह, डी० लिट, एल एल० बी०
—निदेशक, श्री नटनागर शोध-संस्थान
सीतामऊ (मालवा) 458990

"राजभाषा भारती" अपनी नीतियों के अनुरूप बेहतर सेवा करने में सक्षम है । यह वस्तुतः संपादकीय सूझबूझ और सामग्री संकलन की दूरदर्शिता का परिचायक है। अंक 17–18 अपनी नई बानगी और श्रेष्ठता का जीवंत प्रमाण है । विज्ञान-मनीषियों के लेखों का यह समुच्चय संग्रहणीय और राष्ट्रीय एकीकरण का केन्द्र बिन्दु है ।

प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया गया है कि बहुभाषा-भाषी देश में सभी भाषाओं को एक ही धरातल पर रख कर परस्पर संजोया जा रहा है । आशा है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं का भी क्रमशः राजकाज में व्यवहार का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा ।

—मुकुल चन्द पांडेय, संपादक
2/10, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ-7

आपका भेजा हुआ 'राजभाषा भारती' त्रैमासिक का अप्रैल-सितम्बर 1982 का संयुक्त अंक मिला । अंक विविध जानकारियों से भरपूर है । प्रस्तुत अंक में विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के बारे में सुन्दर झांकी प्रस्तुत की गई है । इस अंक में विशेषतः डॉ० राकेश चतुर्वेदी, श्री गोविन्द सिंह, रंगनाथ राकेश, श्री बालसुब्रह्मण्यम एवं चन्द्रपाल शर्मा के लेख गहन विचारों से परिपूर्ण और चिरस्मरणीय हैं। "भाषा बहता नीर" और "विविधा" स्थायी स्तम्भ भी अत्यंत रुचिकर हैं। "उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग समस्या एवं समाधान" परिचर्चा काफी चिन्तनशील है । द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के संबंध में आपका लेख पढ़ते हुए उक्त सम्मेलन की पूरी झांकी आंख के सामने उपस्थित हो जाती है ।

—डॉ० न० ब० पाटील,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य
नवीन प्रशासन भवन, बम्बई

"राजभाषा भारती" बहुत सुन्दर लगी । राजकीय क्षेत्र से इतने सुन्दर प्रकाशन के लिए बधाई । मैं इसे नियमित रूप से प्राप्त करने का इच्छुक हूं और पिछले अंक भी चाहता हूं। अतः दिलवाने की कृपा करें ।

—डॉ० मोती बाबू, प्रधान संपादक,
उच्चतम न्यायालय निर्णयसार
सी–296, निराला नगर, लखनऊ-7

"राजभाषा भारती" का संयुक्तांक (अंक 17-18) प्राप्त हुआ । पत्रिका के कलेवर को दिन प्रतिदिन सजाने और संवारने में आप और उप संपादक जिस प्रकार योगदान कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को बधाई। इस अंक में प्रकाशित हर लेख, बातें और सूचनाएं हर दृष्टिकोण से उपयोगी हैं । हिन्दी का प्रचलन प्रेम तथा सद्भावना से बढ़ाया जाए । संत साहित्यकार—फादर कामिल बुल्के, परिचर्चा में भाग लेने वाले विद्वानों के सुविचार, सभी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं । द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन : निर्णय और क्रियान्वयन, सर्वभारतीय साहित्य : शिखर की तलाश, भारत की सर्वांगीण अभिव्यक्ति और हिन्दी देवनागरी कम्प्यूटर की उपयोगिता और कार्यालयीन हिन्दी : कितनी सरल और कितनी कठिन, लेखों के लिए स्वयं आप, श्री रंगनाथ त्रिपाठी राकेश, डॉ० राकेश चतुर्वेदी, डॉ० ओम प्रकाश और श्रीमती सीता कुंचित पादम बधाई के पात्र हैं । इसी तरह इसके अन्य स्तम्भों और लेखों के लिए आपका संपादन मंडल और विद्वान बधाई के पात्र हैं ।

आपका सुरुचिपूर्ण कदम "राजभाषा" भारती के माध्यम से जन-जन को नूतन संदेश प्रसारित करेगा, यही अभिलाषा है।

—श्री मुरलीधर चतुर्वेदी,
139, हुसेनाबाद, जौनपुर-1

"राजभाषा भारती" का 15-16वां अंक देखा। राजभाषा की समस्याओं पर बड़ ही उपयोगी लेख देखने को मिले। डॉ० पांडुरंगराव का लेख "त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन में नागरी लिपि की भूमिका" प्रेरणादायक लेख है। डॉ० कुबेरनाथ राय का "भाषा बहता नीर" लेख बहुत ही सुन्दर है। राजभाषा के संदर्भ में परिचर्चा पर्याप्त उपादेय है। सारांश यह है कि इस अंक में सत्सामग्री देने का प्रयास स्तुत्य है।

—डॉ० मनमोहन गौतम
भू० पू० प्राध्यापक, जाकिर हुसैन कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

बैंक कर्मचारियों और अन्य औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए "उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग"—परिचर्चा अत्यधिक उपयोगी है। विशेषतया मुकुलचंद पांडे तथा रामकृष्ण गुप्ता के सुझावों के कार्यान्वयन की बड़ी आवश्यकता है। विभाग इन परामर्शों पर गौर फरमाये तथा संबद्ध विभागों को लागू करने का निर्देश दें।

—श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी,
यूनियन बैंक आफ इंडिया, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–1

अंक 17–18 में श्री प्रकाशचन्द्र सेठी के सुझाव व्यावहारिक तो हैं ही, साथ ही इस उदार दृष्टिकोण का भी परिचय देते हैं कि हिन्दी का प्रसार सद्भावना द्वारा किया जाए। मेरा भी पूर्ण विश्वास है कि जिस निष्ठा के साथ विदेशियों द्वारा शासित भारत में हिन्दी का काय हुआ यदि उसी निष्ठा द्वारा आज भी कार्य किया जाए तो निश्चय ही अवरोध अपने आप समाप्त हो जायेगा। "भाषा बहता नीर"—द्वारा हिन्दी भाषा के विशाल आयाम उद्घाटित हुए हैं। इस अंक में तथा पहले अंकों में भी 'विविधा' के अन्तर्गत जो रपटें दी गई हैं वे किसी भी हिन्दी सेवी के मन को उत्साहित करने में अपना एक योगदान देती हैं। हिन्दी-प्रसार के साथ-साथ भारतीय भाषाओं की साहित्यिक क्षमता को स्थान देकर आपने निश्चय ही एक सेतु का कार्य किया है। मेरी बधाई एवं प्रशस्ति स्वीकारें।

—डॉ० रमा सिंह, हिन्दी विभाग,
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर

'राजभाषा भारती' का संयुक्तांक 17–18 प्राप्त हुआ। एतदर्थ आभार। संसूचनात्मक, संस्मरणात्मक, साहित्य केन्द्रित एवं भाषा केन्द्रित लेखों के कारण यह अंक सभी प्रकार के पाठकों के लिए संग्रहणीय है। इसके लिए आपको एवं आपके सहयोगियों को बधाई।

हिन्दी और तमिल के समान तत्व, डॉ० बाल सुब्रह्मण्यम और अनुवाद पद्धति और उसका व्यावहारिक पक्ष, श्री चन्द्रपाल शर्मा शीर्षक लेख कई दृष्टियों से उपयोगी है। साथ ही 'सर्व भारतीय साहित्य : शिखर की तलाश' शीर्षक लेखमाला से ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय देने का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक है।

—डॉ० त्रिभुवन नाथ शुक्ल,
प्राध्यापक, भाषा विज्ञान विभाग,
जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर

"राजभाषा भारती" का प्रत्येक अंक नूतन ज्ञानवर्द्धन से सम्पन्न होता है। राजभाषा की प्रगति के समाचारों के साथ-साथ यह हमें उसके बढ़ते हुए क्षितिजों से भी अवगत कराता है। हिन्दी अधिकारियों के लिए यह एक अत्यन्त उपयोगी एवं सराहनीय साथ ही सामान्य मागदर्शक का भी काम करता है। प्रस्तुत अंक के कार्यालयीन हिन्दी : "कितनी सरल कितनी कठिन" एवं "अनुवाद पद्धति और उसका व्यावहारिक पक्ष" आदि लेख इस संदर्भ में उल्लेखनीय ह। हमें सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की है कि "राजभाषा भारती" हिन्दी की अन्य भारतीय भाषाओं के साथ मलजोल बढ़ाने और आपसी सहयोग, समझ, स्नेह एवं सद्भावना की वृद्धि करने में तत्पर है जो कि समय की अनिवार्य आवश्यकता है। समस्त "राजभाषा भारती" परिवार के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

—विजयमाला पण्डित, हिन्दी अधिकारी,
दूरदर्शन केन्द्र, वरली, बम्बई

15–16 संयुक्तांक के लिए आप मेरी बधाई स्वीकार करें। मेरे दो तीन मित्रों ने देखा और कहा कि यह सरकारी पत्रिका भी उच्च कोटि की होती है इसलिए मैंने आपके नाम के आगे वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी नहीं लिख कर संपादक लिखा। इसका गेटअप और उस पर अंकित विभिन्न भाषा भी इसकी महत्ता को राष्ट्रीय होने का गौरव प्रदान करती है। "कुछ आपकी" आज सभी स्तरीय पत्रिका का आवश्यक अंग है, होना भी चाहिए। पाठक के मनोभाव को समझना, तदनुकूल सामग्री और फिर उनके स्तर को, चिन्तन को भी ऊपर उठाना। पत्रिका क्षेत्र विस्तार चाहती है।

डॉक्टर विजयेन्द्र स्नातक का निबन्ध 'राजभाषा भारती' में चार चांद लगाता है। इन्होंने हिन्दी को प्रचारात्मक रूप से आगे की चिन्ता और चिन्तन का आग्रह करते हुए मार्ग-दर्शन किया है। सृजक साहित्यकार हिन्दी को सक्षम, समृद्ध और गतिशील बनाने के लिए वाह्य एवं आभ्यन्तर विकास को प्रमुख मान-कर कार्य करें। कहने का अर्थ है कि अब हिन्दी सिर्फ हिन्दी

वालों की नहीं, राष्ट्र की है। अतः पाठक क्यों पढ़ें, क्या पाएंगे, पर सर्जक को चिन्तन करना है। तदनुकूल पठनीय-ग्रहणीय सामग्री प्रस्तुत करनी पड़ेगी, वह भी सुबोध और सहज अभिव्यक्ति की क्षमता के रूप में। इन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास की समस्या का आधिकारिक भाषा का निचोड़ रखा है इसका निचोड़ करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने लीक बना दी है। अब उस पर निर्माण कार्य सरल है।

डॉ० मुरलीधर चतुर्वेदी ने हिन्दी भाषा के परिवार का वर्णन किया है और वस्तु स्थिति को साफ करने का प्रयत्न किया है। सार्वभौम देश की वाणी स्वतन्त्र और अपनी हो देश में आधे दर्जन से ऊपर समृद्ध भाषाओं के रहते राजनीति में पड़कर विदेशी भाषा को स्वीकार करना पड़ रहा है। दुनिया में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है इसलिए अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाया और वहां के लोगों ने भाषा-भेद खड़ा किया जो कुछ-कुछ प्रभाव आज भी दिखा रहा है। आज अंग्रेजी हट जाए तो अन्य भाषाएं बहनों की तरह मिलेंगी और मिलकर समृद्ध और प्रसन्न होंगी। आज तो देश की खिड़की अंग्रेजी के लिए खुली ही नहीं है बल्कि उसने मुख्य दरवाजा और आसन को भी अधिकार में कर लिया है। कमाल है, देश आज़ाद है, शासन उसकी भाषा में नहीं, न्याय उसकी भाषा में नहीं, विकास कार्य उसकी भाषा में नहीं। आज राष्ट्रभाषा हिन्दी तो दया की पात्र हो गई। एक भी अहिन्दी भाषी विधान मंडल इसको नकारने में सक्षम है। एक टीस पैदा करता है।

परिचर्चा, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक है। इस प्रकार की चर्चा अनेक समस्याओं अथवा विकास पर अवश्य करें। निदान पर भरोसा है। सफलता मिलकर रहेगी। पहले धर्म का बोलबाला था। संस्कृत उसकी आधार-शिला बनी। अब औद्योगिक युग का पदापण अपने देश में हो रहा है तो संस्कृत की प्यारी बटी हिन्दी का युग आ गया है चारों धाम और बड़े नगरों में दूसरी भाषा आज भी हिन्दी ही है।

डॉ० रमेश कुन्तल मेघ ने दो टूक में बात साफ कर दी है। सौ से लेकर दो सौ वाक्यांशों के व्यवहार द्वारा 70 प्रतिशत लिपिकीय कार्य सुदक्षता के साथ निष्पन्न हो सकता है। इन शब्दों में इन्होंने आज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर दिया है। प्रशासन, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और कला के क्षेत्रों में एक ही भाषा अपने विभिन्न रूपों और गुणों का विकास करती है।

डॉ० पांडुरंग राव का निबन्ध पठनीय है। वास्तव में भावना सबसे सूक्ष्म और प्रधान है। भाषा साधन है। लिपि उसकी वेश-भूषा है। यह हृदय, शरीर और पोशाक के समान है। हृदय की एकता प्रधान है और वह जानी जा सकती है सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा पर ध्यान द तो भाषा व लिपि के निदान के निकट होंग तभी नागरी लिपि का क्षेत्र विस्तार होगा। इसके लिए छोटी पुस्तकें, विशेषकर प्रसिद्ध कवियों की कविताएं नागरी लिपि के साथ प्रस्तुत की जाएं। इस प्रकार के लेख अनेक विद्वानों के आते रहें—ऐसा प्रयास हो हिन्दी राष्ट्रभाषा के विकास के लिए मूल समस्या को समझना और राजनीति के परे समाधान ढूंढना होगा।

राजर्षि टंडन और राजभाषा हिन्दी—आपके लेख पर अधिक कुछ लिखना शायद उचित नहीं होगा। इतना कहना चाहता हूं कि एक बार टंडन जी बिहार के मुंगेर नगर में श्री कृष्ण सिंह पुस्तकालय के उद्घाटन पर पधारे थे। उनकी एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने श्रोताओं से पूछा—मिल्टन को क्यों पढ़ना चाहते हो—"पैराडाईज़ लास्ट के लिए" उन्होंने कहा कि वे उसे भी पढ़ते हैं पर कबीर दास जिन्होंने कागज कलम नहीं छुआ उनकी कविता का जोड़ कोई उसमें खोज दे—और यही रूप था "सिंहन के लेहड़े नहीं, हंसन की नहीं पांत, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चलें जमात।"

आज आवश्यक है कि ऐसे साहित्य हिन्दी में रचे जाएं जिसे पढ़ने के लिए सब के हृदय में स्वाभाविक ललक हो। रंगनाथ राकेश जिस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन कर रहे हैं, वह आवश्यक है। ज्ञान की दृष्टि से, 'राजभाषा भारती' की उपयोगिता के लिए भी।

भारत सरकार के विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों का प्रतिवेदन नितान्त जरूरी है। इस पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस विभाग में इस समिति का गठन नहीं हुआ है, जिस विभाग में समिति है पर बैठक नहीं होती, बैठक होती है तो वर्ष में एकाध बार, बैठक के प्रस्तावों का कार्यान्वयन नहीं हो पाता—तो पत्रिका को इसका प्रकाशन करना चाहिए एवं उस विभाग को उसके प्रति हो सके तो विभिन्न विभागों की कमजोरी को उन्हें बता देना चाहिए। अगर पूछताछ जारी रही तो हिन्दी का भविष्य स्वाभाविक गति से उज्ज्वल होगा। उज्ज्वल भारत के सभी नागरिकों के लिए वह अनुभव करें, भावना में उतारें, संस्कार ग्रहण करें कि स्वतन्त्र राष्ट्र की अपनी स्वतन्त्र वाणी हो इसके लिए त्याग करेंगे, परिश्रम करेंगे, राष्ट्रीय भाव को हृदयंगम करेंगे और इसके साथ हिन्दी साहित्य का भण्डार पूरा करेंगे।

"राजभाषा भारती"—आपके सम्पादकत्व में—सफलता की चरम सीमा—जब राष्ट्र भाषा देश के सभी लोगों की व्यवहार की भाषा होगी—तक पहुंचे, इस शुभ कामना के साथ।

—जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य,
राज्य सभा, 224, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
(शेष पृष्ठ 7 पर)

सरकार की पूरी कोशिश है कि हिन्दी विकसित हो

——प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

(अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली द्वारा सितम्बर, 1982 में आयोजित राष्ट्रभाषा प्रचार की हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपना संदेश भेजा था जिसमें हिन्दी के विकास के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। उनका संदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अविकल रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।)

राष्ट्रभाषा प्रचार की हीरक जयन्ती के अवसर पर आपको बधाई देती हूं। हिन्दी, दुनिया की सर्वाधिक प्रचलित भाषाओं में से है। करोड़ों लोग हमारे देश में और बाहर उसको बोलते हैं या समझते हैं। इस कारण वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी है।

अब से 60 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी की प्रेरणा से राष्ट्र-भाषा प्रचार का कार्य आरम्भ हुआ था। यह तो सब जानते ही हैं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में हिन्दी और अन्य मातृ-भाषाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। गांव के पिछड़े लोग अपनी मातृभाषा के कारण राजनीति में आये।

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ प्रमुख हिन्दी संस्थाओं में से एक है। इसमें कुल 17 गैर सरकारी हिन्दी संस्थाएं हैं जिनमें से अधिकांश अहिन्दी क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही हैं। ये संस्थायें आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में स्थापित हुई थीं। इन संस्थाओं ने हिन्दी के प्रचार में काफी योगदान दिया है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का कार्य प्रशंसनीय रहा है।

भारत एक बहुभाषी देश है, जहां सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग हरेक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और यह देश की सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एकता कायम करने में मदद कर रही है। वाणिज्य-व्यापार तथा राजनीति में इस भाषा का पहले से अधिक प्रयोग किया जा रहा है।

हिन्दी का एक विशेष स्थान है ही। कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा आगे बढ़ सकता है। नये विचार अपनी मातृभाषा से निकलते हैं। इसलिए हमें भारत की सभी भाषाओं को प्रोत्साहन देना है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी भाषा को दबाया या कम आदर दिया जा रहा है।

सरकार की पूरी कोशिश है कि हिन्दी विकसित हो और अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करे लेकिन यह काम अहिन्दी प्रदेशों की सहमति से ही सम्भव है।

कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि सरकार के संरक्षण से ही भाषा का विकास होता है। सरकार द्वारा भाषायें बढ़ नहीं सकतीं। लोगों के बोलने से, लेखकों की लखनी से और नये शब्दों को अपनाने से भाषा की क्षमता बढ़ती है। **सच तो यह है कि भाषा का विकास तब होता है जब वह जनता के हृदय में स्थान पाती है। यह काम और भी आसान हो जाये यदि वह भाषा अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् करे।**

वर्तमान युग विज्ञान का है, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में देश की भाषाओं का प्रयोग अपना विशिष्ट महत्व रखता है। विज्ञान के क्षेत्र में बराबर नए आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्य हो। इसके लिए वैज्ञानिक विषयों पर अच्छी पुस्तकों के निर्माण और अनुवाद पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।

मैं भाषा के मिलावट के पक्ष में नहीं हूं। मैंने देखा है कि जो लोग कम अंग्रेजी जानते हैं वही अक्सर हिन्दी में

बल्कुल साधारण अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते हैं। परन्तु कुछ बाहर के यानि दूसरी भाषाओं के शब्द लेने आवश्यक होते हैं। विज्ञान में बाहर से तकनीकी शब्द अपनाने में हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। आपने शायद कैटरपिलर (*Caterpillar*) शब्द सुना होगा। वह एक कीट है लेकिन वह नाम एक बड़े टैंक जैसी मशीन का भी है। हाल में जब हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री जापान गए तो वहां कारखाने में इस अंग्रेजी नाम का उपयोग किया। जापानी साथी ने पूछा अरे, आप जापानी भी जानते हैं। यह दिखाता है कि अपनी भाषा पर गर्व रखते हुए जापानियों ने कैसे शब्दों को उसमें मिला लिया है और अब उनको यह मालूम भी नहीं है कि यह बाहर का शब्द है। इसी प्रकार से हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं ने बाहर की भाषाओं में जगह पायी है।

वर्तमान युग में वैज्ञानिक यंत्रों का बहुत महत्व है। यह आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं में, और विशेष रूप से हिन्दी में भी इन यांत्रिक साधनों जैसे "लिग्वा फोन", "टेलीप्रिन्टर" आदि को उपलब्ध किया जाए।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित अच्छी पुस्तकों का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं में और विशेष रूप से हिन्दी में उपलब्ध किया जाना चाहिए।

अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने में स्वैच्छिक संस्थाएं विशेष योगदान दे सकती हैं।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार की हीरक जयन्ती समारोह के लिए मैं अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ और उसकी सदस्य संस्थाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूं। ●

(पृष्ठ 5 का शेषांश)

'राजभाषा भारती' का नवीनतम संयुक्तांक मिल गया है। हिन्दी की जिस समृद्धि और अभिव्यक्ति क्षमता को लेकर यह अंक प्रस्तुत हुआ है वह उन सभी लोगों का मनोबल बनाए रखने में तो सहायक है ही जो राजभाषा को उसका प्राप्य दिलवाने के लिए जूझ रहे हैं, किन्तु यह यकीनन उन मस्तिष्कों पर भी सूक्ष्म प्रहारों के अक्स छोड़ेगा जो सदियों की जमी धूल के तले कुछ भी, किसी भी कोण से, सही और ठीक सोच पाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं।

'देवनागरी कम्प्यूटर की उपयोगिता' जैसे आलेख उन बंद आंखों पर मच्छरों की सी भिनभिनाहट तो पैदा करेंगे ही जिनकी दृष्टि में देवनागरी में कम्प्यूटर-युग का बोझ उठा पाना आज भी आंख की किरकिरी बनकर खटक रहा है। अपने पर अविश्वास करने वाली जमात को चल पड़ने के लिए प्रेरित तो न जाने हम कब कर सकेंगे, हां बहरहाल बहुत दिन चैन से कोई यू 'सही और ठीक' चीजों से बेखबर होकर नहीं सो सकेगा, यह विश्वास दिया है आपने।

—प्रबोध कुमार गोविल, हिन्दी अधिकारी
उतरांचल दर्पण बैंक आफ महाराष्ट्र
लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे–411005.

निःसंदेह यह पत्रिका विषय की दृष्टि से उपयोगी है ही, छपाई-सफाई की दृष्टि से भी अच्छी है जो हिन्दी की प्रगति से साक्षात्कार कराती है और साथ ही उसके आगे बढने की संभावनाओं को भी उजागर करती है।

हां, एक बात अवश्य कही जा सकती है इसलिए इसे पठनीय बनाने की दिशा में कुछ प्रयत्न किया जाए। इसके लिए सुझाव है कि चित्रमय समाचारों की संख्या बढ़ाई जाए और बैठकों आदि के विवरण को कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि वे सहज, सरल और पठनीय हो जाएं। बीच-बीच में लघु कथाएं, मिनी कविताएं आदि भी रखी जाएं जिससे रोचकता आ सकेगी।

—डॉ० रत्नलाल शर्मा, हिन्दी अधिकारी
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" का 17-18 संयुक्तांक अप्रैल, सितम्बर 82 मिला। इसमें सर्वश्री शंकर दयाल सिंह, गोबिन्द सिंह, रंगनाथ राकेश, चन्द्रपाल शर्मा के लेख रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक लगे। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग—समस्या और समाधान प्रकाशित परिचर्चा आज के संदर्भ में विचारोतेजक है।

डॉ० राकेश चतुर्वेदी का लेख भी कम जोरदार नहीं सुनिश्चित ढ़ग से लिखा गया है। काग़ज एवं मुद्रण बहुत बढ़िया है।

—सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर, राजभाषा अधिकारी,
वन्दना कुटीर, दुजरा, पटना–1

आप द्वारा भेजा गया 'राजभाषा भारती' का अप्रैल–सितम्बर 1982 का संयुक्तांक मिला। धन्यवाद। बैंक के अन्य मित्रों ने भी इसे देखकर आप द्वारा इस दिशा में किये जाने वाले सत्प्रयास की सराहना की है। इस अंक की सामग्री बहुत ही रोचक और बृहद जानकारी देने वाली है। हिन्दी के प्रचलन पर गृहमंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी का उद्बोधन एक दिशा निर्देश के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। इस अंक में दी गई, परिचर्चा—'उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग समस्याएं और समाधान' बड़ी ही महत्वपूर्ण रही। इस परिचर्चा में हर क्षेत्र के व्यक्तियों के विचारोत्तेजक सामग्री का संकलन स्तुत्य है। फादर कामिल बुल्क पर लिखा गया श्री शंकरदयाल सिंह द्वारा लेख पाठकों के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित करने की पर्याप्त सामग्री है।

—डॉ० विनोद दीक्षित, हिन्दी अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचवटी, अहमदाबाद-6
(शेष पृष्ठ 23 पर)

परिचर्चा

विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग : सीमाएं और उपलब्धियाँ

(मई, 1982 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जन्मशती समारोहों के प्रसंग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने "विधि एवं न्याय के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचलन की समस्याएं" विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें अनेक न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों, विधिवेत्ताओं और विधि-प्राध्यापकों ने भाग लिया था। इस गोष्ठी में मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला था। इसका संक्षिप्त परिचय और कुछ चित्र "राजभाषा भारती" के पिछले अंक में प्रकाशित किए गए थे। गोष्ठी में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचलन की समस्याओं पर बड़ी गहराई से विचार किया गया था जिनमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उभर कर सामने आए थे। उन प्रश्नों पर विशेषज्ञों की राय जानने के लिए हमने "राजभाषा भारती" के वर्तमान अंक में एक परिचर्चा का आयोजन किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस परिचर्चा के लिए कई न्यायाधीशों, विधि वेत्ताओं तथा विधि प्रशासकों ने अपने-अपने विचार प्रकाशनार्थ भेजे हैं। आशा है प्रस्तुत लेखों में उनके गहन एवं व्यापक विचारों की झलक मिल सकेगी जिससे इस समस्या का सार्थक समाधान ढूंढ़ा जा सकेगा। —संपादक)

उच्च न्यायालयों द्वारा हिन्दी में दिए गए निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद देना अनिवार्य नहीं होना चाहिए

—न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त
न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

शताब्दियों की दासता के अन्धकार को समाप्त कर जब स्वतन्त्रता का नव-विहान आया तब भारत के लोगों ने भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता के आदर्श के आधार पर दृढ़ संकल्प हो कर संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, जिसमें अनुच्छेद 343 में भारत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी संकल्पित की; परन्तु परिस्थितियों से वशीभूत होकर विदेशी दासता की प्रतीक अंग्रेजी भाषा को संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए उन स्थानों पर प्रयोग किये जाने की छूट दे दी, जिनके लिए संविधान लागू होने के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी और साथ ही साथ राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया कि उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का देवनागरी रूप में प्रयोग भी प्राधिकृत किया जा सकेगा। भविष्य में व्यावहारिक कठिनाई न आने पाए, इस कारण संसद को विधि द्वारा उक्त पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात् अंग्रेजी भाषा का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित करने का अधिकार भी दे दिया गया।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 खण्ड में यह प्रावधान कर दिया गया कि जब तक संसद द्वारा अन्यथा उपबन्ध न किया जाए तब तक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। उच्च न्यायालय के संबंध में इसी अनुच्छेद के खण्ड (2) में यह छूट दे दी गई है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

निश्चित पन्द्रह वर्ष से ढाई गुनी से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आज भी स्थिति यह है कि राजभाषा हिन्दी के प्रवेश के लिए उच्चतम न्यायालय के कपाट बन्द हैं और कुछ उच्च न्यायालयों के प्रवेश-द्वार यद्यपि हिन्दी के लिए खोल दिये गये हैं, परन्तु वहां वह अब भी स्वच्छन्द रूप से विचरण नहीं कर पा रही है।

न्यायालय का क्षेत्र व्यापक है। विधि, विधायन, विधि-शिक्षा सभी इस विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अतएव इस समस्या पर विचार करते समय हमें इन सभी क्षेत्रों पर दृष्टि-पात करना आवश्यक होगा।

वर्तमान विधि का जन्म स्रोत विधायन है। विधायन से ही विधि की रचना होती है। संविधान के अनुसार जो विधेयक अथवा उन पर प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधन, संसद के प्रत्येक

सदन में पुरःस्थापित किये जाते हैं, अथवा जो अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाते हैं तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं उन सबके प्राधिकृत पाठ तथा उनसे सम्बन्धित आदेश, नियम, विनियम और उपविधि उन सबके प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होते हैं।

जहां तक प्रादेशिक अधिनियमों का प्रश्न है, विभिन्न हिन्दी भाषी प्रदेशों ने अपने राजभाषा अधिनियम पारित कर अधिनियमों, नियमों, विनियमों, आदेशों तथा उपविधियों की भाषा हिन्दी स्वीकृत कर ली है। उत्तरप्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 में भी यही प्रावधान किया गया है। इस प्रकार राज्य स्तर पर विधान का सभी कार्य हिन्दी में होता है तथा कानूनों के मूल पाठ हिन्दी में ही होते हैं। साथ ही साथ संविधान की अपेक्षा के अनुसार राज्यपाल के प्राधिकार से उनका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाता है परन्तु यह तो केवल सैद्धान्तिक स्थिति है। वास्तविकता कुछ और ही है। कानूनों के प्रारूप मूलतः अंग्रजी में बनते हैं तथा उनका अनुवाद करके हिन्दी मूल पाठ तैयार किये जाने के कारण हिन्दी अनुवादों की भाषा अस्वाभाविक तथा परिणामस्वरूप दुरूह दर्शित होने लगती है। साथ ही साथ विधि-क्षेत्र में चिन्तन तथा प्रारूपण का कार्य हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में होता है।

उच्च न्यायालयों में हिन्दी तथा अंग्रेजी पाठों में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही अधिक मान्यता प्राप्त करता है। यह कैसी विडम्बना है कि विधान मण्डल द्वारा पारित पाठ की अपेक्षा उसका अशुद्ध पाठ अधिक मान्य है। परन्तु यह स्थिति कदाचित इस कारण उत्पन्न हुई है कि यह सब जानते हैं कि मूल पाठ अंग्रेजी में ही तैयार किया जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मूल पाठ अंग्रेजी में तैयार न होकर हिन्दी में तैयार किये जायें ताकि विधि-क्षेत्र में भी मौलिक चिन्तन हो और जिसके फलस्वरूप ऐसा विधायन हो सके जो इस देश के वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुरूप हो और केवल उन परम्परा और परिस्थितियों से भिन्न रहा है। न्यायालयों का कार्य मुख्यतः विधि का निर्वचन करना होता है और विधि विधायन द्वारा निर्मित होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी समुचित विचार करना प्रासंगिक होगा।

इस देश की वर्तमान विधि मुख्यतः अंग्रेजी की देन है। वे सभी कानून जो अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात् पारित किये गये और निरस्त नहीं किये गये आज भी लागू हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व की तो सारी विधि अंग्रेजी में ही है। यद्यपि बहुत से अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद किया गया, परन्तु फिर भी अभी बड़ी संख्या में ऐसे अधिनियम हैं जिनका हिन्दी रूपान्तर नहीं हुआ है।

जहां तक नियमों, विनियमों का सम्बन्ध है उनमें बहुत थोड़े ही हिन्दी में अनूदित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आज भी न्यायालयों और अधिवक्ताओं के समक्ष यह व्यावहारिक कठिनाई है। जहां तक निर्णयज विधि का प्रश्न है, सारी की सारी निर्णयज विधि अंग्रेजी में ही है। न केवल प्रिवी कौन्सिल, संघीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, वरन् स्वतंत्रता के बाद के भी निर्णय अधिकांशतः अंग्रेजी में ही हैं। विधि क्षेत्र में निर्णयज विधि अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्तमान न्याय-प्रणाली में परम्परागत निर्णयज विधि का अक्षुण्ण महत्व है। अपीलीय न्यायालय तो उसके बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यह निर्णयज विधि हिन्दी में अप्राप्य है। यह ऐसी कठिन समस्या है, जो हिन्दी की प्रगति के लिए बहुत बड़ी बाधा हो रही है। इसका भी यथोचित समाधान ढूंढना है। इस संबंध में केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने अपना विधि साहित्य प्रकाशन विभाग स्थापित किया है, जिसके माध्यम से हिन्दी में विधि साहित्य प्रकाशित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण विषयों पर हिन्दी में टीकाएं और मीमांसाएं भी निकाली गयी हैं, परन्तु उनके द्वारा अभी तक अभीष्ट सिद्धि नहीं दिखाई दे रही है। निजी प्रकाशकों ने भी इस संबंध में कुछ कार्य किया है, परन्तु विधि-क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व इसकी प्रगति को हतोत्साहित कर रहा है। आवश्यकता इस बात की अनुभव की जा रही है कि हिन्दी में अधिकाधिक विधि साहित्य कम मूल्य पर उपलब्ध हो ताकि अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सकें।

केन्द्रीय विधि साहित्य प्रकाशन दो निर्णय पत्रिकाएं भी निकाल रहा है—"उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" एवं "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका"। ये पत्रिकाएं 1968 से निकल रही हैं, परन्तु अभी तक वे विधि-क्षेत्र में इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई हैं, जितनी होनी चाहिए। यहां तक कि हिन्दी के माध्यम से न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ता और पीठाधिकारियों के मध्य में भी वे अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सकी हैं। ये पत्रिकाएं अंग्रेजी निर्णयों के अनुवाद प्रकाशित करती हैं। एक आम धारणा यह बन गई है कि जो भाषा इन पत्रिकाओं में प्रयोग की जा रही है वह बोधगम्य नहीं है। ऐसी ही सामान्य आलोचना हिन्दी विधायन के संबंध में भी है। इनकी भाषा और वर्तमान विधि शब्दावली की सार्थकता के संबंध से पक्ष और विपक्ष में विभिन्न मत व्यक्त किये जा रहे हैं। परन्तु तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि विधि साहित्य और निर्णय पत्रिकाएं इस संक्रमण-काल में ऐसी बोधगम्य भाषा का प्रयोग करें कि उन पर क्लिष्टता अथवा दुरूहता का आरोप लगाकर उनसे पिण्ड छुड़ाने का प्रयास न किया जा सके।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि न्यायालयों में हिन्दी में काम करने वाले व्यक्तियों को विधि साहित्य, मुख्यतः अंग्रेजी में उपलब्ध होने के कारण व्यावहारिक रूप में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और न्यायालयों में हिन्दी की प्रगति के लिए यह कठिनाई बड़ी ही विषम परिस्थिति उत्पन्न कर रही है।

जनता का न्याय के शासन में विश्वास अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उसकी भाषा में न्याय प्रदान किया जाए ताकि वह उसे भली प्रकार से समझ

सके । इस देश की 98 प्रतिशत जनसंख्या अंग्रेजी भाषा नहीं समझती और उन्हें न्याय ऐसी भाषा के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, जिसे समझने के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है । यह ऐसा ही है जैसे किसी नेत्र वाले व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांधकर उसे लकड़ी पकड़ा दी जाए और उससे कहा जाए कि वह उस लकड़ी के सहारे अपना रास्ता पूरा करे । दुर्भाग्य का मारा हुआ और परिस्थितियों का सताया हुआ व्यक्ति न्यायालयों में संत्राण पाने के लिए आता है । जब उसके मामले की सुनवाई ऐसी भाषा में होती है, जिसे वह समझ नहीं पाता है तो न्यायालय में उपस्थित रह कर भी वह यह नहीं जान पाता कि उसके मामले में क्या बहस की गई है और वह अपना मामला क्यों हार या जीत गया । संसार का कोई भी स्वाभिमानी देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उस देश की जनता को देश की भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में न्याय प्राप्त हो । बड़े-बड़े अग्रणी राष्ट्र रूस, चीन, जापान आदि अपनी जनता को अपनी भाषा में न्याय प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी न जानने वाले इन देशों में न्यायालय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते । पता नहीं क्यों, आज भी कुछ लोग इस मोह से मुक्त नहीं हो पाये हैं कि बिना अंग्रेजी के भारतीय न्यायालयों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता । न्यायालयों में हिन्दी में ही कार्य करके इस धारणा से उनका मोह भंग किया जा सकता है ।

जहां तक मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का प्रश्न है, ये न्यायालय व्यवहार एवं दाण्डिक क्षेत्र के मूल न्यायालय हैं । मुख्यत: यह न्यायालय जिला मुख्य कार्यालय अथवा कहीं-कहीं तहसील कार्यालय में स्थित हैं यद्यपि संविधान बनाने के तुरन्त पश्चात ही इन न्यायालयों से अपनी प्रदेशीय भाषा में काम करने की अपेक्षा की गई और उत्तर प्रदेश में तो राजभाषा अधिनियम, 1951 में ही पारित हो गया, परन्तु हिन्दी का पूर्णरूप से प्रचलन इन न्यायालयों में भी तब से प्रारम्भ नहीं हो सका। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात बहुत से मुन्सिफ व मजिस्ट्रेटों ने हिन्दी को अपनाया और उन्होंने अपने निर्णय आदि भी हिन्दी में लिखने प्रारम्भ किये । परन्तु उन्हें उत्साहवर्धन के स्थान पर हतोत्साहित किया गया । परिणामस्वरूप वे न्यायाधिकारी जिन्होंने संविधान के लागू होने के पश्चात् हिन्दी में निर्णय लिखना प्रारम्भ किया, को विवश होकर पुन: अपने अंग्रेजी-परस्त अधिकारियों को तुष्ट करने के कारण अंग्रेजी की शरण में जाना पड़ा परन्तु आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं । उत्तर प्रदेश में जून 1970 से यह व्यवस्था कर दी गयी है कि 2000/– रुपये के वसूली के सभी विवाद, उसका निष्पादन और उसकी सभी कार्यवाहियां और फौजदारी से संबंधित ऐसे मामलों में जिसमें एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, का निर्णय हिन्दी में दिया जाए । अगस्त, 1976 से मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा-विचारित समस्त दीवानी और फौजदारी के मुकदमों का निर्णय अनिवार्य रूप से केवल हिन्दी में देना निश्चित हुआ । आज इस बात पर सन्तोष का अनुभव किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के सभी मुन्सिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेटों से यह अपेक्षा की जाती है वे अपने समस्त कार्य हिन्दी में करें और नवीनतम सूचना के अनुसार उनका अधिकतम कार्य हिन्दी में हो भी रहा है । इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं । परन्तु उनकी कठिनाई दूर करने के लिए अब इन सभी मुन्सिफों और मजिस्ट्रेटों को हिन्दी के आशुलिपिक प्रदान कर दिये गये हैं ।

जहां तक जिला व्यवहार न्यायाधीशों एवं सत्र-न्यायालयों का प्रश्न है उनसे यह अपेक्षा की गयी थी कि वे भी अपना अधिकतर कार्य हिन्दी में करें परन्तु देखने में यह आया कि व्यवहार न्यायाधीश के स्तर तक 50 प्रतिशत ही काम हिन्दी में हो रहा है । शेष अंग्रेजी का अनुगमन कर रहे हैं । जहां तक सत्र-न्यायालयों और अधीनस्थ अपीलीय व्यवहार न्यायालयों का प्रश्न है, उनमें हिन्दी के कार्य में अभी तक यथोचित प्रगति नहीं हुई है । अब भी 30 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में नहीं किया जा रहा है । हां, उन्हें कठिनाई यह है कि अभी तक वे अंग्रेजी में कार्य करने के अभ्यस्त रहे हैं । अंग्रेजी से हिन्दी में आने में थोड़ी असुविधा तो होती है परन्तु यह ऐसी असुविधा नहीं है, जिसे सहन न कर सकें । इन न्यायालयों के अधिवक्तागण मुख्यत: अपना कार्य हिन्दी में ही करते हैं । थोड़ी सी लगन से कार्य करने की आवश्यकता है, फिर भी उनको जो व्यावहारिक कठिनाई हो, उनका भी हमको हल खोज निकालना चाहिए ।

उच्च न्यायालय में हिन्दी के प्रवेश के लिए प्रारम्भ में हिन्दी में याचिकाएं, शपथ पत्रों आदि को दाखिल करने की छूट दी गयी । केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-7 में यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से निर्णय, आदेश तथा डिग्री के लिए हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के लिए अनुमति दी जा सकती है तदनुसार हिन्दी भाषा भाषी उच्च न्यायालयों में भी निर्णय, आदेश तथा डिग्री के प्रयोग के लिए अनुमति दे दी गयी । परन्तु व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी का वर्चस्व उनमें अब भी स्थापित है । इधर कुछ वर्षों से कुछ न्यायाधीश हिन्दी में निर्णय देने लगे हैं और अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिन्दी में दिये गये निर्णयों की संख्या चार अंकों में चल रही है । बहुत से अधिवक्तागण हिन्दी में अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगे हैं और कुछ तो बड़े ही अच्छे स्तर की बहस हिन्दी में करते हैं । कुछ अन्य उच्च न्यायालयों में भी हिन्दी-सेवी न्यायमूर्ति हैं, जो अपना निर्णय हिन्दी में लिखाते हैं। राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी कभी-कभी निर्णय हिन्दी में दिये जाते हैं, परन्तु यह सब होते हुए भी न केवल अहिन्दी भाषी उच्च न्यायालयों में वरन् हिन्दी भाषी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का वर्चस्व दृढ़ता से स्थापित है । इस सम्बन्ध में एक कठिनाई

यह है कि हिन्दी में दिए गए निर्णयों आदि का प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद रखना धारा–7 (राजभाषा अधिनियम) के अन्तर्गत आवश्यक है ।

यह प्रावधान अनावश्यक है । सभी निर्णयों आदि के अंग्रेजी अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह अनुवाद अधिकतर पत्रावलियों की शोभा ही बढ़ाते हैं । इस संबंध में उचित संशोधन की आवश्यकता है । हमें इस संबंध में समुचित विचार करने की आवश्यकता है ।

उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही की भाषा संविधान के अनुच्छेद 347(1) में अंग्रेजी ही प्राविधानित है। यह एक अजीब-सी बात है कि एक ओर तो भारत संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343(1) के अन्तर्गत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी रखी गयी है वहीं उच्चतम न्यायालय, जो उसका एक विशिष्ट अंग है, की भाषा अंग्रेजी रखी गई है ।

केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार जिसमें अहिन्दी भाषी राज्य के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है भारत संघ की सहभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को लगभग अनिश्चित काल के लिए मान्यता प्रदान की गयी है । यदि इसी तथ्य को आधार बनाया जाए तो भी कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि उच्चतम न्यायालय के लिए भी ऐसा ही प्रावधान क्यों न कर दिया जाए । वैसे भी हिन्दी को न्यायालय की भाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है । इस हेतु संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है कि अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग उच्चतम न्यायालय में किया जा सके । इससे हिन्दी भाषी राज्यों के हितों की पूरी रक्षा होगी, उनको किसी तरह हिन्दी के प्रयोग करने की पाबन्दी नहीं होगी । ये हिन्दी का प्रयोग तभी कर सकेंगे, जब वे चाहेंगे । अंग्रेजी के प्रयोग की इन्हें खुली छूट रहेगी । उच्चतम न्यायालय में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करने की सुविधा यदि दे दी जाएगी तो किसी भी वर्ग के व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं रहेगी और राजभाषा होते हुए भी हिन्दी के लिए उच्चतम न्यायालय को जो निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वह विडम्बना समाप्त हो जाएगी ।

इस संबंध में सुसंगत प्रश्न विश्वविद्यालयों में विधि के पठन-पाठन के माध्यम की भाषा का भी उठता है। बहुत से विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से भी विधि के अध्यापन का कार्य होता है, परन्तु देखने में यह आया है कि अधिकतर स्थानों पर विधि का पठन-पाठन अंग्रेजी और हिन्दी दोनों के माध्यम से हो रहा है । हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में अधिकतर विधि के छात्र हिन्दी के माध्यम से विधि अध्ययन करना चाहते ह । उनके लिए भी अन्य कठिनाइयों के अलावा हिन्दी में विधि-साहित्य के अभाव की कठिनाई आड़े हाथों आ जाती है । दूसरी ओर विधि अध्यापकों की अपनी समस्या है । उनका पठन-पाठन अंग्रेजी के माध्यम से हुआ है । समुचित हिन्दी विधि-शब्दावली एवं हिन्दी में विधि साहित्य के अभाव में तथा अन्य कतिपय कारणों से वे हिन्दी में अध्यापन उतनी सुगमता से नहीं कर पाते हैं, जितना उनके अनुसार वे अंग्रेजी में कर सकते हैं । यह ऐसी समस्या है, जिसके बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना होगा ।

देश के विधिवेत्ता, विधिशास्त्री, विधिज्ञाता, विधि–प्रवक्ता, अधिवक्ता और न्यायाधीश आदि न्यायालय और हिन्दी की इन ज्वलन्त समस्याओं से परिचित हैं । अब समय आ गया है जब इन समस्याओं का समुचित हल निकाल लिया जाए ।

●●●

हिन्दी में विधि की मानक पुस्तकों, बृहत् टीकाओं और डाइजेस्टों की शीघ्र रचना होनी चाहिए ।

—श्री शिव दयाल

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ।

गत 35 वर्षों में हिन्दी के प्रचलन की आवश्यकता पर न जाने कितने भाषण दिए गए हैं, न जाने कितने लेख इत्यादि समाचारपत्रों और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और न जाने कितना समय चर्चाओं में व्यय हुआ परन्तु उन सबका परिणाम क्या निकला ? क्या 35 वर्षों के लम्बे समय में हिन्दी ने विधि और न्याय के क्षेत्र में जो प्रगति की है उससे किसी को भी संतोष हो सकता है? यह स्थिति तभी स्पष्ट हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रश्नों का उत्तर निजी विचार, चिन्तन और अनुभव के आधार पर दे :–

(1) हिन्दी के प्रचलन की जो वर्तमान स्थिति है उसके कारण क्या हैं ?

(2) इन कारणों का निवारण कैसे होगा ?

(3) जो समाधान या उपचार सुझाए जाएं उनको किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है ?

अर्थात समस्याएं, उनका समाधान और अब क्या अपेक्षित है इन तीनों अंगों पर व्यावहारिक एवं रचनात्मक सुझाव देने पर ही इस समस्या का समुचित हल निकल सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 343 ने "देवनागरी लिपि में हिन्दी" को संघ की भाषा अर्थात् राजभाषा घोषित किया है। संविधान के अनुच्छेद 345 ने प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल को यह अधिकार दिया है कि वह हिन्दी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकृत करे । इस अधिकार का प्रयोग कुछ राज्यों ने किया है । उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 और मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1958 ने हिन्दी को राज-

भाषा घोषित किया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 272 के अधीन अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ राज्यों ने न्यायालयों के लिए हिन्दी को भाषा घोषित की, उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश सरकार की 28 मार्च, 1974 की अधिसूचना। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 और 364 से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त कार्य हिन्दी में होने चाहिए, निर्णय भी हिन्दी में होने चाहिए। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के अधीन भी कुछ राज्यों में घोषणा हो चुकी है।

उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति की पूर्वसम्मति लेकर मध्य प्रदेश आदि के राज्यपाल घोषित कर चुके हैं कि उच्च न्यायालय में कार्यवाही हिन्दी में की जा सकती है। केवल इतना ही प्रतिबन्ध है कि उच्च न्यायालय का निर्णय, डिक्री या आदेश जो हिन्दी में होगा उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में रखा जाएगा। यह प्रतिबन्ध अधिवक्ता या पक्षकार की किसी कार्यवाही पर नहीं है।

इस सबका अर्थ इतना ही हुआ कि न्यायालयों में कार्यवाही हिन्दी में की जा सकती है। परन्तु आज भी अधिवक्ता और न्यायाधीश अधिकांश कार्य हिन्दी में नहीं कर रहे हैं। हिन्दी में कर सकते हैं, परन्तु क्यों नहीं करते, यह समस्या है। इसका विश्लेषण करने पर हम उन सभी कारणों को 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(1) हिन्दी में विधि-अध्ययन का अभाव :

जिन अधिवक्ताओं या न्यायाधीशों ने विश्वविद्यालय में विधि का अध्ययन हिन्दी में नहीं किया है, उन्हें न्यायालयीन कार्यवाही हिन्दी में करना बहुत कठिन लगता है। अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों को अपने कार्य में अधिक व्यस्त रहना पड़ता है। वे भाषा की त्रुटियों के भय से हिन्दी का प्रयोग नहीं करते और विधि शब्दावली सीखने की उनमें रुचि और धैर्य नहीं पाया जाता। सच तो यह है कि अभी अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों ने हिन्दी में कार्यवाही करने की आवश्यकता और महत्व को समझा ही नहीं है। चाहे हिन्दी हो या अंग्रेजी विधि भाषा सीखनी पड़ती है। इसके लिए थोड़े से विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। यह सर्वथा भ्रमात्मक है कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार या राजस्थान का निवासी होने से और हिन्दी मातृभाषा होने से विधि भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लैण्ड में भी विधि के विद्यार्थी को अंग्रेजी विधि भाषा सीखनी पड़ती है। जिनकी मातृभाषा हिन्दी है वे थोड़ा सा प्रयास करने से दो मास के भीतर हिन्दी विधि भाषा इतनी मात्र सीख सकते हैं जिससे वे आत्मविश्वास से और धारा-प्रवाह ढंग से हिन्दी में कार्य कर सकते हैं।

(2) भय और संकोच :

यह भी देखने में आया है कि कुछ न्यायाधीशों के मन में यह मान्यता बैठी हुई है कि अंग्रेजी में निर्णय और आदेश प्रदान करने से और सभी कार्यवाही अंग्रेजी में करने से वे अधिक योग्य और दक्ष समझे जाएंगे और उनके उच्च न्यायालय की दृष्टि में भी अंग्रेजी के माध्यम से कार्य करने वाले न्यायाधीश दक्ष समझे जाते हैं। अतः ऐसे न्यायाधीश भी जो हिन्दी में कार्य कर सकते हैं, उपर्युक्त भावनाओं के वशीभूत होकर अंग्रेजी में ही कार्य करते हैं। सामान्यतः यह बात अधिवक्ताओं पर भी लागू है। उनके मन में भी यह भावना बैठी हुई है कि अंग्रेजी में कार्य करने से न्यायालय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, उनके मुवक्किलों पर भी उनकी योग्यता की छाप और रौब पड़ता है। उसकी अपेक्षा हिन्दी में बहस करने और अन्य कार्य करने से उनमें योग्यता कम मानी जाती है।

(3) पाठ्यक्रम के लिए मानक पुस्तकों का अभाव :

विश्वविद्यालयों में एल एल० बी० उपाधि के लिए पाठ्यक्रम हिन्दी में अनिवार्य हो। यह ठीक है कि प्रत्येक विषय पर कुछ पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए लिखी गई हैं किन्तु बहुत कम विषयों पर मानक पुस्तकें उपलब्ध हैं। जब तक मानक पुस्तकें उपलब्ध न हों तब तक विधि का अध्ययन हिन्दी में अनिवार्य करना विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं करेंगे। इस दिशा में भारत सरकार के विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड ने प्रयास किये हैं और प्रयास जारी हैं। परन्तु प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुशल लेखक पुस्तकें लिखने को तैयार नहीं होते। यदि विश्वविद्यालयों में एलएल० बी० उपाधि के लिये अध्ययन हिन्दी में अनिवार्य हो जाये तो स्वतः ही विश्वविद्यालय से निकलने वाले स्नातक जब अधिवक्ता और न्यायाधीश बनेंगे तो समस्त कार्य हिन्दी में करने लगेंगे। अतः यह सबसे बड़ी समस्या है कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अनुसार मानक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं।

(4) टीकाओं और डाइजेस्टों का अभाव :

यह अनुभव-सिद्ध है कि विधि के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्व-निर्णयों का महत्वपूर्ण स्थान है। पग-पग पर उच्चतम न्यायालय, प्रिवी काउन्सिल और उच्च न्यायालयों के पूर्वनिर्णयों के सहारे अधिवक्ता अपने विवाद को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और अपनी बहस की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक न्यायाधीश भी अपने निर्णय और विनिश्चय की पुष्टि पूर्व-निर्णयों से करते हैं। ये पूर्व निर्णय टीकाओं से मिलते हैं। प्रख्यात विधिवेत्ताओं की लिखी टीकायें प्रायः अंग्रेजी में हैं। इस दिशा में भी अनेक लेखकों ने प्रयास करके टीकाओं की रचना की है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि जिस प्रकार प्रख्यात और लोकप्रिय टीकायें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं उसी

प्रकार की टीकायें हिन्दी में भी उपलब्ध हों। विधि मंत्रालय का राजभाषा खण्ड इसके लिये भी सतत् प्रयास करता रहा है। कुछ मौलिक टीकायें विधिवेत्ताओं से लिखाई भी हैं किन्तु अभी उनकी संख्या बहुत कम है। समस्या यह है कि योग्य लेखक तैयार नहीं होते।

पूर्व-निर्णयों का क्रमबद्ध संक्षेप तैयार करने से डाइजेस्ट बनते हैं जिनके द्वारा किसी बिन्दु पर पूर्व-निर्णय हैं या नहीं और यदि हैं तो कहां हैं, इसका अध्ययन करने में भरपूर सुविधा मिलती है। डाइजेस्ट के बिना कोई अधिवक्ता या न्यायाधीश कुशलता से कार्य नहीं कर सकता। हिन्दी में विधि डाइजेस्टों का अभाव है। उनकी रचना होना परमावश्यक है।

यह तो मानना ही होगा कि विधि के प्रत्येक क्षेत्र में न्याय का महत्व सर्वश्रेष्ठ है अतः भाषा को अवरोध नहीं बनने दिया जा सकता। परन्तु हिन्दी में भी मानक पुस्तकें उपलब्ध हों और डाइजेस्ट उपलब्ध हों तो सभी को हिन्दी में कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता पर ऐसी टीका प्रकाशित हुई है और उसे भारत सरकार ने पुरस्कृत भी किया है जिसमें भरपूर सामग्री मिल जाती है और अंग्रेजी की टीकाओं को देखने की आवश्यकता नहीं रहती।

समाधान

आज हिन्दी के प्रचलन की स्थिति क्या है इसे हम जानते हैं। इसकी समस्यायें क्या हैं इसे भी हम समझते हैं। इन समस्याओं के समाधान के संबंध में विचार करना आवश्यक है। अधिवक्ता के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, विधि अध्यापक के रूप में अपने 44 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं दृढ़ता से अपने सुझाव आपके सामने रखता हूं और इनकी यथार्थता और व्यावहारिकता पर किसी से भी, कभी भी, चर्चा करने को तैयार हूं।

पहला समाधान :

एलएल० बी० उपाधि के लिए विधि-अध्ययन हिन्दी में अनिवार्य होना चाहिए। जो स्नातक हिन्दी के माध्यम से विधि अध्ययन करके अधिवक्ता या न्यायाधीश बनेंगे वे स्वभावतः हिन्दी में कार्य करेंगे, उनसे अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार स्वतः ही हिन्दी का प्रचलन न्याय और विधि के क्षेत्र में हो जाएगा। यहां पर मुझे एक बात विशेष रूप से कहनी है और वह यह है कि विधि के विषयों के साथ अंग्रेजी विधि-शब्दावली भी एक विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। उसका नाम "सामान्य अंग्रेजी" रखा जा सकता है। मेरे सुझाव पर कोई चौंके नहीं कि मैं हिन्दी का प्रतिपादन करते हुए अंग्रेजी पढ़ाने का पक्ष ले रहा हूं। मैं केवल आदर्शवाद में नहीं यथार्थवाद में विश्वास रखता हूं। जो विद्यार्थी हिन्दी के माध्यम से विधि-अध्ययन करेंगे उन्हें हाल्सबरीज लाज आफ इंग्लैण्ड, अमेरिकन ज्यूरिस-प्रूडेंस, कौर्पस ज्यूरिस सेकेन्डम और उनके अतिरिक्त अंग्रेजी में युगों से प्रख्यात टीकाओं के लाभ से वंचित करना उनके प्रति महान अन्याय होगा। वे कुशल अधिवक्ता और कुशल न्यायाधीश बनें इसके लिये उन्हें अंग्रेजी विधि साहित्य को समझने और उनमें से वांछित सामग्री खोज निकालने की क्षमता होनी चाहिए। इस बात का कोई खण्डन नहीं कर सकता कि जिन विधि के सिद्धांतों पर हमारे अधिनियम बने हैं उन पर अंग्रेजी टीकाओं और डाइजेस्टों में अत्यंत सहायक और प्रेरणादायक सामग्री मिलती है और उस स्तर का हिन्दी में विधि साहित्य का निर्माण होने में अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि उस दिशा में अभी प्रयास आरम्भ नहीं हुआ है। अतः एक प्रश्नपत्र सामान्य अंग्रेजी और विशेषतः अंग्रेजी विधि शब्दावली का होने से उन स्नातकों में भी जो हिन्दी के माध्यम से विधि अध्ययन करेंगे, अंग्रेजी में विधि साहित्य को समझने की क्षमता पैदा होगी।

दूसरा समाधान :

एलएल० बी० उपाधि के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय पर मानक पुस्तक होनी चाहिए। वैसे तो बहुत लेखकों ने प्रयास किए हैं और अनेक विषयों पर विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं परन्तु आवश्यकता ही नहीं इस बात की अनिवार्यता है कि प्रत्येक विषय पर मानक पुस्तक विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाए और उसी में से प्रश्नपत्र बनाया जाए। "मानक पुस्तक" मैं उसे कहूंगा जिसमें तीन गुण हों—(1) प्रत्येक अनुच्छेद या धारा का मौलिक सिद्धांत समझाया गया हो तथा उसका अन्वय करके प्रत्येक अंश का अर्थ और महत्व भी समझाया गया हो, इतना अनिवार्य है। उसके बाद सरल व्याख्या के द्वारा विशेष प्रकाश डाला गया हो जिसका विस्तार लेखक के स्वविवेक पर रहता है। लेखक को यह बात ध्यान में रखनी परमावश्यक है कि विद्यार्थी के पास समय सीमित होता है। उसे अनेक विषयों का अध्ययन करना होता है। अतः प्रत्येक पुस्तक का आकार उतना ही हो कि विद्यार्थी 9 मास के भीतर उसको समझ कर मनन करके उसे हृदयंगम कर सके।

(2) प्रत्येक धारा पर उच्चतम न्यायालय और प्रिवी काउन्सिल के समस्त निर्णयों का समावेश अनिवार्य रूप से हो क्योंकि विधि के विद्यार्थी को उनका ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों के पूर्ण-पीठों के निर्णयों को और अन्य महत्वपूर्ण पूर्व निर्णयों को भी इसमें सम्मिलित किया गया हो।

(3) भाषा सरलतम हो, अर्थात् इसमें उन्हीं सामान्य शब्दों का प्रयोग किया गया हो जो हम अपने परिवार में अथवा सामान्य व्यवहार एवं वार्तालाप में करते हैं। परन्तु साथ ही पारिभाषिक और विशिष्ट शब्दों का निश्चित और एकरूपता से प्रयोग किया गया हो। न्यायालयीन भाषा कैसी हो इस विषय पर मुझे कुछ विस्तार से कहना है।

विधि की एक सर्व विदित विशेषता यह है कि इसमें विशिष्ट शब्दों को विशिष्ट अर्थ में ही समझा जाता है। जैसे अंग्रेजी में शब्द "एक्विटल" और "डिस्चार्ज" है। साधारण बोलचाल में भले ही इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो जाये, परन्तु विधि की भाषा में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो मार्मिक अर्थ है, वह भिन्न है। अतः हिन्दी में भी "एक्विटल" को "दोषमुक्त" और "डिस्चार्ज" को "उन्मोचन" ही कहना होगा।

एक और उदाहरण —"इन्टेंशन", "मोटिव", "आब्जेक्ट" "परपज", "व्यू"। ये साधारण बोलचाल में पर्यायवाची हैं परन्तु विधि भाषा में इन सबके भिन्न अर्थ हैं। हिन्दी में इनके लिए क्रमशः "आशय", "हेतु", "उद्देश्य", "प्रयोजन" और "अभिप्राय" शब्द प्राधिकृत हैं। विधि भाषा में इन सबका मार्मिक अर्थ भिन्न भिन्न होता है।

यदि विधि के विशिष्ट शब्दों में सुनिश्चितता नहीं रखी गई और एकरूपता नहीं अपनाई गई तो इससे गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, जिसका प्रभाव न्यायदान पर भी पड़ सकता है। अंग्रेजी भाषा में भी यह नीति शताब्दियों से अपनाई गई है और यही कारण है कि संसार भर में जहां भी विधि भाषा का प्रयोग होता है, वहां विधि के शब्दों को सुनिश्चितता और एकतारता दी जाती है, और इसीलिए अंग्रेजी के प्रतिपादक और समर्थक अंग्रेजी विधि भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहते है।

भारत सरकार द्वारा गठित राजभाषा आयोग और उसके बाद अब पुनर्गठित विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड ने संविधान और लगभग एक हजार से अधिक अधिनियमों के हिन्दी पाठों में जिन विधिक शब्दों को मान्यता दी है और अंगीकृत किया है उन्हीं का दृढ़ता और एकतारता से प्रयोग किया जाना चाहिए। उनसे विचलन की छूट नहीं दी जा सकती। अब यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी विधि शब्दावली भी अंग्रेजी जैसी समृद्ध और विपुल है। जिस प्रकार अंग्रेजी में अनेक समानार्थक शब्दों को भिन्न-भिन्न अभिप्राय में निश्चित रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है उसी प्रकार हिन्दी विधिक भाषा में भी भिन्न-भिन्न प्रमाणिक शब्द हैं।

"परमेश्वर दयाल लॉ डिक्शनरी" में प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का सर्वप्रथम पर्याय प्रामाणिक और अधिकृत है। मेरे कुछ विद्वान न्यायमूर्तियों ने उस पर चर्चा करते हुए मुझसे पूछा कि अमुक शब्द के स्थान पर अमुक शब्द अधिक उपयुक्त है उसे पहला स्थान क्यों नहीं दिया गया? मेरा उत्तर यही था कि राजभाषा आयोग ने जिन शब्दों को राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत पाठों में लिया है उन पर हमें कम से कम 50 वर्ष तक दृढ रहना चाहिए। आये दिन प्रामाणिक शब्दों में परिवर्तन करना उचित नहीं है, भले ही भाषा शास्त्र की दृष्टि से जो वैकल्पिक शब्द आप बता रहे हैं वे अधिक उपयुक्त हों। परन्तु मैं इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता।

तीसरा समाधान :

हिन्दी में विधि विषयों पर बड़ी-बड़ी टीकाएं उपलब्ध होनी चाहिए जिनमें अंग्रेजी में उपलब्ध टीकाओं के समान भरपूर सामग्री अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के उपयोग के लिये मिल सके। इसी प्रकार हिन्दी में डाइजेस्टों की अत्यंत आवश्यकता है। अधिवक्ता और न्यायाधीश के कुशल और सफल कार्य करने में डाइजेस्टों का क्या महत्व है इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि हिन्दी में डाइजेस्ट उपलब्ध हो जाएं और वे परिपूर्ण हों तो उनके क्षमता के कारण सभी अधिवक्ता और न्यायाधीश अंग्रेजी के डाइजेस्टों को छोड़कर इन डाइजेस्टों का अध्ययन करेंगे। मेरा सुझाव है कि डाइजेस्टों की रचना का आरम्भ उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से, उसके साथ-साथ प्रिवी काउन्सिल के निर्णयों से और उच्च न्यायालयों के पूर्ण-पीठ के निर्णयों से करना उपयुक्त होगा।

चौथा समाधान :

उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रचलन में प्रगति हो इसके लिए तो न्यायाधिपतिगण और अधिवक्तागण से अनुरोध करना ही होगा और यह बताना होगा कि हिन्दी में कार्य करने की क्यों आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। प्रसन्नता की बात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रेमशंकर जी गुप्त और अनेक न्यायमूर्ति हिन्दी में कार्य करते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति से मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना पारित होने पर मैंने अपने एकल-पीठ के निर्णय हिन्दी में लिखने आरम्भ किये थे। खण्डपीठ में नहीं कर सका क्योंकि सिवाय स्वर्गीय माननीय न्यायमूर्ति जगन्नाथ प्रसाद बाजपेयी के अन्य न्यायमूर्ति हिन्दी में कार्य करने को तैयार नहीं हुए।

अधीनस्थ न्यायालयों के मन से यह भ्रम हटाना चाहिए कि उनके निर्णय और आदेश हिन्दी में होने से उनकी योग्यता का किसी प्रकार कम मूल्यांकन होगा।

आकाशवाणी जबलपुर ने हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर 14 सितम्बर, 1976 को मेरी एक वार्ता प्रसारित की थी। उसमें मैंने उपर्युक्त बातों का उल्लेख करते हुए इस धारणा को सर्वथा निःसार और भ्रमपूर्ण बताया था कि अंग्रेजी में लिखे गए निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय की विद्वता की कोई छाप पड़ती है या उसे विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाता है। आजकल अंग्रेजी का स्तर क्या है इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। परन्तु वास्तविकता यह है कि किसी निर्णय का मूल्यांकन इन बातों पर किया जाता है कि न्यायाधीश सही निर्णय पर पहुंचा या नहीं, और उस निर्णय तक पहुंचने की उसकी पहुंच कैसी थी, और साक्ष्य का किस प्रकार विवेचन किया गया और विश्लेषण करने की न्यायाधीश की क्षमता कैसी है। यह नहीं देखा जाता है कि निर्णय अंग्रेजी में है या हिन्दी में।

"विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिन्दी के प्रचलन की समस्याएं" विषय का एक अंग यह भी है कि न्यायालयों में प्रशासनिक कार्यवाही में हिन्दी के प्रचलन की क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है? इस अंग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस पर भी अपने निजी अनुभव से कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के माननीय विधि मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह जी ने अपने तारीख 16 जुलाई, 1976 के पत्र में यह अनुरोध किया था कि उच्च न्यायालय में प्रशासनिक कार्यवाही हिन्दी में किये जाने पर मैं विचार करूं, क्योंकि अनेक वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार अपनी समस्त कार्यवाही में हिन्दी का प्रयोग करती आई है। जिन विधि के उपबन्धों का मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं, वे मेरे सामने थे। अतः तारीख 22 जुलाई 1976 को मैंने एक आदेश पारित किया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का समस्त प्रशासनिक कार्य उसी दिन के 10-30 बजे से हिन्दी में ही किया जाएगा। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि अपेक्षा से कहीं अधिक सहयोग मुझे उच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों ने दिया। पहले ही दिन से समस्त कार्यवाही हिन्दी में होने लगी जब कि मुझे इस संबंध में कुछ शंका थी। इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दी में कार्य करने की क्षमता सभी में थी परन्तु या तो कुछ झिझक थी या कुछ भय था। उस दिन से स्वयं में भी अपना समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी में ही करने लगा और एकल पीठ के निर्णय भी हिन्दी में लिखने लगा जिनका अनुवाद हमारे यहां के अनुवादक कुशलता से उसी दिन कर देते थे। इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मैंने यह देखा कि अधिकांश अधिवक्ता हिन्दी में बहस करने में रुचि लेते थे और उनके वाक्यों से हिन्दी भाषा के संबंध में आत्म-निर्भरता झलकती थी। मेरे मन में जो शंकाएं थीं, उनका समाधान हो गया।

पेक्षा

अब इस विषय के तीसरे अंग पर अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। उपर्युक्त समाधानों को कार्यान्वित करने के लिए क्या अपेक्षित है इस पर हम सबको विचार करना होगा और वही वास्तव में इस विषय का रचनात्मक अंग है। मेरा सुझाव इस प्रकार है—

1. सबसे बड़ी आवश्यकता है एलएल० बी० उपाधि के पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त पुस्तकों की रचना। यद्यपि विधि मंत्रालय का राजभाषा खण्ड (जिसके साथ गत चार वर्षों से मेरा निकट का संबंध रहा है) सक्षम लेखकों को ढूंढ़ने में प्रयत्नशील रहता है, परन्तु वहां कुछ प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयां हैं। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक विषय के जो प्रख्यात और अनुभवी अध्यापक हैं उन्हें आग्रहपूर्वक अनुरोध करके तैयार किया जाए कि वे मानक पुस्तकें लिखें। इस कार्य में सभी प्रभावशाली व्यक्ति अपना योगदान दे सकते हैं और हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी भरपूर सहायता कर सकता है।

2. हिन्दी में प्रत्येक विषय पर बृहत् टीकाओं की और इसी प्रकार डाइजेस्टों की रचना के लिए तीन लेखकों का मण्डल बनाया जाये। लेखकों की खोज भी उसी रीति से करनी होगी जिसका मैंने ऊपर संकेत किया है। इस महान कार्य में भी प्रभावशाली व्यक्तियों और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सहायता महत्वपूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

3. विश्वविद्यालयों को प्रभावशाली रीति से यह समझना है कि एल एल०बी० उपाधि के लिए शिक्षा हिन्दी के माध्यम से अनिवार्य की जानी चाहिए और विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन करके वैसा उपलब्ध करने के लिए राज्य-सरकारों और राज्य-विधान मण्डलों के सदस्यों को सहमत और प्रेरित करना है।

4. सत्र न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करने के लिए उच्च न्यायालयों की प्रत्येक सीट पर गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए और वहीं जिला समितियों का निर्माण होना चाहिए एवं लेखकों की खोज भी। इस रीति से एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न होगा जिसका अनुपम प्रभाव पड़ेगा।

अब मुझे यह कहना है कि हमने रोग का निदान तो कर लिया और उपचार भी समझ लिया परन्तु अब औषधि उपलब्ध करानी है और उसका सेवन भी कराना है। इस सन्दर्भ में मुझे एक घटना का स्मरण होता है। ग्वालियर राज्य में एक लेजिस्लेटिव काउन्सिल थी जिसका नाम था "मजलिस कानून"। वह स्वर्गीय महाराजा माधवराव सिंधिया की दूरदर्शिता की अभिव्यक्ति थी। उसके अध्यक्ष वहां के लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय ग्वालियर राज्य के सभी अधिनियम देवनागरी लिपि में अवश्य थे परन्तु उनकी भाषा फारसीजनित क्लिष्ट उर्दू थी। सन् 1932 की बात है, एक अधिवेशन में मेरे प्रातः स्मरणीय पिता जी ने प्रस्ताव रखा कि अधिनियमों की भाषा भी हिन्दी होनी चाहिए। यह प्रस्ताव आते ही बापू मोहनलाल खोसला, लॉ मिनिस्टर ने बात काट दी। बोले, "बाबू परमेश्वर दयाल साहब, हिन्दी में कानूनी अल्फाज कहां हैं? कानूनों में हिन्दी जबान कैसे लाई जा सकती है जबकि कोई कानूनी डिक्शनरी अंग्रेजी-हिन्दी की मयस्सर नहीं है।" यह सुनते ही उन्होंने खड़े होकर घोषणा की कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि अपनी सीमित योग्यता और उपलब्धियों के अनुरूप अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष की रचना करूंगा। बस, दूसरे ही दिन से वे उस कार्य में अथक परिश्रम के साथ जुट गये। बड़ौदा, महाराष्ट्र, बनारस आदि स्थानों पर जा-जाकर उन्होंने इस कार्य में सहायता ली जिनमें बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन और काका कालेलकर के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। शब्दकोश की तैयारी में श्री जगन्नाथ प्रसाद "मिलिन्द" और पंडित हरिहर निवास द्विवेदी ने लगातार सहयोग दिया। फरवरी 1938 में "श्रीवास्तवाज लॉ डिक्शनरी"

छप कर आ गई जो अंग्रेजी-हिन्दी का प्रथम विधि शब्दकोश था।

आज हमारे सामने भी ये चुनौतियां हैं कि विश्वविद्यालयों में विधि शिक्षा कैसे अनिवार्य की जा सकती है। एल एल० बी० के पाठ्यक्रम के लिये मानक पुस्तकें कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं? बृहत् टीकाओं और डाइजेस्टों की कैसे रचना हो सकती है, अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को न्यायालयीन कार्य हिन्दी में करने के लिए कैसे मनवाया और प्रेरित किया जा सकता है।

हमारा, आपका और उन सबका, जो चाहते हैं कि न्यायालयों में कार्यवाही हिन्दी में हो, यह परम कर्त्तव्य है कि हम सब मिलकर यथाशक्ति अपनी योग्यता और साधनों के अनुरूप इस कार्य में योगदान दें।

समस्याओं को और उनके समाधानों को समझ लेना तो ऐसा ही है कि जब श्रीराम और उनकी सेना ने लक्ष्मण को मूर्छित देखा और विभीषण के बताने पर हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाए तो सुषेण ने निदान किया और उपचार बता दिया। यह भी बता दिया कि संजीवनी बूटी कहां मिलेगी। प्रश्न था बूटी को उपलब्ध कराने का। इसी प्रकार अब हनुमान जी जैसे "बलबुद्धि-निधान" की आवश्यकता है जो औषधि को उपलब्ध करावें। हमारे विधिवेत्ताओं को अब अधिक सक्रिय होकर इस कार्य को पूर्ण करके दिखा देना चाहिए। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी विधिवेत्ता को श्री जामवन्त द्वारा हनुमान जी को दी गई इस शिक्षा का स्मरण करना चाहिए :—

पवन तनय बल पवन समाना।
बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥
कवन सो काज कठिन जग माहीं।
जो नहि होइ तात तुम पाही॥
राम काज लगि तव अवतारा।
सुनतहिं भयउ पर्वताकारा॥

इस सीख के परिणामस्वरूप अब हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि "हिंदी काज लगि मम अवतारा" और अपनी बुद्धि और विवेक से अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। ●●●

हिन्दी में प्रर्याप्त विधि साहित्य तैयार हो चुका है

—ब्रजकिशोर शर्मा
संयुक्त सचिव और प्रारूपकार,
विधायी विभाग (राजभाषा खंड) भारत सरकार

संविधान के अनुच्छेद 343 में यह घोषित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अनुच्छेद 344 में यह भी उपबन्ध किया गया है कि संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेंगे जो संघ और राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के, संघ और राजकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धन के, तथा संघ की राजभाषा एवं संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में और उपर्युक्त विषयों से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करेगा। राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद के अधीन 7 जून, 1955 को श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 31 जुलाई, 1956 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। इस आयोग ने भाषा से संबंधित सभी पहलुओं पर बड़ी गहराई से विचार किया और देश की आवश्यकताओं को सम्मुख रखते हुए राष्ट्रपति को, भाषा के बारे में क्या नीति अपनाई जाए उसके सम्बन्ध में सलाह दी।

आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करने तथा उन पर राष्ट्रपति को राय देने के लिए 30 संसद सदस्यों की एक राजभाषा समिति बनाई गई। इस समिति की पहली बैठक 16 नवम्बर, 1957 को हुई। श्री गोविन्द वल्लभ पन्त इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (6) के अधीन 27 अप्रैल 1960 को एक निदेश जारी किया गया। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया था कि अधिनियमों, नियमों आदि का अनुवाद और विधि शब्दावली से संबंधित सम्पूर्ण कार्यक्रम की समुचित योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए भारत की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों का एक स्थाई आयोग बनाया जाए। इस बारे में राष्ट्रपति के निदेश के अनुसरण में 8 जून, 1961 को भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने एक संकल्प द्वारा विधि विशेषज्ञों का एक स्थाई आयोग गठित किया। इसे राजभाषा (विधायी) आयोग नाम दिया गया।

1 अक्तूबर, 1976 को आयोग समाप्त कर दिया गया और यह कार्य स्थाई रूप से भारत सरकार का विधायी विभाग ही करने लगा है। विधायी विभाग के इस अंग को राजभाषा खंड नाम दिया गया है। इसमें हिन्दी के अतिरिक्त 11 अन्य भारतीय भाषाओं के अधिकारी हैं जो संविधान और केन्द्रीय अधिनियमों का विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में अनुवाद तैयार करते हैं। राजभाषा (विधायी) आयोग ने जो विधि शब्दावली प्रकाशित की थी उसका परिवर्द्धित संस्करण 1979 में राजभाषा खंड ने प्रकाशित किया। इसमें 34,000 प्रविष्टियां हैं। इसका तीसरा संस्करण अब प्रेस में है। इस शब्दावली का बहुत स्वागत हुआ है और इसका विधि के क्षेत्र में अधिकाधिक उपयोग हो रहा है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3, 26 जनवरी, 1965 से लागू कर दी गई है। इस धारा की उपधारा (3) के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक, या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए करना आवश्यक है। इसी प्रकार संसद के किसी भी सदन के समक्ष जो कागजपत्र रखे जाते हैं वे भी हिन्दी-अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होने चाहिएं। केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज़ों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इस उपधारा के अन्तर्गत हिन्दी पाठ तैयार करने का काम विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड को सौंपा गया है। भारत सरकार की कोई भी अधिसूचना अब केवल एक भाषा में नहीं छपती।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) में यह उपबन्ध है कि नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुरः स्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों का जो उनके संबंध में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा। भारत सरकार ने इस धारा को 1976 से लागू कर दिया है। सन् 1976 से सभी विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के साथ-साथ हिन्दी पाठ भी दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी भी सदन में ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं होता जिसका प्राधिकृत अनुवाद उसके साथ न हो। हिन्दी के उपर्युक्त प्रयोग में राजभाषा खंड की यह उल्लेखनीय सफलता है।

बहुत से ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कानूनी तो होते हैं किन्तु किसी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होते, जैसे निविदा की सूचनाएं, भारत सरकार द्वारा किए गए करार, बन्धपत्र, संविदा आदि। इन सभी दस्तावेजों का अनुवाद भी यह खंड करता है।

राजभाषा खंड ने लगभग सभी अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद तैयार कर दिया है। 8 अधिनियमों को छोड़कर 1979 तक के सभी अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए जा चुके हैं और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। जिन अधिनियमों के अनुवाद की मांग अधिक होती है उनका द्विभाषी संस्करण निकाला जाता है जिसमें बाईं ओर के पृष्ठ पर अंग्रेजी पाठ होता है और दाईं ओर हिन्दी का प्राधिकृत पाठ। अब तक 250 अधिनियमों के द्विभाषीय संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। राजभाषा

बाएं से—न्यायमूर्ति श्री प्रेमशंकर गुप्त, न्यायमूर्ति श्री महेश प्रसाद मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति श्री महावीर सिंह, श्री वी० क० शर्मा (संयुक्त सचिव एवं प्रारूपकार, राजभाषा खंड, विधायी विभाग) तथा श्री नाथू लाल जैन, महाधिवक्ता, राजस्थान हाईकोर्ट

खंड ने अभी तक 413 नियमों, विनियमों, आदेशों आदि का अनुवाद प्रकाशित किया है।

विधि मंत्रालय इस बात के प्रति सजग है कि वाद-विधि (केस लॉ) हिन्दी में होना आवश्यक है। इस निमित्त अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विधि मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के सभी प्रकाशन-योग्य निर्णयों के प्रकाशन के लिए "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" के नाम से एक निर्णय पत्रिका का अप्रैल, 1968 से प्रकाशन प्रारम्भ किया है। 1969 से "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" का भी प्रकाशन शुरू किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों में से चुने हुए निर्णय प्रकाशित किये जाते हैं।

हिन्दी में लिखे गए विधि के मौलिक ग्रंथों पर दस हजार रुपये के दस पुरस्कार प्रत्येक वर्ष देने की एक पुरस्कार योजना भी चलाई जा रही है। विधि मंत्रालय हिन्दी में मौलिक ग्रंथ लिखवा रहा है और अंग्रेजी में लिखित विधि की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद भी करवा रहा है।

विभिन्न हिन्दी भाषी राज्यों में विधि के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने एक समन्वय समिति भी गठित की है जिसके कारण विधि के क्षेत्र में एकरूपता लाने और मानक शब्दावली तैयार करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड में केन्द्रीय अधिनियमों का राज्यों की राजभाषाओं में अनुवाद का कार्य भी हो रहा है। इस कार्य की गति भी दिनोंदिन बढ़ रही है। कुछ वर्षों में सभी केन्द्रीय विधियों का भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद तैयार हो जाएगा। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया और पंजाबी भाषा में भारत का संविधान प्रकाशित हो गया है। शेष भाषाओं में भी कार्य चल रहा है। ●●●

(4) विधि के क्षेत्र में मूल भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता है

—डा० मोती बाबू,
प्रधान संपादक, उच्चतम न्यायालय निर्णय-सार

पश्चिम की श्रेष्ठता की भावना पर आधारित उसके अंधानुकरण की प्रवृत्ति तथा संकीर्ण स्वार्थ की स्पर्धा के कारण देश में राष्ट्रीयता के सभी कार्यों की उपेक्षा हो रही है। हिन्दी का प्रयोग उन कार्यों में से एक है। विधि-क्षेत्र के विषय में यह उपेक्षा अविरोध का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि यह विशेषज्ञों का क्षेत्र समझा जाता है। विदेशी भाषा का प्रयोग जहां वादकारी को अधिक निरीह बना देता है वहीं इस क्षेत्र में जीविकोपार्जन करने वालों की विशेषज्ञता में चार चांद लगाकर उन्हें आत्मश्लाघा और स्वार्थसिद्धि का बेहतर अवसर प्रदान करता है। इसी कारण इस क्षेत्र की अंग्रेजी तक में मध्यकालीन इंग्लैंड का शब्दाडंबर आज भी प्रचलित है। स्थिति वैसी ही है जैसी कि क्रामवेल के सत्ता में आने के समय अर्थात् 1642 ई० में इंग्लैंड की थी। यद्यपि उस समय विधायन तक के लिए अंग्रेजी अपना ली गई थी, किन्तु न्यायालयों में लैटिन व फ्रेंच भाषाओं का प्रयोग होता था और अंग्रेजी असभ्य भाषा समझी जाती थी। वहां स्थिति का उपचार न्यायालयों में विदेशी भाषा के प्रयोग को अपराध घोषित करके किया गया। किन्तु हमारे देश में वह संभव नहीं है क्योंकि यहां विदेशी भाषा को लादना उदारता समझा जाता है और राष्ट्रभाषा के प्रयोग की अपेक्षा करना संकीर्णता।

परिणामस्वरूप आज विधि-क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उच्चस्तर की तथा स्वाभाविक भाषा के रूप में होता है, जब कि हिन्दी का प्रयोग, हिन्दी-भाषी क्षेत्रों तक में भी निम्नस्तर तथा अनुवाद की भाषा के रूप में होता है। इससे अंग्रेजी भाषा की उच्चता और अपनी भाषा की हीनता की धारणा और पुष्ट होती है।

विधायन के क्षेत्र में स्थिति यह है कि केन्द्रीय विधायन की एकमात्र भाषा अंग्रेजी है तथा हिन्दी का प्रयोग सुविधानुसार केवल अनुवाद की भाषा के रूप में होता है। अभी तक किसी भी विषय के संपूर्ण केन्द्रीय कानून (अधिनियम, नियम, आदि) हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं। अतः यदि कोई हिन्दी पाठों के आश्रय से काम करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। राज्य स्तर पर जहां विधायन हिन्दी में होता है वहां भी प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) अंग्रेजी में ही होता है और हिन्दी में उसका अनुवाद करके मूलपाठ की संज्ञा दे दी जाती है। इस प्रकार विधि विषयक चिन्तन एवं कार्य अंग्रेजी में होता है और हिन्दी में उसका अनुवाद मात्र। किसी भी हिन्दी-भाषी राज्य की सरकार को ले लीजिए, अंग्रेजी में कार्य करने वाले अधिकारी उच्च स्तर के होते हैं और हिन्दी में कार्य करने वाले अपेक्षाकृत निम्न स्तर के। विधान-मण्डल द्वारा हिन्दी में पारित कानूनों का प्रयोग न होकर, वस्तुतः प्रयोग उनके अंग्रेजी अनुवादों का ही होता है। कानूनों के हिन्दी पाठों को उपयोग के लिए व्यवस्थित ढंग से बांटने व रखने की व्यवस्था कहीं नहीं है। इनका अद्यतन संकलन कहीं नहीं मिलेगा, उस राज्य के विधि मंत्री के पास भी नहीं। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों का प्रश्न है उनकी तो मातृभाषा ही अंग्रेजी लगती है, जिसके कारण उन्हें सार्वजनिक धन ही नहीं राष्ट्रीयता की भावनाओं से भी खिलवाड़ करने की पूरी छूट है।

न्याय प्रशासन के क्षेत्र में देश के उच्चतम न्यायलय की एकमात्र भाषा अंग्रेजी है। अगर कहीं कोई कार्य किसी भारतीय भाषा में हुआ हो तो उसके अंग्रेजी अनुवाद के बिना मामला उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हो सकता। उच्च न्यायालयों की सामान्य भाषा अंग्रेजी है। संविधान

के अनुच्छेद 348 (2) तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार अधिकांश हिन्दी-भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग का विकल्प प्राप्त है किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि हिन्दी में निर्णय अपवाद-स्वरूप ही होते हैं। इनका अनुपात भी मुश्किल से एक प्रतिशत होगा। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में यह अपेक्षा जोड़ दी गई है कि जब उच्च न्यायालय निर्णय किसी भारतीय भाषा में दें तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया जाना चाहिए इस बंधन के कारण हिन्दी में निर्णय देने में संकोच और बढ़ जाता है। जिला स्तर तक हिन्दी-भाषी राज्यों में काम न्यूनाधिक मात्रा में हिन्दी में होता है। यहां भी कुछ राज्यों में उच्चतर स्तर के कुछ न्यायिक अधिकारी और कहीं-कहीं सभी न्यायिक अधिकारी अपने निर्णय अंग्रेजी में देते हैं। किन्तु हिन्दी में निर्णय देने वाले अधिकारी भी अपना कार्य कानूनों के अंग्रेजी पाठों तथा अंग्रेजी विधि पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के आश्रय से करते हैं। हम कह सकते हैं कि यहां भी मूल भाषा अंग्रेजी ही है और हिन्दी का प्रयोग अंग्रेजी से अनुवाद करके ही होता है।

विधि शिक्षा के क्षेत्र में भी सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम अपनाया जाता है। अनेक हिन्दी भाषी क्षेत्रों में, विशेषतः छात्रों द्वारा, हिन्दी माध्यम भी अपनाया जा रहा है किन्तु यह कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है। हिन्दी में भी पढ़ाई प्रायः कानूनों के अंग्रेजी पाठों के आश्रय से ही होती है। मानक हिन्दी विधि शब्दावली के प्रशिक्षण का यथेष्ट ध्यान नहीं रखा जाता। छात्र बहुधा खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं।

विधि-साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति अकिंचनता की ही है। कार्य अंग्रेजी पाठों के आश्रय से होने के कारण कानून की हिन्दी पुस्तकों की मांग बहुत कम है अतः निजी क्षेत्र में हिन्दी विधि-साहित्य का प्रकाशन नगण्य है। जहां तक शासनों का सम्बन्ध है, विधि मंत्रालय की अनेक प्रकाशन योजनाएं हैं। किन्तु प्रकाशन की गति इतनी मंथर है कि उससे कुछ नहीं बन सकता। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हिन्दी अनुवाद "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" में प्रकाशित किया जाता है। किन्तु यह प्रकाशन इतने विलम्ब से होता है कि इसकी उपयोगिता बहुत घट जाती है और उस पर निर्भर रहकर कोई नहीं चल सकता किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय नियमित रूप से हिन्दी में प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। भारत सरकार का विधि मंत्रालय "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" निकालता है, किन्तु उसमें बहुत कम निर्णय प्रकाशित होते हैं और वे भी विलम्ब के साथ। निजी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाली हिन्दी विधि पत्रिकाएं या तो धनाभाव के कारण बंद हो गईं या अव्यवस्थित रूप से निकल रही हैं। लखनऊ का अ० भा० हिन्दी विधि प्रतिष्ठान अवश्य उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के संक्षेप "उच्चतम न्यायालय निर्णय-सार" में शीघ्र नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दाण्डिक निर्णयों के लिए उसने "इलाहाबाद दण्ड निर्णय" भी प्रारम्भ कर दिया है।

हिन्दी सम्बन्धी नीति में एक बड़ी कमी यह है कि हम अंग्रेजी को साथ-साथ चला रहे हैं तथा हमने एक ऐसा वातावरण बना रखा है जिसमें अंग्रेजी के ज्ञान के बिना काम चल ही नहीं सकता तथा हिन्दी के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। यह प्राकृतिक नियम है कि बड़े पेड़ के साथ छोटा पेड़ नहीं पनप सकता। अतः हिन्दी को अग्रसर करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में एकमात्र हिन्दी ही प्रयोग की भाषा हो। थोड़े से कार्य के लिए उसे एकमात्र भाषा बनाकर उसके क्षेत्र का विस्तार समय-बद्ध योजना के अनुसार किया जा सकता है। दूसरे हिन्दी के मूल भाषा के रूप में प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे विधि-क्षेत्रीय चिन्तन हिन्दी में हो और इस भाषा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हो, न कि अनुवाद की भाषा के रूप में। इससे अंग्रेजी की आदत छूटेगी तथा लोग स्वभावतः हिन्दी का प्रयोग करने लगेंगे। यही नहीं, भाषा स्वाभाविक हो जाने पर क्लिष्टता का आक्षेप, भी दूर हो जाएगा। तीसरे, हिन्दी में विधि-साहित्य के सृजन एवं प्रचार का एक वृहत् कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, जिससे कि शीघ्र ही वह स्थिति आ जाए कि अधिवक्ता या न्यायाधीश केवल हिन्दी के ज्ञान से अपना कार्य चला सकें। इसके लिए एक ओर तो इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी कानूनों के हिन्दी पाठ शीघ्रतम उपलब्ध किए जाएं, नए कानूनों के हिन्दी पाठ अंग्रेजी के साथ-साथ प्रकाशित किए जाएं तथा इन कानूनों के अद्यतन हिन्दी संस्करण बराबर नियमित रूप से निकाले जाएं। अद्यतन रूप में संकलित रखे जाने की नियमित व्यवस्था सभी न्यायालयों में होनी चाहिए तथा अन्य लोगों को भी वे उपलब्ध होने चाहिए। दूसरी ओर सभी नजीरों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किए जाने चाहिए। न्यायालयों में इस कार्य के लिए उपयोगी टीकाएं/डायजेस्ट आदि भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अंतिम और अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि एसी कार्य-प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिसमें हिन्दी निम्न स्तर की भाषा न समझी जाए बल्कि उसके प्रयोग में राष्ट्रीय गर्व का अनुभव हो। इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उच्चतम स्तर तक हिन्दी का प्रयोग किया जाए तथा हिन्दी-भाषी राज्यों में सरकारी अधिवक्ताओं तथा सभी स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति में हिन्दी में कार्य करने की क्षमता अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। ●●●

(5) विधि-शिक्षा के लिए हिन्दी माध्यम अपनाया जाए

--प्रोफेसर डॉ० उमापति दास केसरी
विधि संकाय, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, भारत सरकार

यह एक विचारणीय विषय है कि संविधान को अपनाए जाने के 32 वर्ष बाद भी हम इस समस्या में उलझे हुए हैं कि हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के कौन से उपाय

किए जाएं और किस प्रकार से विभिन्न विषयों को हिन्दी माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जा किए हिन्दी को वह स्वरूप मिल सके, जो चिर अपेक्षित था। यह सच है कि भारतीय संविधान ने हिन्दी के अतिरिक्त अन्य 13 भारतीय भाषाओं को संवैधानिक रूप से स्वीकार किया है, किन्तु इन भाषाओं के बीच हिन्दी को विशिष्ट स्थान प्रदान करना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने हिन्दी को प्रगतिशील बनाने के लिए तथा राजकार्यों में अपनाने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयत्न किए हैं, फिर भी यह प्रश्न आज तक सुलझ नहीं सका है कि हिन्दी भाषा का संवैधानिक विकास, विभिन्न दृष्टिकोणों से, किस प्रकार किया जाए। सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया उसके बाद राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 बनाए गए जिसके अन्तर्गत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि धीरे-धीरे हिन्दी माध्यम को न केवल हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के बीच अथवा केन्द्र सरकार और हिन्दी भाषा-भाषी राज्य सरकारों के बीच पत्राचार के प्रयोजनों के लिए वरन् अन्य सभी प्रयोजनों के लिए, प्रयोग किया जाएगा। अपेक्षित तो यह भी था कि हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में अधीनस्थ न्यायालयों के सभी कार्य हिन्दी माध्यम से किए जाते, किन्तु कुछ अज्ञात कठिनाइयों के कारण उस स्थिति को पूरा न किया जा सका।

हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि विधि विद्यालयों में शिक्षा हिन्दी माध्यम से प्रारम्भ कर दी गई होती। यह एक सर्वविदित सत्य है कि राष्ट्र का समूचा जीवन विधि द्वारा सुनियंत्रित होता है। समाज का हर पहलू विधि से प्रभावित होता है और इसलिए यह आवश्यक है कि विधि की समस्त अवधारणाएं एवम् नियम, जनसाधारण को, उसकी ही भाषा में बताइ जाएं जिससे वह विधि के उन नियमों से अवगत हो सके जिसका उसे पालन करना है। इस सम्बन्ध में हिन्दी माध्यम से विधि शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। इससे जन-सामान्य में विधि की भाषा और अधिक प्रचलित हो जाती तथा विधि से तादात्म्य भी स्थापित हो सकता है। अभी तक विधि के नियमों का अंगेजी भाषा में होने के कारण सामान्य व्यक्ति को उससे दूरी का अनुभव होता रहा है। किन्तु उसको अपनी ही भाषा में उन नियमों के होने पर तथा उसकी भावी पीढ़ी को उसी भाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने पर उन नियमों से उसका निकटता का सम्बन्ध हो सकेगा जिसका व्यापक प्रभाव हिन्दी भाषा को समुन्नत स्थान प्राप्त करवा सकेगा। इसके बावजूद कि हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में अधिनियमों, विनियमों, परिनियमों एवं उप-नियमों को हिन्दी भाषा के माध्यम से पारित किया जाता है फिर भी यह कार्य तब तक अधूरा रहेगा, जब तक सामान्य व्यक्ति को हिन्दी का बोध न हो सके, जिसके माध्यम से वह इन अधिनियमों आदि को समझ सके।

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा का माध्यम हिन्दी, अनिवार्य रूप से ग्रहण कर लिया जाए। जब कभी विधि शिक्षा को हिन्दी माध्यम से दिए जाने की बात की जाती है तो अनेक प्रश्न उठाए जाते हैं जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं :—

(1) हिन्दी भाषा में विधि की मानक पुस्तकों का नितान्त अभाव है, जिससे विधि शिक्षा को हिन्दी में दिया जाना अत्यन्त कठिन है।

(2) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया जाता है और उनका रूपान्तर विधि मंत्रालय के राजभाषा विधायी विभाग द्वारा किया जाता है, वह सुगम नहीं है।

(3) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को हिन्दी भाषा के माध्यम से न दिए जाने के कारण, निर्णयों के माध्यम से विधि को समझाने की प्रकल्पना असंगतपूर्ण हो जाती है।

(4) हिन्दी भाषा के माध्यम से आजतक 'केस-डाइजेस्ट' नहीं बन पाए हैं जो कि विधि शिक्षा के लिए परमावश्यक हैं।

(5) विधि शब्दावलियों की एकरूपता और स्पष्ट स्वरूप अभी तक स्थापित नहीं हो सका है, जिसके कारण एक ही पारिभाषिक शब्द का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। परिणामतः विधि शिक्षा में एकरूपता लाई जानी कठिन प्रतीत होती है।

(6) विधि शब्दावलियों के समन्वय के लिए कोई प्रयास प्रान्तीय स्तर पर नहीं किया गया। परिणामतः विभिन्न हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाए जाने पर उसमें एकरूपता नहीं है। 'अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग' के मुहावरे को चरितार्थ करके भाषा का विकास नहीं कराया जा सकता।

देश के विभिन्न प्रान्तों हिन्दी भाषा-भाषी कुछ विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विधि के व्याख्यान हिन्दी माध्यम से सम्पन्न किए जाते हैं तथा परीक्षा में भी हिन्दी माध्यम से उत्तर लिखने की अनुमति प्राप्त है। परीक्षा की उत्तर पुस्तकों से यह स्पष्ट है कि कुछ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किन्तु यह विशेष बात है कि परीक्षाओं के उत्तरों में हिन्दी भाषा का जो प्रयोग किया जाता है उसमें एकरूपता नहीं है जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा में एकरूपता लाई

जाए । यह सच है कि विधि की अनेक शाखाओं में हिन्दी के मानक ग्रन्थ तैयार हो चुके हैं । इन मानक और गौरव ग्रन्थों के प्रकाशन में भारत सरकार का विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा कुछ गैर-सरकारी प्रकाशक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । किन्तु उसके साथ यह भी सच है कि विधि शब्दावली के सम्बन्ध में तथा मानक अभिव्यक्तिकरण के संबंध में एकरूपता नहीं है । भारत सरकार के विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका का नियमित प्रकाशन कर विधि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी को पूरा कर रहा है। विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कुछ मानक पुस्तकें भी प्रस्तुत की गई हैं तथा सरकार द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित विधि की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों पर प्रतिवर्ष अनेक पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे हिन्दी माध्यम से विधि की पुस्तकों को लिखने में प्रोत्साहन भी मिल रहा है । परन्तु सामान्यतः यह आपत्ति उठाई जाती है कि विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मानक विधि पुस्तकें एल एल० बी० के छात्रों के लिए सुगम नहीं हैं । कभी-कभी भाषा संबंधी जटिलताएं तथा कभी अभिव्यक्तिकरण के संबंध में ये आपत्तियां उठाई जाती हैं कि विधि के छात्रों के लिए उसको समझने की कठिनाई हो जाती है । इस संबंध में यह वांछनीय होगा कि विद्वान लेखकों एवं विधि साहित्य प्रकाशन के अधिकारियों की समय-समय पर संयुक्त बैठकें होती रहें, जिसमें समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अभिव्यक्तिकरण एवं भाषा संबंधी दुरुहता को दूर करके एक समान तथा सुगम तरीका अपनाया जाए जिससे यह मानक पुस्तकें अधिक सरल एंव सुग्राह्य हो सकें । जब तक विधि की मानक पुस्तकें छात्रों के बीच लोकप्रिय नहीं हो जातीं हिन्दी भाषा के माध्यम से विधि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति अधूरी ही रहेगी ।

जहां तक उपर्युक्त अन्य प्रश्नों का संबंध है यह सच है कि विधि के अनेक में क्षेत्र मानक पुस्तकें प्रस्तुत किए जाने के बावजूद बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मानक पुस्तकें अभी तक नहीं लिखी गईं । जब तक इस प्रकार की मानक पुस्तकें नहीं लिखी जातीं, विधि शिक्षा को सम्पूर्ण रूप से हिन्दी माध्यम से पूरा किया जाना कुछ दुष्कर प्रतीत होता है । इस बात के बावजूद कुछ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से विधि के समस्त विषयों पर व्याख्यान दिए जाते हैं किन्तु इन व्याख्यानों में अंग्रेजी का भी पुट होता है । वस्तुतः वह एक खिचड़ी भाषा-सी बन जाती है । न तो वह एकमात्र हिन्दी ही होती है और न ही अंग्रेजी ही । इस प्रकार की स्थिति से छात्रों के मस्तिष्क में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और उनका भी अभिव्यक्तिकरण दोषपूर्ण एवं अप्रभावी बना रहता है, इस प्रकार की स्थिति वांछनीय नहीं है । अतः यह निवेदन किया जाता है कि विधि शिक्षा को हिन्दी माध्यम से ही दिया जाए और बीच-बीच में अंग्रेजी वाक्यों का प्रयोग न किया जाए । इसके अतिरिक्त शीघ्रताशीघ्र अन्य विषयों पर, जिनमें मानक पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं, लिखवाई जाएं ।

यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि विधि साहित्य प्रकाशन ने हिन्दी माध्यम से विधि की पुस्तकें लिखवाने की सूची प्रस्तुत की थी और उस पर मानक पुस्तकें लिखवाने के लिए लेखकों से उनकी स्वीकृति भी मांगी गई थी । यह कहा जाता है कि बहुत सारे लेखकों ने अनेक मानक पुस्तकों को लिखने के लिए अपनी स्वीकृति भेज दी है फिर भी अभी तक उसके सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया । विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा इस पर निर्णय लिए जाने में मन्दगतिता, विद्यार्थियों तथा अध्यापन के उद्देश्यों को प्रोत्साहन में असफल योगदान नहीं दे पा रही है । यहां यह कहना भी युक्तिसंगत होगा कि विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रस्तावित पारिश्रमिक इन मानक पुस्तकों को लिखवाने के लिए संतोषजनक नहीं है । बहुत सारे लेखक इस प्रकार के कार्य को लेने में निरुत्साहित हो जाते हैं ।

जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के हिन्दी रूपान्तर का प्रश्न है, यह वांछनीय होगा कि रूपान्तर का स्वरूप सुगम एवं सरल भाषा में हो इसके लिए यह नही होगा कि अंग्रेजी में दिए गए इन निर्णयों का शाब्दिक रूपान्तर किया जाए बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी उद्धरण के मुख्य तत्व को लेते हुए उसकी सरल भाषा में व्याख्या की जाए । इस संबंध में यह भी उचित होगा कि हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के निर्णयों को हिन्दी भाषा के माध्यम से दिए जाने की प्रार्थना की जाए। इस प्रकार के अभ्यास से निर्णयों का सही एवं मौलिक रूप हिन्दी भाषा में आ सकेगा और इस प्रकार के निर्णयों के माध्यम से विधि को समझने और समझाने की प्रकल्पना सार्थक हो सकेगी । जैसा कि बहुधा देखा जाता है कि अंग्रेजी के माध्यम से दिए गए निर्णय, का जब हिन्दी में रूपान्तर किया जाता है, तो निर्णय का मूल स्वरूप एवं सार भूत अर्थ कुछ दूसरा हो जाता है । इस प्रकार की स्थिति को समाप्त करने के लिए न्यायाधीशों से निर्णयों को मूल रूप से हिन्दी में लिखवाए जाने का आग्रह किया जाना चाहिए ।

हिन्दी भाषा के माध्यम से 'केस-डाइजेस्ट' अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । इस प्रकार के 'केस-डाइजेस्ट' यथाशीघ्र कुशल लेखकों से प्रस्तुत करवाए जाए चाहिएं । जब तक विधि के अनेक विषयों पर मौलिक भाष्य एवं केस-डाइजेस्ट नहीं करवाए जाते विधि की शिक्षा अधूरी रहेगी तथा विधि प्राध्यापकों के लिए भी इस बात की कठिनाई बनी रहेगी और वे विधि सिद्धान्तों को 'केस-डाइजेस्ट' के संदर्भ में नहीं समझ पाएंगें । अन्तिम प्रश्न यह है कि विधि शिक्षा की दिशा में एकरूपता

एवं समन्वय नहीं किया जा सका है। हिन्दी भाषा-भाषी अनेक प्रान्त हिन्दी माध्यम से विधि-शिक्षा में विभिन्न शब्दावलियां एवं तरीके अपनाते हैं । एक ही प्रकार की शब्दावलियों के विषय में जब तक समन्वय नहीं होता और हर प्रदेश अपना अलग-अलग तरीका, अभिव्यक्ति का अपनाता है, तब तक सुयोजित तरीका तथा प्रभावशाली विधि शिक्षा का कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता । इस संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि इन समस्त प्रदेशों के विद्वान लेखकों एवं विधि प्राध्यापकों और अन्य संबंधित अधिकारियों की सभा समय-समय पर विधि साहित्य प्रकाशन के माध्यम से बुलायी जाए जिससे अभिव्यक्तिकरण के संबंध में तथा शब्दावलियों के प्रयोग के सम्बन्ध में पारस्परिक भ्रम को दूर करके एकरूपता लायी जा सके । ●●●

हिन्दी में पारित सभी अधिनियम सर्वसाधारण को भी सुलभ कराए जाएं

—सी० पी० श्रीवास्तव
विधि विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे सम्मेलन में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है । प्रयागराज अपने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक वैभव के लिए सर्व प्रख्यात है । यहां के लोगों से मिलना मेरे लिए सदैव सुखद अनुभव रहा है । और आज भी है । मेरा यह भी सौभाग्य है कि मैं जिस राज्य मध्य प्रदेश से यहां आया हूं वह भी साहित्य, संस्कृति एवं कला का पुनीत केन्द्र है और हिन्दी तथा विधि क्षेत्र के अनेक मूर्धन्य व्यक्तियों की कर्मस्थली एवं जन्मस्थली है। जहां तक प्रश्न विधि के क्षेत्र में हिन्दी का है मध्य प्रदेश में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर पर्याप्त प्रगति हुई है । हिन्दी भाषा में अधिनियमित या अनूदित विधियों का सम्यक् प्रचार और प्रसार इस दृष्टि से आवश्यक है कि सामान्य-जन उससे अवगत हो सकें और यह न केवल वांछनीय है वरन् आवश्यक भी है कि जिस प्रकार साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इस विधि सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया है उसी प्रकार के आयोजन समय-समय पर अन्य राज्यों में भी किए जाएं ।

समस्त राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को अनिवार्य बनाने के लिए इस राज्य में सन् 1958 में मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 (क्रमांक 5, सन् 1958) पारित किया गया था ।

मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा अन्य विषयों के साथ ही न्यायालयों की कार्यवाहियों में भी हिन्दी भाषा के प्रयोग को विनियमित किया गया है । इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 272 के अधीन अधिसूचना क्रमांक फा० नं० 6–17–74-ब-इक्कीस दिनांक 28 मार्च, 1974 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137(2) के अधीन अधिसूचना क्रमांक 45940–फा०नं० 7(ए) 5–76–ब–इक्कीस, दिनांक 22 नवम्बर, 1976 जारी की है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी की गयी उक्त अधिसूचना के अनुसार यह अवधारित किया गया है कि उच्च न्यायालय को छोड़कर इस राज्य के प्रत्येक न्यायालय की भाषा उक्त संहिता के प्रयोजन के लिए हिन्दी होगी । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन जारी की गई उक्त अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया गया है कि दिनांक 26 जनवरी, 1977 से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समस्त न्यायालयों की भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी और ऐसे समस्त न्यायालयों को आवेदन तथा ऐसे न्यायालयों में की गई कार्यवाहियां देवनागरी लिपि में लिखी जाएंगी ।

उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी भाषा के प्रयोग का जहां तक सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न-लिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं—

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 23 181-2225 इक्कीस बन70 दिनांक 18 सितम्बर 1971 तथा

(2) केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक 2104- छब्बीस भा०वि० दिनांक 24 सितम्बर, 1973

ऊपर क्रमांक (1) पर दर्शाई गई अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय की डिक्री आदेश एवं निर्णयों को छोड़कर समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को वैकल्पिक आधार पर कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया गया है क्रमांक (2) पर दर्शाई गई अधिसूचना के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए निर्णय डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए दिनांक 2 अक्तूबर, 1973 से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की शर्त के अधीन प्राधिकृत किया गया है कि जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश हिन्दी में पारित किया जाए वहां उसके साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया उसका अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा में होगा ।

इस राज्य में समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में निर्णय, डिक्री तथा आदेश हिन्दी में अनिवार्य रूप से हो इस दृष्टि से विधान बनाने का प्रश्न शासन के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश राज्य ने वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 (क्रमांक 5, सन् 1958) अधिनियमित

करके दिनांक 7 फरवरी, 1958 को ही राज्य की राजभाषा हिन्दी घोषित कर दी है और उस दिशा में क्रमशः अग्रसर होते हुए दिनांक 16–63 से अधिकांश तथा दिनांक 26-1-65 से समस्त विधायी कार्य हिन्दी में ही प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान समय में राज्य की विधान सभा में विधेयक हिन्दी में पुनः स्थापित किए जाते हैं तथा अधिनियमित किए जाते हैं।

विधि के क्षेत्र में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य ने मूलतः अंग्रेजी में पारित राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ तैयार करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश राजभाषा [अनुपूरक उपबंध अधिनियम, 1972] अधिनियमित किया और इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकृत हिन्दी पाठ राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किए जा रहे हैं।

विधि के क्षेत्र में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सम्भव हो सके इस दृष्टि से आज की सबसे मुख्य आवश्यकता यह है कि विधान सभा द्वारा मूलतः हिन्दी में पारित समस्त अधिनियमों के द्विभाषिक संस्करण न केवल न्यायिक अधिकारियों एवं विधि व्यवसायियों को ही उपलब्ध कराए जाएं बल्कि समस्त जनता को भी वे सुलभ कराए जाने चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु मध्य प्रदेश शासन के विधि विभाग द्वारा राज्य अधिनियमों एवं अध्यादेशों के वार्षिक द्विभाषिक संस्करण प्रकाशित किए जाते हैं। अभी तक इस राज्य के विधि विभाग द्वारा सन् 1964 से सन् 1977 तक के 475 राज्य अधिनियमों तथा 216 अध्यादेशों द्विभाषिक संस्करण (हिन्दी-अंग्रेजी) वार्षिक संकलनों के रूप में तैयार करके मुद्रण हेतु शासकीय मुद्रणालय को भेजे जा चुके हैं। ●

(पृष्ठ 7 का शेषांश)

"राजभाषा भारती" का (17-18) अप्रैल-सितम्बर, 1982 का अंक राजभाषा की विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति, उसके विकास का लेखा-जोखा तथा उसके कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करता है। इसमें राजभाषा के सम्बन्ध में विविध महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत किए गए हैं। इसके द्वारा तकनीकी, कम्प्यूटर आदि आधुनिक क्षेत्रों में राजभाषा की स्थिति की जानकारी भी मिलती है। राजभाषा के क्षेत्र में कार्यरत शोधार्थियों को भी इसके द्वारा महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। विविध क्षेत्रों में हुए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक सामग्री वैज्ञानिक पद्धति से एक ही स्थान पर संपादित कर दी गई।

भारतीय भाषाओं के साहित्य को हिन्दी में अनूदित करके आपने भारतीय भाषाओं के आदान-प्रदान की जो भूमिका प्रस्तुत की है, वस्तुतः वह अत्यन्त स्तुत्य कार्य है।

श्री राजमणि तिवारी के लेख "द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन—निर्णय और क्रियान्वयन" में सम्मेलन को दिया गया संपूर्ण ब्यौरा पत्र संपादन कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विषय के मूल तत्वों को बड़ी कुशलता से समाहित किया है।

पत्रिका का प्रकाशन, मुद्रण तथा आवरण कलात्मक एवं सुन्दर है।

हिन्दी और तमिल के समान तत्व जैसे लेखों से द्विभाषिक अध्ययनों की उपयोगिता स्वतः सिद्ध है।

मैं इस पत्रिका को हिन्दी प्रकाशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं। मेरी बधाई स्वीकार कीजिए।

—कुंज बिहारी वार्ष्णेय, एम०ए० पी-एच० डी०
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुजरात विद्यापीठ,
अहमदाबाद-14

भाषा की सरलता की समस्या

--डा० नगेन्द्र

भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय

जब से संविधान में हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है उसकी सरलता की समस्या अनेक प्रकार से अनेक क्षेत्रों से हमारे सामने आ रही है। बात तर्कसंगत है, राज जनता का है और राजभाषा के गौरव की अधिकारिणी वही हो सकती है जो जनता की भाषा हो। हिन्दी के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही था और जनता की भाषा का निश्चय इसी के बल पर उसे राजभाषा होने का गौरव मिला। जनता की भाषा निश्चय ही सरल होनी चाहिए क्योंकि जनता का निर्माण जिस विराट जनसमूह से होता है वह न विदग्ध होता है और न पंडित।

हिन्दी से जो सरलता की मांग की जाती है वह अकारण नहीं है--सरलता उसका दायित्व है और इससे उसका सहज गुण बन जाना चाहिये।

किन्तु सरलता का क्या अर्थ है; वे कौन से तत्व हैं जिससे सरलता का निर्माण होता है, यह निर्णय करना सरल नहीं है। सरल शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के "सिम्पुल" शब्द के पर्याय रूप में होता है और चूंकि हिन्दी की सरलता के लिए अधिकतर वे ही लोग व्यग्र हैं जो अंग्रेजी में सोचने-समझने के अभ्यस्त हैं इसलिए सरलता का स्वरूप-विश्लेषण करने के लिए अंग्रेजी के "सिम्पुल" शब्द का आंचल पकड़े रहना जरूरी होगा[1] आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार "सिम्पुल" शब्द के चार अर्थ हैं: (1) अमिश्र--जिसकी रचना केवल एक ही तत्व से हुई हो, (2) अखंड--जो उलझा हुआ या जटिल या अलंकृत न हो--उदाहरणार्थ अमुक लेखक की शैली सरल और निराभरण है, (3) निरपेक्ष, (4) सीधा-सादा, अकृत्रिम, सहज, निश्छल। संस्कृत में सरल शब्द का शब्दार्थ है ऋजु, सीधा, अवक्र, शुद्ध, वास्तविक, निश्चय आदि[2]।

उपर्युक्त अर्थों में से कुछ ही ऐसे हैं जो भाषा के प्रसंग में सार्थक होते हैं जैसे सीधा-सादा, सहज, अकृत्रिम, उलझाव और जटिलता से मुक्त, अवक्र और निराभरण। इनके अनुसार सरल भाषा वह है--(1) जो स्वाभाविक हो, (2) जिसकी वाक्य-रचना सीधी और सुलझी हुई हो--जिसमें किसी प्रकार की जटिलता और उलझन न हो अर्थात् वाक्य छोटे और सीधे हों। जिनमें किसी प्रकार का घुमाव और पेच न हो, (3) जिसमें किसी प्रकार का आडम्बर, अलंकार और वक्र प्रयोग न हो, (4) जो अभीष्ट अर्थ को--मन की बात को ठीक-ठीक और बिना छलछद्म के व्यक्त करे। निश्छलता सरल व्यक्ति के समान सरल भाषा का भी अनिवार्य गुण है। ये सभी तत्व सामान्यतः जितने सरल प्रतीत होते हैं उतने वास्तव में हैं नहीं और इन सभी की व्याख्या की आवश्यकता है।

स्वाभाविकता--स्वाभाविकता का अर्थ है अपनी प्रकृति के अनुकूल होना अतः भाषा की स्वाभाविकता से तात्पर्य है अपने मूल प्रसंग और अर्थ की अनुकूलता। यदि मूल अर्थ जटिल है अर्थात् उसमें अनेक अर्थ छायाओं का मिश्रण है तो जबरदस्ती सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग भाषा को प्रसंग तथा मूल अर्थ के प्रतिकूल होगा और परिणामतः उसे अस्वाभाविक बना देगा। जिस प्रकार जटिल विचार शृंखलाओं के अभ्यस्त किसी सूक्ष्मचेता व्यक्ति को सरलता का अभिनय करते देखकर हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न होती है, इस प्रकार सूक्ष्म और जटिल विचार संघात की अभिव्यक्ति के लिए छोटे और सरल वाक्यों की बालक्रीड़ा की भयंकर प्रवंचना है। इस तरह की कृत्रिम और मिथ्या सरलता को मर्मी आचार्य लांजाइनस ने बालिशता कहा है। जिस प्रकार कृत्रिम अलंकार-मोह से व्यक्तित्व का ह्रास होता है उसी प्रकार सरलता के अभिनय से भी आत्मा का आकर्षण होता है: समाज के लिए मिथ्या वैभव और गरिमा का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति ज्यादा खतरनाक हैं जो सादगी का अभिनय करते हैं। इसी तर्क से भाषा के प्रसंग में भी कृत्रिम अलंकार सज्जा की अपेक्षा कृत्रिम सरलता अधिक अस्वाभाविक है, क्योंकि इस प्रकार की भाषा से प्रवंचना की आशंका अधिक रहती है। निष्कर्ष यह निकला कि भाषा की सरलता एक सापेक्ष गुण है जो प्रसंग और मूल अर्थ का अनुसारी है। जीवन के सरल सामान्य अनुभवों की माध्यम-भाषा की स्वाभाविकता एक प्रकार की होगी और सूक्ष्म-जटिल तथा गुम्फित अनुभूतियों की भाषा की स्वाभाविकता का रूप दूसरा होगा। राजनीति की बारीकियों को सरल और सहज हिन्दी में, छोटे-छोटे जुम्लों और बोलचाल के लफ्जों में अदा करने का आग्रह करना भाषा-विज्ञान और अभिव्यंजना शास्त्र के इस प्राथमिक नियम की अवमानना करना है।

1. आक्सफोर्ड डिक्शनरी (पाकेट)--चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ-1168

2. संस्कृत हिन्दी डिक्शनरी--सर मोनियर विलियम्स (1956 ई०), पृष्ठ-1812

1. प्यूरिलिटी--बचकानापन

जटिलता का अभाव—इसमें सन्देह नहीं कि जटिलता भाषा का दुर्गुण है। किन्तु जटिलता के दो रूप हैं—एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक जटिलता से अभिप्राय है अर्थ की जटिलता—अर्थात् चिन्तन की जटिलता। जहां चिन्तन की गति ऋजु न होकर जटिल और वक्र है वहां भाषा जटिलता से मुक्त नहीं हो सकती और यदि उसे सरल करने का बरबस प्रयत्न किया जायेगा तो वह सही अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकेगी। यहां मूल दोष चिन्तन का है। भाषा की जटिलता तो विचार की जटिलता की छाया है और विचार की छाया वाक्य-रचना आदि से है—अनभ्यस्त लेखक या अयोग्य लेखक अशुद्ध शब्द-प्रयोग, वाक्यांशों के अनुपयुक्त नियोजन आदि के द्वारा वाक्य-रचना को उलझा देते हैं जिससे अर्थ-व्यक्ति बाधित हो जाती है। यह दोष अनभ्यास और अयोग्यता से उत्पन्न होता है और उसका परिहार कठिन नहीं है।

आडम्बर और अलंकार से मुक्ति—सरल भाषा का एक गुण है आडम्बर और अलंकार से मुक्ति। यहां 'आडम्बर' शब्द के विषय में भ्रांति नहीं हो सकती, वह प्रत्येक स्थिति में दोष है और भाषा भी इसका अपवाद नहीं। जिस प्रकार हीनता-ग्रस्त व्यक्ति व्यवहार एवं रहन-सहन में आडम्बर का समावेश कर अपने अभाव को छिपाने की व्यर्थ चेष्टा करते हुए समाज में निन्दा के भागी बनते हैं उसी प्रकार अयोग्य लेखक भी भाषा को आडम्बरपूर्ण बनाकर साहित्य में निंदनीय बन जाते हैं। किन्तु अलंकार भाषा का दोष न होकर गुण, अलंकार-मोह या कृत्रिम अलंकार या अनुपयुक्त अलंकार ही भाषा का दोष हो सकता है। अलंकार जहां सहजात होता है वहां वह भाषा का अनिवार्य गुण बन जाता है—उससे सरलता बाधित नहीं होती। प्रायः अलंकार का प्रयोग अर्थ स्पष्ट करने के लिये ही किया जाता है। हमारा मन्तव्य जितना सादृश्य-मूलक अलंकार से साफ हो सकता है उतना रूढ़ शब्दार्थ से नहीं होता। अतः अलंकार को सरलता का विरोधी तत्त्व मानना ठीक नहीं है।

सही अभिव्यक्ति—अभीष्ट अर्थ की यथावत् अभिव्यक्ति सरल भाषा का अन्तिम और अनिवार्य लक्षण है। जिस प्रकार निश्छल हुये बिना व्यक्तित्व की सरलता असम्भव है इसी प्रकार अर्थ की निश्छल अभिव्यक्ति के बिना भाषा सरल नहीं बन सकती। अर्थ यदि अमिश्र है तो भाषा की सरलता अमिश्र वाक्य-प्रयोग आदि में निहित होगी, परन्तु यदि अर्थ में ही जटिलता है तो मिश्र वाक्य-प्रयोग और व्यंजक पर्यायों के बिना अर्थ-व्यक्ति सम्भव नहीं हो सकती। और, जहां अर्थ-व्यक्ति ही नहीं है वहां सरलता कैसी ?

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत प्रसंग में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं —

(1) भाषा अपने मूल और सहज रूप में माध्यम ही है—अर्थ (विचार और अनुभूति) से निरपेक्ष शब्द (अभिव्यक्ति) की सत्ता नहीं। अतः भाषा का कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता।

(2) इस तर्क के अनुसार भाषा की सरलता भी एक सापेक्षिक गुण है जो प्रसंग, वक्ता, बोधक्य आदि पर आश्रित है। वक्ता का मंतव्य यदि सरल है तो भाषा की सरलता एक प्रकार की होगी, पर उसका चिन्तन यदि सूक्ष्म एवं जटिल है तो भाषा की सरलता का रूप दूसरा होगा। उस स्थिति में तथाकथित सरलता अत्यधिक दुरूह बन जायेगी। छोटे-छोटे जुम्लों और बोलचाल के लफ्जों का नुस्खा हर मर्ज में काम नहीं आ सकता।

(3) इसमें सन्देह नहीं कि शब्दावली और वाक्य-रचना का भाषा की सरलता के साथ सम्बन्ध है, किन्तु यह सम्बन्ध अनिवार्य नहीं है—अर्थात् कोई विशेष प्रकार की शब्दावली तथा वाक्य-रचना भाषा को सरल बनाती है—ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। संस्कृत के तत्सम शब्दों से भाषा कठिन बन जाती है और बोल-चाल के शब्दों से सरल—अथवा लम्बे वाक्यों का प्रयोग भाषा को दुरूह और छोटे वाक्यों का प्रयोग उसे सरल बनाता है, यह कोई अकाट्य तर्क या विधान नहीं है। कभी-कभी बोलचाल के शब्दों से मतलब एक दम दुरूह हो जाता है और छोटे-छोटे वाक्य अर्थ को खंड-खंड कर बुरी तरह उलझा देते हैं।

(4) वक्ता के अतिरिक्त श्रोता पर भी भाषा का स्वरूप आश्रित रहता है और सरलता भी इसका अपवाद नहीं है। अर्थात् भाषा की सरलता का निर्णय उस जनसमुदाय की बहुसंख्या की बोध-शक्ति के आधार पर होना चाहिए जिसके लिए उसका प्रयोग होता है या जो उसका प्रयोग करता है। सरलता का अर्थ सुबोधता है और सरल भाषा वही है जो भारत की बहुसंख्यक जनता के लिए सुबोध हो। राष्ट्र-भाषा की सुबोधता का निर्णय राष्ट्र के समग्र आयाम को दृष्टि में रखकर करना होगा।

प्रस्तुत भूमिका में इस बात के लिए खेद-प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है कि भाषा की सरलता की व्याख्या करने में मेरी अपनी भाषा, वर्ग विशेष में प्रचलित धारणा के अनुसार कदाचित सरल नहीं रह सकी, क्योंकि जैसा कि मैंने आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है, सरलता जितनी सरल है उसका स्वरूप-विश्लेषण उतना ही कठिन है। मैंने यहां केवल सिद्धांत-विवेचन ही किया है, उदाहरण देने के लोभ का जानबूझकर संवरण किया गया है—क्योंकि मेरा उद्देश्य हिन्दी के विरुद्ध वर्ग-विशेष के आक्षेपों का उत्तर देना उतना नहीं रहा जितना कि समस्या के मूल तत्त्वों का उद्घाटन करना।

●●●

राजभाषा हिंदी : शब्दस्रोत-विवक्षा

--डा० त्रिभुवननाथ शुक्ल
अध्यापक, हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विभाग,
जबलपुर विश्वविद्यालय

राजभाषा हिन्दी में विभिन्न भाषाओं के शब्द आकर ऐसे रचपच गए हैं कि उनके मूल स्रोत का ज्ञान सहज रूप में नही हो पाता। हिन्दी में विभिन्न भाषाओं से आगत ऐसे शब्दों की दो कोटियां हैं : पहली--स्वमूलीय और दूसरी--अन्यमूलीय हिन्दी-शब्द स्रोतों के अभिज्ञान की दृष्टि से दूसरी कोटि का विशेष महत्व है । यहां दोनों कोटियों के शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है ।

हिन्दी में आगत 'स्वमलीय' शब्द

हिन्दी में आगत वे शब्द जिनका मूल स्रोत उनकी ही भाषा है, अन्य कोई भाषा नहीं । जैसे फारसी से आगत 'गुजारा' शब्द । यह शब्द आज हिन्दी में 'जीवन बसर' के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है । फारसी में इस शब्द का आदान किसी अन्य भाषा से नहीं हुआ, अपितु इसका मूल स्रोत फारसी ही है । अतः यह स्वमूलीय शब्द के रूप में व्यवहृत किया जाएगा । भाषा की अपनी प्रकृति के अनुसार हिन्दी ने इस प्रकार के शब्दों का ग्रहण अपनी प्रकृति के अनुसार किया है । यहां हिन्दी में आगत ऐसे शब्दों के प्रयुक्त रूप और कोष्ठक में उनके मूल रूप (जिस रूप में अपनी भाषा में प्रयुक्त हैं) दिया जा रहा है ।

(1) अरबीमूलीय

इंतजाम (इंतिजाम) इनाम (इनआम), मुहल्ला/मोहल्ला (महल्ला), आइना (आइन), फिजूल (फ़ुजूल), नगद (नकद), परवाह (परवा), लावारिस, लापता ।

अन्य बहुप्रयुक्त शब्द

असर, असल, इजलास, इज्जत, इनकार, इनसान, इनाम, कमाल, कलम कसर, कसाई (क़साई) किताब, किला, कीमत, कैथ, खजाना (ख़ज़ाना), खत (ख़त), खतरनाक (ख़तरनाक), खबर (ख़बर), गैरहाजिर, तबला, तसवीर, ताकत, तूफान, दहेज, दिमाग, मकान, महल, लिफाफा, वादा (वाइदा), शहद, सन्दूक, सड़क आदि ।

(2) फारसीमूलीय

हिन्दी में अन्य भाषाओं से आगत शब्दों में (अंग्रेजी को छोड़कर) फारसी-शब्दों की संख्या सर्वाधिक है । ऐसे शब्दों की कुल संख्या 2496 है जब कि हिन्दी में आगत अरबी शब्दों की संख्या 2156 है । यहां हिन्दी में आगत ऐसे फारसी शब्दों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनको मूल फारसी शब्द के रूप में आसानी से पहचान पाना संभव नहीं होता । ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं :--

अंगूर, अदरक, अनार, आईना, आसमान, कंद, कमर कारखाना, खरगोश (ख़रगोश), खानदान (ख़ानदान), खुशी (ख़ुशी), खून, (ख़न), खैर, गंदा, चश्मा, जवान, दर्जी, नमक, प्याज, बरफी, बादाम, मेज, मेहमान, मेहतर, रिश्ता, शहर, सरकार, सिपाही ।

(3) तुर्कीमूलीय

हिन्दी में आगत तुर्की शब्दों की संख्या अत्यल्प है । यह संख्या 70 के लगभग है । विवेच्य विषय के अनुसार यहां कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं :--

उजबक, कनात, कमची, कुरता, कुरती, कुलाच, कुली, चकत्ता, चाकू, चोगा, तलाश, पाशा आदि ।

(4) पश्तोमूलीय

पश्तो से आगत प्राप्त दो शब्दों का उल्लेख मिलता है। पठान और उसका स्त्रीलिंग रूप पठानी । किन्तु कुछेक विद्वानों ने हिन्दी में पश्तो भाषा के शब्दों की संख्या 100 तक गिना दी है, जो कदाचित विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती । इसका सही उल्लेख पश्तो और हिन्दी दोनों भाषाओं के परस्पर समान ज्ञान रखने वाले अनुसंधित्सु ही कर सकते हैं ।

हिन्दी में 'आगत' अन्यमूलीय शब्द

यहां अन्यमूलीय मूल शब्द से तात्पर्य हिन्दी में आगत उन शब्दों से है, जो अपनी भाषा के मूल शब्द नहीं हैं, अपितु दूसरी भाषा से आए हैं । इस प्रकार की शब्दावली में अंग्रेजी से आगत शब्दों का बाहुल्य है । जैसे--अंग्रेजी के 'मीटर' शब्द का मूल स्रोत ग्रीक भाषा का 'मेट्रोन' (Metron) शब्द है। हम सामान्यतः इसे अंग्रेजी भाषा का ही शब्द समझते हैं, जो कि मूलतः ग्रीक भाषा का है । यहां इसी प्रकार के अन्य अति प्रचलित शब्दों को दिया जा रहा है । इन शब्दों का प्रचलित रूप देवनागरी

अरबी में 'ला' उपसर्ग है जिसका अर्थ--'विना' है ।

में एवं अंग्रेजी रूप रोमन लिपि में और यदि मूल रूप कुछ भिन्न हैं, तो उन्हें कोष्ठक के अन्तर्गत रोमन लिपि में दिया गया है।

कार्यालयीन शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

स्टेनोग्राफर—Stenographer (Stenos+grapho)

(2) लैटिनमूलीय

आफिस—office (officium), सेक्शन—Section (Sectio), सील—Seal (Sigillum), अपील—Appeal (Appellar), सम्मन—Summon (Submonere), सैशन—Session (Sessio/Sessionis)

(3) इटैलियनमूलीय

गजट—Gazette (Gazetta पोस्ट—Post (Posta)

खेलकूद संबंधी शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

ओलंपिक— Olympic, स्टेडियम—Stadium (Stadion)

(2) फ्रेंचमूलीय

टूर—Tour, टूर्नामेन्ट—Tournment (Tourneiment)

औषधालयीन शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

आयोडिन–Iodin (Iodus), एलोपैथी–Allopathy (Allos+Pathos), सर्जन–Surgeon (Cheir+ergon) थर्मामीटर–Thermameter (Thermos+metrou)

(2) लैटिनमूलीय

इंजेक्शन—Injection (Injicis), आपरेशन—operation (operor) कैंसर—cancer, टानिक—Tonic (Tonicus), टिंचर—Tincture (Tinctury), डाक्टर—Dcctor (Doctum), डिसपेन्सरी— Dispensary (Dispenso), नर्स—Nurse (Nutrix/Nutricis), पोस्टमार्टम–Postmortem (Post+mors), प्लेग—Plague (Plaga प्रेशर—Pressure

(3) फ्रेंचमूलीय

अस्पताल—Hospital

(4) इटैलियनमूलीय

इंफ्लूएंजा—Influenza, मलेरिया–Malaria (Mala+aria)

(5) जर्मनमूलीय

होम्योपैथी—Homoeopathy

यातायात संबंधी शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

टिकट—Ticket (Stecken), ट्रक—Truck (Trochos) ड्राईवर—Driver (Drive)

रेल— Rail (Reigel ग्रीक और लैटिन दोनों में प्राप्त रूप)

(2) लैटिनमूलीय

एक्सप्रेस—Express (लैटिन Expinis और फ्रेंच Expresser के रूप में प्रयुक्त), कंडक्टर—Conductor (Conductus), जंक्शन –Junction (Junctio), टैक्सी–Taxi (Taxo/Taxare), ट्रेन—Train (Trahere), डिपो–Depot (Depons),

फेयर– Fare (Ferise)

बस–Bus (omnis/omnibus), स्टाप– Stop (Stuppa), मोटर Motor (Moves),

लाइन Line (Linea), सिगनल Signal (Signum),

मनी– Money (Moneta)

(3) फ्रेंचमूलीय

कंपार्टमेंट– Compartment (Compartiment), प्लेटफार्म—Plate Form (Plate + Forme),

एअर—Air, ब्रुश Brush (Brosse), ब्लाउज—Blouse, सूट–suit

राजनीतिक शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

स्कीम– Scheme (Shema)

(2) लैटिनमूलीय

वोट–Vote (Votum), सेशन– Session (Sessum), एंबेसेडर–Ambassador (Latin—Ambactus और French Ambassadeur के रूप में प्रयुक्त)

(3) फेंचमूलीय

असेम्बली–Assembly (Assemblee)

कम्यूनिज्म—Communism (Communisme)

रासायनिक शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

आक्सीजन–Oxygiene (oxys+gen)

नाइट्रोजन–Nitrogen (Nitron & gennaein),

प्रोटीन Protein (Protastin)

हाइड्रोजन Hydrogen (Hydron+gen)

(2) लैटिनमूलीय

कैल्शियम—Calcium (Calx),

पेट्रोलियम–Petroleum (Petra +oleum)

रेडियम—Radium

दैनिक जीवन संबंधी शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

चेरी–Cherry (Keresas), स्पंज—Sponge (Spongia इसी रूप में लैटिन में भी प्राप्त)

(2) लैटिनमूलीय

अलबम–Album (Albus), एलार्म–Alarm (Ad+Arma कैलेंडर—Calendar (Calendarium)

कोट–Coat (Cota), डायरी—Diary (Diarium)

(3) फ्रेंचमूलीय

ट्रंक—Trunk (Tronce), डिनर—Dinner (Diner) पतलून—Pantaloon (Pantalon), बिस्कुट—Biscuit. (Bescoit)

शिक्षा, संस्कृति एवं कलाविषयक शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

स्कूल–School (Greek—'Schole' और Latin 'Schola' के रूप में प्राप्त), आर्केस्ट्रा—Orchestra, सिनेमा—Cinema (Kinema)

(2) लैटिनमूलीय

इंटरमीडिएट—Intermediate (Intermedius) पास–Pass (Passus), मास्टर–Master (Mag ister), मैट्रीक्यूलेशन—Matriculation, सर्कस—Circus

(3) फ्रेंचमूलीय

पेनल—Panel (old French), बैलट—Ballot (Bollotte)

व्यापारिक शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

किलो–Kilo (Chilisi), मीटर—Meter (Metron)

(2) लैटिनमूलीय

अकाउंट—Account (Ad+Computo), एजेंट–Agent (Agentis)
एजेंसी Agency (Agens), आडीटर—Auditor (Auditus)
बैलेंस—Balance (Bilanx), बोनस–Bonus (Bouus)
इंच—Inch (uncia)

(3) फ्रेंचमूलीय

स्टैंडर्ड—Standard (Estandart—old French), बैंक—Bank (Banque)

तकनीकी शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

डायनमो—Dynamo (Dynamis)

(2) लैटिनमूलीय

आपरेटर–Operator (operor), इंसपैक्टर–Inspector (Inspicio)

(3) फ्रेंचमूलीय

कंट्रोल—Control (Controle), फाउंड्री—Foundry (Fonderie)

सैनिक शब्दावली

(1) ग्रीकमूलीय

एंटी–Anti, एअर–Air (Aer)

(2) लैटिनमूलीय

आर्म–Arm (Arma), फोर्स–Force (Fortis) बम–Bomb (Bombus), यूनिट–Unit (unitars) रंगरूट–Recruit, रिज़र्व–Reserve (Reservo), रिवाल्वर–Re+volver (Re-volvo), रेगुलेशन—Regulation Regula)

(3) फ्रेंचमूलीय

आर्मी–Army (Armee), बटालियन–Battalion (Battailon)

ये सभी शब्द, अब उन भाषाओं के न होकर, हिन्दी के अपने शब्द हो गए हैं। यही कारण है कि इन शब्दों को विदेशी भाषा के शब्दों के रूप में अब पहचान पाना कठिन सा हो गया है। जहां हिन्दी ने आवश्यकतानुसार अन्य भाषाओं से शब्दों का आदान किया है, वहीं वह अपनी व्यापक प्रकृति के कारण विश्व की कई भाषाओं को अपने शब्द प्रदान कर उनकी अभिव्यक्ति में भी सहायक हुई है। विश्व की अनेकानेक भाषाओं में प्रयुक्त हिन्दी शब्दों को लेकर—'विश्व भाषाओं को हिन्दी का योगदान' शीर्षक से एक सारगर्भित लेख ही नहीं अपितु 'शोध प्रबंध' लिखा जा सकता है। आज इसकी आवश्यकता भी है। इस दिशा में कुछ प्रयास हुए भी हैं। कभी सुयोग आने पर इसका समुद्घाटन हो सकेगा।

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएं।

राजभाषा—त्रिभाषा

—डा० मनमोहन गौतम

भू० पू० प्राध्यापक, डा० जाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली

स्वतन्त्रता से पूर्व देश में भाषा सम्बन्धी मतभेद इतने उग्र नहीं थे। महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी श्री, आशुतोष मुखर्जी जैसे अहिन्दी भाषी मनीषी हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे और इसीलिए जब देश स्वतन्त्र हुआ तब हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया और संविधान में हिन्दी को राजभाषा तथा देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। यह निर्धारण किया गया कि पन्द्रह वर्ष की अवधि के उपरान्त सहभाषा अंग्रेजी पदच्युत हो जायेगी और हिन्दी को राजभाषा का गौरव पद स्वत: प्राप्त हो जायेगा। किन्तु पन्द्रह की कौन कहे, पैंतीस वर्षों बाद भी हिन्दी को अपने स्थान पर आसीन होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया।

समग्र राष्ट्र में व्यवहृत भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। यह तो निर्विवाद है कि हिन्दी ही ऐसी देशी भाषा है जिसके द्वारा हिमालय से कुमारी अंतरीप और असम से अमृतसर तक विचारों का आदान-प्रदान होता है। अंग्रेजी तो अंग्रेजों के द्वारा देश पर थोपी हुई भाषा थी। उनके लाख प्रयत्न करने पर भी पांच प्रतिशत से अधिक भारतीय इस भाषा से परिचित नहीं हो सके थे। यह सब स्पष्ट होने तथा संविधान का समर्थन पाने पर भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में तीव्र मतभेद उठा। उसका एक कारण यह था कि कतिपय अहिन्दी भाषियों को भ्रम हुआ कि एक प्रदेश की मातृ-भाषा हिन्दी की अन्य प्रान्तों की भाषाओं पर छा जायेगी। वस्तुत: हिन्दी तो किसी भी राज्य मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा नहीं है। यदि विचार पूर्वक देखें तो हिन्दी भाषी कहे जाने वाले प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। हरियाणा में हरियानवी, हिमाचल में पहाड़ी, उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी एवं भोजपुरी, बिहार में भोजपुरी, मगही में मैथिली, मध्य प्रदेश में बघेली, छत्तीस-गढ़ी और राजस्थान में राजस्थानी मातृभाषाएं हैं। हिन्दी नामकरण तो उस प्राचीन बोली को अमीर खुसरो द्वारा दिया गया था जो उस काल में दिल्ली में बोली जाती थी। इसीलिए केवल मुसल-मानों ने इसे हिन्दुई, हिन्दवी या हिन्दी नाम दिया था, संस्कृत या हिन्दी के किसी प्राचीन लेखक ने हिन्दी भाषा का नाम नहीं लिया है। इस (बोली) का बोली रूप लुप्त हो गया है। तत्कालीन सरकार से प्रतिष्ठित एवम् सुसभ्य लोगों के व्यवहार में आने के कारण आरम्भ से ही यह परिनिष्ठित एवं टकसाली रूप में आ गयी थी। इस प्रकार संयोगवश हिन्दी जन्मकाल में ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी और मुसलमानी राज्य के प्रसार के साथ सुसभ्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ यह सारे देश में पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में फैलती गयी। यद्यपि मुगल राजस्व काल में, फारसी राजभाषा थी तथापि इसको इतनी लोकप्रियता मिली कि अकबरी दरबार में रहीम, बीरबल आदि के साथ स्वयं अकबर बादशाह भी हिन्दी में कविता लिखने लगे थे। उत्तर की हिन्दी ही दक्षिण में जाकर दकनी या दक्खिनी हिन्दी बनी। दक्षिण में भाषा का व्यावहारिक रूप तो ऊपर जैसा ही था किन्तु जब वहां के लोगों को शब्द-भंडार का अभाव हुआ तो अरबी-फारसी के शब्द उसमें प्रवेश पाने लगे। कालान्तर में परिवर्तित होकर उत्तर भारत में वही उर्दू के नाम से जानी गयी। तात्पर्य यह कि हिन्दी किसी राज्य विशेष की मातृभाषा न होकर समग्र राष्ट्र की भाषा आरम्भ से बनी और आज तक सारे देश में उसका परिनिष्ठित रूप ही व्यवहार में आता रहा है।

राजभाषा के गौरव पद को देख कर देश की राज्य भाषाओं में स्पर्धा का भाव आया और लोग यह समझने लगे कि हिन्दी जो एक प्रदेश की राज्य भाषा है राजभाषा बनेगी और फिर वह राज्य भाषाओं के विकास में बाधक होगी। यदि ध्यान से देखा जाए तो हिन्दी किसी भी राज्य भाषा के मार्ग में रोड़े नहीं बिछाती। बंगला, असमिया, उड़िया, तेलुगु, तमिल अपने क्षेत्र में पूर्णरूपेण पनपीं और अपने-अपने राज्य की भाषाओं के रूप में व्यवहृत हो रही हैं। हिन्दी ने यदि किसी की उन्नति रोकी है तो अपनी ही विभाषाओं की। ब्रज में कितना विशाल और सक्षम साहित्य है। उसमें गद्य और पद्य दोनों थे, आज भी उसमें काव्य-रचना हो रही है, किन्तु उसका विकास रुक गया। गो० तुलसीदास तथा मलिक मुहम्मद जायसी जैसे अनेक सूफी कवियों ने अवधी का कोष भरा था, आज भी अवधी के कवि हैं। भोजपुरी, हरियानवी और मगही के लोक गीत बड़े मधुर और सांस्कृतिक वैभव से भरपूर हैं। मैथिली और राजस्थानी में भी प्रभूत साहित्य है।। इन राज्य विभाषाओं के दब जाने से ही इन के अपने राज्य नहीं बने और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य बन गये। अच्छा होता यदि ब्रज प्रान्त, अवधी प्रान्त, भोजपुरी प्रान्त, मैथिली प्रान्त, मगही प्रान्त, बघेली प्रान्त, छत्तीसगढ़ी प्रान्त भी बनते और इन प्रान्तीय भाषाओं और प्रान्तों में भी वैसा ही प्रशासन होता जैसा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में है। ऐसा होने पर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के जागरूक नेताओं के हृदयों पर हिन्दी के प्रति विद्रोह की अग्नि न भभकती।

देश में दो ही प्रकार की भाषाएं हैं, एक तो वे जो संस्कृत से विकसित हुई है। ये हैं--हिन्दी, बंगला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, सिंधी और पंजाबी। इन सबका का मूल एक होने से हिन्दी का विरोध नहीं है, एक दूसरे से आदान-प्रदान भी चलता रहता है। दूसरी भाषाएं हैं द्रविड़ मूल की तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ये भाषाएं हैं तो सर्वथा भिन्न फिर भी यहां के लोग संस्कृत के प्रति विशेष उन्मुख रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य आदि दक्षिण के थे और उन्हीं लोगों ने उत्तर भारत में अपने मतों का प्रचार किया था। आज भी इन भाषाओं में संस्कृत शब्द-भंडार की समृद्धि पूर्णरूपेण है। सभी देवनागरी से सुपरिचित हैं अतः संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के प्रति इनका विरोध मौलिक नहीं हो सकता। इन प्रदेशों के लोगों ने विदेशी भाषा अंग्रेजी पर जब इतना अधिकार कर लिया तो इनके लिए देशी भाषा हिन्दी पर अधिकार करना कौन-सी कठिन बात है? उर्दू हिन्दी की ही एक शैली है। हिन्दी और उर्दू का चोली दामन का सम्बन्ध है। उर्दू का प्रयोग नगरों के पढ़े-लिखे लोग ही करते हैं उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाएं एक दूसरे के साहित्य को समृद्ध करती चली आ रही हैं।

राजभाषा सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही कदाचित् त्रिभाषा सूत्र का समाधान प्रस्तुत किया गया। त्रिभाषा स्कूल स्तर पर चलती है। यदि स्कूल स्तर पर त्रिभाषा का समाधान मान्य हो जाए तो आगे चलकर अपने आप स्थिति ठीक हो सकती है। प्रारम्भिक शिक्षा की नींव पर ही देश की भावी विचारधारा की भित्ति खड़ी होती है। यदि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त होते-होते नवयुवकों में भाषा सम्बन्धी दुविधा समाप्त हो जाए तो और कोई समस्या इस प्रकार की उपस्थित नहीं हो सकती। त्रिभाषा फार्मूला के रूप में मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, राजभाषा और वैकपल्पिक भाषाएं रखी गयीं। हर विद्यार्थी माध्यमिक कक्षा तक अनिवार्य रूप से तीन भाषाएं पढ़ता है। एक भाषा माध्यमिक कक्षा अर्थात् 8वीं के अन्त में और दूसरी उच्चतर माध्यमिक अर्थात् 10वीं तक के अंत में समाप्त कर दी जाती है। उच्चतर माध्यमिक कक्षा में केवल एक भाषा ही अनिवार्य रूप से रह जाती है। इस पद्धति में जो वैकल्पिक भाषाएं माध्यमिक कक्षा तक ही पढ़ाई जाती हैं वे बाद में विद्यार्थियों को बिल्कुल विस्मृत हो जाती हैं। स्कूलों का माध्यम राज्यों में प्रादेशिक भाषा होती है, अतः उच्च माध्यमिक कक्षा तक उस भाषा को सीखना प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक है। राजभाषा हिन्दी या अंग्रेजी होने के कारण ये भाषाएं ही उच्चतर माध्यमिक श्रेणी तक जा सकती हैं। संस्कृत न तो मातृभाषा है, न प्रादेशिक, न राजभाषा, इसलिए इस त्रिभाषा पद्धति का सबसे बड़ा कुप्रभाव संस्कृत पर पड़ा। जिस संस्कृत वाङ्मय का प्रभाव भारतवर्ष के समस्त आधुनिक साहित्य पर है, जो विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो देश की समस्त भाषाओं की आधारशिला है, उसे देश का अधिकांश छात्र वर्ग केवल माध्यमिक कक्षा तक पढ़ कर छोड़ देता है। स्वाभाविक है कि इस कच्ची आयु में पढ़ा हुआ संस्कृत का स्वल्प ज्ञान सदा के लिए हाथ से जाता रहता है। विश्वविद्यालय की कक्षाओं में विद्यार्थी संस्कृत कैसे पढ़ पाएंगे? इस प्रकार त्रिभाषा पद्धति संस्कृत के मूल पर ही कुठाराघात करती है। यह अपने आप में बड़ा ही चिन्त्य विषय है।

संविधान के अनुसार राजभाषा हिन्दी है और अंग्रेजी कुछ काल तक के लिए सहभाषा है। त्रिभाषा पद्धति में हिन्दी को अनिवार्य नहीं किया गया। अंग्रेजी में सरकारी काम काज होता चला जा रहा है, इसलिए अंग्रेजी की उपयोगिता लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। स्वतंत्र भारत में देश की आर्थिक अवस्था और रहन-सहन के स्तर में जो बढ़ोत्तरी हुई उसका एक परिणाम यह भी देखा जाता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजियत का चाव लोगों में बढ़ा है। अधिकांश माता-पिता अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेजकर पहले अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाना चाहते हैं फिर मातृभाषा की। इस कारण प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी अधिक लोकप्रिय हो रही है। विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी है। विज्ञान और वाणिज्य जो आज अधिक लोकप्रिय हैं, अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि राजभाषा हिन्दी को प्रादेशिक भाषाओं पर थोपा न जाए किन्तु यदि ध्यान से देखा जाए तो अंग्रेजी प्रादेशिक भाषाओं और राजभाषा हिन्दी पर थोपी हुई है। त्रिभाषा समाधान ने इस सम्बन्ध में कुछ भी सहायता नहीं की, प्रत्युत विपरीत स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रादेशिक भाषाएं अधिक से अधिक उच्च माध्यमिक कक्षा तक पढ़ाई जाती हैं। अतः विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उनको विशेष स्थान नहीं मिलता। राजभाषा हिन्दी को विकसित होने का कोई सुअवसर अहिन्दी प्रान्तों में नहीं मिल सकता। हिन्दी प्रदेश कहे जाने वाले प्रान्तों में यदि छात्रों ने माध्यमिक कक्षा में बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं को पढ़ भी लिया तो व्यवहार में न आने के कारण उनका पढ़ा-पढ़ाया ज्ञान भी थोड़े दिन बाद ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार त्रिभाषा फार्मूले ने प्रादेशिक भाषाओं और राजभाषा हिन्दी के विकास में बड़ा ही व्यवधान उपस्थित किया है।

राजभाषा हिन्दी समग्र देश की भाषा है। यह किसी प्रदेश की मातृभाषा नहीं है। इसकी गति सदा से विकास की ओर रही है। इसने परिवर्तन को सदा स्वीकार किया है। ध्यान से देखें तो बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि के शब्द रूप और विभक्तियां आदि हिन्दी की अपेक्षा संस्कृत के निकट अधिक हैं। उदाहरण के लिए बंगला में 'नन्द के नन्दन' स्थान पर 'नन्देर नन्दन' कहा जाता है। हिन्दी शुद्ध वियोगात्मक विभक्तियों में है जबकि बंगला, मराठी, पंजाबी आदि में संस्कृत की भांति कुछ संयोगात्मकता है। हिन्दी के शब्द भंडार में उर्दू तथा तद्भव शब्दावली की ओर झुकाव है जबकि देश की समस्त उत्तर और दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत शब्द भंडार पर्याप्त मात्रा में हैं। हिन्दी समस्त भाषाषों की उक्तियों का स्वागत करती है। उर्दू के मुहावरे भरे पड़े हैं, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा दक्षिण तक की सूक्तियां हिन्दी में धीरे-धीरे आती जा रही हैं। हर प्रदेश में हिन्दी के अच्छे लेखक उत्पन्न हो रहे हैं।

हर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वहीं के विद्वान हिन्दी के प्रोफैसर हो रहे हैं। तात्पर्य यह कि हिन्दी अब उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की भाषा न होकर सारे देश भी भाषा है। यदि निराधार पक्षपात छोड़ दिया जाए तो हिन्दी सर्वप्रिय हो सकती है। किसी भी प्रादेशिक भाषा-भाषी को उससे स्पर्धा करने का कोई अवसर नहीं है।

त्रिभाषा समाधान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उसमें संशोधन अपेक्षित हैं। भाषाओं का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक होने के कारण तीनों भाषाओं को उच्च माध्यमिक कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। हिन्दी राजभाषा है अतः इसकी पढ़ाई सारे देश में आरम्भिक कक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षा तक अनिवार्य होनी चाहिए। वैकल्पिक भाषा के रूप में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी तथा समस्त प्रादेशिक भाषाएं--बंगला, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, सिंधी और पंजाबी होनी चाहिए। वैकल्पिक भाषा की पढ़ाई भी उच्चतर कक्षा तक की जानी चाहिए जिससे विशेष अध्ययन करने वाले छात्र विश्व-विद्यालय में उस साहित्य को पढ़ सकें। प्रादेशिक भाषा की पढ़ाई उच्च माध्यमिक कक्षा तक होनी चाहिए।

उपर्युक्त संशोधित त्रिभाषा फार्मूले का परिणाम भी दष्टव्य है। राजभाषा-कार्यान्वयन के लिए सरकार भगीरथ प्रयत्न कर रही है फिर भी उसमें पर्याप्त प्रगति नहीं हो पा रही है। यदि त्रिभाषा फार्मूले में राज भाषा को अनिवार्य रूप से रखा गया होता तो आज देश का सारा कार्य सुगमता से हिन्दी में होने लगता। अब भी यदि यह लागू कर दिया जाए तो समस्या का हल सामने आयेगा। स्कूल स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे के नागरिक बनेंगे और तब उनके मन में किसी प्रकार का भाषा-द्वेष नहीं होगा। यह किया जा सकता है कि द्रविड़ भाषी छात्रों के लिए सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी का विकल्प कुछ दिन तक बना रहने दिया जाए। इस विकल्प के होने पर भी यदि स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जायेगी तो अहिन्दी भाषी छात्रों को हिन्दी की ओर बढ़ना कठिन न होगा। वे जिस प्रकार अंग्रेजी में अग्रसर हैं वैसे ही हिन्दी में भी सिद्धि प्राप्त करें।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम भिन्न-भिन्न भाषाएं होने जा रही हैं। इस प्रकार एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में स्थानान्तर होने वाले व्यक्तियों की संतानों को बहुत ही कठिनाई होगी। यदि ऊपर प्रस्तावित फार्मूले के अनुसार सारे देश में हिन्दी उच्चतर माध्यमिक कक्षा तक पढ़ाई जाए तो सारे देश के विश्व-विद्यालयों में एक ही माध्यम---हिन्दी हो सकेगा। साथ ही जिन छात्रों की संस्कृत और अंग्रेजी आदि साहित्य के प्रति विशेष रुचि है वे इन साहित्यों का अध्ययन सुचारू रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर कर सकेंगे। प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य का भी पठन-पाठन समग्र देश में होता रहेगा। इस प्रकार भाषावार का राज्यों तथा केन्द्र की भाषा-समस्या का समाधान हो जायगा।

राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है और उसकी रूप रचना भी जनता ही करती है किन्तु राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है और सरकार उसकी उपस्थापना करती है। मुगलकाल के राज्य-शासन में फारसी और अंग्रेजी राज्यत्वकाल में अंग्रेजी, राजभाषा थी। इनको सरकार ने जनता के ऊपर आरोपित किया था। जनता इन भाषाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थी, दुर्बोध होते हुए भी इन्हें स्वीकार करना पड़ा था। राजभाषा हिन्दी को भी भारतीय संविधान ने निर्धारित किया है। यह भी निर्विवाद है कि इसके अतिरिक्त और कोई भाषा देश की राजभाषा नहीं हो सकती और इसी के द्वारा ही समस्त देश का हित संभव है। अतः यदि प्रशासन अपने ही निश्चय को लागू करने में हिचक दिखाएगा तो देश का कल्याण सम्भव नहीं है। प्रजातन्त्र शासन में अल्पमत का ध्यान तो रखा जाता है किन्तु उसके दुराग्रह से भयभीत होने पर शासन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। ऐसी अवस्था में समग्र देश को दृष्टि में रखकर राजभाषा और त्रिभाषा का न्याय विधान होना चाहिए। ●●●

"सबको हिन्दी सीखनी चाहिए। इसके द्वारा भाव-विनिमय से सारे देश को सुविधा होगी।"

---चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

संघ सरकार की राजभाषा नीति और उसका अनुपालन

—राजमणि तिवारी
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
एवं सम्पादक, राजभाषा विभाग

लगभग दो शताब्दियों की परतंत्रता के पश्चात् 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दुर्दमनीय दासता का अंत हुआ और स्वावलम्बन तथा स्वाभिमान के स्वर्णिम युग का उदय हुआ। देश ने नई करवटें लीं और नई उमंगों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान का व्रत धारण किया। देश के शासन की बागडोर राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थ हाथों में आई। उस भविष्यचेता कर्णधार ने उसके सफल संचालन में कोई कसर नहीं रखी। देश को समुन्नत और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कृषि, वाणिज्य उद्योग-धन्धों आदि के विकास के लिए वृहद् योजनाओं का श्रीगणेश हुआ किन्तु इनके सफल कार्यान्वयन के लिये ब्रिटिश काल की जर्जर शासन प्रणाली सक्षम नहीं थी अतः कई वर्षों के अनवरत परिश्रम के पश्चात भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को नया संविधान प्रदान किया। यह संविधान राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि की कल्पना का मूर्तिमान स्वरूप है। इस संविधान को भारत के लोगों ने भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। इसमें न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों, उनके उत्थान के लिये मार्ग-दर्शी सिद्धांतों, केन्द्र और राज्यों के संबंधों, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण आदि से संबंधित व्यवस्थाओं का समावेश है बल्कि इसमें प्रशासन के सुचारू-संचालन के लिये राजभाषा संबंधी सुविचारित व्यवस्था भी दी गई है। यह व्यवस्था बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के उदात्त विचारों पर आधारित है।

वर्षों पूर्व राष्ट्र के सुधी चिन्तकों ने संघ शासन के लिये विदेशी भाषा के स्थान पर एक भारतीय भाषा की संकल्पना की थी। संविधान में उनकी यह भावना मूर्त रूप में प्रकट हुई और संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। किन्तु उदारचेता संविधान निर्माताओं ने उन नागरिकों एवं कर्मचारियों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, जिन्हें पहले से हिन्दी का अच्छा ज्ञान नहीं था, यह भी घोषित किया कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा. किन्तु राष्ट्रपति महोदय इस अवधि में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग की भी अनुमति दे सकेंगे। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संसद अधिनियम बनाकर 15 वर्षों के पश्चात् भी अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान भी किया गया कि संविधान के लागू होने के 5 वर्षों के पश्चात् देश के सभी भाषा-वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भाषा आयोग बनाया जाएगा जिसकी सिफारिशों पर संसद के 30 सदस्यों की एक समिति विचार करेगी। उक्त भाषा आयोग और संसदीय समिति ने क्रमशः 1956 और 1958 में प्रस्तुत की गई अपनी-अपनी रिपोर्टों में यह सिफारिश की कि 26 जनवरी, 1965 के पश्चात् भी हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहना चाहिए। तदनुसार 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और संसद तथा संघ सरकार के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग के साथ-साथ अंग्रेजी के भी चलते रहने की व्यवस्था की गई। 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि जिन राज्यों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है उनके साथ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से केवल अंग्रेजी में पत्र व्यवहार किया जाएगा। हिन्दी भाषी राज्य भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। किन्तु यदि ऐसे राज्य आपस की सहमति से यह व्यवस्था करें कि वे परस्पर हिन्दी में पत्र व्यवहार करेंगे तो उन्हें ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इस संशोधित अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि अंग्रेजी का प्रचलन तब तक बना रहेगा जब तक अहिन्दी भाषी राज्य सरकारें अपनी विधान सभाओं द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं करती और जब तक उनके आधार पर संसद द्वारा भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाता। किन्तु इस संशोधन के साथ केन्द्र तथा हिन्दी भाषी राज्यों द्वारा परस्पर हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करने की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं केन्द्रीय कार्यालयों के कुछ प्रमुख प्रलेखों (दस्तावेजों) को अनिवार्यतः हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार केन्द्रीय प्रशासन में एक द्विभाषिक स्थिति प्रारम्भ हुई है जिसके दीर्घकाल तक चलते रहने की संभावना प्रतीत होती है।

राजभाषा अधिनियम के प्रमुख उपबन्ध इस प्रकार हैं :—

1. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिये जिनके लिए

26 जनवरी, 1965 के तत्काल पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद के कार्य के लिये 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

2 केन्द्रीय सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिए हिन्दी के प्रयोग को स्वीकार न किया हो। इसी प्रकार, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें भी ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेंगी और यदि उनके द्वारा ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो साथ में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जायेगा। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

3 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक किसी पत्र का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा। इस प्रकार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हिन्दी में पत्र-व्यवहार की पूरी सुविधा प्राप्त है। अनुवाद उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व कार्यालय पर होता है।

4 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित कागज-पत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है :—

1. संकल्प 2. सामान्य आदेश 3. नियम 4. अधिसूचनाएं 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें 6. प्रेस विज्ञप्तियां 7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें 8. सरकारी कागज-पत्र 9. संविदाएं 10. करार 11. अनुज्ञप्तियां 12. अनुज्ञापत्र 13. निविदा सूचना 14. निविदा प्रपत्र।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आवश्यक व्यवस्था के रूप में राजभाषा अधिनियम की धारा 8(2) के अधीन वर्ष 1976 में नियम जारी किए गए। इन नियमों की कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं—

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों जैसे :—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिन्दी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास मामले में इन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों जैसे:—पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चण्डीगढ़ और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र सामान्यतया हिन्दी में भेजे जाएंगे। यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में पत्र भेजा जा सकता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "ग" क्षेत्र में स्थित राज्यों अर्थात् "क" एवं "ख" क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्यों के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्र अंग्रेजी में भेजे जायेंगे। यदि उन्हें कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग के बीच हिन्दी या अंग्रेजी किसी में भी पत्र-व्यवहार किया जा सकता है। किन्तु केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच हिन्दी में पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में करना अनिवार्य होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो तिहाई पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के किन्हीं दो कार्यालयों के बीच सभी पत्र-व्यवहार केवल हिन्दी में ही किया जाना चाहिए।

(ङ) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जायगे। हिन्दी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों, अभिवेदनों आदि के उत्तर भी हिन्दी में ही दिए जायेंगे।

(च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में बताए गए सभी दस्तावेजों के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों या अधिकारियों की होगी।

(छ) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी फाइलों पर हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

(ज) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार किए जाएंगे और प्रकाशित कराए जाएंगे। सभी फार्मों

और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी आदि को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में प्रकाशित कराया जाएगा।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो गया है उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे कार्यालयों में अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाई) करके उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण आदि के लिए केवल हिन्दी का ही प्रयोग करने को कहा जा सकता है।

(ञ) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन कराए।

(ट) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की भांति ये नियम भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सभी कम्पनियों, निगमों, उपक्रमों आदि पर भी लागू होंगे।

राजभाषा नियम, 1976 में की गई व्यवस्थाओं तथा इससे पहले जारी की गई हिदायतों के अनुसार राजभाषा विभाग की तरफ से प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसका अनुपालन प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, कम्पनी, उपक्रम आदि के लिये अनिवार्य होता है। इसम ऊपर उल्लिखित राजभाषा नियमों में दी गई बातों के अतिरिक्त कुछ और मदें भी शामिल की जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख मदें इस प्रकार हैं :—

1. अखिल भारतीय स्तर के या "क" क्षेत्र में जारी किए जाने वाले विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी के समाचारपत्रों में प्रकाशन के लिये एक साथ जारी किए जाने चाहिएं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय "क" क्षेत्र के कार्यालयों से विज्ञापन तभी स्वीकार करे जब विज्ञापन की सामग्री उसे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए।

(ख) अन्य क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से यदि अपवाद के रूप में सामग्री केवल अंग्रेजी में स्वीकार की जाती है, तो उसका हिन्दी रूपांतर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय स्वयं तैयार करे ताकि विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी हो सकें।

2. कार्यालयों से भेजे जाने वाले तार भी पत्र व्यवहार के अन्तर्गत आते हैं। इसलिये पत्र व्यवहार के समान ही "क" क्षेत्र में उनका केवल हिन्दी में ही भेजा जाना अपेक्षित है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच कम से कम 25 प्रतिशत तार देवनागरी में भेजे जाने चाहिएं।

3. देवनागरी के टाइपराइटरों के खरीदने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रबन्ध किए गए ह :—

(क) जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक भी टाइपराइटर नहीं है उन सभी कार्यालयों में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर खरीद लिया जाए।

(ख) जिन कार्यालयों में देवनागरी का एक या अधिक टाइपराइटर पहले से हैं, "क" क्षेत्र में स्थित ऐसे कार्यालय वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के कम से कम 50 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के खरीदें। इसी प्रकार "ख" और "ग" क्षेत्र के कार्यालय भी क्रमशः 25 और 10 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के खरीदें।

4. यह सुनिश्चित करने का यत्न किया जाए कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ सेवाओं और गर-तकनीकी पदों के लिये ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं तथा इन विषयों के उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी जाए।

5. विभिन्न मंत्रालय, विभाग, निगम, उद्यम आदि अपने कर्मचारियों की भर्ती के बाद उनके लिये कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं। ऐसे अधिकांश पाठ्यक्रमों में अभी तक अंग्रेजी के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान राजभाषा नीति के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र हिन्दी माध्यम से भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें।

6. यह सुनिश्चित करने का यत्न किया जाए कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में भाषा संबंधी विषयों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं और उनके उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी जाए।

7. राजभाषा संबंधी अधिनियम, नियम, आदेशों, अनुदेशों आदि के उपबन्धों का समुचित रूप से अनुपालन करने के लिए सभी कार्यालयों में यथावश्यक जांच-बिन्दु बनाए जाने चाहिएं।

8. भारत में हस्ताक्षर की जाने वाली सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को द्विभाषिक रूप में तैयार किया जाना चाहिए।

9. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विशिष्ट नगरों में, हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये सघन प्रयास किए जाने चाहिएं।

10. जिन नगरों में केन्द्रीय सरकार के 10 से अधिक कार्यालय हैं, वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जानी चाहिएं जिन की सहायता से नगर के कार्यालयों की हिन्दी संबंधी सामान्य समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए।

केन्द्रीय प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये सभी का सहयोग लेने की व्यवस्था की गई है। यह सहयोग न केवल विभिन्न स्तर के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से लिया जा रहा है बल्कि उच्च स्तर के अधिकारियों और हिन्दी के गैर सरकारी विशिष्ट विद्वानों से भी लिया जा रहा है। इसके लिए कई स्तरों पर समितियां बनाई गई हैं। कुछ समितियां तो कार्यालयों में हिन्दी का कार्य देखने वाले वरिष्ठ अधिकारी या कार्यालय के अध्यक्ष की देखरेख में बनाई गई हैं और कुछ समितियां मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई हैं। इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है :—

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यह समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण और इसके संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में पाई गई कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में विचार करती है। भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग, इस समिति के अध्यक्ष और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते ह। इस समिति की 12 वीं बैठक 21 सितम्बर, 1982 को हुई थी।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी संबंधी काम की प्रगति की जांच करने और समस्याओं पर विचार करने के लिये प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं। नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रतिनिधि इस समिति में सम्मिलित होते हैं। मार्च, 83 तक देश के 57 बड़े नगरों में जिनमें भारत सरकार के कार्यालयों की संख्या 10 से अधिक है, ऐसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जा चुकी हैं। ये समितियां न केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों के नगरों में ही बनी हैं बल्कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी वहां के अधिकारियों के सहयोग से बनाई गई हैं।

हिन्दी सलाहकार समितियां

सरकार की यह नीति रही है कि संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग तथा राजभाषा नीति का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और इस सम्बन्ध में आवश्यक सलाह देने के लिये जनता से अधिकाधिक सम्पर्क रखने वाले मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जाएं। इस नीति के अनुसार अब तक 27 मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जा चुकी हैं।

केन्द्रीय हिन्दी समिति

राजभाषा नीति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने वाली यह सर्वोच्च समिति है। 1981 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया था। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रधानमंत्री जी के अलावा 9 केन्द्रीय मंत्री, 2 गृह राज्य मंत्री, 8 राज्यों के मुख्य मंत्री, 7 संसद सदस्य तथा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के 10 विशिष्ट विद्वान शामिल हैं। राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इस समिति के सदस्य-सचिव हैं।

कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी पढ़ाई जाए। इसके लिए पहले से ही प्रबन्ध किए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा 1960 में जारी किए गए आदेश के अनुसार, तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों तथा औद्योगिक संस्थानों में नियुक्त अथवा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सभी कर्मचारियों के लिये हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से भर्ती किए गए टंककों और आशुलिपिकों के लिये हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का भी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 4 लाख से अधिक कर्मचारी हिन्दी की विहित परीक्षाएं और 30,000 से अधिक कर्मचारी हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं। 1976 से हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जाने लगी हैं।

प्रौद्योगिकी और यंत्रीकरण का तेजी से विकास होने के कारण भाषाओं का विकास और प्रगामी प्रयोग भी काफी हद तक यांत्रिक सुविधाओं पर आश्रित हो गया है। अतः सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए देवनागरी टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर तथा ऐसी ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है। राजभाषा विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाए हैं कि निर्माता कंपनियां देवनागरी टाइपराइटरों का उत्पादन बढ़ाएं और देवनागरी के पिन प्वाइंट टाइपराइटरों का निर्माण भी करें, जिनका प्रयोग विशेष रूप से बैंकों और वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा बैंक ड्राफ्ट आदि तैयार करने में किया जा सके। इलैक्ट्रानिकी विभाग के साथ सतत परामर्श करके देवनागरी कम्प्यूटर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

(शेष पृष्ठ 41 पर)

जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर

कालजयी पत्रकार श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर

—हरिशंकर
संपादक, हिन्दी शिक्षक, बम्बई

समाज के बीच कुछ लोग अपने कार्यों और आचरणों से समय की सीमाओं से सर्वथा परे "कालजयी" हो जाते हैं, जिनकी रिक्तता को पूरा करने में समय सफल नहीं हो पाता। ऐसे लोगों की जरूरत सदा-सर्वथा महसूस की जाती है ताकि वे समाज को सही दिशा दे सकें। काल के जिस खंड में वे जीते हैं, उसकी पहचान उन्हीं के नाम के "युग" के साथ होती है। हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में "स्व० बाबूराव विष्णु पराड़कर का स्थान ऐसा ही है। सन् 1920 से लेकर तीन दशकों से अधिक समय तक उन्होंने वाराणसी से प्रकाशित होने वाले "आज" दैनिक का संपादन किया। तत्कालीन "आज" के वे अंक आज भी प्रेरणादायी हैं।

"आज" का प्रकाशन जिन परिस्थितियों में आरंभ हुआ, वह हिन्दी पत्रकारिता का परीक्षाकाल था। पहला महायुद्ध समाप्त हो चुका था और महायुद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रीय नेताओं को दिए गए अपने वचन से अंग्रेज मुकर गए थे। पूरा देश आजादी के लिए छटपटा रहा था। लोगों में स्वाधीनता की राष्ट्रीय चेतना पहाड़ी नदी की तरह उफन रही थी। महात्मा गांधी ने अपना अहिंसक "सत्याग्रह" आंदोलन शुरु कर दिया था। इन्हीं परिस्थितियों में देशरत्न बाबू शिवप्रसाद गुप्त के मन में एक हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित करने की इच्छा ने जन्म लिया, जिसमें देश की सामान्य जनता तक राष्ट्रीय विचारों को पहुंचाया जाए और उसे इस अभियान में जोड़कर आंदोलन को अधिक सबल बनाया जाए।

बाबू शिवप्रसाद गुप्त उन दिनों वाराणसी के एक सम्मानित रईस ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विचारों वाले एक महान देशभक्त भी थे। उन्होंने समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं को आर्थिक सहायता दी थी। कई वर्षों तक वे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे। सन् 1929 में कानपुर में हुई "राष्ट्रीय कांग्रेस" का पूरा व्यय भार उन्होंने ही उठाया था। "आज" के प्रकाशन का विचार आते ही; उनकी दृष्टि पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर पर पड़ी। उन्होंने पराड़कर जी के सामने अपनी योजना रखी। तो वे 'आज' का संपादन भार संभालने पर राजी हो गए। बाबू शिव प्रसाद जी को ऐसे निर्भीक व्यक्ति की तलाश थी, जो उनके सपनों को साकार कर सके, तो इधर श्री पराड़कर को लोकहित में कर्ण की भांति अपना सर्वस्व समर्पण करने की इच्छा रखने वाले औघड़दानी की तलाश थी। एक दूसरे को पाकर दोनों की तलाश पूरी हो गई और 5 सितंबर 1920 को "आज" का पहला अंक प्रकाशित हुआ। "आज" के उस ऐतिहासिक प्रथम अंक के संपादकीय में श्री पराड़कर जी ने अपना संकल्प व्यक्त करते हुए कहा था—"हम लोग पूर्व गौरव के गान गाते हैं और भविष्य के स्वप्न देखा करते हैं, पर आज का विचार नहीं करते। भारत को सदा आज का स्मरण रहे, इसीलिए हम "आज" नाम से ही आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। 'कितना मार्मिक संकल्प था यह सदा सर्वदा ही वर्तमान के ठोस धरातल पर दृष्टि रखकर सही कदम उठाने का यह महान संदेश आज भी कितना मूल्यवान है।

जीवन परिचय :

बाबूराव विष्णु पराड़कर का जन्म यद्यपि वाराणसी में ही 16 नवंबर 1883 को हुआ था। परंतु उनके पिता श्री विष्णु शास्त्री अपनी 12 वर्ष की आयु में पिछली सदी के चौथे दशक में संस्कृत अध्ययन के लिए पुणे से वाराणसी गए थे। संस्कृत का अध्ययन समाप्त कर वे वहीं बस गए और वाराणसी तथा कुछ समय तक भागलपुर के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापन कार्य करते रहे। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के राजापुर तालुका के "ओजी" गांव में रहते थे। पर जिस समय श्री० विष्णु शास्त्री वाराणसी आये, उस समय वे अपने बड़े भाई के साथ पुणे में रहते थे।

श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर जी की विद्यालयीन शिक्षा वाराणसी के हरिश्चंद्र स्कूल में तथा बाद की भागलपुर के "तेज नारायण कॉलेज" में हुई। जिस समय वे इंटरमिडिएट में पढ रहे थे। उन्हीं दिनों सन् 1903 में प्लेग की बीमारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया और 25 वर्ष की आयु में पिता का भी निधन हो गया। आजीविका की खोज में वे अपने दूर के रिश्ते के मामा श्री सखाराम गणेश देउस्कर के पास कलकत्ता चले गए। श्री देउस्कर उन दिनों बंगला दैनिक "हित वार्ता" में काम करते

थे। उनके परिचय से ही श्री पराड़कर जी हिन्दी "वंगवासी" में सहायक संपादक हो गए। उन्हीं दिनों वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आयें और बाद में श्री अरविंद घोष की उस समिति के सदस्य भी बन गए, जिसका कार्यालय चंदन नगर में था। वहां उसी में वे अधिक समय न टिक सके, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उसकी नीति समर्थक या सहानुभूतिपूर्ण न होकर व्यंगात्मक थी। एक साल बाद वे वहां सें अलग हो गए और श्री देउस्कर जी के प्रयास से उन्हें "हित वार्ता" साप्ताहिक में संपादक का पद मिल गया। इसके अतिरिक्त नेशनल कालेज में मराठी और हिन्दी पढ़ाने के लिए सप्ताह में तीन दिन जाते थे। "हितवार्ता" साप्ताहिक को उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप निकालना शुरु किया। परंतु नीति संबंधी मतभेद यहां भी उपस्थित हुआ। किसी तरह चार वर्षों तक उन्होंने यहां काम किया और बाद में श्री अंबिका प्रसाद वाजपेयी के निमंत्रण पर "भारत मित्र" में संयुक्त संपादक हो गए। उन दिनों "भारत मित्र" साप्ताहिक था, परंतु पंचम जार्ज के आगमन के समय सन् 1911-12 में दैनिक कर दिया।

क्रांतिकारियों से संपर्क :

पहले जैसा कि बताया जा चुका है कि कलकत्ता में रहते हुए श्री पराड़कर जी का संपर्क क्रांतिकारियों से हो गया था। वे उनसे मिलते-जुलते, उनके कार्यों में मदद करते और उनके विचारों को अपनी लेखनी द्वारा जनता तक पहुंचाते। श्री रास बिहारी बोस उस दल के सदस्य थे। उन्होंने पंजाब जाकर वहां के लोगों में क्रांतिकारी भावना का प्रचार किया। उन्हीं के एक मित्र नें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। वह घायल होकर बच गया। पुलिस ने रास बिहारी बोस का पीछा किया परंतु श्री रास बिहारी भाग कर वाराणसी पहुंच गए और एक गुप्त स्थान पर छिपकर रहने लगे। श्री पराड़कर जी हर एक दो महीने बाद वाराणसी आया करते, बहाना तो घर आने का होता, परंतु मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों के मुख्य कार्यालय 'वदन नगर' का संदेश श्री रास बिहारी बोस तक पहुंचाना होता।

सन् 1916 में क्रांतिकारी दल ने कलकत्ते के डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट श्री० वसंत कुमार मुखर्जी की हत्या कर दी। इस हत्या में यद्यपि श्री पराड़कर जी का कोई हाथ न था, फिर भी पुलिस ने संदेह में पकड़ लिया। प्रमाण के अभाव में उस समय वें छूट गए, परंतु कानून की एक धारा के अंतर्गत उन्हें तीन वर्ष के लिए नजर बंद रखा गया। सरकार उन्हें इस शर्त पर रिहा करना चाहती थी कि वे राजनीति सें हट जाएं, परंतु पराड़कर जी को यह स्वीकार न था। बाद में सन् 1920 में उन्हें छोड़ दिया गया। मुक्त होते ही वें वाराणसी आ गए और उन्हीं दिनों बाब शिवप्रसाद ने अपनी योजना उनके सामने रखी, फिर क्या था। वे तो ऐसा ही कुछ करना चाहते थे।

'आज' का संपादन :

5 सितंबर 1920 को "आज" का प्रकाशन आरंभ हुआ और वहीं से हिन्दी पत्रकारिता का एक ऐतिहासिक युग भी प्रारंभ हुआ "आज" के प्रकाशन से पहले ही 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। पहले ही अंक के संपादकीय में श्री पराड़कर जी ने स्व० तिलक के उपदेशों को स्मरण करते हुए, अपनी नीति की घोषणा की थी। "आज" के द्वारा उन्होंने एक साथ तीन-तीन मोर्चे संभाले। पहला मोर्चा था--राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को दिशा देना और उसके लिए जनमत तैयार करना, दूसरा मोर्चा तत्कालीन कुरीतियों का विरोध करना था और तीसरा हिन्दी पत्रकारिता के विकास का मोर्चा था। इन तीनों मोर्चों पर उन्होंने जो सफलतापूर्वक काम किया, उसे देश कभी भुला नहीं सकता।

श्री पराड़कर जी ने हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में अपूर्व योगदान किया। उन्होंने पत्रकारिता को निष्पक्ष, न्याय-संगत, निर्भीक विचार प्रस्तुत करने की नई दिशा ही नहीं दी बल्कि हिन्दी गद्य का नया स्वरूप भी विकसित कर प्रभाव पूर्ण बनाया। उन्होंने सैंकड़ों हिन्दी के शब्द दिए, जो आज प्रयोग में आ रहे हैं। संपूर्ण हिन्दी जगत ने उसी समय उनकी सेवाओं को स्वीकारा और सन 1936 के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शिमला अधिवेशन का उन्हें अध्यक्ष बनाया। सन् 1950 में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन बम्बई में 'पत्रकार सम्मेलन' के अध्यक्ष चुने गए। सन् 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) ने उनकी हिन्दी सेवाओं के लिए 1501 रुपयों का महात्मा गांधी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जनवरी 12, 1955 को वाराणसी ही में उनका निधन हो गया।

इस वर्ष पूरे देश में उनकी जन्म शताब्दी मनाने की योजना बनायी जा रही है। हमें विश्वास है कि उनकी सेवाओं को स्मरण कर हम भारतीय पत्रकारिता को सतत जागरुकता एवं निर्भीकता की दिशा विकास की लम्बी यात्रा की ओर बढ़ायेंगे। □□□

सरल और कठिन हिन्दी

—पृथ्वीनाथ शास्त्री
पत्रकार एवं लेखक, बम्बई-4

अब इस शीर्षक को ही लें तो इसे हम "आसान और मुश्किल हिन्दी" भी लिख सकते हैं पर कुछ भाई-बहन इसे "उर्दूकरण" कहेंगे, उनसे इस बहस में पड़ने से कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा कि उर्दू तो हिन्दी का ही एक ऐसा रूप है जिसमें आजकल अरबी-फारसी के शब्द जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और वह अभी तो इन्हीं दोनों भाषाओं की लिपियों के मिले-जुले लिपि रूप में बायीं से दायीं और लिखी जाती हैं। सच पूछिए तो मैं स्वयं भी उर्दू के वर्तमान स्वरूप को एक स्वतंत्र भारतीय भाषा मानने के पक्ष में हूं, संविधान ने भी इसी तथ्य को पिछले 32 वर्ष से ठीक माना है। कुछ राज्यों में इसे द्वितीय राज्यभाषा या क्षेत्रीय मुख्यभाषा का दर्जा देने पर विवाद हो चुका है इसके मुकाबले वह हिन्दी भी कम प्रचलित नहीं है आज जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द ज्यादा चल रहे हैं।

असल में यह बात बहुत सीधी-सादी लगती है कि हम सरल (आसान) हिन्दी अपनायें लेकिन है यह बहुत ही पेचीदा। सरलता या सहजता का कोई एक रूप तय कर पाना एकदम टेढ़ी खीर है, बोलने-लिखने-पढ़ने का काम करते हुए मुझे पैंतालीस वर्ष हो गये। मैं अभी तक यह कभी तय नहीं कर सका कि सरलता का "सर्वसम्मत" मानक क्या है? हज़ार कोशिशों के बावजूद कुछ लोग हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं, यदि मैं अपने हाथरस-अंचल की बोली के शब्दों का व्यवहार करूं तो उनकी राय में ब्रजभाषा का पुट ज्यादा हो जाता है, यदि अपने ज़िले अलीगढ़ की आम बोलचाल की भाषा अधिक काम में लूं तो उर्दू और खड़ी बोली का और अगर जो भाषाएं उम्र के पांचवें साल से और उन्नीसवें साल से सीखता रहा हूं तो संस्कृत, बंगला एवं अंग्रेजी का, बताइए, कैसे वह सरल हिन्दी लिखूं जो सब को भाये!

इसलिए जब, मैं बोलता हूं तो जगह और अधिसंख्य (ज्यादातर) श्रोताओं की मुख्यभाषा का ख्याल रखता हूं और लिखता हूं तो अपने उन पाठकों का ध्यान रखता हूं जो अधिकांशतया उसे पढ़ने की संभावना में आते हैं फिर भी कोई न कोई कभी न कभी, कहीं-न-कहीं शिकायत सुननी ही पड़ती है—'आपकी भाषा तो...' अनुभव के आधार पर मैं प्रयत्न तो यही करता हूं कि विषय, श्रोता, पाठक, प्रवाह (रवानी) और संप्रेषणीयता तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से मार न खा जाऊं, पिछड़ूं नहीं, अनुवाद के समय जरा भी शक हुआ-अपनी याददाश्त पर, तो कोशों में दिये सारे पर्यायों पर तुरन्त नज़र डालता हूं और मेरी कोशिश तो यही रहती है कि शब्दों व मुहावरों का चयन गलत न हो जाए। यह मेरी पक्की धारणा बन गयी है कि कोई भी अनुवाद "सुसंपादित" होने पर ही प्रकाशित होना चाहिए और दोनों भाषाओं के जानकार स्वतंत्र रूप से यह कार्य करें तभी भाषा और भावों की संप्रेषणीयता बरकरार रह पाती है, लेकिन अनुवाद की सरलता के लिए यदि हम केवल प्रचलित (चलती) भाषा, छोटे, आसान शब्दों, आज के मुहावरों, व्याकरण और वर्तनी के अधिकांशतया स्वीकृत नियमों से खूब काम लें, और यह मान लें कि जानबूझ कर अपनी बात को पेचीदगियों से बचाना है तो हमारे कदम ठीक पड़ते हैं। लेकिन सभी समय पारिभाषिक शब्दों को वाक्यों में नहीं लिखा जा सकता न उनकी जगह अधूरे अर्थ को जाहिर करते शब्दों को लिया जा सकता है, खासतौर से सर्वभारतीय स्तर पर जो बात संप्रेषित की जा रही है उसमें तो यह ध्यान रखना ही पड़ेगा, कि भारत की अधिकांश भाषाओं के शब्द संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं के तत्सम-तद्भव हैं, लेकिन शब्दों को क्षेत्रीय भाषा में ही प्रधानता मिलनी चाहिए। हिन्दी एक राष्ट्रभाषा तो है ही, क्षेत्रीय और राजभाषा भी है और कई राज्यों की मुख्य भाषा भी, इसलिए अभी या तुरन्त इसके सर्वभारतीय, सर्वसम्मत, सुबोध, सरल रूप का कोई मानक नहीं बन पाया एक तरह यह सही भी है। मसलन अंग्रेजी को लें, उसके अमरीकी, आस्ट्रेलियाई, आयरिश, अफ्रीकी एशियाई, योरोपी, कनाडाई रूपों का अंतर कोई भी समझदार व्यक्ति पकड़ सकता है। हिन्दी के भी उत्तर भारतीय (पूर्वी और पश्चिमी) बिहारी, राजस्थानी, हिमाचली, गढ़वाली, पंजाबी और दक्षिण भारतीय बोलने-लिखने-पढ़ने की शैलियों में, लहजों में, शब्द-भंडार में कुछ अंतर रहे तो कोई हर्ज़ नहीं, हां साहित्यिक रूप अवश्य ही क्रमशः सुस्थिर (अवधि-विशेष में) रहेगा। ऐसे ही बंगला भाषा पश्चिम बंग और बांग्लादेश (पूर्वबंग) में एक जैसी नहीं हैं लेकिन पारस्परिक संभाषण और साहित्यिक (सांस्कृतिक) आदान-प्रदान में कोई कठिनाई

नहीं होती। यह बात आप नजरुल एवं रवीन्द्रनाथ के साहित्य में देख सकते हैं। हिन्दी के सर्जक साहित्यकार तो भारत के सभी प्रांतों-प्रदेशों-राज्यों-क्षेत्रों के हैं। उनकी विशिष्ट शैलियों ने हिन्दी को समृद्ध किया है ऐसी ही स्थिति कभी संस्कृत में वैदर्भी और लाटदेशीय आदि रीतियों शैलियों से हुई थी। अहिन्दी-मातृभाषी और हिन्दी-मातृ-भाषियों की हिन्दी एक जैसी न भी हो तो क्या, केवल 'सरलता' के मापदंड से तो उसे अच्छी-बुरी, ठीक-गलत या सही और भ्रष्ट के चक्करों से नहीं बचाया जा सकेगा। वह मापदंड भाषा की अपनी प्रकृति एवं परंपरा से तय होता है। फिर अंग्रेजी के जिन शब्दों, मुहावरों और उसी मूल से आयी परिभाषाओं के जो राजकाजी रूप जगह-जगह प्रचलित हो रहे हैं वे भी तो सर्वत्र एक से नहीं हैं। यदि इसके लिए सभी राज्यों ने केन्द्रीय राजभाषा आयोग द्वारा निश्चित किये गए 'राजभाषायी' शब्दों को ही मान लिया होता तो 'सरल हिन्दी' बहुत जल्दी अपने को गढ़ती चली जाती लेकिन अभी तो आलम यह है कि रेडियो के लिए राजभाषा-हिन्दी शब्द 'आकाशवाणी' है तो बंगला में 'बेतार' शायद 'आकाशवाणी' शब्द लोगों को 'कठिन' ही लगता है।

राजनीतिक कारणों की बात न करें तो भी हिन्दी का 'बेतार' शब्द वायरलैस के लिए बांगलाभाषियों को अजीब लग सकता है और शायद नहीं भी क्योंकि वे उसके लिए बेतार-टेलीग्राफ, बेतार-टेलीफोन शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे, मराठी भाषी उसी के लिए 'बिनतारी यंत्र' आदि शब्द। हैदराबाद के लोगों को 'दखिनी हिन्दी' के रूप में ज्यादा आसान लगेंगे तो तिरुनांकु (त्रिवेन्द्रम) वालों को संस्कृत मूल से बने शब्द और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के उर्दू वालों को 'विश्वास' से 'यकीन' अधिक सरल (ज्यादा आसान) लगेगा, जब कि कुछ अन्य लोगों को 'भरोसा' ही अधिक भायेगा। मैं अपनी 'सरल' हिन्दी में तीनों का प्रयोग करना चाहूंगा ताकि सर्वभारतीय स्तर पर ये तीनों शब्द 'सरल' लगने लगें। समृद्ध भाषा का यह एक लक्षण है कि उसके कई शब्दिक विकल्प सर्वत्र प्रचलित होते हैं और सरल लगते हैं। इसके अलावा भाषा की सरलता तो सिर्फ शब्दों, मुहावरों, परिभाषाओं आदि से ही नहीं हो जाती वह तो सामाजिक शब्दों के कम प्रयोग छोटे-छोटे वाक्यों के अधिकाधिक इस्तेमाल, प्रचलित रूपों के समुचित व्यवहार आदि से भी होती है। उसमें उम्र, क्षेत्र, पृष्ठभूमि, अनुभवों की व्यापकता आदि का भी हाथ होता है--दोनों ओर, बोलने-लिखने और सुनने-पढ़ने वाले सभी में, पीढ़ियों का अंतर भी अपना असर रखता है। हम पुरानी पीढ़ी के लोगों को कौन सी हिन्दी सरल लगेगी ? नेहरू-पंत-गांधी जी की, या किदवई-बहुगुणा-इंदिरा जी की ? बच्चन की 'मधुशाला' सरल है या पंत की 'ग्राम्या', 'साकेत' या 'यामा', नागर जी का 'बूंद और समुद्र' सरल है या अज्ञेय की 'नदी के द्वीप' ? आरिगपूडि की हिन्दी भाषा सरल है या पी० वी० नरसिंह राव की ? पहले के लोग सरल-सुबोध भाषिक प्रयोगों को 'प्रसाद प्रवाह-समन्वित' भी कहते थे और बोलचाल की भाषा भी। इस दिशा में बहुत कुछ सोचा जाना चाहिए और काफी कुछ किया जाना बाकी है, अभी राजभाषा के सरलीकरण की कोशिश में 'समन्वय' तो अनिवार्य ही है। सिनेमा, रेडियो, टी० वी०, सरकारी और बैंकों के कामकाजी फार्म, विज्ञापक आदि सभी अगर इसका ध्यान रखेंगे और साहित्यकार, पत्रकार पूरी कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे अपने सारे रूप-भेदों और प्रयोग-भेदों के बावजूद (और यहां तक कि उच्चारण और व्याकरण के विकल्पों के बावजूद) सामंजस्य की प्रक्रिया में हिन्दी का सरलीकरण भी होता ही जायेगा। □□□

नागरी लिपि

"नागरी लिपि अगर हिन्दुस्तान की सब भाषाओं के लिए चले तो हम सब लोग बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। खासकर दक्षिण की भाषाओं को नागरी लिपी का लाभ होगा। वहां की चार भाषाएं अत्यंत नजदीक हैं। उनमें संस्कृत शब्दों के अलावा उनके अपने जो प्रांतीय शब्द हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम के, उनमें बहुत से शब्द समान हैं वे शब्द नागरी लिपि में अगर आ जाते हैं तो दक्षिण की चारों भाषाओं के लोग चारों भाषाएं पन्द्रह दिन में सीख सकते ह।

--आचार्य विनोबा भावे

प्रशासन की भाषा के आवश्यक गुण

—डा० महेश चन्द्र गुप्त
चार्टरित इंजीनियर

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1917 में राष्ट्रीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित शब्द कलकत्ता में राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन पर कहे थे। "एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत रहती थी और आज भी है। बिना राष्ट्रीय भाषा के मनुष्य में धर्मनिष्ठा नहीं रह सकती।"

तिलक महाराज ने राष्ट्रीय भाषा को मनुष्य की धर्म-निष्ठा यानी कर्त्तव्य-परायणता के साथ जोड़कर यह बताया कि राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग मनुष्य को कर्त्तव्य-परायण बनाता है। वर्तमान परिस्थितियों में जब राज्य या सरकार के कार्य इतने व्यापक हो गए हैं तो राष्ट्र का कोई भी नागरिक उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रीय कार्यों का जनभाषा या राष्ट्रीय भाषा में चलाया जाना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि उससे कर्मचारी वर्ग में कर्त्तव्य-परायणता उत्पन्न होगी।

राष्ट्र भाषा के गुणों का विवेचन करते हुए महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र भाषा के राजभाषा पक्ष को ध्यान में रखकर नीचे लिखे हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त रखे थे :—

1. उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हों।
2. वह भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो।
3. वह भाषा क्षणिक या अल्प स्थायी समिति के ऊपर निर्भर न हो।
4. उस भाषा के द्वारा देश के परस्पर धार्मिक और आर्थिक व्यवहार निभ सकें।
5. वह भाषा राज्य कर्मचारियों के लिए सरल हो।

ऊपर बताए गुणों में से गुण संख्या 4 तथा 5 राज्य या प्रशासन की भाषा के लिए पूरी तरह लागू होते हैं। इसलिए राजभाषा वही भाषा होनी चाहिए जो इन पर खरी उतरती हो। महात्मा जी के विचारों को ध्यान में रखकर और अन्य अपेक्षाओं की दृष्टि से राजभाषा के कुछ आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं।

1. सरलता, 2. देश की अधिकांश जनता द्वारा बोल-चाल में प्रयोग, 3 स्थायी समिति पर निर्भरता, 4. आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार क्षमता, 5. शब्दावली की उपलब्धता, 6. पारिभाषिकता और 7. निश्चितार्थता।

प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासक का मंतव्य महत्वपूर्ण होता है न कि उसका माध्यम। इसलिए अधिकांश जनता द्वारा समझे जाना वाला माध्यम ही प्रशासन के मंतव्य को जनता तक पहुंचा सकता है। जिस प्रशासन का मंतव्य जनता द्वारा न समझे जाने वाली भाषा के माध्यम से दिया जाता है, वह मंतव्य जनता के लिए भार मात्र बनकर रह जाता है। इसलिए सुचारू और अच्छे प्रशासनतंत्र के लिए जनभाषा को प्रशासन के माध्यम के रूप में अपनाना बहुत महत्व रखता है।

ऊपर जो 7 गुण गिनाए गए हैं, वर्तमान परिस्थितियों में उनको कसौटी पर कसने पर भारतसंघ की राजभाषा हिन्दी बिल्कुल खरी उतरती है। इसका संक्षिप्त विवेचन कर लेना उपयुक्त रहेगा।

1. सरलता :—हिन्दी भाषा अभी तक व्याकरण की जटिल गलियों में नहीं फंसी है। देश के अनेक भागों में हिन्दी को बोलने में थोड़ा बहुत अन्तर हो जाता है, जिसे आमतौर पर स्वीकार किया जा रहा है। कहीं भी व्याकरण के कारण आलोचना नहीं की जा रही है। देश के अधिकांश लोगों का आम अनुभव है कि हिन्दी, सीखने में, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की अपेक्षा बहुत सरल है। यहां तक कि देश की भी विभिन्न भाषाओं की तुलना में भी सरल पड़ती है।

2. देश की अधिकांश जनता द्वारा बोलचाल में प्रयोग :—इस तत्व के लिए किसी प्रमाण की विशेष आवश्यकता नहीं है कि हिन्दी सामान्यतः देश के अधिकांश भागों में समझी और बोली जा रही है। देश के सीमा प्रदेशों में बड़े-बड़े और अनेक निर्माण कार्य, विकास कार्य चलने के कारण मजदूरों का भारी संख्या में आवागमन हो रहा है और इस भारी सरगरमी के कारण हिन्दी कुछ स्थानों को छोड़कर देश के सीमा प्रदेशों में भी समझी जाने लगी है और बोली जाने लगी है। देश की सीमाओं पर बसे देशों में भी हिन्दी बोली जाती है और समझी जाती है।

3. स्थायी स्थिति पर निर्भरता :—हिन्दी भाषा संस्कृत के मजबूत और स्थायी आधार पर निर्भर है। संस्कृत के अनेक ग्रन्थों के उच्चस्तरीय हिन्दी अनुवाद हैं। सामान्यतया अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद और

चित्र समाचार

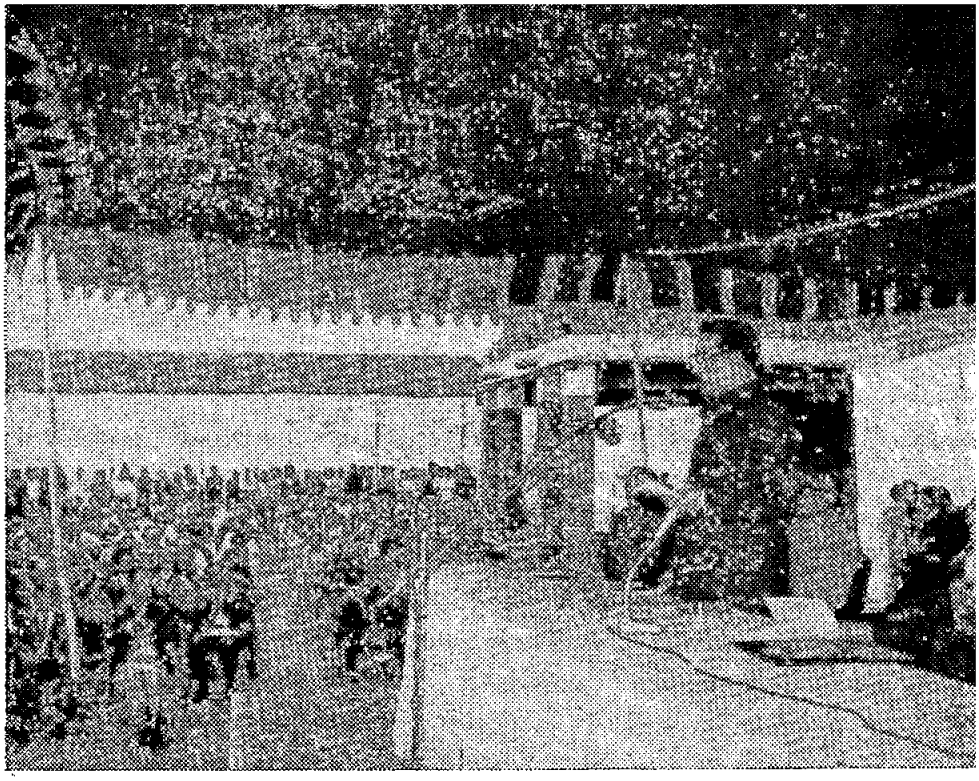

"कौमी एकता दिवस" के अवसर पर भाषण देते हुए माननीय गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी। बाएं गृह सचिव श्री टी० एन० चतुर्वेदी तथा दाएं गृह राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बैया एवं राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव।

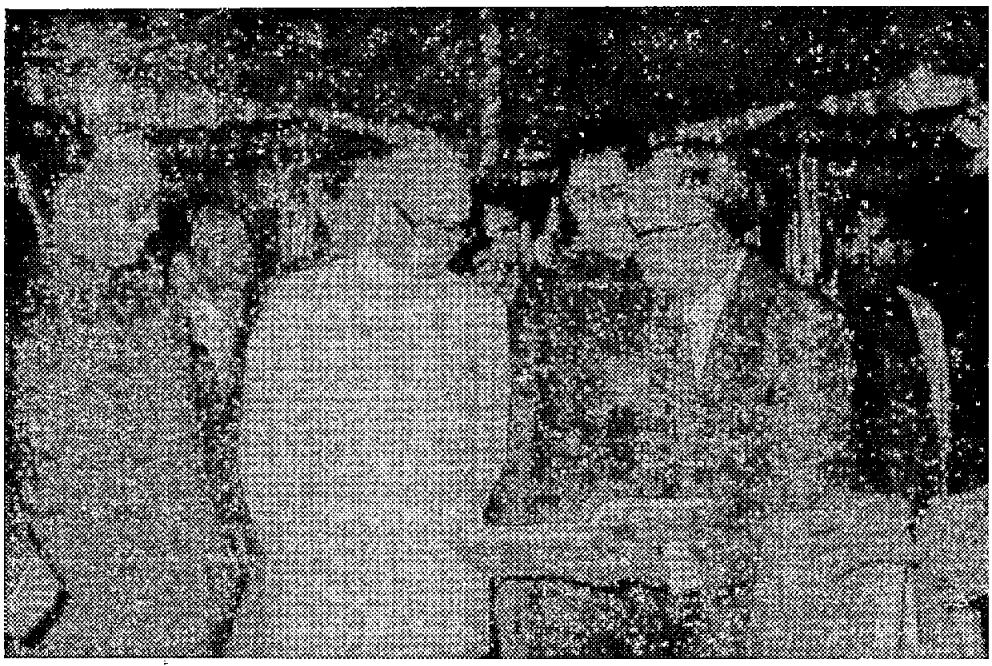

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र को प्रदर्शनी के बारे में समझाते हुए "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" तथा "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" के प्रधान सम्पादक श्री जगत नारायण। बाईं ओर प्रसिद्ध विधिवेत्ता डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी तथा दाईं ओर संयुक्त सचिव श्री बी० के० शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण।

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई के कार्यालय में राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव एवं उप सचिव श्री वो० सिन्हा द्विभाषिक दस्तावेजों और मानक पत्रों के संकलनों को देखते हुए।

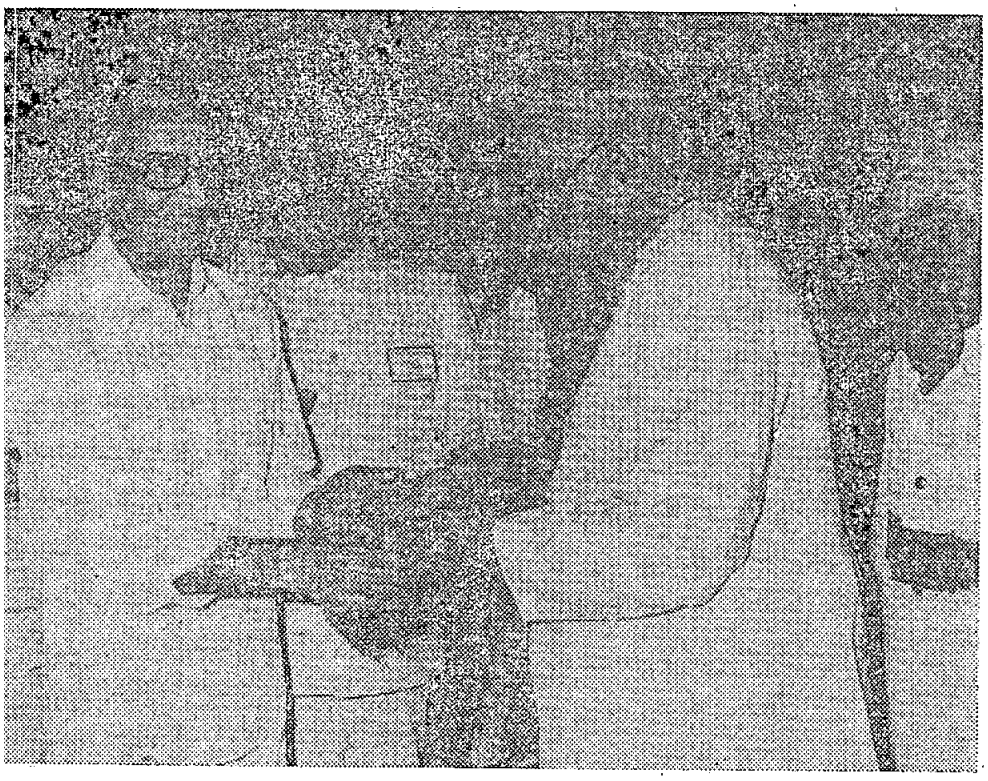

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री कल्याणदत्त शर्मा का अभिनन्दन करते हुए श्री जगत नारायण तथा राजस्थान के प्रसिद्ध महा अधिवक्ता श्री नाथू लाल जैन ।

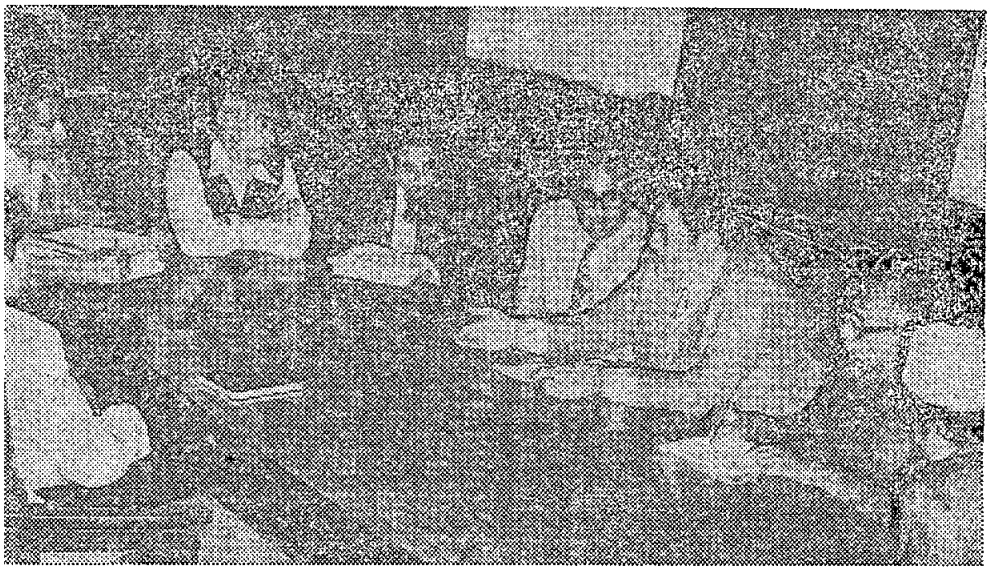

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स, नैनी, इलाहाबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की बैठक में विचार व्यक्त करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ।

हिन्दुस्तान जिंक लि० की राजभाषा स्मारिका का विमोचन करते हुए इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य तथा प्रसिद्ध साहित्यकार श्री उपेन्द्र नाथ 'अश्क' ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग में हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, श्री एस० के० दास, महानिदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, श्री राजमणि तिवारी तथा सबसे बायें डॉ० वीरेन्द्र सक्सेना ।

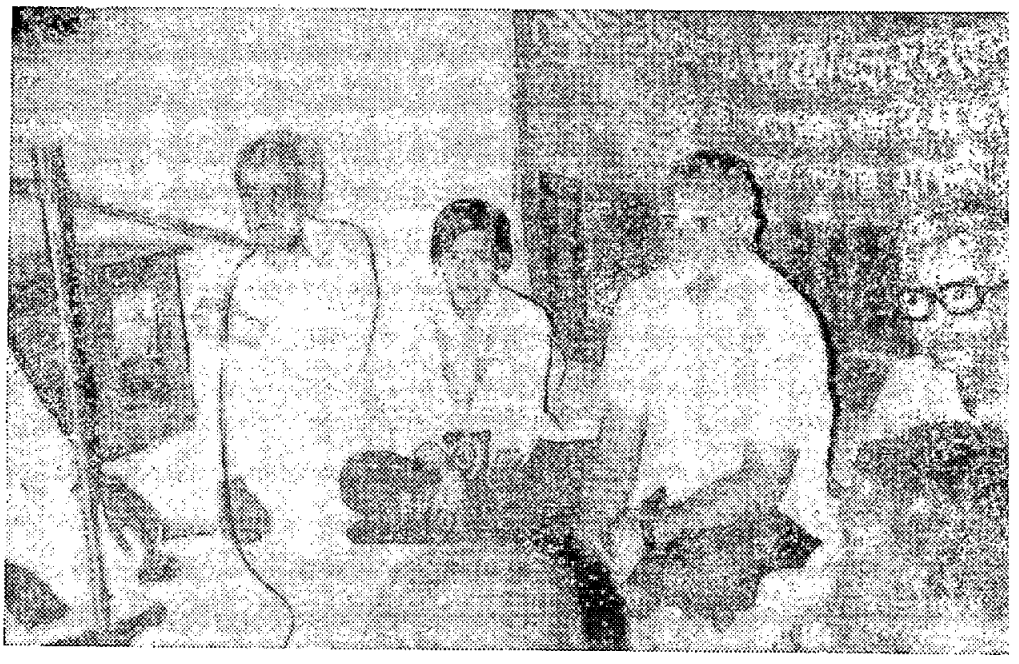

मंडल अभियंता, तार कार्यालय, गया में हिन्दी सप्ताह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए वयोवृद्ध कवि श्री मोहन लाल महतो 'वियोगी' ।

नेहरू बाल भवन, दिल्ली की रजत जयन्ती के अवसर पर बोलते हुए पराग और दिनमान के सम्पादक श्री कन्हैया लाल नन्दन, बाल भवन की निदेशिका श्रीमती पद्मासेठ तथा श्री रमेश चन्द्र दत्ता एवं अन्य ।

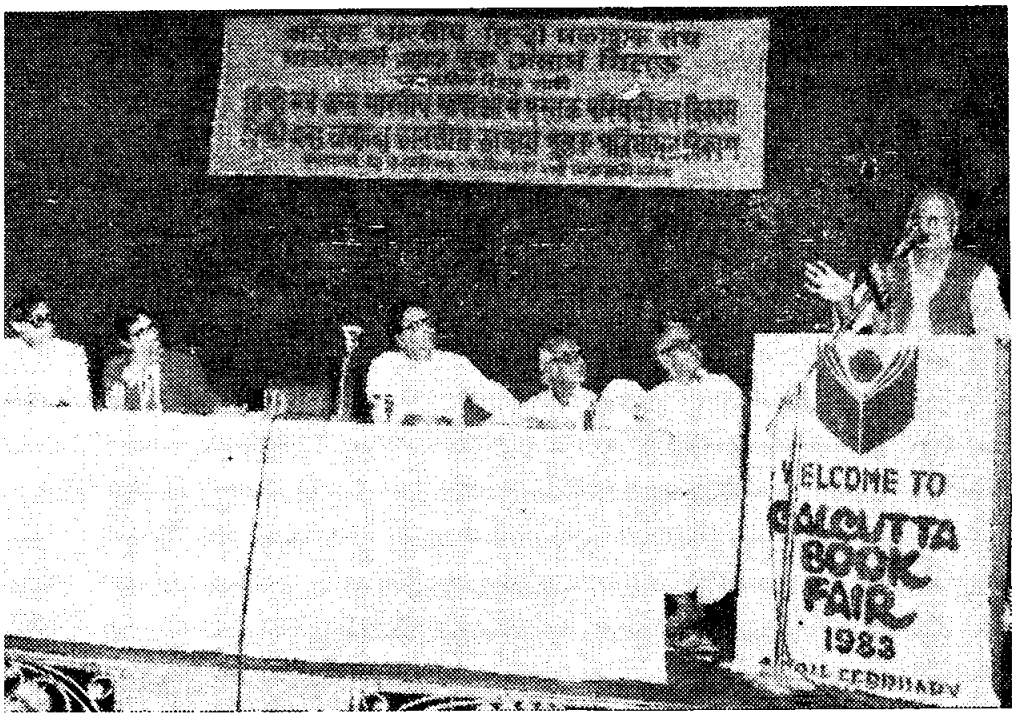

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ द्वारा, आयोजित कलकत्ता पुस्तक मेले के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए भारतीय भाषा परिषद् के निदेशक डा० प्रभाकर माचवे, गोष्ठी के निदेशक श्री कृष्ण चन्द्र बेरी, हिन्दी लेखक श्री सन्हैया लाल ओझा, प्रसिद्ध बंगला लेखक श्री विमल मित्र तथा अ०भा०हिं० प्रकाशक संघ के अध्यक्ष श्री दयानन्द वर्मा ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय में बोलते हुए नागपुर के जिलाधीश श्री अरुण बोंगीरवार ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० उद्योग मंडल, केरल में हिन्दी कार्यालय का एक दृष्य ।

विभिन्न प्रकार के विषयों के उत्तम ग्रन्थों के हिन्दी रूपान्तर आज मौजूद हैं। इन ग्रन्थों के आधार पर हिन्दी में भी मौलिक ग्रन्थ तैयार हुए हैं। इसलिए हिन्दी भाषा स्थायी स्थिति पर निर्भर करती है।

4. आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार क्षमता :—देश का अधिकांश राजनैतिक व्यवहार तो सामान्यत: हिन्दी माध्यम से ही चलता है। सभी आम चुनावों में राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जो भाषण किए जाते हैं, सामान्यतया वे हिन्दी में ही होते हैं। राजनैतिक कार्यों में लगे लोग अपने दृष्टिकोण को जनता को समझाने और उन्हीं की भाषा में पहुंचाना कल्याणकारी समझते हैं जिससे जनता के साथ भावनात्मक एकता बन सके। इस गुण की कसौटी पर हिन्दी पूरी तरह से खरी उतरती है। आर्थिक व्यवहार की दृष्टि से भी हिन्दी में अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

5. शब्दावली की उपलब्धता :—भारत सरकार के तकनीकी व पारिभाषिक शब्दावली आयोग की ओर से कई लाख शब्दों को और अभिव्यक्तियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। यह प्रश्न अब लगभग समाप्त हो गया है कि हिन्दी में शब्द नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को इस तथ्य की जानकारी हो गई है कि हिन्दी में लाखों शब्दों का भण्डार मौजूद है।

6. पारिभाषिकता :—प्रशासन की शब्दावली अब पारिभाषिक होती जा रही है। किसी कार्य व्यापार के लिए एक पारिभाषिक शब्द का निश्चित किया जाना न्याय, प्रशासन, कानून आदि की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। परिभाषाएं भाषा में संक्षिप्तता लाती हैं। हिन्दी अब इस दृष्टि से भी संवर गई है।

7. निश्चितार्थता :—भ्रान्ति पैदा करने वाले या सन्देह पैदा करने वाले शब्दों में प्रशासन को भारी हानि हो सकती है। इसलिए प्रशासन की भाषा को श्लेष गुण की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि निश्चितार्थता की आवश्यकता होती है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिन्दी इस दृष्टि से भी उन्नत होती जा रही है और धीरे-धीरे यह गुण हिन्दी में पूरी तरह अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।

यह कहा जा सकता है कि भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी एक समर्थ, प्रौढ़ और सरल भाषा है। हमारा यह दायित्व हो जाता है कि इसे और समृद्ध करें तथा संवारें।

●●●

(पृष्ठ 35 का शेषांक)

देवनागरी के बिजली से चलने वाले टाइपराइटरों के उत्पादन की दिशा में भी प्रगति हुई है।

अब तक किए गए विविध उपायों से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से एक निर्धारित प्रपत्र में तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंगाई जाती हैं। इन रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि यद्यपि हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में अभी काफी प्रगति की जानी बाकी है फिर भी इन उपायों से सरकारी कामकाज में उसके प्रयोग में सुधार हुआ है। इस प्रसंग में कुछ आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1982-83 के पहले 6 महीनों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कुल 40833 कागज-पत्र जारी किए गए। इनमें से 37844 कागज-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में अर्थात् द्विभाषिक रूप में जारी हुए। इन 6 महीनों में 26016 सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी हुए। संसद को प्रस्तुत किए गए प्रलेखों की स्थिति विशेष तौर पर संतोषजनक रही। कुल 5408 प्रलेख द्विभाषिक रूप में संसद में प्रस्तुत किए गए।

इसी प्रकार वर्ष 1982-83 के पहले 6 महीनों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कुल 2,33,758 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 1,68,348 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गए। इस अवधि में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी ओर से 2,08,782 पत्र मूल रूप में हिन्दी में भेजे गए।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग, प्रोत्साहन, प्रेम तथा सद्भावना से ही बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहा है। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की जानकारी देने के लिये विभाग की तरफ से "राजभाषा भारती" नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है जिसमें राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं और उसके कार्यान्वयन में हुई प्रगति को उजागर किया जाता है। अब तक इसके 18 अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की सुविधा के लिए राजभाषा विभाग समय-समय पर हिन्दी के प्रयोग के बारे में जारी किए गए आदेशों का संकलन भी प्रकाशित करता है। इस संकलन का प्रथम संस्करण 1976 और द्वितीय संस्करण 1982 में प्रकाशित किया गया था।

यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है। आशा है सरकार के विभिन्न प्रयत्नों के परिणामस्वरूप निकट भविष्य में संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में और भी वृद्धि होगी। ●

हिन्दी सीखने में उड़िया भाषियों की कठिनाइयां

---चन्द्र मोहन तिवारी
हिन्दी प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना, कानपुर

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास-क्रम पर दृष्टि-पात करने से ज्ञात होता है कि हिन्दी (खड़ी बोली) शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी या नागरी है। दूसरी ओर उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है और उसकी लिपि उड़िया लिपि है। प्रकारान्तर से दोनों का जन्म माँ संस्कृत से ही हुआ है और दोनों लिपियां ब्राह्नी-लिपि से ही विकसित हुई है। किन्तु भौगोलिक स्थिति तथा कलावधि के प्रभाव के कारण दोनों भाषाओं एवं लिपियों में कुछ ऐसे अन्तर आ गये हैं जो एक भाषा-भाषी के समक्ष दूसरी भाषा सीखने के मार्ग में कठिनाईयों का रूप धारण कर लेते हैं। उड़िया भाषियों के हिन्दी सीखने के मार्ग में उपस्थित होने वाली कठिनाइयां मुख्यतः निम्नांकित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं :—

1. भाषायी कठिनाइयां,
2. लिपिकीय कठिनाइयां,
3. व्याकरणिक कठिनाइयां, और
4. कोशीय कठिनाइयां ।

1. भाषायी कठिनाइयां :

भाषायी अथवा भाषा वैज्ञानिक कठिनाइयों के संदर्भ में हम भाषा विज्ञान के विभिन्न विभागों पर सविस्तार विचार न करके मूलभूत आवश्यक तत्व अर्थात् भाषा की ध्वनियों पर ही सामान्य रूप से दृष्टिपात करना श्रेयस्कर समझते हैं क्योंकि किसी नयी भाषा के सीखने की पहली सीढ़ी ध्वनियां ही होती हैं। एक उड़िया भाषी के समक्ष हिन्दी ध्वनियों के सीखने में कुछ स्वरों एवं व्यंजनों के अन्तर के कारण जो असुविधाएं उत्पन्न होती हैं, उनका परिचय तुलनात्मक रूप से ही कराया जा सकता है।

2. स्वर :

संस्कृत भी परम्परा में विकसित सभी भाषाओं में 'अ' से 'औ' तक प्रायः सभी स्वर अनुस्वार और विसर्ग एक से पीछे आते हैं। उच्चारण-प्रक्रिया में उड़िया-हिन्दी आदि भाषाओं से ऋ-ॠ तथा ऌ-ॡ को लेकर, अलग हो जाती है।

3. ऋ और ॠ

हिन्दी, बंगला, असमी आदि भाषाओं में इन दोनों ध्वनियों का उच्चारण ईकार बहुल है अर्थात ऋ या ॠ का उच्चारण "रि" या "री" के निकट सुनाई पड़ता है। किन्तु उड़िया में इन ध्वनियों का उच्चारण उकार प्रधान हो जाता है। अर्थात् ये ध्वनियां क्रमशः "रु" और "रू" के निकट सुनाई पड़ती हैं, यथा :—

शब्द	हिन्दी उच्चारण	उड़िया उच्चारण
ऋषि	रिषि की तरह	रुषि की तरह
कृष्ण	क्रिष्ण	क्रुष्ण
मृग	म्रिग	म्रुग

सारांश यह है कि यह उच्चारणगत अन्तर उड़िया भाषियों के हिन्दी शब्दों के उच्चारण के मार्ग में एक समस्या बनी हुई है।

1.1.2 ऌ और ॡ

दोनों भाषाओं में इन ध्वनियों की भी ऋ और ॠ वाली ही स्थिति है। किन्तु ये ध्वनियां आधुनिक आर्य भाषाओं में सामान्यतया प्रयोग में नहीं हैं। इनका विस्तृत विवेचन भी यहां आवश्यक नहीं है।

1.2 व्यंजन :

व्यंजनों के क्षेत्र में हिन्दी और उड़िया में कुछ विशेष अन्तर परिलक्षित होते हैं। फलतः उड़िया-भाषियों को हिन्दी-व्यंजनों को लेकर जो कठिनाइयां होती हैं, वे इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है :—

1.2.1 वे व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में भेद है।

1.2.2 वे व्यंजन ध्वनियां जिनके उड़िया में दुहरे रूप किन्तु हिन्दी में या तो इकहरा रूप मिलता है अथवा वह विशिष्ट व्यंजन ध्वनि हिन्दी में है ही नहीं।

1.2.3 'ब' और 'व' ध्वनि :

1.2.4 सभी व्यंजन वर्णों की उच्चारण की प्रक्रिया में अन्तर।

1.2.1 इस वर्ग में हिन्दी की ङ, ञ, क्ष और ज्ञ ध्वनियां आती हैं। इनका उच्चारण उड़िया में लगभग निम्नलिखित रूप में होता है :—

ङ—वँ की तरह ञ—न्यिँ की तरह
क्ष—ख्य की तरह ज्ञ—ग्य की तरह

1.2.2 किसी विशेष व्यंजन ध्वनि के दोहरे रूपों को लेकर हिन्दी-उड़िया में एक विशेष अन्तर उत्पन्न हो जाता है, जिससे किसी उड़िया-भाषी के समक्ष उसके प्रयोग के समय एक विचित्र समस्या उठ खड़ी होती है। प्रयोग के आधार पर उन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है :—

1.2.2.1 'ज' और 'य' ध्वनि :—

हिन्दी में एक 'ज' ध्वनि और एक 'य' ध्वनि है। किन्तु उड़िया में तीन ध्वनियां हैं :—

ज (वर्गीय ज)
ज (अन्तस्थ ज) वर्णमाला में
यह वर्ण 'य' के साथ ही लिखा जाता है।

प्रयोग :—वर्गीय 'ज' जगत, जल, लाज, आदि
अन्तस्थ 'ज' जम, जमुना, जहूरी, आदि।
'य' रामायण, पायस, दृश्य आदि।

1.2.2.3 उड़िया भाषा में 'ल' ध्वनि के भी दो रूप पाये जाते हैं जिनके प्रयोग और उच्चारण में अन्तर है। किन्तु हिन्दी में एक ही 'ल' उन दोनों का काम करता है। फलतः कोई उड़िया भाषी यह निर्णय शीघ्र नहीं कर पाता कि वह किसका उच्चारण करे। निम्न उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी :—

उड़िया ध्वनि—हिन्दी में उच्चारण
ल
ळ

प्रयोग :—ल—उच्चारण—ळ की तरह

यथा—बालक (बाळक) गोयाल (गोयाळ)
खेल (खेळ) काली (काळी)
कला (कळा) आदि।
ल—लाल, लक्ष्मण, लूण (नमक)
लम्पट, आदि।

1.2.2 'ब' और 'व'

हिन्दी में 'ब' और 'व' दोनों ध्वनियों का प्रयोग सर्वथा अलग-अलग होता है किन्तु मागधी वर्ग की भाषायें प्रायः 'ब' बहुला हुआ करती है और उड़िया भी उसी वर्ग की एक भाषा है। अस्तु, हिन्दी सीखने में किसी उड़िया भाषी के लिए 'ब' और 'व' का अन्तर कठिन हो जाता है।

1.3 उच्चारण प्रक्रिया :

हिन्दी में अकारान्त शब्दों का उच्चारण लिखित स्वरूप से हट कर हलन्त के अधिक निकट होता है जबकि उड़िया में अकारान्त ध्वनियों के उच्चारण में अन्तिम 'अ' ध्वनि की स्थिति लिखित स्वरूप के अधिक निकट होती है। अर्थात् एक 'अ' से अधिक (लगभग 1½ "अ" या 'अ्') की स्थिति में उच्चारित ध्वनि होती है यथा :—

शब्द	हिन्दी उच्चारण	उड़िया उच्चारण
राम	राम्	रामऽ
मोहन	मोहन्	मोहनऽ आदि

2. लिपीय या लिपिकीय कठिनाइयां :

प्रस्तुत पक्ष पर विचार करते समय दो तथ्य विशेष रूप से हमारे समक्ष उभर कर आते हैं और वे हैं :—

2.1 नागरी और उड़िया लिपियों के वर्गों में अन्तर।

2.2 नागरी की शिरो रेखा और उड़िया का वर्तुलाकार स्वरूप।

2.1 हिन्दी की लिपि देवनगारी या नागरी है और उड़िया की उड़िया। ये दोनों लिपियां 'ब्राह्मी" से ही विकसित हुई हैं जिससे दोनों में पर्याप्त समानता है। तथापि दोनों के बहुतेरे वर्ण बिलकुल भिन्न हैं और वे हैं—ख, ङ, च, छ, झ, ड, ण, त, फ, भ, य, र, श, ह, क्ष, य, ज्ञ। इसके अतिरिक्त क़, ख़, ग़, ज़, और फ़ का प्रयोग उड़िया में नहीं होता।

2.2 अन्य भारतीय आर्य भाषाओं की लिपियों की ही तरह नागरी भी शिरोरेखा बहुला है। इसके ठीक विपरीत उड़िया लिपि वर्तुलाकृति-प्रधान लिपि है। अतः हिन्दी सीखने में शिरो-रेखा देने का काम किसी उड़िया भाषी के लिए कठिन समस्या का रूप धारण कर लेता है :

3. व्याकरणिक कठिनाइयां :

हिन्दी व्याकरण के जिन प्रमुख तत्वों के कारण कोई उड़िया भाषी विशेष असुविधा का अनुभव करता है, वे ये हैं :—

3.1 लिंग विधान,

3.2 कारक और विभक्ति,

3.3 वचन परिवर्तन,

3.4 क्रियायें,

3.5 वाक्य संरचना।

स्थानाभाव के कारण हम यहां स्थालीपुलाक-न्याय का सहारा लेते हुए अति संक्षेप में ही दोनों भाषाओं के तद्विषयक मौलिक अन्तरों की ओर ही संकेत करना चाहेंगे। अस्तु —

3.1 लिंग विधान :

हिन्दी में कर्ता अथवा कर्म के अनुसार मुख्य क्रियाओं का लिंग परिवर्तित होता है। इसके वितरीत मागधी वर्ग की भाषाओं (उड़िया बंगला) आदि में कर्ता या कर्म के लिंग से क्रिया प्रभावित

नहीं होती। यह अन्तर उड़िया भाषियों के लिए भी विकट समस्या के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जैसे :—

हिन्दी	राम	जाता है।
	सीता	जाती है।
उड़िया	राम	जाउ छी।
	सीता	जाउ छी।

सजीव संज्ञाओं की अपेक्षा निर्जीव संज्ञाओं का लिंग निर्णय करना उड़िया भाषियों के लिए और भी कठिन हो जाता है।

3.2 वचन :

संज्ञा या सर्वनाम के वचन परिवर्तन में उत्पन्न होने वाले विकार भी उड़िया भाषा से भिन्न होने के कारण समस्या बने हुए हैं, यथा : —

शब्द	हिन्दी		उड़िया	
	एक वचन	बहु वचन	एक वंचन	बहु वचन
लड़का	लड़का	लड़के या लड़कों	पुअ पिला	पुअ पिलामाने
लड़की	लड़की	लड़कियां/यों	झिअ पिला	झिअ पिलामाने

3.3 कारक और विभक्तियां :

व्याकरणिक कठिनाइयों के क्षेत्र में कारकों और विभक्तियों की असुविधा लिंग के बाद दूसरे दर्जे पर आती है। इनमें भी किसी उड़ियाभाषी के लिए सबसे बड़ी जटिल समस्या प्रयोग को लेकर उठ खड़ी होती है। इसका कारण है उड़िया में कर्ता कारक के किसी विशेष चिह्न का न होना। यथा—

हिन्दी	उड़िया
मैंने देखा था	मूं देखी थिली।

कहीं-कहीं उड़िया में विभक्ति लगाकर ही काम चलाया जाता है जबकि हिन्दी में अलग से कारक चिह्न का प्रयोग होता है, जैसे सम्बन्ध कारक में :

हिन्दी	उड़िया
राम का भाई	रामर भाई
राम की बहन	रामर भउषी

3.4 क्रियायें :

मूल क्रिया के धातु-रूप प्रायः सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में एक से हैं। अन्तर मात्र प्रयोगानुसार लगने वाले प्रत्ययों से ही उत्पन्न होता है। दूसरी ओर सहायक क्रियाओं के विविध रूपों का अन्तर भी कठिनाई का कारण बनता है। जैसे :—

हिन्दी	उड़िया
मैं जाता हूं	मूं जाऊ छी।
मैं गया	मूं गली।
मैं जाऊंगा	मूं जीबी।

3.5 वाक्य संरचना :

उपर्युक्त व्याकरणिक कोटियों के अन्तरों से वाक्य-संरचना की क्रिया भी प्रभावित होती है। फलतः हिन्दी वाक्यों का गठन-कार्य भी उड़िया भाषियों को कठिन प्रतीत होने लगता है।

4. कोशीय कठिनाइयां :

इस संदर्भ में शब्दों के अर्थ-बोध की समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे शब्द हिन्दी के हैं जो वर्तनी की समानता होने पर भी उड़िया में अलग अर्थ रखते हैं, जैसे :—

शब्द	हिन्दी-अर्थ	उड़िया-अर्थ
छोटा	लघु	लंगड़ा
काला	रंग विशेष	बहरा
राग	प्रेम-स्वर (संगीत)	क्रोध

बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जो हिन्दी में अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं किन्तु उड़िया में उनका प्रयोग अश्लील अर्थ में ही किया जाता है। अतः एक उड़िया भाषी जानते हुए भी उनका प्रयोग नहीं कर पाता।

उपर्युक्त विवरणों में किसी उड़िया भाषी के समक्ष हिन्दी सीखने के क्षेत्र में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर संकेत मात्र किया गया है। इनका समाधान ढूंढ़ने के लिए इनके गहन अध्ययन की आवश्यकता है। □ □ □

"देशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है"

महात्मा गांधी

सर्व भारतीय साहित्य : शिखर की तलाश

—रंगनाथ राकेश

उप सम्पादक, 'राजभाषा भारती'

'राजभाषा भारती' के 14वें अंक में मलयालम के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, कवि एवं चिन्तक श्री जी० शंकर कुरूप की एक कृति का परिचय दिया गया था। इसी क्रम में 15–16वें अंक में बंगाल के स्वर्गीय ताराशंकर बंद्योपाध्याय की पुरस्कृत कृति 'गण देवता' का विवेचन प्रस्तुत किया गया था। 17–18वें अंक में कन्नड़ के डॉ० पुट्टप्पा तथा गुजराती के डॉ० उमा शंकर जोशी की कृतियों का परिचय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। इस अंक में हिन्दी काव्य जगत के तथा 'कवियों में सौम्य सन्त' स्वर्गीय सुमित्रानन्दन पन्त की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कृत काव्य-कृति 'चिदम्बरा' की दो कविताएं तथा उनका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है।

—सम्पादक

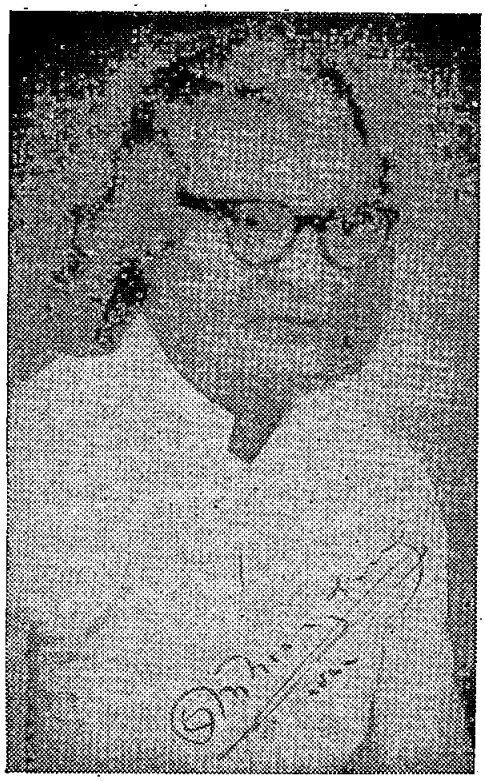

सुमित्रानन्दन पन्त का नाम लेते ही उनकी प्रतिभा का वह कोमलतम तथा व्यापक सूक्ष्म भावतत्व तितली के रंगीन परों की तरह फड़फड़ा उठता है जिसे देखकर हम विमुग्ध और मोहित तो हो सकते हैं लेकिन उसकी रंगीनी को ज्यों का त्यों शब्दों में उतार अथवा बांध नहीं सकते। पन्त ने सर्वप्रथम ग्राम्य-जीवन के सौन्दर्य को एक अपूर्व भाव-भंगी में समस्त व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया। मेरे मन की सतह पर शैशवकाल में याद की गई "युगान्त" की दो पंक्तियां बरबस तिर उठती हैं: 'बांसों का झुरमुट/ सन्ध्या का झुटपुट / हैं चहक रही चिड़ियां / टी वी टी टुट-टुट्—!'

किसी कवि में भावना की प्रधानता इतनी प्रगाढ़ होती है कि भाषा पीछे रह जाती है और उसकी कविता अथवा गीत में वह तीव्रता अथवा मर्मस्पर्शिता नहीं आ पाती जो होनी चाहिए लेकिन पन्त में भाषा और भाव दोनों का ही प्रायः सामंजस्य दीखता है। उनकी भाषा में चित्रमयता है, एक स्वर-लहरी है तथा एक प्रकार की रसमयता है जो अपने आप में आषाढ़ के प्रथम कादम्बरी की तरह रिमझिम बरसती ही रहती है।

श्री सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म 20 मई सन् 1900 को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत कौसानी में हुआ था। वहीं गांव के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा हुई फिर वह वाराणसी आ गये और जयनारायण हाई स्कूल से स्कूल लीविंग परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेण्ट्रल कालेज में प्रवेश किया, पर इण्टरमीडिएट की परीक्षा में बैठते कि उससे पहले ही 1921 में असहयोग आन्दोलन के आवर्त में आ गये। उन्हें फिर संघर्षों के एक लम्बे युग को पार करना पड़ा। निरन्तर यह चेष्टा भी करते रहे कि किसी प्रकार कुछ निश्चिन्त हों और अपने को काव्य एवं साहित्य की साधना में लगा सकें, क्योंकि यह बहुत पहले ही उन्होंने समझ लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य और कार्य यदि कोई है तो वह काव्य-साधना ही।

मैं मैकदे की राह से गुजर गया—
वरना सफ़र हयात का काफी तवील था!

सन् 1950 तक जैसे उनका अपना कोई घर न था। उन्हें विवश होकर बराबर ही मित्रों के साथ रहना पड़ता था।

यही काल था जब पंतजी की भाव-चेतना ने महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गान्धी और श्री अरविन्द की रचनाओं के प्रभाव ग्रहण किये। साथ ही, कुछ मित्रों ने मार्क्सवाद के अध्ययन की ओर भी उन्हें प्रवृत्त किया और उसके विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पक्षों को उन्होंने गहराई से देखा, समझा। 1950 में उनके जीवन में एक मोड़ आया जब वह सूचना प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत आकाशवाणी से सम्बद्ध हुए। सात वर्ष तक उन्होंने हिन्दी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया। उसके बाद साहित्य-सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। 1950 से 1960 के दशक में उनके काव्य एवं आधुनिक हिन्दी साहित्य में उनके अवदान का विवेचन-मूल्यांकन करती अनेक रचनाएं प्रकाश में आयीं। चार-पांच आलोचनात्मक अध्ययन तो सन् 1951 में ही प्रकाशित हुए।

1960 में उनकी षष्टिपूर्ति के अवसर पर उनका बड़ा भव्य अभिनन्दन किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ के विशेष सहयोग से कुछ साहित्यिक संस्थाओं ने जिस समारोह की आयोजना की उसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सम्पन्न की और स्मारिका के रूप में इस अवसर पर "रूपाम्बरा' शीर्षक से हिन्दी के प्रकृति काव्य का एक विशिष्ट संकलन भी ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। हिन्दी के पांच शीर्ष कवियों—मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, बच्चन, अज्ञेय और नरेन्द्र शर्मा ने अपनी-अपनी एक मौलिक अथवा संकलित काव्य कृति प्रकाशित करायी और अभिनन्दन समादर स्वरूप उन्हें भेंट कीं।

1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण उपाधि से सम्मानित किया। इसी वर्ष उन्होंने सोवियत रूस, इंग्लैण्ड तथा अन्य कई योरोपीय देशों का भ्रमण किया और 'कला और बूढ़ा चांद' शीर्षक काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। 1964 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एक विशेष साहित्य पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया और अगले वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि से विभूषित किया। 'देव पुरस्कार' और 'द्विवेदी स्वर्ण-पदक' वह पहले ही प्राप्त कर चुके थे। विक्रम विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी० लिट्० की मानद उपाधियां प्रदान की हैं।

सुमित्रानन्दन पंत आधुनिक हिन्दी साहित्य के एक युग प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने भाषा को निखार और संस्कार देने, उसकी सामर्थ्य को उद्घाटित करने तथा सौन्दर्य और लालित्य की दृष्टि से उसे एक सन्तोषजनक रूप प्रदान करने के अतिरिक्त जो नव-नवीन विचार-भावों की समृद्धि दी है वह क्रान्तिकारी प्रतिभा सम्पन्न कवि से ही सम्भव थी। विगत पांच दशकों के साहित्य जगत की वह एक ऐसी जागरूक एवं ऊर्जस्वी प्रतिभा हैं जो अपनी महान् कृतियों के द्वारा कीर्तिगौरव की नित नयी सारणियां उद्भासित करते आये हैं। उन्होंने हिन्दी भाषा और उसके माध्यम से आधुनिक युग की समग्र काव्य चेतना को एक अपूर्व प्रभावगुण से अभिमंडित किया है। इतना ही नहीं, शब्दों की शक्ति-सामर्थ्य अपने वाच्यार्थ से बहुत दूर आगे तक जाती है इसे भी सबसे पहले पहचानने और प्रकट करने का श्रेय, आधुनिक हिन्दी काव्य में, उन्हीं को है. उन्होंने ही खड़ी बोली की प्रकृति को देखते-समझते हुए छन्दों के स्वरबलयुक्त रूप को प्रचलित करने का सबसे पहले प्रयास किया। छन्द और भाव प्रवाह, शैली और विषयवस्तु एवं शब्द और उनके अर्थ में समस्वरता उनकी काव्यकला की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी सौन्दर्य विषयक अभिव्यंजना इतनी तटस्थतापूर्ण होती है कि उसके प्रति उनके अपने राग और सम्पृक्तता भाव को पहचानना सरल नहीं होता। उसमें यह विशेष प्रभावगुण भावों और लय के परस्पर सामंजस्य के ही फलस्वरूप आता है। उनमें कला सहज रूप से उद्भूत होती है जो उनकी अभिव्यंजना को आप-से-आप एक सन्तुलन, मार्दव और माधुर्य दे देती है। 'विभाति लावण्यमिवांगनासु'—पंत में यही 'लावण्य' सर्वत्र है।

यों तो सुमित्रानन्दन पन्त का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही गीतात्मक है। वह मूलतः और मुख्यतः 'गीतिकार' हैं। प्रकृति के साथ उनकी भावात्मक ऐक्य की अनुभूति उनके काव्य में बड़ी सशक्तता से मुखरित हुई है। जो पुलकभरी भावाकुलता और भावुक समर्पणशीलता पंत जी के प्रकृति-काव्य की विशिष्टता है वह तो छायावादी कवियों में भी अन्यत्र नहीं मिलतीं। बीच-बीच में रहस्य और अध्यात्म के स्पर्श आ जाने से, जो उनके प्रकृति चित्रण को एक झीनी उदात्तता से मण्डित करते हैं, पंत जी का काव्य वस्तुतः अनूठा और अनुपम हो उठा है। उनके नारी सौन्दर्य के वर्णन में भी एक ऐसी सजीव व्यक्तिमूर्ति का द्योतन होता है जो व्यापक गुण-लक्षणों से युक्त होकर रीतिकालीन कवियों के अतिरंजनापूर्ण बाह्य रूपपरक चित्रणों से सर्वथा भिन्न रहता है।

पन्त जी सदा ही अत्यन्त सशक्त और ऊर्जस्वी कवि रहे हैं। उनकी प्रकृति विषयक प्रारम्भिक कविताओं का सरल बालोचित विस्मय-विमुग्धता का भाव इतना चित्ताकर्षी होता था कि उन्हें प्रधानतः प्रकृति का कवि माना जाने लगा। किन्तु, वास्तव में, पंत जी तो मानव-सौन्दर्य और आध्यात्मिक संचेतना के भी उतने ही कुशल कवि हैं इसीलिए धीरे-धीरे सम्पूर्ण मानव जाति के सामाजिक पुनरुत्थान के प्रति भी उनकी निष्ठा विकसित हुई है।

पन्त जी का 'पल्लव', 'ज्योत्स्ना' तथा 'गुंजन' का काल (1926–33) उनकी सौन्दर्य एवं कला-साधना का रचनाकाल रहा है। वह मुख्यतः भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आदर्शवादिता से अनुप्राणित थे। प्रकृति की एक सौन्दर्य-स्थली में पैदा होने के कारण उनकी उस काल की रचनाओं में स्वभावतः प्रकृति-प्रेम तथा सौन्दर्य भावना का प्राधान्य रहा है, साथ ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंगरेजी कवियों की आशावादिता तथा कला-शिल्प का भी हाथ उन्हें संवारने में रहा है। पर्सी बिशी शैली की उदात्त कल्पना, कीट्स की सूक्ष्म कलात्मक दृष्टि, वर्ड्स्वर्थ का गम्भीर प्रकृति-प्रेम तथा टेनिसन

और स्विनबर्न का सूक्ष्मतर भाषाबोध, इन सब ने उनके मन को आकर्षित किया। एक प्रकार से वह उनका काव्यकलाजनित मूल्य-विन्यास का युग था। किन्तु 'युगान्त' (1937) तक आते-आते बहिर्जीवन के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके भावनात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन आये। जो सहज भी था।

'चिदम्बरा' काल के बाद 'लोकायतन' (1964) में उन्होंने धरती की चेतना ही को मुख्य स्थान दिया है और सीता का रूपक बांध कर उसे मध्ययुगीन नैतिक संस्कारों तथा रूढ़ि-रीतियों की शृंखलाओं से मुक्त कर धरा-चेतना का नवीन युग के अनुरूप मानवीकरण तथा आधुनिकीकरण किया है। 'पल्लव', 'गुंजन' काल में कला-संस्कार की समीक्षा के बाद तथा 'ज्योत्स्ना' में एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक स्वर्ग की सम्भावनाओं की एक मोटी रूपरेखा दृष्टिगोचर होने के बाद उनके मन में नवीन युग के अनुरूप नवीन जीवन-मूल्यों का संघर्ष नये-नये रूप धारण करने लगा।

'स्वर्ण किरण' तथा उसके बाद की रचनाओं में उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य को वाणी न देकर व्यापक मानवीय, सांस्कृतिक तत्व को अभिव्यक्ति दी है जिसमें अन्न-प्राण, मन-आत्मा आदि मानव जीवन के सभी स्तरों की चेतना को संयोजित करने का प्रयत्न किया गया है। ये रचनाएं अनेक आलोचकों को विचार-चिन्तन गर्भित लगती हैं। वास्तव में वे नये विश्वजीवन की अनुभूति-जनित भावना के घनत्व के कारण बोझिल प्रतीत होती हैं। 'लोकायतन' में उन्होंने किसी महान् व्यक्तित्व को जन्म न देकर मानव चेतना को ही उसके नायक या नायिका के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो विश्वविकास के क्रम में निरन्तर आगे बढ़ती जाती है।

अपनी इधर की रचनाओं में पन्त जी ने मानव-हृदय के सत्य पर तथा उस सत्य को जीवन के सम्मुख लाने पर ही अधिक बल दिया था। आज के आध्यात्मिक पुनर्जागरण तथा वैज्ञानिक अवतरण के युग में समस्त ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी सम्पदा से सम्पन्न होते हुए भी उन्हें मानव में हार्दिकता-मार्मिकता का अभाव लगता है, जिसके कारण उसके जीवन-निर्माण के प्रयत्न मानवीय न होकर निर्मम यान्त्रिकता के प्रतीक बनते जा रहे हैं। पन्त जी को बाहरी-भीतरी सभी प्रकार की साधनाओं के लिए हृदय का पथ अधिक सुगम, सरल तथा लोकजीवन के निकट लगता है। 'युगवाणी' में उन्होंने लिखा था कि आध्यात्म अपनी सूक्ष्म उपलब्धियों को जीवन्त करने के लिए वैज्ञानिक युग के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। अब उन्हें लगता कि विज्ञान और आध्यात्म के भौतिक और आध्यात्मिक उपकरणों का मानवीय उपयोग केवल मानव-हृदय के सत्य को ही प्रमुखता दे कर सम्भव हो सकता है।

'चिदम्बरा' सन् 1958 का प्रकशन है। इसमें 'युगवाणी' (1937–38) से 'अतिमा' (1954) तक कवि की 10 कृतियों से चुनी हुई 196 कविताएं संकलित हैं। एक लम्बी आत्मकथात्मक कविता 'आत्मिका' भी इस में सम्मिलित है जो 'वाणी' (1957) से ली गयी है। 'चिदम्बरा' पन्त जी की काव्य-चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है।

इन कविताओं के विषय में कवि का वक्तव्य है कि : 'द्वितीय उत्थान के इस सर्जनात्मक कृतित्व की उपयुक्त संज्ञा 'नव संचेतना की कविता' हो सकती है, जिसमें एक सुसंस्कृत, समस्वर एवं व्यापक सामाजिक प्रतिमान के तत्व भी समाये हों और एक ऐसी नयी मानवता के भी जो जीवन-अस्तित्व के दोनों स्तरों—विचार भावना का उच्चतर स्तर और सहविस्तारी दिशाओं का सामान्य स्तर दोनों को अपने में समाविष्ट करती हो। मेरी कविता प्रधानतः वर्तमान युग के 'महाकाय संघर्ष की कविता' है। जो लोग इस नये युग के संघर्ष को वर्ग-संघर्ष तक ही संसीमित रखते हैं और निरे ऊपरी भाव में अर्थशास्त्र और राजनीति की भाषा में उसकी व्याख्या करते हैं उनकी गिनती न करते हुए मेरा आग्रहपूर्वक कहना है कि 'युगवाणी' से 'वाणी' तक मेरी समग्र कविता आज के मानव के अन्तः संघर्ष की कविता है। मेरी काव्यगत चेतना मध्ययुगीन नैतिक एवं बौद्धिक अन्धकार तथा उसके दिये जीवन के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण से ही संघर्ष में आबद्ध नहीं रही, उसने मानव के उज्ज्वलतर भविष्य की ओर अग्रसर होने के मार्ग की अन्य समस्त बाधाओं के विरुद्ध भी अनवरत संघर्ष किया है।' प्रस्तुत हैं उनकी दो प्रतिनिधि कविताएं—'वाणी' तथा 'महात्मा जी के प्रति' :—

वाणी

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार,
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार !
भव—कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित,
जग का रूपांतर भी जनैक्य पर अवलम्बित;
तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार,
कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार;
वाणी, मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार !

चित् शून्य, आज जग नव निनाद से हो गुंजित,
मन जड़, उसमें नव स्थितियों के गुण हों जागृत,
तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर-पार
झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार;
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार !

युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द,
शब्दित कर भावी के सहस्र शत मूक अब्द;
ज्योतित कर जनमन के जीवन का अंधकार
तुम खोल सको मानव उर के निःशब्द द्वार
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार !

महात्मा जी के प्रति

निर्वाणोन्मुख आदर्शों के अन्तिम दीप शिखोदय !
जिनकी ज्योति—छटा के क्षण से प्लावित आज दिगंचल,
गत आदर्शों का अभिभव ही मानव आत्मा की जय,
अतः पराजय आज तुम्हारी जय से चिर लोकोज्वल!

मानव आत्मा के प्रतीक ! आदर्शों से तुम ऊपर,
निज उद्देश्यों से महान, निज यश से विशद चिरंतन,
सिद्ध नहीं, तुम लोक सिद्धि के साधन बने महत्तर,
विजित आज तुम नर वरेण्य, गणजन विजयी साधारण !

युग-युग की संस्कृतियों का चुन तुमने सार सनातन,
नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाहा भव शुभकर,
साम्राज्यों ने ठुकरा दिया युगों का वैभव पाहन—\
पदाघात से मोह मुक्त हो गया आज जन-अंतर
दलित देश के दुर्दम नेता, हे ध्रुव, धीर, धरन्धर,
आत्म शक्ति से दिया जाति-शव को तुमने जीवन बल;
विश्व सभ्यता का होना था नख-शिख नव रूपांतर,
राम-राज्य का स्वप्न तुम्हारा हुआ न यों ही निष्फल !

विकसित व्यक्तिवाद के मूल्यों का विनाश था निश्चय,
वृद्ध विश्व सामंत काल का था केवल जड़ खँडहर;
है भारत के हृदय ! तुम्हारे साथ आज निःसंशय,
चूर्ण हो गया विगत सांस्कृतिक हृदय जगत का जर्जर !
गत संस्कृतियों का, आदर्शों का था नियत पराभव,
वर्ग व्यक्ति की आत्मा पर थे सौध धाम जिनके स्थित
तोड़ युगों के स्वर्ण-पाश अब मुक्त हो रहा मानव,
जन मानवता की भव-संस्कृति आज हो रही निर्मित
किए प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जन-जीवन पर,
भावादर्श न सिद्ध कर सके सामूहिक जीवन-हित,
अधोमूल अश्वत्थ विश्व, शाखाएं संस्कृतियां वर
वस्तु विभव पर ही जनगण का भाव विभव अवलंबित !

वस्तु सत्य का करते भी तुम जग में यदि आवाहन
सबसे पहले विमुख तुम्हारे होता निर्धन भारत,
मध्य युगों की नैतिकता में पोषित शोषित-जनगण,
बिना भाव स्वप्नों को परखे कब हो सकते जाग्रत ?
सफल तुम्हारा सत्यान्वेषण, मानव सत्यान्वेषक;
धर्म नीति के मान अचिर सब, अचिर शास्त्र, दर्शन मत,
शासन, जनगण-तंत्र, अचिर, युग-स्थितियां जिनकी प्रेरक,
मानव गुण, भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत् !
पूर्ण पुरुष, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अहिंसक,
मुक्त-हुए-तुम-मुक्त-हुए-जन, हे जग वंद्य महात्मन्
देख रहे मानव भविष्य तुम मनश्चक्षु बन अपलक,
धन्य, तुम्हारे ही चरणों से धरा आज चिर पावन !

●●●

"हमारे लिए यह परम सौभाग्य और गर्व की बात है कि भारत में अनेक महान भाषाएं हैं और वे एक-दूसरे से संबंधित हैं। हमें इन सभी भाषाओं को समृद्ध बनाना चाहिए तथा अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रति विरोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। सभी भाषाएं युगों-युगों से विकसित होकर भारत की मिट्टी में ही पनपी और बढ़ी हैं। इनमें से किसी एक भाषा की क्षति सारे भारत की क्षति है।"

—जवाहरलालनेहरू

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें : कुछ प्रमुख निर्णय

इस्पात और खान मंत्रालय

इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 2–11–82 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थ :—

1. श्री नारायण दत्त तिवारी, अध्यक्ष
   उद्योग, इस्पात और खान मंत्री ।
2. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, उपाध्यक्ष
   उद्योग, इस्पात और खान मंत्रालय में
   राज्य मंत्री ।
3. श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य । सदस्य
4. श्री लाडली मोहन निगम, संसद सदस्य । सदस्य
5. श्री कालीचरण शर्मा, संसद सदस्य । सदस्य
6. श्रीमती कमला रत्नम् सदस्य
7. श्री जगन्नाथ मिश्र सदस्य
8. श्री कृष्ण माधव चौधरी सदस्य
9. श्री ए० एस० गिल, सदस्य
   सचिव, इस्पात विभाग ।
10. श्री आर० गणपति, सदस्य
    सचिव, खान विभाग ।
11. श्री शा० प्र० सिंह, सदस्य
    संयुक्त सचिव, खान विभाग।
12. श्री सी० एस० वीनूगोपाल, सदस्य
    अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
    नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन,
    हैदराबाद ।
13. श्री एस० के० मुखर्जी, सदस्य
    महानिदेशक,
    भारतीय भू-वैज्ञानिक, कलकत्ता ।
14. श्री प्रेम दयाल गुप्त, सदस्य
    अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
    भारत गोल्ड माइन्स लि० ।
15. श्री इन्द्र मोहन आगा, सदस्य
    अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
    भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ।
16. श्री ह० वि० पालीवाल, सदस्य
    महा-प्रबन्धक (अ० आ० वि०)
    हिन्दुस्तान जिंक लि० ।
17. श्री महीप सिंह, सदस्य
    अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
    खनिज गवेषण निगम ।
18. श्री देवकी नन्दन भार्गव, सदस्य
    महा-नियन्त्रक,
    भारतीय खान ब्यूरो ।
19. श्री पी० सी० गुप्त, सदस्य
    अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
    मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० ।
20. श्री देवेन्द्र चरण मिश्र,
    निदेशक, राजभाषा विभाग ।
21. श्री राजमणि तिवारी,
    वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी,
    राजभाषा विभाग ।
22. श्री ईश्वर चन्द्र कुमार,
    संयुक्त सचिव,
    इस्पात विभाग ।
23. श्री सुरेश कुमार,
    संयुक्त सचिव,
    इस्पात विभाग ।
24. श्री त्रिलोचन सिंह,
    संयुक्त सचिव,
    इस्पात विभाग ।
25. श्री विजय कुमार अग्रवाल,
    उप सचिव,
    इस्पात विभाग ।
26. श्री डी० के० आचार्य,
    उप सचिव,
    खान विभाग ।
27. श्रीमती निर्मला बुच,
    संयुक्त सचिव,
    इस्पात विभाग । सदस्य सचिव

प्रारम्भ में उद्योग, इस्पात और खान मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने बैठक में आए सभी सदस्यों का स्वागत किया और उनको इस्पात और खान मंत्रालय के दोनों विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति से अवगत कराया। संक्षेप में उन्होंने बताया कि जैसा कि पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था, समिति के माननीय सदस्यों ने मंत्रालय के अधीन नागपुर, उदयपुर और कलकत्ता स्थित कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का निरीक्षण किया है। माननीय सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में इन कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बारे में जो सुझाव दिए हैं, वे सम्बन्धित कार्यालयों/उपक्रमों के विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिए गए हैं।

जहां तक दोनों विभागों का सम्बन्ध है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ हिन्दी शिक्षण योजना तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती है और कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना तथा पत्राचार पाठ्यक्रम का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है। विगत दो सत्रों में अकेले 'सेल' से 1050 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया है। कार्मिकों के हिन्दी शिक्षण के लिए 'लर्न देवनागरी' नामक फिल्म भी खरीदी गयी है। सभी यूनिटों में हिन्दी सिखाने के लिए कैसेट उपलब्ध कराए गए हैं। 'इस्को' (बर्नपुर) एवं मुख्यालय में कैसेट संग्रहालय भी हैं जहां से कर्मचारी कैसेट घर भी ले जा सकते हैं।

'सेल' प्रतिवर्ष अपने सभी कारखानों/कार्यालयों के हिन्दी अधिकारियों का सम्मेलन बुलाता है जिसमें हिन्दी-कार्यान्वयन के मामले में आने वाली समस्याओं एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में भी गहराई से विचार किया जाता है। इस प्रकार का चौथा सम्मेलन दिसम्बर, 1981 में भिलाई में आयोजित किया गया था। कार्मिकों को कार्यालय का कार्य हिन्दी में करने का अभ्यास कराने और राजभाषा सम्बन्धी सरकार की व्यवस्थाओं से परिचित कराने के लिए कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। 'इस्को' कारखाने और लुधियाना, चण्डीगढ़ आदि शाखा विक्रय कार्यालयों में पिछले दिनों कार्यशालाएं चलाई गई हैं। कर्मचारियों एवं हिन्दी अनुभागों की सहायता के लिए अनेक पुस्तिकाएं भी तैयार की गई हैं। इनके नाम हैं :—हिन्दी कार्यशाला पुस्तिका, प्राध्यापक दर्शिका, इस्पात शब्दावली आदि।

इस्पात उद्योग में प्रचलित हिन्दी तकनीकी शब्दावली तैयार करने में 'सेल' केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को सहयोग दे रहा है। लगभग 900 अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों को हाल ही में अन्तिम रूप भी दिया जा चुका है।

भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की भंडारीदह इकाई में प्रत्येक माह हिन्दी में सबसे अधिक काम करने वाले कर्मचारी को 25 रुपए नकद पुरस्कार देने की योजना लागू की गई है। इसके अलावा हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाली इकाई को एक शील्ड देने की योजना भी लागू की गई है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड मुख्यालय की अधिकतर फाइलों पर विषय हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 3,000 है। कल्याणात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित 25 फाइलों पर टिप्पणियां हिन्दी में की जाती हैं। इसके अलावा श्रमिकों द्वारा अर्जित वेतन और कार्य का विवरण दर्शाने वाली वेतन चिट्ठियां केवल हिन्दी में तैयार की जाती है जिनकी संख्या 13,000 है। कामगारों के नियुक्ति प्रस्ताव केवल हिन्दी में भेजे जाते हैं।

इस्पात विभाग के अधीन सभी उपक्रमों द्वारा गृह-पत्रिकाएं हिन्दी में निकाली जा रही हैं।

समिति के अध्यक्ष एवं उद्योग, इस्पात और खान मंत्री जी ने खान विभाग और उसके अधीन कार्यालयों/उपक्रमों में सरकार की राजभाषा नीति के पालन कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए कहा कि खान विभाग ने अप्रैल, 1981 से अर्द्धन्यायिक ट्रिबुनल आदेश हिन्दी में पारित और जारी करके एक मिसाल कायम की है और खान विभाग के हिन्दी अधिकारी तथा ट्रिबुनल के जज इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारतीय-भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का बृहत् कार्यक्रम हिन्दी में प्रकाशित और जारी करके एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकाशन को मंत्री जी ने सभी सदस्यों को बैठक में प्रदर्शित किया। समिति के सदस्य सर्वश्री कृष्ण माधव चौधरी, लाडली मोहन निगम, रामचन्द्र भारद्वाज आदि ने इस प्रयास की तारीफ की।

इसके बाद समिति की 22–5–1982 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा इस बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित मुद्दों पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

1. कार्यालयों/उपक्रमों को हिन्दी अथवा भारतीय नाम देना

श्री कृष्ण माधव चौधरी का सुझाव था कि 'नालको' उड़ीसा का नाम 'राष्ट्रीय एल्युमिनियम प्रतिष्ठान' रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नाम रखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो नाम रखा जाए वह वहां के लोग सामान्यतः स्वीकार कर लें। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस कम्पनी का नाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० रखने पर वहां के लोगों में बहुत भ्रांति पैदा हो गयी थी और वहां के लोगों को यह समझाने में बड़ी कठिनाई आई कि इस कारखाने का नाम विशाखापत्तनम स्टील प्लांट ही है और इस कारखाने को लगाने के लिए जो कम्पनी बनाई गई है, उसका नाम राष्ट्रीय

इस्पात निगम लि० रखा गया है । अतः इन सभी पहलुओं को सावधानी से देखना होता है ।

2. कार्यालयों/उपक्रमों के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण

सदस्यों का सुझाव था कि निरीक्षणों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और सम्बन्धित कार्यालयों/उपक्रमों के अधिकारी इसको गम्भीरतापूर्वक लेते हैं । उनका सुझाव था कि अगले निरीक्षण कार्यक्रम में उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, कर्नाटक क्षेत्र में भारत गोल्ड माइन्स लि० और कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि०, खेतड़ी कापर कम्पलेक्स तथा दिल्ली में 'सेल' और 'बालको' के कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का सुझाव स्वीकार कर लिया और कहा कि निरीक्षण कार्यक्रम आगे भी जारी रहे ।

3. हिन्दी अधिकारी/अनुवादक के पदनामों में परिवर्तन करना

श्रीमती कमला रत्नम का सुझाव था कि हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक के पद-नामों को बदल कर राजभाषा अधिकारी/राजभाषा सहायक आदि पदनाम रखे जाएं । राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ।

4. कार्यालयों/उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से न होना

श्री कृष्ण माधव चौधरी का कहना था कि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के कोरबा स्थित परियोजना तथा हिन्दुस्तान कापर लि० आदि में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं । प्रत्येक कार्यालय/उपक्रम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार नियमित रूप से बुलाई जानी चाहिए ।

5. कार्यालयों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण

श्री कृष्ण माधव चौधरी का सुझाव था कि निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए और उन सदस्यों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गईं तथा उनको दूर करने के लिए क्या-क्या सुझाव दिए गए ।

(हिन्दी अनुभाग/खान विभाग,
मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालय/उपक्रम)

6. हिन्दी के कार्य के लिये नये पदों का सृजन

श्री कृष्ण माधव चौधरी ने कहा कि हिन्दुस्तान कापर लि० के मलंजखण्ड और घाटशिला प्रोजेक्ट के लिए कुछ नये पद बने हैं जिनकी संख्या के बारे में मुख्यालय के हिन्दी अधिकारी को पता नहीं है । श्रीमती कमला रत्नम का कहना था कि इस प्रकार की जानकारी हिन्दी अधिकारी को अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि इस समिति की विभिन्न मदों के लिए जानकारी संकलित करने का काम हिन्दी अधिकारी करता है और अगर उसे पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी तो संगठन में प्रशंसा योग्य बात समिति के सामने नहीं आ पाएगी । अतः अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशकों को चाहिए कि वह इस बारे में सम्बन्धित प्रभागों को हिन्दी अधिकारियों के साथ समुचित सहयोग देने के लिए कहें । उन्होंने आगे कहा कि संगठनों में विभिन्न हिन्दी-पदों के भर्ती नियमों में मुख्यालय के हिन्दी अधिकारी के अलावा मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी का भी सहयोग किया जाए । श्री जगन्नाथ मिश्र का सुझाव था कि अन्य मंत्रालयों/विभागों की तरह इस्पात और खान मंत्रालय में भी वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के पद होने चाहिएं । इससे मंत्रालय तथा उसके कार्यालयों में हिन्दी का काम सुचारू रूप से करने में सहायता मिलेगी । इसी प्रकार भू-सर्वेक्षण संस्थान तथा भारतीय खान ब्यूरो में भी हिन्दी पदों का सृजन किया जाए । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विभिन्न हिन्दी पदों का सृजन शीघ्र ही कर दिया जाएगा और भर्ती के बारे में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(हिन्दी अनुभाग/स्थापना अनुभाग/
खान विभाग/मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालय/उपक्रम)

7. हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन

श्री रामचन्द्र भारद्वाज ने कहा कि कलकत्ता स्थित कार्यालयों के निरीक्षण के समय उन्हें पता चला कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न परीक्षाएं पास करने पर पुरस्कार देने में अलग-अलग भाषा-भाषियों के साथ भेदभाव बरता जाता है जिससे बंगाल में हिन्दी पढ़ने के प्रति वहां के लोगों में उत्साह नहीं है । यह भेदभाव समाप्त करना चाहिए । खान विभाग के हिन्दी अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय के दिनांक 26-4-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई०-12033/33/72-हिन्दी-1 के अन्तर्गत प्रबोध परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों--राजपत्रित तथा अराजपत्रित को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं । परन्तु जिस कर्मचारी ने किसी स्कूल प्राधिकरण/सरकारी अभिकरण या गर-सरकारी निकाय द्वारा ली जाने वाली प्राइमरी स्तर या उसके समकक्ष या इससे उच्च परीक्षा हिन्दी विषय के साथ पास की हो या जिसकी उस परीक्षा का माध्यम हिन्दी रही हो या जिसकी मातृ-भाषा हिन्दी हो या जो हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन 'ख' या 'ग' वर्ग में आता हो अर्थात् जिसकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी (वर्ग ख), मराठी, गुजराती, सिन्धी, बंगला, उड़िया, आसामी (वर्ग ग) तथा अन्य सम्बन्धित भाषा हो वह नकद पुरस्कार पाने का पात्र नहीं है ।

(राजभाषा विभाग)

8. हिन्दी सम्मेलन

श्रीमती कमला रत्नम का सुझाव था कि कलकत्ता में 'सेल' के विपणन संगठन का बहुत बड़ा कार्यालय है जिसके अधीन बहुत से शाखा कार्यालय आदि हैं । वहां वर्ष या दो वर्ष में एक बड़ा

सम्मेलन करें जिसमें किसी अच्छे हिन्दी जानकार को बुला कर इस्पात, खान और खनिज तथा अपने सम्बन्धित विषयों पर एक विशिष्ट भाषण करवाएं। भाषण हिन्दी में हो।

('सेल')

9. उत्पादों पर नाम, हिन्दी में लिखना

श्रीमती कमला रत्नम का सुझाव था कि जो सामान देश से बाहर जाता है उसके ऊपर नाम हिन्दी में होना चाहिए। इस तरह से देश का सम्मान बढ़ेगा। सूचना आदि भी हिन्दी में छापकर दें तो हिन्दी के प्रति राष्ट्र की भावना को सम्मानित किया जा सकता है।

10. हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक

श्री कृष्ण माधव चौधरी का सुझाव था कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक ऐसे समय पर रखी जाए जब संसद का अधिवेशन न हो और यदि संसद अधिवेशन के दौरान रखी जाए तो ऐसे दिन रखी जाए जिस दिन हमारे मंत्रालय का दिन न हो। अतः यह फैसला किया गया कि हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक अप्रैल के अन्त में रखी जाए।

उद्योग, इस्पात और खान राज्यमंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने कहा कि इस्पात और खान विभाग में सरकार की राजभाषा नीति का पालन करने का सभी अधिकारी ध्यान रखते हैं। खान विभाग के अधीन सभी संगठनों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति की सचिव (श्री गणपति) स्वयं समीक्षा करते रहते हैं। अतः मंत्रालय में हिन्दी प्रयोग की प्रगति पर आप लोगों ने जो सन्तोष प्रकट किया है उसके लिए मैं आप सब को धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि इस दिशा में हमें आप लोगों का सहयोग और सुझाव आगे भी मिलता रहेगा।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बठक 31-10-82 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री एन० के० पी० साल्वे की अध्यक्षता में हुई।

इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री एन के० पी० साल्वे, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री—	अध्यक्ष
2. श्री आरिफ मोहम्मद खां, सूचना और प्रसारण उप मंत्री	उपाध्यक्ष
3. डा० लोकेश चन्द्र, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री जगन्नाथ मिश्र	,,
5. पं० करुणापति त्रिपाठी	,,
6. श्री राम सहाय पांडेय	,,
7. श्री गिरिजा कुमार माथुर	,,
8. डॉ० नगेन्द्र	,,
9. श्री कन्हैया लाल नन्दन	सदस्य
10. डा० रामजी सिंह	,,
11. श्रीमती मंजुल भगत	,,
12. श्री शंकर राव लोढे	,,
13. श्री राम प्रकाश गुप्त	,,
14. श्री अमृत लाल नागर	,,
15. श्री मोहन कुमार भगत	,,
16. श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	,,
17. श्री शरण बिहारी लाल, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	,,
18. श्री सुरेश माथुर, महानिदेशक, आकाशवाणी	,,
19. श्री शेलेन्द्र शंकर, महानिदेशक, दूरदर्शन	,,
20. श्री यू० सी० तिवारी, प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय	,,
21. श्री हर्षवदन गोस्वामी, संयुक्त सचिव राज-भाषा विभाग	,,
22. श्री शरद उपासनी, संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	,,

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने सदस्यों का स्वागत करते हुए सभा की कार्रवाई प्रारम्भ की। सर्वप्रथम श्री रामजी सिंह ने मंत्री महोदय को इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने पर अपनी शुभकामनएं दीं। श्री राम प्रकाश गुप्त ने कहा कि समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वसन्तराव साठे ने समिति को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया तथा इस मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास को एक नई दिशा दी। अतः श्री गुप्त ने समिति की ओर से श्री साठे के प्रति आभार प्रकट किया। श्री राम सहाय पाण्डेय ने मंत्री महोदय का अभिनन्दन करते हुए कहा कि आप स्वयं एक कला-मर्मज्ञ तथा भाषा प्रेमी हैं। अतः आपके तत्वाधान में समिति को हिन्दी का विकास करने में निश्चय ही एक नई प्रेरणा मिलेगी तथा हिन्दी के शरीर को आत्मा मिल सकेगी। मंत्री महोदय ने अपने प्रति व्यक्त किये गये उद्गार तथा शुभकामनाओं के लिये सदस्यों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अहिन्दी भाषी होने पर भी मुझे हिन्दी के प्रति हार्दिक अभिरुचि है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके मन में अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति स्वाभिमान न हो। राष्ट्रभाषा का प्रचार एवं प्रसार न केवल राष्ट्रीय स्वाभिमान बल्कि राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता के लिये भी आवश्यक है। राष्ट्रीय जीवन तथा समाज की भावात्मक एकता पर सबसे अधिक प्रभाव राष्ट्रभाषा का पड़ता है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि समिति के संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत हिन्दी के विकास के लिये मैं भरसक प्रयत्न करूंगा।

मंत्री महोदय ने तत्पश्चात् उपमंत्री महोदय का संदस्यों से परिचय कराते हुए कहा कि हम दोनों मिलकर हिन्दी के विकास में यथासम्भव योगदान देंगे।

इस बैठक के कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं :—

(1) गत बैठक में दिए गए सुझावों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा :

श्री रामजी सिंह ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति को उप समिति की एक बैठक समिति की इस बैठक के पूर्व कर ली जानी चाहिये थी। चूंकि ऐसा नहीं हो पाया है अतः उप-समिति की बैठक अब शीघ्र की जाये। आकाशवाणी केन्द्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वृद्धि के संबध में आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा जारी किये गये निर्देश के संबंध में श्री सिंह ने कहा कि इस निर्देश के कार्यान्वयन पर बल दिया जाना चाहिये।

4.2 'आकाशवाणी' शब्द के प्रयोग के संबंध में चर्चा करते हुए श्री रामजी सिंह ने कहा कि दक्षिण भारत के एक राज्य के विरोध की प्रक्रिया में हिन्दी के विकास को बाधा पहुंचेगी। श्री रामजी सिंह महोदय से आग्रह किया कि वे इस संबंध में प्रधान मंत्री तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से चर्चा करें। श्री राम सहाय पाण्डेय ने कहा कि 'आल इंडिया रेडियो' या 'आकाशवाणी' के बदले इस संस्था का नामकरण 'आल इंडिया रेडियो—आकाशवाणी' कर दिया जाये। श्री राम प्रकाश गुप्त ने श्री पाण्डेय जी के सुझाव का समर्थन किया तथा कहा कि अगर यह नाम भी मान्य न हो तो किसी ऐसे नाम का प्रयोग किया जाये जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा के तत्सम शब्द हों।

4.3 श्री गिरिजाकुमार माथुर ने कहा कि यह एक भ्रान्त धारणा है कि 'आकाशवाणी' हिन्दी भाषा का शब्द है। उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में तत्कालीन मैसूर राज्य द्वारा मैसूर रेडियो के लिये किया गया था। यह आश्चर्य एवं दुःख की बात है कि जिस शब्द की एक सांस्कृतिक परम्परा है और जिसे दक्षिण भारत के ही एक राज्य ने सर्वप्रथम अपनाया, आज उसका विरोध दक्षिण से ही किया जा रहा है। श्री करुणापति त्रिपाठी ने कहा कि आकाशवाणी शब्द के विरोध के संबंध में जो तथ्य है उसे सभी अच्छी तरह जानते हैं। अतः इस विषय पर अधिक विमर्श करने से कोई लाभ नहीं है। हिन्दी के विरोध की ही चर्चा करते हुए श्री राम सहाय पाण्डेय ने कहा कि इसके मूल में राजनीति है। जहाँ तक हिन्दी के प्रचार-प्रसार की बात है, वह उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक हो रहा है। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में हिन्दी फिल्मों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है और हिन्दी फिल्मों के दर्शक भी वहां प्रचुर संख्या में हैं। अतः यह कहना संपूर्णतः ठीक नहीं कि दक्षिण के लोग हिन्दी का विरोध करते हैं। श्री पाण्डेय ने यह सुझाव दिया कि दक्षिण भारत के चारों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इस विषय में विचार-विमर्श किया जाये और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाये जो सबको स्वीकार्य हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दक्षिण भारत के किसी एक आकाशवाणी केन्द्र से हिन्दी पढ़ाने के कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत किसी दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ाने के कार्यक्रम प्रसारित किये जायें।

4.4 डा० लोकेश चन्द्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री पाण्डेय की इस बात का समर्थन किया कि दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रसार हो रहा है तथा इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए न तो आकाशवाणी शब्द का प्रयोग पुनः प्रारम्भ करना हिन्दी के लिये हितकर है न ही हिन्दी के पाठ प्रसारित करना। आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी की प्रगति स्वाभाविक रूप में होने दी जाये। जब धीरे-धीरे यह लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ जायेगी तो लोग इसे स्वयं अपना लेंगे।

श्री राम प्रकाश गुप्त ने कहा कि पिछली बैठक में हिन्दी के रिक्त पदों को भरने की बात कही गई थी। बहुत से पद अभी भी रिक्त हैं। उन्होंने यह जानना चाहा कि इन खाली पदों को कब तक भर लिया जायेगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि उप समिति की बैठक शीघ्र ही बुलाई जायेगी। जहां तक खाली पदों को भरने का प्रश्न है, मंत्रालय इस दिशा में निरन्तर क्रियाशील है। पिछली बैठक के समय हिन्दी अधिकारी के 23 पद, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक का 1 पद, हिन्दी अनुवादक के 39 पद तथा हिन्दी टाइपिस्टों के 18 पद खाली थे। रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—हिन्दी अधिकारी-16, वरिष्ठ अनुवादक—1, हिन्दी अनुवादक—28 तथा हिन्दी टाइपिस्ट 14. मंत्री महोदय ने आगे बताया कि खाली पदों के भरने में विलंब का मुख्य कारण योग्य उम्मीदवारों का अभाव है। उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, आदि संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है जिसके कारण भी कुछ विलम्ब होता है। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि इन पदों को यथाशीघ्र भर लिया जाये। "आकाशवाणी" शब्द के प्रयोग तथा दक्षिण में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के प्रश्नों पर मंत्री महोदय ने कहा कि हिन्दी भाषा की लोकप्रियता केवल संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनों के द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती। नियम-कानून के साथ ही साथ राष्ट्रभाषा के प्रति लोगों की मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करना होगा। लोगों में इस बात की अहमियत को बढ़ावा देना होगा कि राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा राष्ट्र की प्रतिष्ठा है। यह कार्य प्रेम और सद्भावना के द्वारा ही किया जा सकता है।

(2) मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध कराना :

श्री राम प्रकाश गुप्त ने उपर्युक्त विषय पर दी गई टिप्पणी के साथ संलग्न विवरण का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय में काफी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। परन्तु 25 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों की संख्या नगण्य है। हिन्दी जानने वाले कर्मचारी हिन्दी में कार्य करें इस बात के लिये प्रयास किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा कि इस बात में दो मत नहीं हो सकते कि प्रत्येक मंत्रालय में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में होना चाहिए। यह प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक काम मूलतः हिन्दी में हों ताकि आने वाली पीढ़ी हिन्दी में ही काम कर सके। लेकिन जो वस्तुस्थिति आज है उससे सभी परिचित हैं। अंग्रेजी भाषा से व्याप्त परिवेश को बदलने से ही इस समस्या का समाधान संभव है।

(3) आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित हिन्दी कार्यक्रम :

श्री रामजी सिंह ने यह बताने का आग्रह किया कि आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रमों का कितना प्रतिशत कार्यक्रम हिन्दी में

प्रसारित होता है तथा इसे बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है। दय ने यह सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

(4) अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों प्रसारित हिन्दी कार्यक्रम

श्री रामजी सिंह ने कहा कि इस संबध में जो आंकड़े पिछली बैठक में दिये गये थे और जो अब दिये गये हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है। इससे पता चलता है कि इन कार्यक्रमों की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। श्री कन्हैया लाल नन्दन ने कहा कि उन्होंने गत बैठक में भी नागपुर से प्रसारित हिन्दी कार्यक्रमों का जिक्र किया था। श्री नन्दन तथा श्री मोहन कुमार भगत ने नागपुर से प्रसारित हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। मंत्री महोदय ने कहा कि अहिन्दी-भाषी क्षेत्र के आकाशवाणी केन्द्रों से हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु एक उप समिति का गठन किया गया है। इस उप-समिति की बैठक शीघ्र ही की जायेगी और इसके सुझावों पर विचार किया जायेगा। जहां तक नागपुर का प्रश्न है, वहां हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं महसूस होती है क्योंकि वहां का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हिन्दी नहीं जानता हो।

(5) हिन्दी और अंग्रेजी प्रसारणों के कुल श्रोताओं की संख्या और इनमें लगे कर्मचारियों पर कुल खर्च

श्री रामजी सिंह ने यह आग्रह किया कि आकाशवाणी के हिन्दी श्रोताओं की अनुमानित संख्या जानने के लिये सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। यह सर्वेक्षण इसलिये आवश्यक है कि हिन्दी बोलने-समझने वालों की संख्या का पता चल सके। पिछली जनगणना में यह संख्या कम कर दी गई है। मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान एकक द्वारा करना मुश्किल होगा।

(6) आकाशवाणी एवं पत्र सूचना कार्यालय के संपादकीय कर्मचारियों के वेतनमान में भिन्नता:

श्री रामजी सिंह ने उपरोक्त विषय पर दी गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि आकाशवाणी में अंग्रेजी के समाचार सम्पादकों/वरिष्ठ संवादाताओं की संख्या 32 है जबकि हिन्दी की केवल पांच। इसी प्रकार अंग्रेजी के सहायक समाचार सम्पादकों की संख्या 129 है जबकि हिन्दी की केवल 35 जहां तक मुख्य सम्पादक का प्रश्न है वह केवल अंग्रेजी का ही क्यों हो सकता है, हिन्दी का क्यों नहीं? मंत्री महोदय ने कहा कि सम्पादकीय कर्मचारियों की संख्या कार्य की मात्रा के अनुपात में है। अंग्रेजी के कुल 83 तथा हिन्दी के 17 बुलेटिन बनते हैं। अत: अंग्रेजी के सम्पादकीय कर्मचारियों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है। मुख्य सम्पादक के प्रश्न पर सचिव महोदय ने यह स्पष्ट किया कि आकाशवाणी समूह की पत्रिकाएं कुल 8 भाषाओं में छपती हैं। इन सभी भाषाओं के संस्करणों की देखभाल करने के लिये एक मुख्य सम्पादक का पद है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों में से प्रोन्नतिके आधार पर की जाती है। यह व्यक्ति किसी भी भाषा का हो सकता है।

(7) हिन्दी में कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के उपाय:

श्री रामजी सिंह ने यह सुझाव दिया कि हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को जो क्रमश: 250 रु०, 150 रु० तथा 75 रु० के तीन नकद पुरस्कार दिये जाते हैं उनकी राशि बढ़ाई जाये। संभव हो तो इन्हें प्रोमोशन दिया जाये। श्री राम प्रकाश गुप्त ने यह सुझाव दिया कि 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना बनाई जाये। मंत्री महोदय ने बताया कि हिन्दी में काम करने वालों को प्रोमोशन देना संभव नहीं होगा। जहां तक पुरस्कार की राशि बढ़ाने का प्रश्न है, राजभाषा विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। **श्री हर्षवदन गोस्वामी ने सूचित किया कि हिन्दी में काम करने के लिये कर्मचारियों को विशेष वेतन देने की एक योजना राजभाषा विभाग तथा वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।**

(8) भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र का स्तरोन्नयन:

श्री रामजी सिंह ने कहा कि आकाशवाणी केन्द्र भागलपुर, आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा के पूर्व स्थापित हुआ था। लेकिन दरभंगा केन्द्र प्रथम श्रेणी में आ गया है जबकि भागलपुर अभी भी द्वितीय श्रेणी में है। इस पर विचार किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया।

(3) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक तारीख 7 अगस्त, 1982 को राजभाषा खंड, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली में विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री जगन्नाथ कौशल की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री जगन्नाथ कौशल	अध्यक्ष
2. श्री सुधाकर पाण्डेय	सदस्य
3. श्री एन० के० शेजवलकर	,,
4. श्री हरीश रावत	,,
5. श्री शिव दयाल	,,
6. श्री वन्देमातरम् रामचन्द्र राव	,,
7. श्री विष्णु दत्त शर्मा	,,
8. डॉ० पी० के० त्रिपाठी	,,
9. श्री के० एस० भटनागर	,,
10. श्री रू० वेंकट सूर्य पेरि शास्त्री	,,
11. श्री जय नारायण तिवारी	,,
12. श्री बी० डी० गुप्ता	,,

13. श्री हर्षवदन गोस्वामी — सदस्य
13. श्री एन० आर० सुब्रहमण्यम् — ,,
14. श्री ब्रजकिशोर शर्मा — सदस्य-सचिव

निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे :—

1. श्री चन्द्रकांत खुशालदास, निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग
2. श्री जगत नारायण, प्रधान सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन
3. श्री गोकुल प्रसाद जैन, अपर प्रारूपकार, राजभाषा खंड
4. श्री को० वा० अय्यर, उपसचिव, विधायी विभाग
5. श्री बी० सी० बरुआ, उप प्रारूपकार, राजभाषा खंड
6. श्री राम बाबू अग्रवाल, उप प्रारूपकार, राजभाषा खंड
7. श्री हेत राम बाल्मीकि, सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन
8. श्री पूर्ण सिंह कर्नवाल, सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन
9. श्री एम० पी० सिंह, अवर सचिव, विधि साहित्य प्रकाशन
10. श्री एस० सी० श्रीवास्तव, अवर सचिव, विधि कार्य विभाग
11. श्री चन्द्रभूषण देवगन, प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन
12. श्री सुभाष चन्द्र, मुद्रण अधीक्षक, विधि साहित्य प्रकाशन
13. कु० सुभाष रानी यादव, अधीक्षक, राजभाषा खंड
14. श्री एस० सी० दास, अनुभाग अधिकारी, विधायी विभाग
15. श्री नारायण सिंह नधड़िया, हिन्दी अधिकारी, कम्पनी कार्य विभाग

अध्यक्ष द्वारा स्वागत

नवगठित हिन्दी सलाहकार समिति का यह पहला अधिवेशन था। अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया। सभी गैर-सरकारी सदस्यों का संक्षिप्त परिचय देते हुए अध्यक्ष ने यह कहा कि हिन्दी को उसका समुचित स्थान दिलाने के लिए विधि मंत्रालय की भूमिका महत्त्व की है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय प्रयास में अपना पूरा योगदान दें। अध्यक्ष ने पं० जवाहर लाल नेहरू और डॉ० रघुवीर के संस्मरण सुनाते हुए यह बात स्पष्ट की कि विधि की भाषा तकनीकी भाषा होती है, इसलिए उसे सही होना चाहिए। यह मांग करना उचित नहीं होता कि बोलचाल की भाषा में विधि या अन्य तकनीकी विषयों को प्रस्तुत किया जाए। हिन्दी का इतना विकास हो गया है कि उसमें विधि की बातें सरलता से अभिव्यक्त की जा सकती हैं।

सदस्यों की ओर से श्री वन्देमातरम् रामचन्द्र राव और श्री विष्णुदत्त शर्मा ने अध्यक्ष का स्वागत किया, उनके विचारों की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस कार्य में अपना पूरा सहयोग देंगे।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से हर तीसरे मास होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के वि विभागों को आपस में मिलकर समिति के पुनर्गठन में होने वाले विलम्ब को कम करना चाहिए। यह दुःख की बात है कि समिति की बठक लगभग डेढ़ वर्ष बाद हो रही है।

श्री एन० के० शेजवलकर ने अध्यक्ष का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि कार्य-सूची में जो विषय उन्होंने सम्मिलित करने के लिए दिए थे वे सब सम्मिलित नहीं किए गए। सचिव ने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि भविष्य में इस बारे में और सतर्कता बरती जाएगी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा।

सचिव की रिपोर्ट

सचिव ने अपनी रिपोर्ट पढ़ी और आवश्यक स्पष्टीकरण दिए।

अध्यक्ष ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सम्बद्ध विषयों पर अपने विचार व्यक्त करें।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह कहा कि इस मंत्रालय में अच्छा काम हुआ है। किन्तु जो काम होना बाकी है उसकी मात्रा भी बहुत है। दिन-प्रति-दिन बकाया काम के साथ नया काम भी जुड़ता जाता है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पूरे काम का लेखा-जोखा लेकर एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिक्री के जो आंकड़े दिए गए हैं वे आकर्षक हैं, किन्तु साथ ही इसका एक व्यापारिक मूल्यांकन भी होना चाहिए जिससे यह मालूम हो कि इस पर कितनी पूंजी लगी है, कितना वास्तविक व्यय हुआ है और उसके अनुपात में कितनी बिक्री हो रही है। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की समस्या पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत पुरानी समस्या है। समय-समय पर इसके बहुत से हल बताए गए हैं। पहले यह भी बताया गया था कि तदर्थ नियक्तियां करके पुस्तकें लिखवाई जायेंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी के जो प्रकाशक विधि की पुस्तकें छापते हैं उनसे सम्पर्क करके पुस्तकें प्रकाशित की जायें। सचिव ने यह स्पष्टीकरण दिया कि पिछली बैठक में इस प्रकार की स्कीम का हिन्दी सलाहकार समिति ने अनुमोदन किया है। उसे कार्यान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय से बात हो रही है।

अन्त में श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह कहा कि प्रकाशनों आदि की एक वार्षिक योजना बननी चाहिए जिसे समिति के समक्ष रखा जाए।

श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि नियमों और अधिसूचनाओं आदि का प्रारूपण सम्बद्ध विभाग द्वारा हिन्दी में ही किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रशासनिक कारणवश अभी यह स्थिति आने में देर है।

डॉ० पी० के० त्रिपाठी ने पुस्तक लेखन, प्रकाशन और विक्रय के बारे में विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह कहा कि जब कोई लेखक हिन्दी में विधि मंत्रालय के माध्यम से पुस्तक लेखन का काम स्वीकार करता है तो वह केवल धन की प्राप्ति की कामना से ही ऐसा नहीं करता क्योंकि उतने ही समय में उससे अधिक धन वह अन्य साधनों से कमा सकता है। पुस्तक लेखन के साथ विद्वान लेखक का सम्मान पाने की भावना भी जुड़ी होती है। साथ ही यह भी उद्देश्य होता है कि वह अपने विचार भारत के अधिकाधिक लोगों के पास पहुंचा सके। उन्होंने यह कहा कि जब मैंने संविधान पर पुस्तक लिखना

स्वीकार किया तो मेरा एक मात्र उद्देश्य यह था कि मेरे विचार गांव-गांव पहुंचेंगे और लोगों को संविधान वास्तव में क्या है यह समझने में मदद मिलेगी । किन्तु पिछले डेढ़ वर्षों में बिकी पुस्तकों की संख्या नगण्य है । जब पुस्तकें जनता के पास पहुंच ही नहीं रही हैं तो लिखने का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाता है । उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों के विक्रय का विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए । उन्होंने बताया कि अनेक स्थानों से उन्हें यह मालूम हुआ है कि पुस्तक विक्रेताओं के पास विधि साहित्य प्रकाशन की पुस्तकें नहीं मिलतीं । हमें आज के विश्वविद्यालयों के नवयुवकों के पास पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने के लिए सब तरफ से प्रयास करना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकें समीक्षा के लिए भी नहीं भजी जातीं । उनका यह भी सुझाव था कि जब विश्वविद्यालय खुले हों तो उनसे सम्पर्क करके वहां पर विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जानी चाहिए । बिक्री का प्रबन्ध इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक शहर में पुस्तकें विक्रताओं के पास हमारी पुस्तकें उपलब्ध हों । डॉ० त्रिपाठी ने अन्त में यह सुझाव भी दिया कि इस कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिए एक उप समिति गठित की जाए । सचिव, विधायी विभाग भी इससे सहमत थे । अध्यक्ष ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया ।

श्री शिव दयाल ने डॉ० त्रिपाठी की इस बात का समर्थन किया कि पुस्तकों की बिक्री बहुत कम हो रही है और वे सरलता से उपलब्ध नहीं हैं । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को हिन्दी के पक्ष में वातावरण भी बनाना चाहिए । स्थान-स्थान पर सम्मेलन और संगोष्ठियां की जानी चाहिए जिससे लोगों में हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा बलवती हो । जिन प्रदेशों के न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग कम हुआ है या नहीं हो रहा है उन्हें हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । इस प्रकार जब वातावरण बनेगा और उपयोगिता होगी तब लोग हिन्दी की पुस्तकें खरीदेंगे । उनका यह भी सुझाव था कि विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तकें लिखी जाएं वे बहुत बड़ी न हों, इस प्रकार की हों जैसा कि अंग्रेजी में श्री रतन लाल "लॉ आफ क्राइम" का स्टुडेंट एडीशन ।

श्री शजवलकर ने रिपोर्ट में प्रदर्शनियों आदि के ब्यौरे को पढ़कर यह कहा कि मध्य प्रदेश और बिहार की उपेक्षा हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है । उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और बिहार जैसे हिन्दी-भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाने पर जोर दिया जाना चाहिए । श्री शजवलकर और श्री शिव दयाल दोनों ने कहा कि इस सम्बन्ध में जिस सहायता की आवश्यकता होगी वे देने के लिए तत्पर हैं ।

समिति के पिछले निर्णयों पर की गई कार्रवाई

श्री ए०न० के० शजवलकर और अन्य सदस्यों ने यह कहा कि डेढ़ वर्ष बाद भी अधिकतर निर्णयों के बारे में यह रिपोर्ट दी गई है कि "मामला विचाराधीन है" । यह उचित नहीं है । इतने समय के भीतर कार्रवाई समाप्त हो जानी चाहिए । दूसरा, "मामला विचाराधीन है" लिखने से कोई जानकारी नहीं मिलती कि कहां पर मामला अटका हुआ है और विचार किया जा रहा है । इसलिए जानकारी विस्तार से दी जानी चाहिए । अध्यक्ष ने इस सुझाव से अपनी सहमति प्रकट की ।

विचार-विमर्श में काफी समय व्यतीत हो गया था । इसलिए सदस्यों ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मद सं० 4 की दो महत्वपूर्ण उपमदों के बारे में ही विचार कर लिया जाए और बाकी की उपमदों को अगली बैठक के लिए छोड़ दिया जाए । सब की सहमति से उपमद 8 पर विचार हुआ ।

श्री शिव दयाल जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह कहा कि यह दुःख की बात है कि पिछली सलाहकार समिति के निर्णय के बावजूद भी कहीं पर एक भी संगोष्ठी नहीं की गई । उन्होंने मौखिक रूप से सुझाव देने के बाद लिखित सुझाव भी अध्यक्ष महोदय को दिए और उनसे अनुरोध किया कि इसे कार्यवृत्त का भाग बना लिया जाए । जिससे इसकी प्रतियां सभी सदस्यों को मिल जाएं । उनके सुझाव उपाबन्ध "क" के रूप में इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न हैं । श्री विष्णुदत्त शर्मा और अन्य सभी सदस्यों ने उनसे सहमति व्यक्त की ।

श्री विष्णुदत्त शर्मा ने यह सूचना दी कि 11 और 12 सितम्बर को जयपुर में एक हिन्दी विधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन करना केन्द्रीय सरकार के विधि मंत्री ने स्वीकार किया है । सचिव, विधायी विभाग ने यह कहा इस अवसर पर हमारा विभाग वहां पर दो गोष्ठियां आयोजित करेगा । सभी ने इस घोषणा का स्वागत किया ।

मद सं० 4 की उपमद 13 पर विचार व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों का यह मत था कि इस काम में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है । कम्पनी कार्य विभाग के सचिव ने बताया कि इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । किन्तु श्री सुधाकर पाण्डेय और अन्य सदस्य इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं थे । उनका कहा था कि माध्यम के बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता । सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि हिन्दी और देशी भाषाएं प्रत्येक परीक्षा का माध्यम बनाई जाएं । यदि स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बाद की चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि की परीक्षा हिन्दी में नहीं की जा सकती तो यह स्थिति बड़ी शोचनीय है ।

विचार-विमर्श के बाद अध्यक्ष ने यह कहा कि एक उप समिति तीनों संस्थानों के अध्यक्षों से बात करे और उन्हें एक समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में राजी करे । इस उप समिति में श्री सुधाकर पाण्डेय और हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य के अलावा राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव भी हों । कम्पनी कार्य विभाग के सचिव ने कहा कि तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

विविधा

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद की बैठक में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव के विचार

इलाहाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक इलाहाबाद के आयकर आयुक्त श्री विश्वम्भर नाथ की अध्यक्षता में दिनांक 4-11-82 को हुई । इस बैठक में राजभाषा विभाग के वर्तमान संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । उन्होंने अध्यक्ष महोदय को इस बैठक का बहुत ही अच्छा आयोजन करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य पहले दूसरे अधिकारी को सौंपा गया था परन्तु उनकी व्यस्तता की वजह से इसमें प्रगति नहीं हुई। आयकर आयुक्त ने कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद इस कार्य के महत्व को समझा और उन्होंने इसकी बैठक जल्दी ही बुलाई, यह सराहनीय कार्य है ।

सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि चूंकि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे देश के अधिकांश भाग के व्यक्ति समझ लेते हैं, इसलिए संविधान के निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । उन्होंने बताया कि यद्यपि दक्षिण में अन्य भाषाएं बोली जाती हैं फिर भी, वहां सामान्य लोगों से बातचीत करने में हिन्दी का ही सहारा लेना पड़ता है । देखा जाए तो हिन्दी ही एक ऐसी सक्षम सम्पर्क भाषा है जिससे हम देश के हर कोने में एक दूसरे से बात कर सकते हैं ।

1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद 1976 में नियम बनाए गए । इनमें इस बात का बराबर ध्यान रखा गया कि किसी भी राज्य की जनता की भाषा को ठेस न लगे और हिन्दी की प्रगति भी बढ़ती जाए। हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में इसलिए रखा गया है ताकि सभी प्रान्तों में लोग एक दूसरे से सम्पर्क रख सकें, बातचीत कर सकें । सरकारी कामकाज की हिन्दी को सरल ही रखा गया है, यह आम बोलचाल की भाषा है, जिसे हम सामान्य लोगों के बीच बोलते हैं । इस बारे में सरकार ने समय-समय पर ऐसे आदेश भी जारी किए हैं कि हिन्दी क्लिष्ट न हो, चाहे तकनीकी विभाग हो, रेलवे विभाग हो या आयकर विभाग, सभी कार्यालयों की हिन्दी सामान्य हिन्दी होनी चाहिए । भले ही अंग्रेजी के शब्द ही देवनागरी में लिखे गए हों । भाषा शब्दों को मिलाकर बनती है केवल क्लिष्ट शब्दों को लेकर चलने से भाषा समाप्त हो जाती है अथवा उसका अस्तित्व कम हो जाता है । यदि हम हिन्दी में संस्कृत के कठिन शब्दों को लेकर चलेंगे तो हिन्दी कुछ ही लोगों की भाषा रह जाएगी । वह बराबर सम्पर्क की भाषा नहीं बन पाएगी । उन्होंने बताया कि विश्व की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें सभी चीजें उपलब्ध हों अथवा वह अपने ही शब्दों पर निर्भर हो । सभी भाषाओं में एक दूसरी भाषा से लिए गए शब्द पाये जाते हैं । वर्तमान अंग्रेजी में हजारों शब्द हिन्दी, अरबी, फारसी तथा संस्कृत के हैं, जो उन्होंने उसी रूप में ले लिए हैं । सरकार यह चाहती है कि हिन्दी में लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम जो भी लिखते ह वह सभी लोगों की समझ में आए ।

उन्होंने बताया कि देश के हर कोने में हिन्दी के प्रति काफी उत्साह है और लोग अधिक से अधिक अपने कार्यों में हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं । उन्होंने बताया कि मैंने यहां के कार्यालयों की कठिनाइयों को सुना है और जिन कार्यालयों में जो कठिनाई है, यदि वे हमारे पास भेजें तो मैं उसे दूर कराने में उनके मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार करूंगा और यह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कठिनाइयाँ दूर हो सकें । उन्होंने बताया कि अनुवाद कार्यों की जिम्मेदारी इस समय गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो पर है । तकनीकी शब्दों की शब्दावली तैयार की जा रही हैं । हिन्दी में टेलीप्रिन्टर्स बन रहे हैं । यद्यपि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं जिनके लिए इलेक्ट्रानिक्स विभाग कार्य कर रहा है और ऐसी आशा है कि यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा । उन्होंने बताया कि आयोग की परीक्षाओं में पिछल कुछ वर्षों से यह छूट दी गई है कि विद्यार्थी हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं । जहां तक अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र हटाने का सवाल है, उसमें कुछ कठिनाई है, फिर भी, हम उसके विकल्प का या उसी स्तर का हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं का प्रश्न-पत्र रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं ।

आयकर विभाग द्वारा हिन्दी आशुलिपिकों एवं टाइपिस्टों को विशेष वेतन देने के प्रस्ताव के बारे में उन्होंने बताया कि राजभाषा विभाग इस पर पहले ही कार्य कर रहा है और ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में जो आशुलिपिक तथा टाइपिस्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में कार्य करेंगे, उनको क्रमशः प्रतिमाह 30 रुपए/20 रुपए विशेष वेतन के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे । यह जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी कि वह उनके कार्यों को प्रमाणित करके उनको विशेष वेतन दे ।

आयकर विभाग के इस प्रस्ताव पर कि जो लोग हिन्दी में कार्य करते हैं उनके लिए नकद पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाए, श्री मिश्र ने बतलाया कि वित्त मंत्रालय इस बात से सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है कि वे अधिकारी व कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिन्दी है यदि वे अपना 66-⅔ प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं अथवा वे अधिकारी व कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है और वे अपना 33-1/3 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में करते हैं तो यदि उनका मूल वेतन रु० 1000/– से अधिक है तो 100 रुपये, यदि वेतन 500 से रु० 1000/– के बीच है तो रु० 75/– एवं यदि वेतन रु० 500/- से कम है तो रु० 50/- प्रति माह विशेष वेतन के रूप में दिया जाए ।

उन्होंने सरकार की राजभाषा नीति के बारे में चर्चा करते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इसे सफल बनाएं । चूंकि इलाहाबाद 'क' क्षेत्र में आता है और यहां के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है ऐसी स्थिति में उनके ऊपर यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्य में हिन्दी का प्रयोग करें ।

श्री मिश्र ने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों के प्रमुख तथा अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं । अतः इस बैठक में राजभाषा से संबंधित जो भी कठिनाइयां आती हैं उसके ऊपर गंभीर चर्चा की जाती है और उसी आधार पर राजभाषा विभाग अपने कार्यक्रम तैयार करता है । ऐसी स्थिति में कार्यालय प्रमुखों का भाग लेना अत्यन्त आवश्यक है । उन्होंने उपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष/प्रमुख नहीं आए हैं वे अपने कार्यालय प्रमुख को इस बारे में अवगत करा दें कि अगली बैठकों में सभी कार्यालय प्रमुख उपस्थित हों ।

नौवहन और परिवहन संबंधी विषयों पर पुरस्कार देने की योजना

नौवहन और परिवहन मंत्रालय (भारत सरकार) ने अपनी हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार नौवहन और परिवहन से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक और मानक पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को प्रोत्साहन देने के वास्ते प्रतिवर्ष दो पुरस्कार देने का निश्चय किया है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. हिन्दी में नौवहन और परिवहन से संबद्ध निम्नलिखित विषयों पर मौलिक व मानक पुस्तकें लिखने हेतु लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए नौवहन और परिवह मंत्रालय की ओर से प्रतिवर्ष दो पुरस्कार दिये जाएंगें :—
   (क) चार्टरिंग
   (ख) नौवहन जहाज निर्माण
   (ग) समुद्री इंजीनियरिंग
   (घ) राजमार्ग इंजीनियरिंग
   (ङ) अंतर्देशीय जल परिवहन
   (च) पत्तन, पत्तन व गोदी श्रमिक
   (छ) सड़क परिवहन
   (ज) शिपयार्ड आदि

   इनमें से पहले का नाम डॉ० **वासुदेव शरण अग्रवाल पुरस्कार** और दूसरे पुरस्कार का नाम डॉ० **मोती चन्द पुरस्कार** होगा । पहले पुरस्कार की राशि 10,000 रुपये और दूसरे की राशि 5,000 रुपये होगी ।

2. पुरस्कार के लिए व्यक्तियों को चुनने का अधिकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय का होगा ।

3. यह पुरस्कार किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जा सकता है । इसके लिए मुद्रित पुस्तकें या पुस्तक की पांडुलिपि दोनों ही स्वीकार की जाएंगी बशर्ते ये पुस्तकें मौलिक हों और इन पुस्तकों से किसी दूसरे व्यक्ति के कापीराईट पर आंच न आती हो ।

4. इस पुरस्कार के लिए उन पुस्तकों पर विचार किया जायेगा जो पुरस्कार वर्ष में 14 सितम्बर से पहले प्रकाशित हुई हों । पुरस्कार वर्ष का तात्पर्य किसी वर्ष 14 सितम्बर तारीख से उससे अगले वर्ष 13 सितम्बर तक की अवधि से है ।

5. इस योजना के अधीन पुरस्कार के लिए पुस्तकें 31 अक्तूबर तक प्राप्त की जाएंगी । पुरस्कार का निर्णय 15 जनवरी, तक अवश्य घोषित कर दिया जाएगा जिससे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले पुरस्कार के वितरण की व्यवस्था हो सके । चूंकि यह पुरस्कार का प्रथम वर्ष है अतः पुस्तकें/पांडुलिपियां 30-11-82 तक स्वीकार की जायंगी ।

6. पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम पुस्तक या पांडुलिपि का चयन करने के लिए एक समिति होगी ।

7. इस समिति में अध्यक्ष सहित सात सदस्य होंगे । नौवहन और परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति

के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव इस समिति के पदेन अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे ।

8. इस मूल्यांकन समिति का गठन नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । इस समिति के सदस्यों के नाम और उसकी कार्यवाही गोपनीय रहेगी ।

9. मूल्यांकन समिति में किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या अन्य कारणों में यदि कोई स्थान रिक्त होगा तब उसका स्थान नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्ति कर भरा जाएगा ।

10. यह पुरस्कार मूल्यांकन समिति के किसी भी सदस्य को उक्त समिति का सदस्य रहते हुए नहीं मिलेगा जिसमें उनके सगे-संबंधी भी शामिल हैं।

11. मूल्यांकन समिति के सदस्यों का दायित्व पुरस्कार के लिए प्रस्तुत पुस्तकों/पांडुलिपियों की तुलनात्मक गुणवत्ता को आंकना होगा और पुरस्कार दिए जाने वाले व्यक्तियों के नामों और उसकी संबंधित पुस्तक के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय को क्रम के अनुसार सुझाव देना होगा ।

12. यह समिति प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए नये सिरे से गठित की जाएगी ।

13. अभ्यर्थियों की पांडुलिपियों/पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन समिति के प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में 200/- रुपये दिए जाएंगे जिनमें पदेन सदस्य शामिल नहीं है।

14. नौवहन और परिवहन मंत्रालय लेखकों और प्रकाशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी के मुख्य-मुख्य समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर अनुरोध करेगा । नौवहन और परिवहन मंत्रालय पुरस्कार पर विचार करने के लिए स्वयं भी किसी भी पुस्तक को शामिल कर सकता है ।

15. लेखकों, प्रकाशकों को पुस्तक (पुस्तकें) या पांडुलिपि की तीन-तीन प्रतियां सदस्य-सचिव के नाम से भेजनी होंगी । जो पुस्तकें/पांडुलिपियां पुरस्कार के लिए भेजी जाएंगी वे निर्णय घोषित होने के पश्चात् लेखक/प्रकाशक को वापस कर दी जाएंगी ।

16. अगर इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किसी भी पुस्तक पर पुरस्कार मिल चुका होगा तब उस पुस्तक पर इस योजना के अधीन कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक की ओर से नौवहन और परिवहन मंत्रालय को पुरस्कार की घोषणा होने से पन्द्रह दिन की अवधि में एक प्रमाण-पत्र भेजना होगा ।

17. यदि किसी पुरस्कार के लिए एक से अधिक पुस्तकें/पांडुलिपियां एक जैसी मौलिक और मानक समझी जाएंगी तब उस पुरस्कार की धनराशि संबंधित लेखकों में बराबर-बराबर विभाजित कर दी जाएंगी ।

18. कोई भी लेखक/प्रकाशक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है । लेकिन किसी भी लेखक को एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

19. मूल्यांकन समिति के सदस्य सचिव को छोड़कर प्रत्येक सदस्य को नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा पुस्तकें प्राप्त होने पर एक महीने की अवधि में अपनी संस्तुति भेज देनी होगी ।

20. मूल्यांकन समिति के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी संस्तुति को गोपनीय रखें ।

21. इस मूल्यांकन समिति का कार्यालय नौवहन और परिवहन मंत्रालय के हिन्दी सलाहाकार समिति के सदस्य सचिव के अधीन होगा । ●●●

सरकारी कामकाज में सरल और बोलचाल की हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

दिल्ली के 'बाल भवन' में हिन्दी

—डॉ० ऊषा गोपाल
प्रभारी, हिन्दी विभाग, बाल भवन

'बाल भवन' दिल्ली का नाम लेते ही गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शान्ति निकेतन की याद आ जाती है :

'यत्र विश्व भवति एक नीडम्'

जहां विश्व एक नीड़ की तरह बन जाता है। जैसे मेघ विहीन आकाश का सुनील विस्तार होता है, जैसे कली की चटक होती है वैसे ही प्रमुदित शिशु का हास्य कलरव जहां सर्वत्र गूंजता है और वह प्रत्यक्ष रूप में जहां साकार दिखाई देता है वह स्थान है--"बाल भवन"।

सन् 1956 में भारत के दूरद्रष्टा और प्रिय नेता पं. जवाहर लाल नेहरु ने तुर्कमान गेट के समीप बच्चों को सर्जनात्मक शिक्षा देने के लिए "बाल भवन" व "राष्ट्रीय संग्रहालय" नाम की यह संस्था प्रारम्भ की। इस शिक्षण संस्था में 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों वाली शिक्षापद्धति से भिन्न प्रकार की अपनी ही मातृभाषा के माध्यम से प्रमुखतया अभिव्यक्ति और "सर्जनात्मक शिक्षा" दी जाती है। दिल्ली में मातृभाषा का श्रेय विशेषकर हिन्दी को है। "बाल भवन" के प्राकृतिक वातावरण को छूता बच्चे का मन कुछ भी करने और सीखने के लिए पूर्णरूपेण स्वतंत्र है चाहे वह कोई भी चीज सीखे। "बाल भवन" के मुख्य कार्यक्रमों में सर्जन कला, प्रदर्शनकला, विज्ञान शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मिलेजुले कार्यकलाप, पुस्तकालय, राष्ट्रीय बाल संग्रहालय, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र प्रमुख हैं जहां प्रायः प्रमुखता हिन्दी की है।

हमारी दुनिया से अलग बच्चे की दुनिया होती है। बच्चों की यह दुनिया कितनी रंगीन और आश्चर्यमय है कि इस दुनिया के निर्माण में न रंग की जरूरत है और न ब्रुश की और न ही माडल की। इस दुनिया को बनाने और संवारने में उनकी "सर्जनात्मक अभिव्यक्ति" चार चांद लगा देती है। बच्चे को मनुष्य का पिता कहा जाता है। बच्चा सर्जक होता है। उसका दिल-दिमाग निर्माण के क्षेत्र में बंद कली के समान खिलने के लिए भंवरे सा तड़पता रहता है। वह सर्वथा उत्सुक रहता है कि कुछ सुने कुछ कहे और कुछ अभिव्यक्त करे। इसी प्रक्रिया में "बाल भवन" के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और विभिन्न स्तरों में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर अपने स्वाभाविक रूप में बढ़ता जाता है। बच्चों के तौर-तरीकों, महत्वकांक्षाओं, मातृभाषा के नित नूतन प्रयोगों और कला-कौशल ने भावी मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सदैव सहायता की है। इस संदर्भ में यह कहना संगत है कि "बाल भवन" इस क्रांतिकारी परिवर्तन की एक अनूठी प्रयोग-शाला है जिसमें प्रयोजनमूलक हिन्दी को विशेष स्थान मिला है।

देश, समाज और परिवार की इन नन्हीं कलियों को पूर्ण विकसित करने के लिए विद्यालयों से हटकर यह एक ऐसी संस्था है जिसमें न तो विद्यालयों की यांत्रिक नियमबद्धता है और न ही घर का शुष्क अनुशासन, न शिक्षक के डंडे का भय, न मां-बाप की डांट-फटकार और न ही उपदेशों का जबरन थापना। "बाल भवन" मानवोचित गुणों से भरपूर वह सोपान है जिस पर बच्चे बढ़कर अपनी निज भाषा से देश के गौरव बनते हैं।

यहां के समता भाव को देखकर वास्तविक समाजवाद प्रतीत होने लगता है क्योंकि इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू का भी यही विश्वास था। पं. नेहरू के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी इस संस्था से जुड़ी हैं। आप समय-समय पर बच्चों के साथ मिलकर उनका मार्ग प्रदर्शन करती हैं विशेष रूप से यहां होने वाली "राष्ट्रीय बाल सभा" में आप बच्चों से प्रायः मिलती हैं अथवा बच्चों को उनके निवासस्थान पर जाने का अवसर मिलता है। 14 नवम्बर को अपने प्यारे चाचा नेहरू की याद में बच्चे तीन मूर्ति में अपने रंगारंग कार्यक्रम करते हैं और रक्षाबंधन वाले दिन श्रीमती गांधी के निवास पर जाकर राखी बांधते या बंधवाते हैं। श्रीमती गांधी को यहां के वातावरण और शान्ति निकेतन के लघु रूप सी दिखने वाली इस संस्था से विशेष लगाव है। श्रीमती गांधी भी गुरूदेव के आश्रम में पढ़ीं थीं। यहां हर क्षेत्र में स्वतंत्रता है। 5 से 16 वर्ष के आयु के सभी बच्चे चाहे वे बुद्धिमान हों या मंदबुद्धि वाले, विकलांग हों या नेत्र-हीन, सभी को अपने इच्छानुसार अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है और वे अपने कार्यक्रम में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं।

यह संस्था बच्चे के शिशु-व्यवहार और उस व्यवहार से उत्पन्न कार्यकलाप की प्रयोगशाला है। वह यहां आकर एक ऐसी ताजगी का अनुभव करता है कि उसका मन-मयूर इस बगिया में आने के लिए उसे बार-बार विवश करता है और यहां आकर वह जो कुछ भी सीखता है, उसे उसकी इच्छा बांध लेती है जबकि घरेलू वातावरण उसे बांध नहीं पाता। अपनी प्रशंसा सुनना

मानव की मूल प्रकृति है और यही कारण है कि बच्चे को भी प्रशंसित और प्रोत्साहित करने पर वह आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। यहां आकर बच्चा छोटी-छोटी वस्तुओं से सीखता है वह अपने आस-पास के वातावरण, मित्रों, पडोसियों सभी में उसकी खबर को टिड्डीदल की तरह फैलाता है इससे उसका हौंसला बुलंद हो जाता है और गर्व से उसकी गर्दन अपनी और संस्था की प्रशंसा सुनकर तन जाती है। यहां की स्वतंत्रता और मनोनुकूल अभिव्यक्ति से बच्चे स्वयं को इस दुनिया का राजा समझने लगते हैं।

आरम्भ से बच्चे की प्रतिभा को अभिव्यक्ति, मार्ग व दिशा मिलने से वह बड़ा होकर भटकता नहीं बल्कि अपना मार्ग बड़ी तीव्रता से स्वयं चुन लेता है। उसकी झिझक दूर हो जाती है, उत्साह बढ़ जाता है।

बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू द्वारा स्थापित यह संस्था नेहरू जी की हर स्मृति व अंग से जुड़ी है। "राष्ट्रीय नेहरू फण्ड" से इसे सहायता मिलती है और नेहरू-परिवार इस संस्था से विशेष लगाव रखता है। बच्चों की इस संस्था में बच्चों के लिए सभी प्रकार की शिक्षा, शिल्प, दस्तकारी, मनोरंजन व ज्ञान के साधन उपलब्ध हैं जिसमें वह घुलमिल जाता है। यहां विज्ञान, कला व सभी प्रकार की शिक्षा है तथा समय-समय पर कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, प्रयोग, प्रदर्शन व प्रदर्शनियों सभी का क्रम वर्षपर्यन्त चलता रहता है। यद्यपि संस्था में ये कार्यक्रम पूरे वर्ष चलते रहते हैं परन्तु गीष्मकाल में पूरे वर्ष की पढ़ाई की थकान के बाद बच्चे यहां आकर विशेष प्रकार की ताजगी का अनुभव करते हैं।

जहां तक हिन्दी का प्रश्न है, वह तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। सभी वर्गों के बच्चे यहां आते हैं जिनके लिए आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी भाषा के माध्यम की अनिवार्यता और भी अधिक है। सभी वर्ग के बच्चों, कर्मचारियों और दर्शकों के लिए एक माध्यम भाषा केवल हिन्दी ही हो सकती है।

यहां के शिक्षक यद्यपि तथाकथित बी. एड., एम. एड. नहीं हैं पर वे कलाकार अधिक हैं, उनमें अपनीकला का फन बहुत है। अपनी कला की विशेषज्ञता, गहनता के क्षेत्र में वे धनी हैं। शिक्षण और शिक्षक की भाषा हिन्दी ही है जिसमें व्याकरण की शुद्धता पर अधिक ध्यान न देकर व्यावहारिक रूप से उस कला विशेष के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है।

"बाल भवन, दिल्ली" हिन्दी के प्रयोगों की प्रयोगशाला है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग सुनने को मिलते हैं। इस प्रकार का प्रयोग बच्चे-बड़े सभी करते हैं जैसे "शुद्धता" को "सुद्धता" श को स 'औ' के स्थान पर 'ओ' (कोन ऐसा महापुरुष होगी) संयुक्ताक्षर जैसे "श्रद्धांजलि" को "सरधांजलि" और तिरासी को "तिरयासी" ऐसे ही उदाहरण हैं। इन प्रयोगों में प्रांतीयता, आदतन, असावधानी और व्याकरण की शुद्धता का अभाव ही माना जा सकता है। अहिन्दी भाषी लोग लिंग-भेद कम कर पाते हैं जैसे "मैं जा रही हूं" के स्थान पर "मैं जा रहा हूं" और "छिपकली बैठी है"। पब्लिक स्कूल से आने वाले बच्चों का इतरा-इतराकर बोलना जहां कर्णप्रिय लगता है वहां उसके नवीन तद्भवों का भी द्योतक है। भाषा विज्ञान का नियम है कि बोलचाल की भाषा ही विकसित भाषा का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि भाषा व्यवहार में पहले आती है उसका व्याकरण बाद में बनता है, जैसे रचना पहली स्थिति है, समीक्षा उसके बाद की। इस दृष्टि से हिन्दी के प्रति किए गए ये प्रयास स्तुत्य हैं। नित नूतन प्रयोग भाषा के कलेवर को सुधारने में भी सहायक होते हैं और प्राय देखा गया है कि अशुद्ध प्रयोग अनायास ही शुद्ध प्रयोग हो जाते हैं। अतः भाषा की धारा में प्रवाह की प्रमुखता का स्वागत करना श्रेयस्कर है।

बच्चों द्वारा "मैम" (मैडम) का प्रयोग, मैं जा रहा हूं (लड़की द्वारा प्रयुक्त) आदि को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे कह रहे हैं कि हमारी "क्रिया" और व्याकरण पर ध्यान मत दो। हम एक प्रकार से ऐसी हिन्दी का निर्माण कर रहे हैं जो भविष्य में घिसकर, छनकर अपने विशुद्ध रूप में अभिव्यक्त होगी। कालान्तर में भारत की अन्य भाषाओं के शब्दों और शैलियों से परिनिष्ठित हिन्दी अखिल भारतीय रूप धारण कर लेगी।

हिन्दी की प्रगति और भविष्य की दृष्टि से "बाल भवन" इस क्षेत्र में विकास कर रहा है। राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का समुचित अनुपालन इस संस्था में अनवरत हो रहा है। इस दृष्टि से फार्मों, मैनुअलों और गजट की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन, देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद, पुराने टाइपराइटर के स्थान पर नए टाइपराइटर का प्रयोग, सभी मान्य आदेशों, परिपत्रों, ज्ञापनों का द्विभाषी रूप में जारी करना व साईक्लोस्टाइल किया जाना, "क" क्षेत्र के राज्य सरकारों और हिन्दी में आए पत्रों का हिन्दी में उत्तर, लिफाफों पर हिन्दी में पता लिखना, प्रदर्शनियों में विवरणपट्टों, कार्यशालाओं, कार्यक्रम की नामपट्टियों, और "बाल भवन" के प्रायः क्रियाकलापों में हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार की हिन्दी के प्रयोग के प्रति नीति के अनुसरण में "बाल भवन" सतत प्रयत्नशील है।

अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हिन्दी-पत्रों तथा अन्य विषयों पर हस्ताक्षर भी हिन्दी में ही करते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) के अनुसार हिन्दी-प्रयोग की आवश्यकता का विषयानुसार प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 1981 का लक्ष्य 40 प्रतिशत मात्रा में हिन्दी का प्रयोग उद्देश्य से आगे बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है और इस स्थिति में बराबर की वृद्धि है।

हिन्दी के प्रचार के लिए एक वर्ष से अधिक समय से यहां हिन्दी अनुवादक कार्यरत है। गृह मंत्रालय के 6/8/73 के

पत्र सं. ई-11015/17/73-रा.भा.एकक के अनुसार हिन्दी पदों के सृजन में यहां "हिन्दी-सहायक" के नवीन पद के सृजन की बोर्ड की बैठक में सिफारिश की गई है। इस क्षेत्र में, "बाल भवन" में राजभाषा 1976 के अनुसार बहुत संभावनाएं हैं। हिन्दी न जानने वालों के लिए हिन्दी-प्रशिक्षण की व्यवस्था, कर्मचारियों के लिए हिन्दी में संदर्भ-साहित्य की व्यवस्था तथा अधिनियम (4) के अनुसार जिन सरकारी उद्यमों में 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं उनमें आवश्यकतानुसार हिन्दी टाइपिस्ट, हिन्दी-आशुलिपिक, हिन्दी अनुवादक, तथा हिन्दी-अधिकारी की नियुक्ति के अंतर्गत काफी संभावनाएं व अपेक्षाएं हैं। "बाल भवन" की प्रकृति और कार्यों के अनुरूप हिन्दी-आशु-लिपिक तथा हिन्दी अधिकारी के पदों की संभावनाएं हैं नया कुंजीपटल वाला टाइपराइटर आ गया है।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में निष्ठावान निदेशिका महोदया श्रीमती पद्मा सेठ का हाथ है। अहिन्दी भाषी (तमिल) होते हुए भी आपकी हिन्दी के प्रयोग, प्रचार-प्रसार में अभिरुचि ही का परिणाम है कि 'बाल भवन' के प्रकाशन, फोल्डर्स, रिपोर्ट, पत्रिकाएं आदि सभी में द्विभाषी रूप चल रहा है और हिन्दी-प्रयोग का अधिक से अधिक प्रयत्न किया जा रहा है। आप स्वयं हिन्दी का बहुत सुन्दर प्रयोग करती हैं यद्यपि स्वभाव-गत अनायास व्याकरण कभी-कभी बाधा डालता है। परन्तु उनका प्रवाह और प्रयोग से उत्पन्न सरसता हिन्दी भाषा की सहजता का एक उदाहरण है।

इस क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम निदेशिका महोदया ने अभी हाल ही में उठाया है। अभी 24 से 27 सितम्बर, 1982 को "बाल साहित्य-सभा" का आयोजन "बाल भवन" के प्रांगण में हुआ। यह तीन दिवसीय शिविर के रूप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को हिन्दी साहित्य के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना तथा नन्हें-नन्हें साहित्यकार पैदा करना था जो आगे चल-कर बड़े साहित्यकार बनें तथा समाज की सेवा करें। इस सभा में सभी बच्चों को साहित्य सामग्री प्रदान की गई, जिसे "बाल भवन" के कार्यकर्ताओं ने लिखा था। इस समारोह में प्रतिदिन बाल-साहित्य विशेषज्ञों ने बच्चों को साहित्यिक विधाओं से अवगत कराया, उन्होंने बच्चों की समस्याओं का समाधान कराते हुए विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान किया।

बच्चों ने उसी स्थान पर रचनाएं की और सभी ने उन रचनाओं को पढ़कर सुनाया। इन्हीं रचनाओं में अधिकतर कविताएं थी जिन्होंने बाल-कवि सम्मेलन का आनंद प्रदान किया जिससे पूरा हाल करतल ध्वनि से गूंज उठा। अंत तक इस कार्य-क्रम को "वाह-वाह", "बहुत सुन्दर" जैसे संबोधनों से सराहा गया। सभी की सामग्री से बच्चों की एक रचना उद्धृत है :—

"धरती मेरी माता है" नामक कविता में कुमारी शैला जोशी ने बाल साहित्यकार का परिचय दिया है :—

"ये सूरज भैया से डरती
चंदा मामा से खुश रहती
तारा-तारा रात-रात भर
सपने इसे लुटाता है
धरती मेरी माता है।

बादल इसकी प्यास बुझाता
पवन इसे पुलकित कर जाता
गगन मगन हो सुबह-शाम को
चूनर लाल उढ़ाता है
धरती मेरी माता है
धरती मेरी माता है।

श्रीमती पद्मा सेठ ने भी बच्चों को साहित्य की परिभाषा कविता में ही दी :—

"साहित्य क्या चीज है"

एक बहुत बड़ा सवाल है
एक गहरा प्रश्न है
एक भाषा और परिभाषा है
एक अर्थ का भंडार है।

सुसज्जित भाषा है
मधुर व्याख्या है
गूंजती बोली है
रसवती शैली है।

यहां तक कि इस वर्ष के "राष्ट्रीय बाल सभा" में साहित्यकारों से साक्षात्कार की कड़ी में भारत के एक मूर्धन्य बाल साहित्यकार एवं कवि श्री निरंकारदेव सेवक ने बच्चों को "लाल-टमाटर", "अगर-मगर" और "किनारे-किनारे" जैसी अपनी अनेक बाल कविताएं और गीत सुनाकर मंत्रमुग्ध किया है तथा उन्हें साहित्य सर्जन की प्रेरणा दी है। वस्तुतः डा. हरिकृष्ण देवसरे, डा. जीवन प्रकाश जोशी, श्री कन्हैया लाल नंदन, श्री विजय कपूर, श्री बलकराम नागर जैसे हिन्दी साहित्यकारों का सहज संपर्क बच्चों को हिन्दी के प्रति आशावान और आस्थावान बनाता है।

जब बीज पड़ जाता है तो पेड़ फलता-फूलता अवश्य है। यह उसके रख-रखाव और निगरानी पर निर्भर है कि उसका विकास-विस्तार कितना होगा। "बाल भवन" की इस राष्ट्रीय संस्था में, जिसके संस्थापक पं. नेहरू, संरक्षिका श्रीमती इन्दिरा गांधी व निदेशिका श्रीमती पदमा सेठ है और जिसके दिल्ली में 23 बाल केन्द्र हैं तथा भारत में 38 जवाहर बाल भवन हैं, जिनमें अनेक योजनाएं परियोजनाएं हैं वहां का प्रत्येक बाल यदि प्रत्येक दिन हिन्दी का एक वाक्य भी सीखता-बोलता है तो यह हिन्दी की अभिवृद्धि का द्योतक है। यह प्रयास राष्ट्र भाषा का विकास माना जाएगा और हमारे देश की संस्कृति, एकता एवं भावनाओं के सम्पर्क के माध्यम की दृढ़ता का प्रतीक होगा। जहां आकर काम करने वाले अहिन्दी भाषी कार्यकर्ता भी इतनी

अच्छी हिन्दी सीख गए हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। इसका श्रेय केवल "बाल भवन" को ही है।

भाषा, संस्कृति, कला, शिक्षा की सर्जक-प्रचारक इस संस्था का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। दिल्ली व अन्य राज्यों के अतिरिक्त यहां के बच्चों ने दूसरे राष्ट्रों जैसे बुलगारिया, जापान, रूस, इग्लैण्ड और नार्वे आदि की समय-समय पर यात्रा की है, वहां की प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों में भाग लिया है। अब तक "बाल भवन" के सदस्य बच्चों ने इन देशों की इन प्रतियोगिताओं में 6 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक और 11 ताम्र पदक जीते हैं। अतः इस राष्ट्रीय संस्था द्वारा हमारे देश की संस्कृति, कला और भाषा का प्रचार-प्रसार, विस्तार, यश, देश की सीमाओं से बाहर दूर-दूर तक फैलता जा रहा है जो देश के गौरव का प्रतीक है और इन नन्हें-नन्हें बच्चों का प्रयास है, विकास है जिसकी सुगन्धि भविष्य के उज्ज्वल तथा सौरभपूर्ण उद्यान का संकेत देती है। ●●●

"राष्ट्रीयता के उपादानों में जाति, धर्म और राजनैतिक तथा भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति और भाषा, इन पांचों ही अंगों का होना आवश्यक है। लेकिन हमारे विचार में एक भाषा का होना मुख्य है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का बोध हो ही नहीं सकता। जहां राष्ट्र है वहां राष्ट्रभाषा का होना लाजिमी है अगर सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो उसे एक भाषा का आधार लेना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा का प्रचार आपात धर्म है। इसे हम राष्ट्रभाषा का पद नहीं दे सकते। भाषा ही राष्ट्र, साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है, आदर्शों की सृष्टि करती है। नदियों और पहाड़ों से राष्ट्रीयता के विकास में जो बाधा पड़ती थी, उसे रेल और हवाई जहाजों ने मिटाना शुरू कर दिया है। अगर एक संस्कृति के रहते हुए भी एक राष्ट्र-भाषा का आधार न रहे तो ऐसा राष्ट्र स्थाई नहीं हो सकता एक भाषा बोलने वालों में कभी-कभी विरोध उत्पन्न हो जाते हैं और उनके पृथक राष्ट्र बन जाते हैं संयुक्त अमरीका इसका उदाहरण है। किन्तु इसकी केवल एक मिसाल है। इसके प्रतिकूल एक नस्ल, एक संस्कृति और एक धर्म के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के अनेक उदाहरण हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि राष्ट्र-निर्माण में भाषा का स्थान सबसे महत्व का है"

—प्रेमचन्द

विधि के क्षेत्र में हिन्दी : लखनऊ में सम्मेलन का आयोजन

—सुरेश चन्द्र माथुर,
सहायक सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन
नई दिल्ली

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग ने उत्तरप्रदेश शासन के सक्रिय सहयोग से 22 और 23 दिसम्बर, 1982 को एक विधि साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन 22 दिसम्बर 1982 को पूर्वाह्न में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री श्रीपति मिश्र ने किया। इस सम्मेलन के साथ विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी श्री श्रीपति मिश्र, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने किया। उद्घाटन समारोह का आयोजन जवाहर भवन, लखनऊ में किया गया था। इसमें अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और ऐसे व्यक्तियों की संख्या 250 से अधिक थी। मुख्यमंत्री महोदय के अलावा जिन अन्य व्यक्तियों ने सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया वे इस प्रकार हैं--(1) माननीय न्यायमूर्ति श्री रघुनन्दन स्वरूप पाठक, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, (2) माननीय न्यायामूर्ति श्री राम वृक्ष मिश्र, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, (3) डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन, और (4) श्री शिव दयाल, सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। उद्घाटन समारोह के पश्चात् चार विभिन्न विषयों पर चार संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन सभी संगोष्ठियों में अनेक विद्वान व्यक्तियों ने, जैसे कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल और राज्य स्तर के मंत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार संक्षेप में प्रस्तुत हैं :--

1. श्री श्रीपति मिश्र, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश :

यदि हमने क्षमता और परिश्रम के द्वारा अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसी क्षमता और परिश्रम से हम हिन्दी में भी अभिव्यक्ति की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी है। यदि न्यायालयों में बहस और फैसले हिन्दी में हों तो गुणात्मक ढंग से वकील और न्यायाधीश अच्छा कार्य कर सकेंगे। इससे वादकारी भी समझ सकेंगे कि उनकी ओर से क्या कहा गया है और क्या फैसला दिया गया है। हमें मानसिक दासता से मुक्ति पानी चाहिए और बिना भय और संकोच के अपने कार्य में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए।

2. न्यायमूर्ति श्री रघुनन्दन स्वरूप पाठक, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय :

कानून जनता का है और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए जनता की भाषा में ही होना चाहिए। इससे समाज में विधि शासन स्थापित करने में सहायता मिलेगी। ऐसा जनता को हिन्दी के प्रति सजग करने से और हिन्दी में विधि साहित्य उपलब्ध कराकर उन्हें विधि की शिक्षा देने से हो सकता है। विधि साहित्य प्रकाशन इस दिशा में कार्य करने के लिए बधाई का पात्र है।

3. न्यायमूर्ति श्री रामवृक्ष मिश्र, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय :

न्यायमूर्ति मिश्र ने सुझाव दिया कि हिन्दी में विधि पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिएं और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हिन्दी में साहित्य इस स्तर का होना चाहिए कि उससे अन्य व्यक्ति और राष्ट्र भी आकृष्ट हों जैसे संस्कृत साहित्य के प्रति आकृष्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग संकल्प से होगा उपकरण से नहीं। हिन्दी में भी अंग्रेजी भाषा की भांति अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण कर लेने से भाषा आगे बढ़ेगी। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बोधगम्य हो और सुलभ हो।

4. डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और एसोसिएशन :

मानसिक दासता राष्ट्रीय दिशा में संकट की मूल बात है। अतः जब तक नए मूल्यों की स्थापना हम नहीं करते संकट की बात बनी रहेगी। मातृभाषा न हो तो आत्मीयता नहीं रहती। हिन्दी में अभिव्यक्ति के लिए अनेक शब्द हैं और इसलिए हिन्दी में अभिव्यक्ति की कोई कठिनाई नहीं है। अर्थवत्ता को सरलीकरण के नाम पर बदनाम न किया जाए और दूसरी ओर पाण्डित्य के दिखावे के लिए भाषा को दुरूह और क्लिष्ट न बनाया जाए। हिन्दीभाषी राज्यों को हिन्दी की धरोहर के न्यासी बताते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि उनका यह कर्तव्य है वे इस धरोहर की सुरक्षा करें जिससे कि वह राष्ट्रीय एकता की धरोहर बन सके। हिन्दी में सामग्री एकत्र की जाए और प्रिवी काउन्सिल, उच्चतम न्यायालय और

उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुवाद तैयार कराए जाएं। इससे अन्ततोगत्वा हिन्दी में कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय तेलुगु भाषा में कोई निर्णय दे तो उसे तुरन्त ही हिन्दी में अनुदित और प्रकाशित किया जाए।

5. न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय :

यदि विश्वविद्यालयों में विधिक शिक्षा हिन्दी में दी जाए तो आगे जो अधिकारी, अधिवक्ता और न्यायधीश होंगे वे निश्चय ही हिन्दी में कार्य करना अधिक सुविधाजनक समझेंगे। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी में पर्याप्त विधि साहित्य उपलब्ध रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी विश्वविद्यालयों में विधि कक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए। और "रतनलाल" जैसी छोटी पुस्तकों को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जाए। विधि के प्राध्यापकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए जिससे कि वे हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखें।

उद्घाटन समारोह के बाद "हिन्दी में विधायी प्रारूपण की समस्याएं और उनका निदान" विषय पर संगोष्ठी प्रारम्भ हुई। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल ने की। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह और उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि का स्थान ग्रहण किया तथा संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी में इन मुख्य वक्ताओं ने भाग लिया--(1) श्री गंगा बख्श सिंह, सचिव, विधायिका और संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश शासन, (2) श्री गुरूशरण लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, (3) डा. मोती बाबू, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, श्री श्रीनाथ सहाय, संयुक्त सचिव, विधायिका, उत्तर प्रदेश शासन, और (5) श्री बृजकिशोर शर्मा, संयुक्त सचिव और प्रारूपकार, भारत सरकार।

प्रथम संगोष्ठी का विषय, "हिन्दी में विधायी प्रारूपण की समस्याएं और उनका निदान" था। श्री गंगाबख्श सिंह, सचिव विधायिका एवं संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि हिन्दी में विभिन्न अधिनियम, नियम आदि अवश्य हैं परन्तु उनमें हिन्दी का प्रयोग अनुवाद की भाषा के रूप में हुआ है। विधेयक मूलतः अंग्रेजी में तैयार किया जाता है और फिर उसका हिन्दी अनुवाद तैयार करके विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार हिन्दी प्रारूपकार को, जो वस्तुतः रूपान्तरकार के रूप में कार्य करता है, न उपयुक्त शब्दों के चयन की स्वतन्त्रता होती है और न सुगठित एवं संतुलित वाक्यों तथा सुस्पष्ट वाक्यांशों के प्रयोग में अपनी कुशलता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। कुशल विधायी प्रारूपकार होने के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास प्राप्त करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। हिन्दी में विधायी प्रारूपण की शैली में एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र एवं हिन्दी भाषी राज्य परस्पर सम्पर्क, सहयोग एवं समन्वय से कार्य करें। भारत सरकार के विधि मंत्रालय की समन्वय समिति ने इस क्षेत्र में कुछ काम अवश्य किया है। परन्तु उसे अधिक व्यापक और क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जा सकता है। हिन्दी में पर्याप्त विधि साहित्य उपलब्ध है और उसमें विचारों को मूर्त रूप देने की अपूर्व क्षमता आ गई है। हिन्दी प्रारूपकार में केवल आत्मविश्वास की कमी है, उस भावना को दूर कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसे उसमें कुछ भी कष्ट सहन करना पड़े, दृढ़ संकल्प लेकर श्रम तथा त्याग का सहारा लेकर निरन्तर प्रयास करना होगा।

6. डा. मोती बाबू, प्रधान सम्पादक, उच्चतम न्यायालय निर्णय सार :

शाब्दिक अनुवाद की शैली गलत है। अनुवाद से भाषा क्लिष्ट हो जाती है। हमें हिन्दी चाहिए, अंग्रेजी की प्रतिमा नहीं।

7. श्री श्रीनाथ सहाय, संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन :

शब्दों से साथ-साथ वाक्यों या वाक्य विन्यासों का मानकीकरण करें। क्लिष्टता दूर करने के लिए आंचलिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए।

8. प्रोफ्रेसर वासुदेव सिंह, खाद्य मंत्री, उत्तर प्रदेश :

यदि हिन्दी को उपकृत्य करने के स्थान पर हम हिन्दी से कृतकृत्य हों तो उचित होगा। हिन्दी में जो कमी ढूंढते हैं पहले अपने को देखें। जनचेतना होनी चाहिए, हमारे अन्दर संकल्प की कमी है।

9. श्री धर्मसिंह, अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश :

हमारी और हमारे देश की गरिमा सभी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने में है।

10. श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय :

उच्च न्यायालय की भाषा तो हिन्दी होनी चाहिए किन्तु साथ ही उच्चतम न्यायालय की भाषा भी वैकल्पिक रूप से हिन्दी होनी चाहिए। हिन्दी को लाने के लिए राजकीय आदेश की आवश्यकता है। राज्य की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किए गए निर्णयों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ अंग्रेजी में उपलब्ध कराए।

द्वितीय संगोष्ठी, "विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग -- संभावनाएं, सीमाएं और निदान" विषय पर हुई। संगोष्ठी में भाग लेते हुए श्री देवकीनन्दन, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों में मुकदमों के फैसले हिन्दी में देने वाले न्यायाधीशों पर यह दायित्व नही डाला जाना चाहिए कि वे हिन्दी में दिए गए फैसलों का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराएं। यदि प्राधिकृत अनुवाद की सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होगी तो न्यायाधीश अंग्रेजी में निर्णय देंगे। इसके लिए राजभाषा

अधिनियम में संशोधन होना चाहिए। हिन्दी-अंग्रेजी दोनों के ज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता।

श्री महेश्वर प्रसाद, सदस्य, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश ने इस बात पर बल दिया कि विधि के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी बोधगम्य होनी चाहिए जिससे कि जन साधारण को उसका प्रयोग करने अथवा समझने में कोई कठिनाई न हो।

संगोष्ठी में बोलते हुए श्री ज्ञान चन्द्र द्विवेदी, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों तथा सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में उन्हीं व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए जो हिन्दी में कार्य करने की योग्यता रखते हों। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी में दिए गए निर्णयों के अंग्रेजी अनुवाद उपयुक्त तथा योग्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जाए।

श्री त्रिभुवन प्रसाद, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, उत्तर प्रदेश ने संगोष्ठी में बोलते हुए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में अब तक किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला तथा इस बात पर बल दिया कि हमें हिन्दी में ही सम्पूर्ण कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए तब ही हम अपने प्रयास में सफल होंगे ।

विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तृतीय संगोष्ठी का आयोजन 23 दिसम्बर, 1982 को प्रातः 10.00 बजे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी हाल, लखनऊ में किया गया। संगोष्ठी का विषय "(1) विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी-उपलब्ध विधि साहित्य का मूल्यांकन, (2) मानक पुस्तकें लिखवाने के लिए अध्यापकों का सहयोग" था। इस संगोष्ठी का उद्घाटन डा. अम्मार रिजवी, सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, डा. आर. एस. मिश्र ने की। मुख्य अतिथि का स्थान शिक्षा मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री, प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने भी इस संगोष्ठी में भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस संगोष्ठी में जिन अन्य मुख्य वक्ताओं ने भाग लिया वे इस प्रकार हैं :-

1. श्री शिवदयाल, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय;
2. श्रीमती श्रद्धा कुमारी, डीन, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय;
3. डा. कृष्ण बहादुर, डीन, विधि संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय;
4. प्रोफेसर गंगेश्वर प्रसाद, डीन, विधि संकाय, सागर, विश्वविद्यालय

तथा

सर्वश्री रमेशचन्द्र नागपाल, जी. एस. मिश्र, गोपालकृष्ण, एल. चन्दानी और मुकट चन्द पाण्डे, प्राध्यापक, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश ने संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि विधि की सम्पूर्ण शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही हो। विश्वविद्यालयों में विधि, विज्ञान तथा अन्य समस्त विषयों पर हिन्दी में ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में जनता का सहयोग तभी मिल सकता है जब कि कानून जनभाषा अर्थात हिन्दी भाषा में उपलब्ध हो।

श्री अम्मार रिजवी, मंत्री, संसदीय कार्य एवं राज्य एकीकरण ने कहा कि हमारी अदालतों के सब फैसले हिन्दी में ही दिए जाने चाहिए ताकि जनता का सीधा सम्पर्क न्यायालय से हो सके। उन्होंने सरल भाषा के प्रयोग पर बल देते हुए कहा कि हिन्दी में मानक शब्दावली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने हिन्दी माध्यम से कानूनी शिक्षा देने पर विशेष बल दिया ।

श्री शिवदयाल, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि विधि व न्याय के क्षेत्र का भविष्य आज के विद्यार्थी के हाथ में है। हिन्दी जानने के लिए डिग्री स्तर तक विधि का अध्ययन हिन्दी माध्यम से अनिवार्य होना चाहिए। विधि के अध्ययन के लिए मानक पुस्तकें तैयार की जाएं जो विधि के छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हों। उन्होंने रतनलाल द्वारा रचित विधि की छोटी पुस्तकों जैसी पुस्तकों के प्रकाशन पर बल दिया ।

प्रोफेसर वासुदेव सिंह, खाद्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने कहा कि छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना है। भाषा का बोधगम्य न होना हीनता को जन्म देता है। फलतः अनुशासनहीनता पनपती है।

डा. आर. एस. मिश्र, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि लेखन के क्षेत्र में अध्यापकों के अतिरिक्त अधिवक्ता एवं अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को सामने आना चाहिए ।

"न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग की समस्याएं और उनका निदान-उपलब्ध विधि साहित्य की पर्याप्तता" विषय पर चतुर्थ संगोष्ठी का आयोजन तारीख 23 दिसम्बर, 1983 को ललित कला अकादमी हाल में किया गया । इस संगोष्ठी की अध्यक्षता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री टी. एस. मिश्र ने की। मुख्य अतिथि का स्थान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री रामवृक्ष मिश्र ने ग्रहण किया। इनके अतिरिक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वी. के. महरोत्रा, न्यायामूर्ति कैलाशनाथ गोयल, न्यायमूर्ति रमेशचन्द्र देव शर्मा और न्यायमूर्ति देवकीनन्दन ने भी भाग लिया। अन्य मुख्य वक्ता इस प्रकार थे - प्रोफेसर वासुदेव सिंह, माननीय खाद्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री एल. आर. आचार्य, अधिवक्ता, श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और श्री कमलेश्वर नाथ, जिला न्यायाधीश, लखनऊ ।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री रामवृक्ष मिश्र ने कहा कि हम हिन्दी को ऐसा सशक्त एवं आकर्षक बनाएं कि लोग स्वत: ही इधर आकृष्ट हों। विधि की दिशा में ऐसे क्षमतावान एवं प्रतिभावान लोग स्वत: ही आगे आएं जो अपने द्वारा रचित मौलिक ग्रन्थों का योगदान करें ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री शिव दयाल ने कहा कि यदि हम हिन्दी में कार्य करने की अपनी लगन को संकल्प का रूप दें, भय और संकोच छोड़ दें तथा यह भावना मन से निकाल दें कि हिन्दी में कार्य करने से उसका मूल्यांकन कम हो जाता है तो निश्चय ही हिन्दी के कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी ।

न्यायामूर्ति श्री देवकीनन्दन ने कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का संशोधन इस हद तक कर दिया जाए कि जो न्यायाधीश हिन्दी में अपने निर्णय देना चाहें वे दे सकते हैं, उसमें अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य नहीं होगा। हिन्दी की प्रगति के लिए हर प्रदेश का निर्णय उसी प्रदेशीय या क्षेत्रीय भाषा में दिया जाए किन्तु निर्णय को राष्ट्रभाषा (देवनागरी) हिन्दी में भी लिखा जाए तो इससे भी हिन्दी की प्रगति सम्भव होगी। इस बात के भरसक प्रयास किए जाएं कि विधि संबंधी साहित्य शीघ्र तथा अद्यतन उपलब्ध रहे ।

न्यायमूर्ति श्री कैलाशनाथ गोयल ने कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का समयोचित संशोधन किया जाए तथा हिन्दी में कार्य करने में सहायता प्रदान करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। यदि सरकार की ओर से किंचित भी प्रोत्साहन प्राप्त हो तो निश्चय ही हिन्दी में अधिक और शीघ्र कार्य करना संभव हो सकता है। हिन्दी निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद उसी दशा में आवश्यक हो जब पक्षकार यह आवेदन करे कि वह उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहता है अथवा जाना चाहता है। न्यायालय की कार्यवाहियां सभी हिन्दी में की जानी चाहिए। जितने भी शासकीय अधिवक्ता (गवर्नमेंट एडवोकेट्स) हैं वे तो कम से कम शपथपत्र इत्यादि हिन्दी में देकर हिन्दी में शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री वी. के. महरोत्रा ने अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रयोग को लागू करने का वातावरण बनाने की ओर संकेत किया और कहा कि भाषा सरल और बोधगम्य हो। हिन्दी आशुलिपिक न्यायाधीशों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उच्च न्यायालय में अनुवाद का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।

लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति श्री रमेश चन्द्र देव शर्मा ने कहा कि यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय अधिकतम निर्णय हिन्दी में ही देते हैं फिर भी हिन्दी के प्रयोग के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित किया जाए ।

श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में हिन्दी में कार्य करने के लिए समय निश्चित करने का सुझाव दिया तथा विधि की सामयिक पत्र पत्रिकाएं निकालने, उन्हें न्यायाधीशों के पास भेजने, केन्द्र तथा राज्य स्तर पर इस विषय पर एक विभाग का गठन करने और उसका दायित्व एक ऐसे समर्पित व्यक्ति को सौंपने पर जोर दिया जो निष्पक्ष हो।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, न्यायमूर्ति श्री टी. एस. मिश्र, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने कहा कि हिन्दी में निर्णय लिखने वाले न्यायाधीशों को कुछ प्रोत्साहन भी देना होगा। यह दुख की बात है कि अंग्रेजी हम पर ऐसी छा गई है कि हम हिन्दी में अपने को व्यक्त करने में संकोच और गवांरपना समझते हैं। हमें इन दूषित संस्कारों को निकालना है। विधि के क्षेत्र में हिन्दी साहित्य बहुत कम है। विधि साहित्य में सरलता नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि विधि के क्षेत्र में हिन्दी भाषा क्या है? अनुवाद से इमारत अच्छी नहीं लगेगी ।

संगोष्ठी का समापन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के विधायिका सचिव, श्री गंगा बख्श सिंह ने इस दो दिवसीय संगोष्ठी को सफल बनाने में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा इस दिशा में सुखद भविष्य की कल्पना की।

इससे पूर्व 20 दिसम्बर, 1982 को कानपुर बार एसोसिएशन हाल, कानपुर में एक संगोष्ठी "न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग

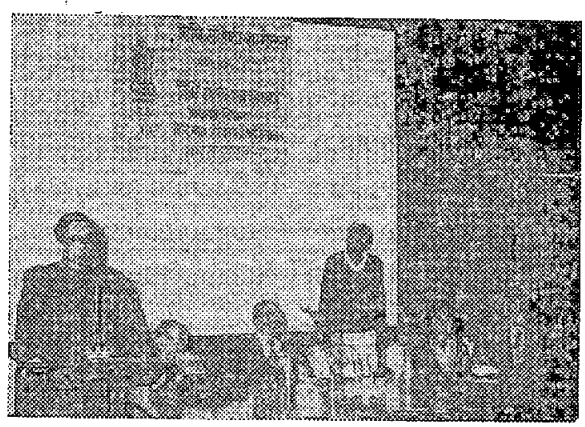

लाल बारादरी हाल, लखनऊ में विधि संगोष्ठी । (बाएं से दाएं) सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री अम्मार रिजवी, शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, लखनऊ विश्व विद्यालय के वाइस चान्सलर डा० आर० एस० मिश्र, श्रीमती श्रद्धा कुमारी, डीन, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा न्यायमूर्ति श्री महाबीर सिंह ।

की समस्याएं और उनका निदान'' विषय पर आयोजित की गई। इसमें कानपुर के प्रमुख अधिवक्ताओं ने जो कि कानपुर विश्वविद्यालय में विधि प्राध्यापक भी हैं, भाग लिया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कानपुर के जिला न्यायाधीश, श्री चन्द्र प्रकाश ने की। संगोष्ठी का उद्घाटन वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित बाबू लाल जी मिश्र ने किया। निम्नलिखित मुख्य वक्ताओं ने इसमें भाग लिया - (1) श्री विजय मानसिंह, अध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन, (2) श्री ए. सी. सिन्हा, सेवा-निवृत्त डीन, विधि संकाय, रोहतक विश्वविद्यालय, (3) श्री रामकृष्ण बाजपेयी, अधिवक्ता, (4) श्री राम विलास गुप्ता, सदस्य, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, (5) श्री आर. आर. मानसिंह, डीन, विधि संकाय, कानपुर विश्वविद्यालय, (6) श्री श्रीप्रकाश गुप्त, महामंत्री, कानपुर बार एसोसिएशन, (7) श्री पी. एल. यादव, अधिवक्ता, (8) श्री सुधाकर द्विवेदी, आयकर आयुक्त, कानपुर (9) श्री चतुर्वेदी और (10) श्री बृजकिशोर शर्मा, संयुक्त सचिव और प्रारूपकार, भारत सरकार ।

इस संगोष्ठी में व्यक्त किए गए सुझाव भी ऊपर उल्लिखित सुझावों के समान थे। इस संगोष्ठी के साथ ही साथ विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन और राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की प्रदर्शनी 17, 18 और 20 दिसम्बर, 1982 को आयोजित की गई। सभी प्रकाशनों की बहुत मांग थी।

"मैं अपने देश में बच्चों के लिये यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिये एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर पर ढोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दें। आज इस अस्वाभाविक परिस्थिति का निर्माण करने वालों को जरूर गुनाहगार मानता हूं। दुनियां में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश को नुकसान हुआ है, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाजा लगा सकता हूं,क्योंकि मैं निरन्तर करोड़ों मूक, दलित और पीड़ित लोगों के सम्पर्क में आता रहता हूं"

महात्मा गांधी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

(1) इन्दौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की प्रथम बैठक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मध्य प्रदेश के मुख्यालय, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर के सभा कक्ष में दिनांक 7 अक्तूबर 1982 के प्रातः काल 11 बजे आरम्भ हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री शिबन के. धर, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मध्य प्रदेश, इन्दौर ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री विजय सिन्हा सम्मिलित हुए। केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित विभागाध्यक्ष तथा कार्यालय अध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे :—

श्री सर्वेश्वर प्रसाद पाण्डे, निदेशक, कर्मचारी उद्योग सेवा संस्थान, श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, कार्यपालन मंत्री, सर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, श्री एस. एस. चटर्जी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, अधीक्षक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, डा. योगेन्द्र मोहन, उपाध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय स्टेशन, श्री सतीशचन्द्र, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-1, श्री आर. मेनन, सहायक समाहर्ता (मुख्यालय), सीमाशुल्क, मुख्यालय।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर, भारतीय रिजर्व बैंक, आकाशवाणी, भारतीय जीवन बीमा निगम, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल टैक्टाइल कारपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम एवं कार्यालय, जिला प्रबन्धक टेलीफोन के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में विशेष रूप से भाग लिया।

समिति के सचिव श्री नन्द किशोर मालवीय ने अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से प्रमुख अतिथि और बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मध्य प्रदेश, श्री शिबन के. धर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री विजय सिन्हा को विशेष रूप से बधाई दी। उन्होंने कहा कि संविधान की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार का राजभाषा विभाग पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है। सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को किस प्रकार बढ़ाया जाए इसके लिए समय-समय पर निदेश जारी किए जाते हैं। राजभाषा नियमावली 1976 के नियम-12 के द्वारा प्रत्येक कार्यालय के प्रधान को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राजभाषा नीति के आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन उनके कार्यालय में किस प्रकार और कितनी मात्रा में हो रहा है। इस संदर्भ में जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं अथवा यदि कोई विशेष कठिनाई आती है तो उन्हें राजभाषा विभाग के ध्यान में लाना चाहिए।

श्री विजय सिन्हा ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की प्रथम बैठक में स्वयं के उपस्थित होने पर हर्ष व्यक्त किया और श्री धर को तथा उनके विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। इसी संदर्भ में श्री सिन्हा ने राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 की अपेक्षाओं की व्याख्या हिन्दी के प्रयोग के संदर्भ में की।

श्री सिन्हा ने इस संदर्भ में बताया कि देश के 56 नगरों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां स्थापित हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में भाषा प्रयोग की दृष्टि से अभी संक्रमणकाल चल रहा है अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी साथ-साथ चल रही है। इस प्रकार के द्विभाषिक कागजात आगे आने वाले समय में हिन्दी के अनिवार्य होने पर रिकार्ड के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

श्री विजय सिन्हा ने राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए विशेष बल दिया। उन्होंने राजभाषा विभाग द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग संबंधी निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों का विश्लेषण किया। उन्होंने बल देकर कहा कि हिन्दी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया जाना चाहिए। "क" क्षेत्र के लिए 66 प्रतिशत हिन्दी पत्राचार निर्धारित है किन्तु हिन्दी भाषी राज्यों से 100 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही करना है।

कार्यालयों के नामपट्ट तथा साइनबोर्डों के संदर्भ में उन्होंने बताया कि वे द्विभाषिक होने चाहिएं। कार्यालयों के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जब टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जायेंगी तो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

हिन्दी पदों के सृजन के संबंध में वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा होने पर उनका निर्माण बड़ी सरलता से किया जा सकता है।

उप सचिव (राजभाषा) श्री विजय सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टाईपिंग तथा

हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए देश के बड़े नगरों में समुचित प्रबन्ध किया गया है। इस तरह के 200 केन्द्र देश में चल रहे हैं। फिर भी यह प्रबन्ध अपर्याप्त है। कुछ स्थानों पर मानदेय के आधार पर विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। "क" समूह के अधिकारियों की सेवा के पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। हिन्दी में काम करने के लिए मासिक विशेष वेतन के रूप में प्रोत्साहन देने संबंधी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिए हैं। टाइपिस्ट और आशुलिपिक भी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण लेने के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मासिक विशेष वेतन के हकदार होंगे।

अंत में उप सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा रखी गई शंकाओं का उचित समाधान प्रस्तुत किया। ये शंकाएं हिन्दी पत्र-व्यवहार के लिए मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अलग-अलग व्यवस्था होने, कर्मचारियों के हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की मशीनों के अंग्रेजी में होने तथा हिन्दी कार्य के लिए पदों के सृजन के बारे में थीं।

मेजबान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से सहायक समाहर्ता (मुख्यालय) श्री सी. आर. मेनन ने मुख्य अतिथि, अध्यक्ष तथा सभी कार्यालय अध्यक्षों/वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उसके पश्चात् बैठक का समापन हुआ।

—नन्द किशोर मालवीय,
सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एवं हिन्दी अधिकारी,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क
मध्य प्रदेश, इन्दौर

(2) बड़ौदा

बड़ौदा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक दिनांक 26-7-1982 को रेलवे स्टाफ कालेज, बडौदा में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रेलवे स्टाफ कालेज के प्रिंसिपल इन्द्र सहाय ने की। बैठक में बड़ौदा स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा निगमों आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके अलावा, राजभाषा विभाग में उप निदेशक श्री पी. एल. कनौजिया ने भी विशेष आमंत्रित अथिति के रूप में बैठक में भाग लिया।

अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्य-कार्यालयों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। अपने संभाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कामकाज पूरी तरह हिन्दी में करने का अब समय आ गया है। उनका विचार था कि सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप कर्मचारियों को अपने रोजमर्रा के कामकाज में सरल और बोलचाल की हिन्दी इस्तेमाल करने की सलाह दी जानी चाहिये। नोटों, ड्राफ्टों में गुजराती, मराठी और अंग्रेजी मूल के प्रचलित शब्दों के इस्तेमाल पर ऐतराज नहीं होना चाहिए।

राजभाषा विभाग के उप-निदेशक श्री पी. एल. कनौजिया ने भारत सरकार की राजभाषा नीति की रूप-रेखा बताते हुए राजभाषा अधिनियम व नियमों की व्यवस्थाओं तथा इस बारे में सरकार द्वारा जारी आदेशों की ब्यौरेवार जानकारी दी। अपने वक्तव्य में श्री कनौजिया ने यह भी बताया कि मूलतः हिन्दी में नोट, ड्राफ्ट लिखने के लिये कर्मचारियों को बढ़ावा देने से संबंधित विद्यमान नकद पुरस्कार योजना में संशोधित करके उसे सरल व आकर्षक बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस बारे में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। इसी प्रकार, हिन्दी और अंग्रेजी टाइप व आशुलिपि जानने वाले टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के लिये एक प्रोत्साहन-योजना पर सक्रिय विचार चल रहा है। श्री कनौजिया ने अपने वक्तव्य में प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यालयों में अधिकाधिक काम हिन्दी में करवायें।

इसके बाद सदस्य सचिव ने दिनांक 23-7-81 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक में लिये गये निम्नलिखित मुख्य निर्णय समिति के सामने रखे :—

(1) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में जारी करना।

(2) हिन्दी कार्यशालाएं चलाना।

(3) तिमाही प्रगति रिपोर्टों में प्रामाणिक आंकड़े प्रस्तुत करने की दृष्टि से सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में रजिस्टर रखना।

(4) प्रत्येक कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन।

(5) वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों का कार्यान्वयन।

(6) नगर राजभाषा समिति के तत्वावधान में राजभाषा नीति संबंधी संगोष्ठियां आयोजित करना।

(7) सरकार की राजभाषा नीति पर आकाशवाणी केन्द्र से कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण।

विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष ने महसूस किया कि बैठक में लिए गये निर्णयों को लागू करने के लिये और अधिक गहन प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने चाहा कि प्रत्येक सदस्य कार्यालय इस बारे में ब्यौरेवार अनुपालन रिपोर्ट भेजे।

राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में विभिन्न सदस्य कार्यालयों ने बैठक में विचारार्थ जो रिपोर्टें भेजी थी उन पर तथा सदस्य कार्यालयों से प्राप्त सुझावों पर सविस्तार चर्चा हुई। चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(1) सभी कार्यालयों से कम से कम 40% मूलपत्र हिन्दी में भेजे जाएं।

(2) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(3) बड़ौदा में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी और आशुलिपि के पूर्णकालिक केन्द्र की स्थापना का चूंकि पूर्ण औचित्य विद्यमान है इसलिये इस संबंध में राजभाषा विभाग से संपर्क किया जाए।

(4) जिन कार्यालयों के 80% या इससे अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं उन कार्यालयों के नाम राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जायें।

(5) हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों की समुचित व्यवस्था की जाए।

(6) राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) बड़ौदा स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हिन्दी पदधारियों के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श होता रहे।

(8) बड़ौदा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हिन्दी दिवस मनाया जाये।

—चन्द्र गोपाल शर्मा
सदस्य सचिव,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा
हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बड़ौदा।

(3) देहरादून

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, देहरादून की बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 1982 को महासर्वेक्षक कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेजर-जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक ने की। इस बैठक में केन्द्र सरकार के देहरादून स्थित विभिन्न कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों के अलावा स्थानीय बैंकों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

बैठक के आरम्भ में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए उनसे अपना-अपना परिचय देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात समिति ने पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की तथा उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर विचार करते हुए राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा की। सदस्यों ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, मानक प्रारूपों को हिन्दी में तैयार कराना तथा बनाए गए जांच-बिन्दुओं आदि विभिन्न उपायों से समिति को अवगत कराया।

समिति के अध्यक्ष मेजर-जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक ने केन्द्र सरकार के देहरादून स्थित कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम/नियम के भली-भांति अनुपालन पर जोर देते हुए कहा कि सभी कार्यालयों को अपने यहां हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करके हिन्दी में सरकारी कामकाज की प्रतिशतता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए तथा "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के बीच सभी पत्र-व्यवहार केवल हिन्दी में ही किया जाए। उन्होंने हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि में अभी तक अप्रशिक्षित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देते हुए कहा कि ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित किया जाना चाहिए तथा कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हिन्दी में संदर्भ साहित्य उपलब्ध कराए जाने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए व्यावहारिक सुझाव देते हुए कहा कि यदि किसी कार्यालय को पुस्तकें आदि खरीदने में कठिनाई हो तो वे उनके कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये एक वातावरण बनाने की जरूरत है । इसके लिए जहां सम्भव हो हिन्दी कार्यशाला चलाई जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी छमाही में सभी कार्यालयों में हिन्दी में सरकारी कामकाज में वृद्धि होगी ।

(4) जयपुर

राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवीं बैठक दिनंक 11 नवम्बर, 1982 को महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, की अध्यक्षता में हुई। श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 34 अन्य कार्यालयों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे । राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री राजमणि तिवारी भी प्रेक्षक के रूप में बैठक में उपस्थित थे।

केन्द्रीय कर्मचारी समन्वयन समिति के सचिव व वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) श्री एम. एस. शेखावत ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम (1982-83) के कार्यान्वयन, अनुवादकों के प्रशिक्षण एवं विभागों में हिन्दी से संबंधित समुचित प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग एवं प्रगति हेतु हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति, अनुवाद शाखायें खोलने, अनुवादकों के प्रशिक्षण एवं विभागों में हिन्दी से संबंधित समुचित साहित्य तथा विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए विभिन्न कार्यालयों से सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त सुझाव पढ़कर सुनाये।

महालेखाकार श्री ओ. पी. गोयल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी के प्रयोग पर बल देते हुए अपने विभाग में हुई प्रगति की चर्चा की और बताया कि पत्राचार के साथ-साथ निरीक्षण प्रतिवेदन भी उनके विभाग द्वारा हिन्दी में दिए जाने लगे हैं। हिन्दी के कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्थापित हिन्दी कक्ष के साथ-साथ विभागीय मैनुअलों के हिन्दी अनुवाद के लिए अलग से 'मैनुअल सेल' खोले जाने की भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि यद्‌पि 'सेन्ट्रल आडिट रिपोर्ट' अंग्रेजी में भेजी जाती है तथापि हम अन्य छोटी आडिट रिपोर्टों को हिन्दी में भेजने का प्रयास करेंगे। देश की संपर्क भाषा हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति पर बल देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के विभिन्न भाषा-भाषी लोगों को एक दूसरे का सामीप्य दिलाने में संपर्क भाषा के रूप में केवल हिन्दी ही समर्थ है। अन्त में भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम (1982-83) के कार्यान्वयन की प्रगति बताने हेतु एवं इसमें आने वाली दिक्कतों की चर्चा करने के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।

चर्चा में राष्ट्रीय सेवायोजना (क्षेत्रीय कार्यालय) के श्री बलदेव-राज, भारतीय स्टेट बैंक के श्री भगवान अठलानी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के श्री अश्विनी कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के श्री श्रीराम शर्मा और केन्द्रीय भू-जल मंडल के श्री सतीश कुमार ने भाग लिया।

तत्पश्चात् मुख्य अतिथि श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने उपर्युक्त वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि प्रजातन्त्र में भाषा के लिए प्राप्त स्वतन्त्रता का उपयोग करना चाहिए। समूचे राष्ट्र में विभिन्न भाषाएं प्रचलित हैं और उन सभी भाषाओं का विकास आवश्यक है। हमें हिन्दी को थोपना नहीं है वरन् सम्पर्क भाषा के रूप में इसका उपयोग करना है।

हिन्दी में काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के संबंध में उन्होंने बताया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं हिन्दी आशुलिपिकों व टाइपिस्टों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रगति पर है। इस योजना के कार्यान्वयन से हिन्दी का प्रयोग करने वालों को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और कई एक समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जायगा। उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रयोग को मात्र औपचारिकता के स्थान पर व्यावहारिक बनाना आवश्यक है। वह समय दूर नहीं है जब जनता एक स्वर से सरकारी कार्यालयों से हिन्दी में काम करने की मांग करेगी।

अनुवाद कार्य के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने कनाडा का उदाहरण देते हुए कहा कि विश्व के अनेक प्रगतिशील देश अनुवाद पर चल रहे हैं और इस कार्य पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। हिन्दी कम्प्यूटर तैयार करने के बारे में प्रयास किया जा रहा है—इलेक्ट्रानिक्स विभाग भी छानबीन कर रहा है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो मैनुअलों आदि के अनुवाद के काम में लगा हुआ है।

विभागों में हिन्दी अधिकारियों और अनुवादकों के पद-सृजन के बारे में उन्होंने बताया कि जहां कहीं से प्रस्ताव आये हैं, राजभाषा विभाग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। आवश्यकतानुसार इस प्रकार के प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता परिक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प देने की भी व्यवस्था कर दी गई है।

मुख्य अतिथि ने जयपुर में जल्दी ही फिर बैठक बुलाने का आग्रह किया और अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त किया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने मुख्य अतिथि एवं उन सभी अधिकारियों के प्रति, जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया, आभार प्रकट करते हुए बैठक समाप्त की।

मदन सिंह शेखावत
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) एवम्
सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण
समन्वय समिति, जयपुर

सभी केन्द्रीय कार्यालयों के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पालन करना अनिवार्य है।

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते कदम

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई के प्रधान कार्यालय में हिन्दी की प्रगति

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार तथा राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के सचिव श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव ने 7-12-82 को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिविजन) के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण किया । उनके साथ उपसचिव (कार्यान्वयन) श्री वी. वी. सिन्हा भी थे। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के डाइरेक्टर (मार्केटिंग) श्री म. स. राना ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग डिविजन में हम लोग चरणबद्ध योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मार्केटिंग डिविजन के प्रधान कार्यालय की हिन्दी कार्यान्वयन समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति तथा जनरल मैनेजर (कार्मिक) श्री भारत बख्शी ने अन्य उपस्थित सदस्यों का सचिव महोदय से परिचय कराया।

हिन्दी कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री के. एन. बकाया ने मार्केटिंग डिविजन में हुई प्रगति का विवरण विभिन्न वर्गों की मदद से प्रस्तुत किया। इससे पूर्व सचिव महोदय ने मानक पत्र, द्विभाषिक फार्म, द्विभाषिक करार/संविदा इत्यादि के नमूनों का अवलोकन किया। सचिव महोदय इन सब नमूनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि "मैं आंकड़ों में नहीं वरन् वास्तविक प्रगति में विश्वास करता हूं।"

श्री श्रीवास्तव ने इंडियन आयल कार्पोरेशन के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के पूरे अनुपालन पर जोर देते हुए कहा कि सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और भारत सरकार के सभी संगठनों में यह काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए। हिन्दी प्रगति का अंतिम लक्ष्य है केन्द्र सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार करना।

जनरल मैनेजर (कार्मिक) तथा हिन्दी कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री भारत बख्शी ने माननीय अतिथि को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिविजन) भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार प्रगति करने में अग्रसर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं कि राजभाषा नीति के अनुसार बनाये गये लक्ष्यों को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें।

भारत मौसम विज्ञान विभाग में हिन्दी कार्यशाला

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित एक हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए सचिव राजभाषा विभाग और

भारत मौसम विज्ञान विभाग में दिनांक 21-2-83 को हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारी तथा आमंत्रित अतिथि आदि दिखाई दे रहे हैं ।

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान के अनुसार केवल हिन्दी संघ की राजभाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी का प्रयोग केवल अतिरिक्त भाषा के रूप में जारी है, राजभाषा के रूप में नहीं।

श्री श्रीवास्तव ने उक्त उद्गार महानिदेशक, मौसम विज्ञान के मुख्यालय, लोदी रोड, नई दिल्ली में दिनांक 21-2-83 को व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने यह भी अपील की कि हमें हिन्दी के प्रयोग में किसी तरह का हीन भाव नहीं महसूस करना चाहिए। यह समझना गलत है कि अंग्रेजी जाने बिना हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी अपनी भाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका महत्व सर्वविदित है।

इससे पहले मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हुए श्री जितेन्द्र लाल, निदेशक (प्रशासन) ने उनका परिचय दिया और कहा कि श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व में विज्ञान और हिन्दी का अद्भुत समन्वय है। अतः मौसम विभाग जैसे वैज्ञानिक विभाग की हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उनसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति हमें नहीं मिल सकता था।

हिन्दी कार्यशालाओं के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व महानिदेशक श्री एस. के. दास ने पुष्पगुच्छ भेंट करके श्रीवास्तव जी का स्वागत किया। उन्होंने दूसरा पुष्पगुच्छ श्रीमती मनुहरि पाठक, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, नागर विमानन मंत्रालय को भी भेंट किया जो उस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित की गई थीं।

औपचारिक उद्घाटन के बाद दो विशेष वक्ताओं के व्याख्यान भी आयोजित किए गए थे। पहले वक्ता श्री राजमणि तिवारी, संपादक, "राजभाषा भारती" ने अपने व्याख्यान में विस्तार से भारत सरकार की राजभाषा नीति की चर्चा की और कहा कि यह नीति सभी की व्यावहारिक कठिनाइयों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, अतः इसके अनुपालन में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरे वक्ता श्री हरिबाबू कंसल, अवकाश प्राप्त उपसचिव, राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज के संदर्भ में हिन्दी की सरलता और सुबोधता की चर्चा की और कहा कि सरकारी हिन्दी इतनी आसान है कि थोड़ी-सी हिन्दी जानने वाला व्यक्ति भी उसमें अपना कामकाज अच्छी तरह कर सकता है।

इसके बाद देश की जानी-मानी वरिष्ठ हिन्दी पत्रकार श्रीमती मनुहरि पाठक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वयं अहिन्दीभाषी होते हुए भी हिन्दी को अपनाने का स्मरण करते हुए यह याद दिलाया कि जापान में उन्होंने अपना टी. वी. इण्टरव्यू हिन्दी में दिया था और वहां के दुभाषिए ने सीधे जापानी से हिन्दी और हिन्दी से जापानी में अनुवाद किया था, उनके बीच में अंग्रेजी कहीं नहीं थी। श्रीमती पाठक ने सभी श्रोताओं से इसी तरह हिन्दी को अपनाने और उसे ममता और वात्सल्य देने की अपील की।

समारोह के अंत में डा. वीरेन्द्र सक्सेना, हिन्दी अधिकारी ने सभी अतिथियों और अभ्यागतों को धन्यवाद दिया। साथ ही आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के आयोजन से, जिसमें लगभग 30 कर्मचारी लगातार एक सप्ताह तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, मौसम विभाग में हिन्दी के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहन मिल सकेगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग में हिन्दी कार्यशाला।
बाएं से दाएं—श्रीमती मनुहरि पाठक, पत्रकार, श्री के० के० श्रीवास्तव, सचिव राजभाषा विभाग (मुख्य अतिथि), श्री एस० के० दास, महानिदेशक, मौसम विज्ञान विभाग तथा श्री राजमणि तिवारी, सम्पादक 'राजभाषा भारती'।

हिन्दी में काम करने के लिए महालेखाकार (द्विवतीय) आन्ध्र प्रदेश के कार्यालय को शील्ड।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, महालेखाकार (द्विवतीय), आन्ध्र प्रदेश को 1980-81 वर्ष के दौरान 'ग' क्षेत्र में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने के उपलक्ष्य में दी जाने वाली भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा शील्ड श्री.एस. वाई. गोविन्दराजन, सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 9-2-83 के सम्पन्न समारोह में श्री आर. सी. सूरी, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के करकमलों से श्री सौंदरराजन महालेखाकार-द्विवतीय, आन्ध्र प्रदेश को भेंट की गई।

अपने स्वागत भाषण में श्री सौंदरराजन ने इस कार्यलय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संक्षिप्त परिचय दिया। हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण होने पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन मेहनत तथा उत्साह के आधार पर हों, पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद हिन्दी पुस्तकें लौटाने के बजाए अपने पास रख ली जाएं तथा हिन्दी पुस्तकों के मुद्रण का स्तर इस तरह से सुधारा जाए कि आंखों पर जोर देने की जरूरत न पड़े आदि के संबंध में उन्होंने हाल ही में जो सुझाव भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव महोदय को दिए थे उनकी जानकारी दी।

महालेखाकार द्विवतीय, आन्ध्र प्रदेश को शील्ड प्रदान करने के बाद श्री आर. सी. सूरी, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक महोदय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार श्री ज्ञान प्रकाश द्वारा श्री युत सौंदरराजन तथा उनके कार्यालय के स्टाफ को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए तथा यह भविष्य में उत्साह बनाये रखने की सलाह देते हुए लिखा गया अर्धशासकीय पत्र पढ़कर सुनाया। श्री सूरी ने आशा व्यक्त की कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में इस कार्यालय के स्टाफ द्वारा किए जा रहे प्रयास जारी रखने से भविष्य में ऐसी अधिकाधिक उपलब्धियां इन्हें मिलती रहेंगी।

इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित विशेष अतिथि श्रीमती इन्दिरादेवी धनराजगिरि अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकादमी, जो अचानक अस्वस्थ होने के कारण न आ सकी थीं, उनका संदेश श्री नरहर देव, लेखापरीक्षक द्वारा श्रोताओं को पढ़कर सुनाया गया।

सभापति श्री एस. वाई. गोविंदराजन, सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन निदेशक, ले. प. ने अपने भाषण में इस कार्यालय के कर्मचारियों के उत्साह की भूरि-भूरि प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि, वे हिन्दी का जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसे उन सभी के द्वारा प्रत्यक्ष कामकाज में प्रयुक्त किया जाए।

श्रीमती रमा मुरलि, राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ उप-महालेखाकार ने उपस्थित लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

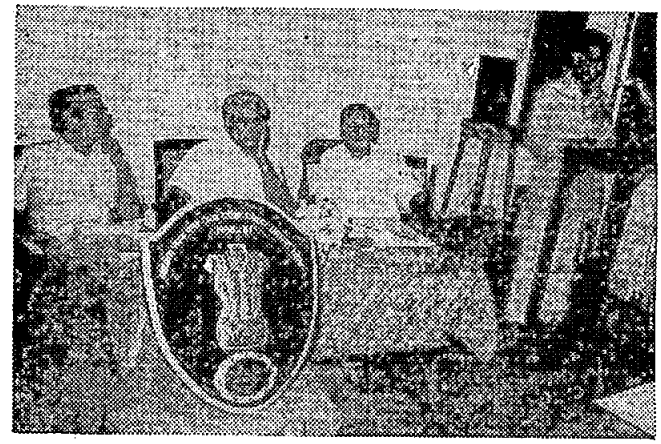

--बाएं से दाएं
श्री एस० वाई० गोविन्दराजन, सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, श्री आर० सी० सूरी, अध्यक्ष लेखा परीक्षा बोर्ड एवं पदेन अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वणिज्यिक सुरक्षा), श्री सौन्दरराजन, महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश-3।

यूको बैंक में हिन्दी दिवस समारोह

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में 14 सितम्बर, 1982 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी. के. चटर्जी की अध्यक्षता में 'हिन्दी दिवस' समारोह सोत्साह मनाया गया। इस अवसर पर बैंक में हिन्दी के सर्वकार्य प्रभारी श्री हरिनाथ वोहरा, महाप्रबन्धक; श्री वी. के. अनन्तरमन, महाप्रबंधक, श्री सी. टी. ठाकुर, महाप्रबंधक तथा श्री आर. के. तिवारी, उप महाप्रबंधक सहित अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

अध्यक्ष पद से श्री बी. के. चटर्जी ने हिन्दी में अधिक से अधिक कामकाज करने का आह्वान करते हुए कहा कि हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है। आज भले ही बैंकों में अधिकांश काम अंग्रेजी में हो रहा है लेकिन दस साल बाद सारा कामकाज हिन्दी में होने लगेगा। उस स्थिति में हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कठिनाई होगी। इसलिए बैंक के युवा कर्मचारियों को मेरी सलाह है कि वे चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न हों, हिन्दी अवश्य सीख लें। हिन्दी शुरू में कठिन लग सकती है, लेकिन वस्तुतः यह एक सरल भाषा है। यदि हम हिन्दी में बोलने और लिखने का अभ्यास शुरू कर दें तो इसे सीखते देर नहीं लगेगी। राष्ट्र की प्रमुख धारा से अपने को जोड़ने के लिए हिन्दी सीखना और उसमें काम करना आवश्यक है। आज हिन्दी दिवस के अवसर पर हम संकल्प करें कि हम अपने कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करेंगे।

प्रमुख वक्ता के रूप में उद्‌गार व्यक्त करते हुए महाप्रबंधक श्री वाँहरा ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में जिस प्रकार 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार 14 सितम्बर 1949 भी; क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को देश की राजभाषा घोषित किया था। आज देश में द्विभाषित स्थिति है जिसमें सरकारी कर्मचारी अंग्रेजी और हिन्दी में से किसी में काम कर सकते हैं; लेकिन सरकार का संकल्प है कि हिन्दी के काम को धीरे-धीरे बढ़ाकर उसे संविधानोचित दर्जा दिलाने की पूरी कोशिश की जाए। इसी उद्‌देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में हिन्दी का काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्री वाँहरा ने कहा कि हमारे बैंक ने हिन्दी प्रशिक्षण की दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 1981 में हमारे स्टाफ कालेजों ने लगभग 1700 कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अलावा, प्रवोध, प्रवीण और प्राज्ञ की परीक्षाओं के प्रति कर्मचारियों में अत्यधिक उत्साह को देखते हुए हमने इन परीक्षाओं की नियमित कक्षाएं चलाने की अलग व्यवस्था की है। बैंक में अनुवाद कार्य भी तेजी से हो रहा है। वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में छपती है। 'यूनाइटेड कमर्शियल बैंक रिव्यू' के हिन्दी खण्ड में अर्थशास्त्र से संबंधित बड़े-बड़े लेख प्रकाशित हो रहे हैं। यह हमारे बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां तक राजभाषा के कार्यान्वयन का सवाल है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि भारत सरकार के आदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो। अधिकांश मंडलों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन हो चुका है और उनकी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे कार्यों से संतुष्ट होकर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'श्रेष्ठता प्रमाणपत्र' दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा बैंक और आगे बढ़े, जो सबके सहयोग से ही संभव है।

उप महाप्रबंधक श्री आर. के. तिवारी ने ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा बनाने के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का मूल उद्‌देश्य अंग्रेजी माध्यम से राजकाज और व्यापार आदि करना तथा भारत के बुद्धिजीवियों को भारतीय परम्परा एवं संस्कृति से विमुख करना था ताकि मानसिक रूप से वे हमेशा दास बने रहें। हमारा देश आजाद तो हो गया मगर यह आजादी तब तक खोखली है जब तक हमारा राष्ट्र राजकाज के लिए विदेशी भाषा पर निर्भर है। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हिन्दी में सारा कामकाज शुरू कर देने का आह्वान किया था। यद्‌यपि संविधान में हिन्दी को राजभाषा माना गया है मगर पिछले 35 वर्षों से सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। भारत सरकार ने हिन्दी के लिए कानून तो बना दिए, मगर इस कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा-आपका है। हिन्दीभाषियों को स्वयं अधिक से अधिक काम हिन्दी में करना चाहिए और अन्य भाषाभाषी सहकर्मियों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

—समारोह को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष श्री बी० के० चटर्जी, चित्र में बाएं से श्री हरिनाथ वाँहरा, श्री अनन्तरमन, श्री आर० के० तिवारी एवं श्री सी० टी० ठाकुर।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में राजभाषा सेमिनार

हिन्दी दिवस के अवसर पर 14-15 सितम्बर, 1982 को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) में एक राजभाषा सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता देश के शीर्षस्थ शिक्षाशास्त्री पण्डित जनार्दन राय नागर ने की। इस सेमिनार में इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य, मूर्धन्य साहित्यकार श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क' तथा बम्बई हिन्दी विद्‌यापीठ के कुलपति डा. मो. दि. पराड़कर विशेष रूप से आमंत्रित थे। इनके अलावा सेमिनार में इस्पात और खान मंत्रालय के खान विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों के राजभाषा अधिकारी एवं हिन्दी अधिकारी उपस्थित थे।

सेमिनार के प्रथम दिन पहले सत्र में उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए कम्पनी के समूह महाप्रबंधक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री ह. वि. पालीवाल ने सेमिनार के उद्‌देश्यों पर प्रकाश डाला/उन्होंने कहा कि इस सेमिनार में आये अन्य उपक्रमों/कार्यालयों के अधिकारियों के विचारों से परस्पर लाभ होगा। सेमिनार में हिन्दी के प्रयोग में हुई अब तक की प्रगति एवं अन्य उपलब्धियों की तथ्यपरक समीक्षा की गई और कार्यालय कामकाज में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाई पर चर्चा की गई और उनके निराकरण के लिए उपाय सुझाये गये।

सेमिनार का उद्‌घाटन सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क' ने किया। उन्होंने अपने उद्‌घाटन भाषण में हिन्दी की वर्तमान स्थिति का निरूपण करते हुए कहा कि आजादी के 35 वर्षों बाद भी हिन्दी को वांछित स्तर प्राप्त नहीं हो सका। इसके लिए उन्होंने हिन्दीभाषियों को अपेक्षाकृत अधिक दोषी

बताया। उनका कहना था जब तक हिन्दी का काम मिशनरी भावना से नहीं किया जायेगा तब तक हिन्दी देश के कोने-कोने में नहीं पहुंच सकेगी। इसके लिए हमें दृढ़-संकल्प करना होगा। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी पूर्णतः न आने का जिक्र करते हुए श्री अश्क ने बताया कि उच्चाधिकारियों की पहल से ही हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हो सकती है। हिन्दी न आने के लिये उन्होंने हिन्दी शब्दावलियों, पर्यायवाची शब्दों के अभाव को जिम्मेदार बताया। उन्होंने हिन्दुस्तान जिंक में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसमें और अधिक प्रगति करने का आह्वान किया। श्री अश्क जी ने इस अवसर पर प्रकाशित 'राजभाषा स्मारिका' का विमोचन किया और इसे एक उपयोगी प्रकाशन बताया। स्मारिका का संपादन वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री छंगाणी ने किया है।

सेमिनार की प्रथम गोष्ठी की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं गांधीवादी साहित्यकार पंडित जनार्दन राय नागर ने की। उन्होंने कहा कि हम अपनी अस्मिता, अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है और यही कारण है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठापित करने में हिचकिचा रहे हैं। उनका कहना था कि केवल दो प्रतिशत अंग्रेजी जानने वाले देश पर हावी हो रहे हैं। देश में कहीं भी हिन्दी का विरोध नहीं है। जो विरोध दिख रहा है वह राजनीतिज्ञों का केवल भ्रमजाल है। हमें प्रेमाग्रह, आस्था और निष्ठा से हिन्दी के प्रति फैले भ्रमों को दूर करना होगा। सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, परन्तु इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि प्रयोग में आने वाली भाषा सरल एवं सुबोध हो।

भारत पम्प्स ऐण्ड कम्प्रेशर्स में राजभाषा हिन्दी

भारत के उद्योग क्षितिज में भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स अपने विशिष्ट उत्पादों के लिये विश्वविख्यात है। सार्वजनिक उपक्रम की यह इकाई विशिष्ट प्रकार के तकनीकी पम्प्स और विभिन्न प्रकार के कम्प्रेशर्स तथा औद्योगिक आक्सीजन और वेल्डेड एवम् सालिडड्रान सिलिण्डर्स के अतिरिक्त घरेलू ईंधन गैस सिलिण्डर्स के निर्माण द्वारा जहां राष्ट्र की अहर्निश सेवा में रत है, वहीं राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास हेतु सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में भी पूर्णरूपेण कृत संकल्प है। संस्थान में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन हेतु 30 सितम्बर, 1980 को एक हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की गई और विगत वर्ष हिन्दी कक्ष में एक टाइपिस्ट भी नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों के साथ संस्थान में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। राजभाषा अधिनियमानुसार संस्थान में एक हिन्दी समिति की स्थापना की गई है। हिन्दी की प्रगति हेतु विचार-विमर्श और निर्णय तथा सरकारी निर्देशों का क्रियान्वयन इस समिति का प्रमुख कार्य है, जिसकी बैठकें त्रैमासिक तौर पर आयोजित की जा रही है।

भारत सरकार से प्राप्त राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम की प्रगति हेतु हमारा प्रयास निरन्तर जारी है। हमारे टाइपिस्ट

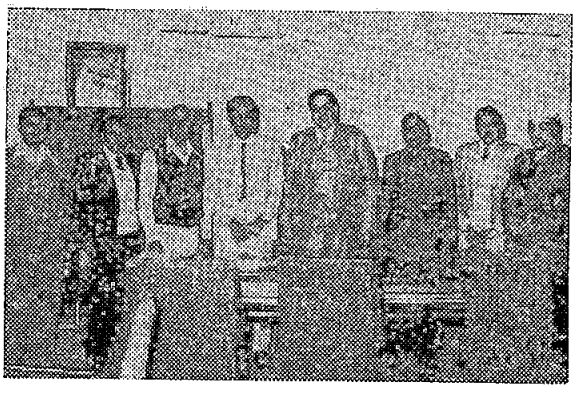

—भारत पम्प्स ऐण्ड कम्प्रेशर्स, नैनी, इलाहाबाद में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र (बीच में) तथा अन्य।

जिन्हें हिन्दी टाइपिंग की जानकारी नहीं है, वर्तमान सत्र से हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण सरकारी केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन कर्मचारियों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उनको केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जहां तक हिन्दी में कार्य करने का संबंध है, हिन्दी में कार्य करने की झिझक को दूर करने के लिए कार्यशाला के आयोजन की सहमति प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा चुकी है। कार्यक्रमानुसार हमारे हिन्दी अधिकारी शीघ्र ही संस्थान में हिन्दी कार्यशाला आयोजित करेंगे। वैसे हमारा संस्थान एक विशेष प्रकार का तकनीकी संस्थान है जहां हिन्दी को पूर्णरूपेण अपनाने में कठिनाइयां हैं, जिसमें सर्वप्रमुख तकनीकी शब्दों के मानक शब्दों का अभाव है। अभी तक हमारे संस्थान में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय का कोई भी शब्दकोश प्रकाशित न होने से इस कठिनाई के निवारण में हमें समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उचित समय पर ही इन कठिनाइयों का समाधान सम्भव है। यद्यपि उक्त कठिनाइयां तकनीकी विभागों की है फिर भी अपेक्षाकृत हिन्दी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। हमारे संस्थान के भण्डार विभाग, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्यिक विभागों में बहुतायात से कार्य हिन्दी में हो रहा है। संस्थान में सभी सामान्य आदेश, परिपत्र एवम् सामान्य सूचनायें, विज्ञापन, निविदायें, 'क' राज्य क्षेत्र को जाने वाले पत्र आदि सरकारी निर्देशानुसार हिन्दी और अंग्रेजी या केवल हिन्दी में जारी किये जा रहे हैं। संस्थान के स्थायी आदेश, आचरण और अनुशासन नियमावली, वेतन नियतन नियम, पदोन्नति नीति, बेनोवेलेन्ट फण्ड स्कीम, परिवार पेन्शन योजना, भविष्य निधि योजना, उपदान और सेवोपहार योजना, यात्रा भत्ता एवम् प्रतिपूरक यात्रा भत्ता नियम, टेंडर डाक्यूमेंट्स, आन्तरिक लेखा परीक्षा पुस्तिका आदि का जो पहले केवल अंग्रेजी

भाषा में ही थे, उनका हिन्दी अनुवाद करा लिया गया है। स्थायी आदेश और पदोन्नति नीति की हिन्दी प्रतियां प्रकाशित कर सभी कर्मचारियों को वितरित की जा रही है। उक्त शेष नियमावलियों को भी शीघ्र प्रकाशित कर वितरित कराया जायेगा। संस्थान के लेटर हेड, लिफाफे, फाइलकवर और रजिस्टर पर उत्कीर्ण पत्र शीर्ष को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में द्विभाषी रूप में मुद्रित करा दिया गया है। संस्थान में प्रचलित विविध फार्मों में कुछ का हिन्दी अनुवाद करा कर जारी कर दिया गया है। कुछ फार्मों का हिन्दी अनुवाद कार्य शेष है जिसे समयानुसार पूरा करा लिया जायेगा। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रतिवेदन को हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग प्रकाशित कराया जा रहा है।

संस्थान की हिन्दी प्रगति का विवरण भारत सरकार को निरन्तर प्रेषित किया जा रहा है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हमारे शाखा कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करने, वहां पर हिन्दी के विकास की सम्भावनाओं का पता करने तथा हिन्दी विकास हेतु उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से हिन्दी अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। समय-समय पर प्राप्त सरकारी निदेशों को सूचना एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों में भेजा जा रहा है। हमारे हिन्दी अधिकारी संस्थान में प्रचलित विभिन्न शब्दों के हिन्दी-अंग्रेजी पर्याय संकलित कर समय-समय पर विभिन्न विभागों को प्रसारित करते रहते हैं। संस्थान के अधिकांश विभागों की उपस्थित पंजिकाओं पर कर्मचारियों के नाम हिन्दी भाषा में लिखे जा रहे हैं तथा अधिकांश कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति भी हिन्दी भाषा में दर्ज की जाती है।

वर्तमान वर्ष में हिन्दी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा एक हिन्दी निबंध, कविता और कहानी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को उनकी सफल रचनाओं के लिये, योग्यतानुसार नकद पुरस्कार के साथ-साथ हमारे प्रबंध निदेशक द्वारा प्रशंसा-पत्र भी व्यक्तिगत तौर पर प्रदान किया गया। वर्तमान सत्र में टंककों एवम् आशुलिपिकों तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिये क्रियान्वित सरकारी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत संस्थान में हिन्दी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसमें सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हिन्दी टाइप सीखने वाले कर्मचारियों को एक अग्रिम वार्षिक वेतन के तुल्य व्यक्तिगत वेतन प्रदान किया जायेगा। संस्थान का हिन्दी मोनोग्राम बनाने के लिये कर्मचारियों से उपयुक्त नमूने आमंत्रित किये गये थे जिन पर अभी अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित है। संस्थान के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की रबर स्टैम्प हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। हमारे उपक्रम की विभिन्न होर्डिंग में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग समान रूप में किया गया है। चूंकि यह संस्थान एक हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित है जहां के अधिकांश कर्मचारियों की मातृभाषा हिन्दी है इस नाते यहां 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। सरकारी कार्यक्रमानुसार इस संदर्भ में संस्थान का नाम गजट में प्रकाशित करने के लिये संबंधित मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी को आवश्यक जानकारी प्रदान की जा चुकी है।

हिन्दी के विकास हेतु यद्यपि काफी कुछ हमने अभी तक किया है, फिर भी हमें अभी अपनी प्रगति से पूर्ण संतोष नहीं है और निरन्तर हम हिन्दी की प्रगति के लिये कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। शनैः-शनैः भविष्य में हिन्दी की पूर्ण प्रगति अवश्य होगी और हम सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में पूर्ण सफल होंगे–ऐसा मेरा विश्वास है।

–शेषगिरि नटराजन, महाप्रबन्धक

कैनरा बैंक के दिल्ली अंचल कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

दिल्ली अंचल की शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी रूप देने के उद्देश्य से सभी स्थानीय शाखाओं/कार्यालयों/अनुभागों में नामित हिन्दी प्रतिनिधियों (लिपिकवर्ग) को सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं तथा हिन्दी के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए 7-8 मार्च 1983 को अंचल कार्यालय में दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में करीब 20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंचल के सहायक महाप्रबंधक श्री आर. जी. आहूजा ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राजभाषा कक्ष स्टाफ अनुभाग (अधिकारी वर्ग) के प्रबंधक श्री सी. बदरी और स्टाफ अनुभाग (कर्मचारी वर्ग) के प्रबंधक श्री हेगड़े भी उपस्थित थे। सर्वप्रथम, हिन्दी अधिकारी श्रीमती जीवनलता जैन ने प्रतिभागियों को अतिथि श्री राजमणि तिवारी तथा अधिकारियों के बारे में परिचय देते हुए उनका हार्दिक स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने बैंक द्वारा हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के उद्देश्यों तथा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। सहायक महाप्रबन्धक श्री आर. जी. आहूजा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बैंक में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली अंचल द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस कार्यशाला से पूर्ण लाभ उठाएं तथा इस कार्य में अधिक रुचि लेकर इसे और आगे बढ़ाने में सहयोग दें। उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि "यद्यपि हमारा बैंक अहिन्दी भाषी क्षेत्र से है और हमारे अधिकांश अधिकारीगण दक्षिणी भारत के हैं जिन्हें हिन्दी अच्छी तरह लिखने, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है पर अपने देश की राष्ट्रभाषा व राजभाषा हिन्दी का बेझिझक प्रयोग भी बहुत जरूरी है अतः हमें आरम्भ में होने वाली मुश्किलों के कारण पीछे नहीं हटना है बल्कि इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ाना है।" तत्पश्चात अतिथि वक्ता श्री राजमणि तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का शुभ उद्घाटन

किया। श्री तिवारी ने अपने ओजपूर्ण भाषण में कैनरा बैंक द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और प्रतिभागियों को हिन्दी भाषा का महत्व बताते हुए रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की प्रेरणा दी। फिर श्री आहूजा जी ने माननीय अतिथि श्री तिवारी जी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए प्रबन्ध मण्डल की ओर से यह सद्-विचार व्यक्त किया कि वे बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे और सदैव हिन्दी के कार्य को सहर्ष करेंगे।

प्रथम सत्र में "सरकार की राजभाषा नीतिः राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियम--विशेषकर बैंकों के संदर्भ में" विषय पर अतिथि वक्ता श्री राजमणि तिवारी ने विस्तार से प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने इसमें बहुत रुचि ली और आपसी चर्चा से उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।

द्वितीय सत्र में हिन्दी अधिकारी श्रीमती जीवनलता जैन ने प्रतिभागियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम 1982-83 तथा भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता और अपने बैंक द्वारा अंचलों/मण्डलों/शाखाओं में राजभाषा के अधिकाधिक कार्यान्वयन के लिए दिनांक 1-4-1982 से प्रारम्भ की गई राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम को अपनी शाखाओं के कार्यालयों में अधिक से अधिक लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रतिभागियों को दिल्ली अंचल/मंडल द्वारा उक्त प्रतियोगिता में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रेरित किया।

तृतीय सत्र में हिन्दी अधिकारी श्री सुरजीत कुमार तुली ने बैंकों में हिन्दी के प्रगामी से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट का महत्व बताते हुए उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को रिपोर्ट में उत्साहजनक आंकड़े देने और उसे समय पर भेजने के लिए प्रेरित किया।

हिन्दी में मूल पत्राचार की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से इस सत्र में हिन्दी अधिकारियों ने प्रतिभागियों से बैंक के द्विभाषिक फार्मों को, खासकर ग्राहकों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले फार्मों को हिन्दी में भरने का अभ्यास कराया। इससे प्रतिभागियों ने महसूस किया कि हिन्दी में फार्म भरना कठिन नहीं बल्कि बहुत आसान है और वे फार्मों को हिन्दी में भरकर मूल पत्राचार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसी सत्र में शाखाओं में काउन्टर पर हिन्दी भाषी ग्राहकों को हिन्दी भाषा में ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से हिन्दी अधिकारी श्रीमती जीवनलता जैन ने प्रतिभागियों से कामधेनु जमा रसीद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, तार अंतरण को हिन्दी में भरकर तैयार करने का अभ्यास कराया व साथ ही पास-बुकों में हिन्दी में प्रविष्टियां करने के बारे में भी विस्तार से समझाया। उन्होंने प्रतिभागियों को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि काउन्टर पर सभी जमापर्चियां, खाता खोलने के फार्म आदि द्विभाषिक रूप में ही हों और यदि कोई हिन्दी भाषी ग्राहक सेवा हिन्दी में चाहता है तो वह उसे अवश्य दी जाए।

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी में कानूनी पुस्तकें

(क) **हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें**

1. प्राइवेट (निजी) अन्तर्राष्ट्रीय विधि (प्राइवेट इन्टरनेशनल ला), लेखक--डा. पारस दीवान, मूल्य छात्र संस्करण-6.25 रुपये।
2. उत्तर प्रदेश भू-धृति विधि (उत्तर प्रदेश लैंड टेन्योर ला), लेखक--उमेश कुमार, मूल्य 5 रुपये।
3. मध्य प्रदेश भू-विधि (मध्य प्रदेश लैंड ला) लेखक भूतपूर्व न्यायमूर्ति शिवदयाल श्रीवास्तव, मूल्य 10.50 रुपये।
4. निर्णय लेखन (जजमेंट राइटिंग), लेखक--भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद बेरी, रैक्सिन की पक्की जिल्द, मूल्य 11 रुपये।
5. दण्ड विधि के साधारण सिद्धान्त (ला आफ क्राइम), लेखक--डा. रामचन्द्र निगम, कपड़े की पक्की जिल्द, मूल्य 19 रुपये।
6. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इन्टरनेशनल आरगोनाइजेशन), लेखक--डा. प्रयाग सिंह, मूल्य 23.80 रुपये।
7. प्रशासनिक विधि (एडमिनिस्ट्रेटिव ला), लेखक--कैलाश चन्द्र जोशी, मूल्य 16.50 रुपये।
8. चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष-विज्ञान (मैडिकल ज्यूरिस्प्रूडेन्स एण्ड टोक्सीकालोजी), लेखक--डा. सी. के. पारिख, अनुवादक डा. नरेन्द्र कुमार पटोरिया, पृष्ठ सं. 1042 तथा 287 चित्रों सहित, कपड़े की पक्की जिल्द, मूल्य 70 रुपये मात्र।
9. श्रम विधि (लेबर ला), लेखक--गोपीकृष्ण अरोड़ा, मूल्य 24.20 रुपये।
10. भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व (कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया सेलिएंट फीचर्स), लेखक--डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी, मूल्य 36.50 रुपये।
11. मुस्लिम विधि (मुस्लिम ला), लेखक--प्रो. हफीजुल रहमान, मूल्य 16.50 रुपये।
12. साक्ष्य विधि (ला आफ एविडेन्स) द्वितीय परिवर्धित संस्करण, लेखक--आर. जी. त्रिवेदी, मूल्य 33.60 रुपये।
13. दण्ड प्रक्रिया संहिता, लेखक--न्यायमूर्ति महावीर सिंह, मूल्य 46.50 रुपये।
14. अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (ला आफ टार्ट्स) द्वितीय परिवर्धित संस्करण, लेखक--शर्मन लाल अग्रवाल

15. कम्पनी विधि, लेखक--सुरेन्द्र नाथ (प्रेस में)
16. संविदा विधि, लेखक--आर. जी. चतुर्वेदी (प्रेस में)

(ख) मासिक विधि निर्णय पत्रिकाएं (हिन्दी में ला रिपोर्ट्स)

1. उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका (सुप्रिम कोर्ट ला रिपोर्ट) प्रथम प्रकाशन अप्रैल, 1968 वार्षिक चन्दा 65/-रुपये, एक प्रति 6 रुपये ।
2. उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (हाई कोर्ट ला रिपोर्ट) प्रथम प्रकाशन जनवरी, 1969 वार्षिक मूल्य 75 रुपये, एक प्रति 7 रुपये।

एक साथ दोनों पत्रिकाओं का ग्राहक बनने पर संयुक्त वार्षिक चन्दा 120 रुपये। विधि छात्रों के लिए प्रमाण-पत्र देने पर विशेष रियायती मूल्य--दोनों पत्रिकाओं का 95 रुपये (अग्रिम संदाय) पिछले अंक उपलब्ध हैं।

(ग) निर्णय सार (डाइजेस्ट)

1. उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका पंचवर्षीय (1968–72) निर्णयसार, मूल्य 14 रुपये (भाग 1 व 2)
2. उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका सप्तवर्षीय (1969-75) निर्णय सार, मूल्य 24 रुपये (भाग 1 व 2)

(घ) विधि साहित्य समाचार

विधि (कानूनी) और विधि साहित्य संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए त्रैमासिक पत्रिका (जनवरी, 1983 से पुनः प्रकाशन) मूल्य 5/-रुपये वार्षिक चन्दा (अग्रिम देय), एक प्रति 1.50 रुपये।

(ङ) अन्य पुस्तकें

1. भारत का संविधान (कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया) हिन्दी में (1 जून, 1982 को नया विद्यमान) मूल्य 6.00 रुपये।
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (एलेक्शन मेनुअल नवीनतम द्विवभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण) मूल्य 20.50 रुपये ।
3. विधि शब्दावली (लीगल ग्लासरी, नवीनतम संशोधित संस्करण (मुद्रणाधीन)

(च) केन्द्रीय अधिनियमों के द्विवभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण)

सिविल प्रक्रिया संहिता-1908, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1982, माल विक्रय अधिनियम 1930 सहित लगभग 150 पाठ उपलब्ध हैं।

प्रकाशन और विक्रय प्रबन्धक
विधि साहित्य प्रकाशन
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
इण्डियन ला इन्स्टीट्यूट बिल्डिंग,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

1981 के पुरस्कार

भारत सरकार के विधायी विभाग का विधि साहित्य प्रकाशन विधि के क्षेत्र में हिन्दी को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ कार्य कर रहा है। इसी उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना चलाई गई है। प्रत्येक वर्ष मौलिक रूप से हिन्दी में लिखी गई विधि की पुस्तकों पर दस-दस हजार रुपए के दस पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

1981 में लिखी गई पुस्तकों में से किसी को भी प्रथम पुरस्कार नहीं दिया जा सका है। इस वर्ष निम्नलिखित पुस्तकों को पुरस्कार दिया गया है :--

पुस्तक का नाम	लेखक	पुरस्कार की राशि
1. प्राचीन हिन्दू विधि	डा० अच्छेलाल, वाराणसी	4,000/–
2. राजस्थान रजिस्ट्रीकरण कानून	सर्वश्री जुगेन्द्र सिंह और एस० कुमार, जयपुर	2,000/–
3. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम व नियम	श्री के० एल० सेठी, इन्दौर	2,000/–
4. प्रशासनिक विधि	न्या० कैलाश नाथ गोयल, लखनऊ	2,000/–
5. भारत का संविधान	श्री गंगा सहाय शर्मा, जयपुर	2,000/–
6. हिन्दू विधि	श्री योगेन्द्र तिवारी, जयपुर	1,000/–
7. श्रम विधि	डा० एन० डी० शर्मा, जयपुर	1,000/–
8. भारतीय सांविधानिक विधि	श्री जी० एस० पाण्डेय, लखनऊ	1,000/–
9. विधि शास्त्र का सरल अध्ययन	डा० जगदीश कुमार मलिक, श्रीगंगानगर	1,000/–

इन लेखकों और पुरस्कृत पुस्तकों के निम्नलिखित प्रकाशकों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा :--

1. इण्डोलाजिकल बुक हाउस, वाराणसी, दिल्ली।
2. यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर ।
3. डी-लक्स पब्लिशिंग कम्पनी, इन्दौर-2
4. ईस्टन ला हाउस (प्रा.) लि., कलकत्ता।
5. इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद-2।
6. गायत्रि पब्लिशर्स, जयपुर । □□□

प्रदर्शित सामग्री ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार की वीरभूमि के कलक्टर की जिला अदालत में 12 सितम्बर, 1798 को हनुमान दत्त नामक चपरासी से अदालती कार्रवाई के दौरान की गई जिरह का विवरण दिया गया है।

अंग्रेजी में लिखा है—"बिहार जिला अदालत। काफी आफ द एक्जामिनेशन आन ओथ आफ हनुमान इन द सर्विस आफ द कलैक्टर आफ बीरबूम (वीर-भूमि) टेकेन - - - - - -आन द ट्वेल्वथ सेप्टेम्बर, सेवेन्टीन नाइन्टीएट

"हिन्दी तब बढ़ेगी जब उसमें केवल उपन्यास या कहानी ही न लिखें जाएं बल्कि उन नए-नए विषयों, नई-नई विचारधाराओं पर पुस्तकें लिखी जाएं जो आधुनिक दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हिन्दी को ऐसा बनाना है। हम चाहते हैं कि लोग ऐसे विषयों पर पुस्तकें लिखें जिससे दूसरे राज्यों के लोग तुरन्त यह चाहें कि इसका अनुवाद उनकी भाषा में हो। इस प्रकार से जो बाहर की किताबें निकलती हैं उनका जल्दी से हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद अगर बहुत साल बाद होगा तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। कुछ किताबें तो हमेशा की होती हैं, और उनका अनुवाद हमेशा ही उचित रहता है लेकिन बहुत सी ऐसी नई विचारधाराएं होती हैं जो लहर की तरह आती हैं अपना प्रभाव डालती हैं और कुछ प्रभाव छोड़ कर वह लहर खत्म हो जाती है। इस लहर के बारे में बहुत दिन बाद पढ़ने में वो बात नहीं रहती।

हिन्दी में जितना अनुवाद होना चाहिए, वास्तव में वह नहीं हो रहा है। राजनीतिक वाणिज्य, व्यापार वगैरह के कामों के लिए तो हिन्दी का उपयोग काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन विज्ञान और टेक्नालाजी के लिए जो होना चाहिए वह अभी नहीं हुआ है। मैं उनमें से नहीं हूं जो मानते हैं कि हरेक शब्द हिन्दी का या संस्कृत का ही होना चाहिए। मैं तो मानती हूं कि अगर दूसरी भाषा में कोई अच्छा शब्द है, जिसको लोग समझते हैं, तो उसको अपनाना चाहिए। जितनी भी बड़ी भाषाएं हैं चाहे वह जापानी हो, चाहे रूसी, उन्होंने दूसरे शब्द हर समय लिए हैं। भारत भी जो इतने सैंकड़ों साल से भी क्या, हजारों साल से कायम है, इसके पीछे यही शक्ति रही है। उसने कभी अपने तईं दरवाजे बन्द नहीं किए। उसने तो सबके विचारों को, लोगों को, जो बाहर से आए, अपने में मिला लिया। इससे हमारी शक्ति बढ़ी।"

—इन्दिरा गांधी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री रंगनाथ त्रिपाठी 'राकेश' द्वारा, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, द्वारा मुद्रित।